चतुर्दश माला, खंड 9, अंक 27

गुरूवार, 28 अप्रैल, 2005
8 वैशाख, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

(खंड 9 में अंक 21 से 30 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room FB-025
Acc No ....58..........
Dated..........31/10/05

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 27, गुरुवार, 28 अप्रैल, 2005/8 वैशाख, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्य द्वारा निवेदन	
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक संसद सदस्य के कथित फोन टैपिंग के बारे में ..	1-3
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 461 से 464 और 466	3-33
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 465 और 467 से 480	33-54
अतारांकित प्रश्न संख्या 4975 से 5161	54-278
सभा पटल पर रखे गए पत्र..	279-280
लोक लेखा समिति	
दसवां, ग्यारहवां और तेरहवां प्रतिवेदन	281
रेल अभिसमय समिति	
दूसरा प्रतिवेदन	281
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ बासठवां प्रतिवेदन	282
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
मुख्यत: बड़े कर्जदारों द्वारा ऋणों की अदायगी में चूक के कारण बैंकों में विशाल गैर-निष्पादक आस्तियों से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	282-301
श्री गुरूदास दासगुप्त	282, 284-289, 301
श्री पी. चिदम्बरम	282-284, 292-301
श्री हन्नान मोल्लाह	290
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	290

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
श्री शैलेन्द्र कुमार	291
श्री रूपचन्द पाल	292
नियम 377 के अधीन मामले	314–318
(एक) गंगा कार्य योजना के त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन और उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट गंगा नदी के प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता	
डा. राजेश मिश्रा	314
(दो) हिमाचल प्रदेश के शिमला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ऊंचाई वाले दूरस्थ क्षेत्रों में हाई पावर टी.वी. ट्रांसमीटर लगाए जाने की आवश्यकता	
डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य	315
(तीन) चंडीगढ़ में विधिवत पंजीकृत सेल डीड्स के अंतर्गत जिन लोगों ने विभिन्न गांवों की राजस्व संपदा में अपने मकानों का निर्माण किया है, उनके मकानों को ढहाए जाने के पहले उन्हें पुनर्वासित किए जाने की आवश्यकता	
श्री पवन कुमार बंसल	315–316
(चार) तमिलनाडु के तिरूनेलवेली और तुतुकुडी जिलों में बीड़ी कामगारों की कल्याण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री धनुषकोडी आर. अतिथन	316
(पांच) केरल में क्षेत्र प्रचार निदेशालय की कालीकट इकाई को समाप्त करने के प्रस्ताव को रोके जाने की आवश्यकता	
श्रीमती पी. सतीदेवी	317
(छह) उत्तरांचल के हरिद्वार के सिंचाई अनुसंधान संस्थान को केन्द्र सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजेन्द्र कुमार	318
वित्त विधेयक, 2005	318–400
विचार करने के लिए प्रस्ताव	319
श्री पी. चिदम्बरम	319, 386
श्री संदीप दीक्षित	319–325
श्री तरित बरण तोपदार	325–330
श्री रामजीलाल सुमन	330–337
श्री राम कृपाल यादव	337–346
श्री एल. राजगोपाल	346–352
श्री इलियास आजमी	352–358

विषय कॉलम

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी 366-368

श्री रूपचंद पाल 368-379

श्री जय प्रकाश (हिसार) 379-386

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार 386-391

श्री शैलेन्द्र कुमार 391-394

श्री रामदास आठवले 395-396

श्री पी. मोहन 397-400

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 401-402

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 402-408

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 409-410

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 409-410

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

गुरुवार, 28 अप्रैल, 2005/8 वैशाख, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, मैं एक बार फिर विपक्ष की दुर्भाग्यपूर्ण अनुपस्थिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैंने विपक्ष के नेता को अपने इस निर्णय पर पुन: विचार करने के बारे में पत्र लिखा है। मैं उनके सकारात्मक उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

सदस्य द्वारा निवेदन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक संसद सदस्य के कथित फोन टैपिंग के बारे में

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, हमारे पास निश्चित जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री मुलायम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश विकास परिषद के अध्यक्ष और राज्य सभा के सदस्य श्री अमर सिंह और उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री, श्री शिवपाल यादव के टेलीफोन टेप किये जा रहे हैं। इस आशय का एक वक्तव्य कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने अपनी प्रेस कांफ्रेस में भी दिया था। ...*(व्यवधान)* मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। प्रधानमंत्री कार्यालय को भी इस बात से अवगत करा दिया गया था, सूचित कर दिया गया था। हम सरकार के सहयोगी दल हैं और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि आज जो लोग सरकार में बैठे हैं, उन्हें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि इस सरकार को बनाने में हमारा भी योगदान है। ...*(व्यवधान)* अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं रोकती तो ये कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते थे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही यह निर्देश दिया था कि सरकार इस बारे में वक्तव्य दे।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, यह षडयंत्र का एक हिस्सा है। ...*(व्यवधान)* यह जानबूझकर ...*(व्यवधान)* हम चाहेंगे कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय गृहमंत्री जी यहां उपस्थित हैं और वह वक्तव्य दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा था। वह वक्तव्य देने यहां आए हैं। मैंने उनसे आग्रह किया था और इसीलिए वह सभा में आये हैं।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, समाचारपत्रों में इस समाचार को पढ़ने के बाद यह सूचना मिलने पर कि इस मुद्दे को सभा में उठाये जाने की सम्भावना है, हमने इस बारे में सूचना एकत्र की।

इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है। इस बारे में राज्य सरकार का गृह सचिव तथा केन्द्र सरकार में गृह सचिव पत्र लिख सकते हैं। इस समय तक मौखिक रूप से मुझे प्राप्त हुई सूचना के अनुसार पता चला है कि यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सर, इसके पहले भी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बस हो गया, बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: भारत के गृह मंत्री ने बताया है कि यह सही नहीं है। मुझे विश्वास है कि ऐसा ही है। निश्चित तौर पर जहां तक मेरा संबंध है, मैं सदैव इस बात का ध्यान रखता हूं कि देश में जो कुछ हो केवल कानून के अनुसार ही हो। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। परन्तु गृह मंत्री जी ने कहा है कि उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, हमने बड़े ध्यान से इसकी मौखिक जांच की है और वक्तव्य देते समय भी इसका ध्यान रखा है। फिर भी, मैं दोबारा इसकी जांच करूंगा और वास्तविक स्थिति के बारे में लिखित जानकारी प्राप्त की जाएगी। मुझे राज्य सरकार से भी इस विषय में जानकारी प्राप्त करनी है।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। मैं समझता हूं कि हमें इसी तरीके से कार्य करना चाहिए।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

लाभ अर्जित करने वाले विमानपत्तनों को प्रोत्साहन

*461. **+श्री असादुद्दीन ओवेसी:**
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में कितने विमानपत्तनों का रखरखाव किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान लाभ अर्जित करने वाले और घाटा दिखाने वाले विमानपत्तनों की वर्षवार अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने घाटा दिखाने वाले विमानपत्तनों के घाटे को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ङ) क्या सरकार लाभ कमाने वाले विमानपत्तनों को कोई प्रोत्साहन दे रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस समय देश के 126 हवाई अड्डों (28 सिविल एन्क्लेवों सहित) का रखरखाव कर रहा है।

(ख) लाभ अर्जित करने वाले तथा हानिप्रद हवाईअड्डों की संख्या क्रमशः वर्ष 2003-04 के दौरान 11 तथा 115, वर्ष 2002-03 के दौरान 11 तथा 114 और वर्ष 2001-02 के दौरान 9 तथा 115 रही है।

(ग) जी, हां। मांग पक्ष, आपूर्ति पक्ष तथा हवाईअड्डों के लाभ का निर्धारण करने वाले संरचनात्मक कारकों में सुधार करने के लिए अनेक प्रकार से पहल की गई है।

(घ) सामान्यतया, हवाईअड्डों पर सकारात्मक परिणाम देखने में आए हैं। समग्र रूप से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का लाभ वर्ष 2003-04 की तुलना में बढ़कर वर्ष 2004-05 में (अनन्तिम रूप से) लगभग 21% (कर पूर्व) तथा 19% (कर पश्चात्) हो गया है।

(ङ) और (च) लाभ, जिसमें कि अन्य बातों के साथ-साथ लाभ सम्भाव्यता, निधियों की उपलब्धता पर विचार किया जाना भी शामिल है, को अधिकाधिक करने के लिए सुविधाओं को निरन्तर उन्नत तथा आधुनिकीकृत किया जाता है।

श्री असादुद्दीन ओवेसी: दिये गये जवाब से यह स्पष्ट है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का लाभ बढ़कर कर पूर्व 21 प्रतिशत तथा कर पश्चात् 19 प्रतिशत हो गया है।

महोदय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का 80 प्रतिशत राजस्व मुम्बई, दिल्ली और चेन्नई से प्राप्त होता है और शेष बाकी के सात विमानपत्तनों से। इन हवाई अड्डों से प्राप्त लाभ का उपयोग घाटा उठा रहे हवाई अड्डों को चलाने के लिए प्रति-राजसहायता देने के लिए किया जाता है। हवाई अड्डों के नेटवर्क को बुनियादी राष्ट्रीय अवसंरचना समझा जाता है। इसी में आर्थिक समझदारी है कि जो लाभ कमाया जाए उसका उपयोग घाटा उठाने वाले इन हवाई अड्डों के घाटे को पूरा करने में लगाया जाए।

यह क्या है—जब ये लाभ कमाने वाले हवाई अड्डे विमानन क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण जीवन रेखा हैं और उनके लाभ का उपयोग घाटा उठाने वाले हवाई अड्डों को प्रतिसहायता देने में किया जा रहा है—तो सरकार आधुनिकीकरण के नाम पर इन दो हवाई अड्डों के निजीकरण या लीज पर दिये जाने पर क्यों विचार कर रही है?

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस प्रश्न का विशिष्ट जवाब दिया जाए।

श्री प्रफुल पटेल: वस्तुतः इस समय हवाई सेवा से जोड़े गये छोटे शहरों और कस्बों में कम यातायात घनत्व होने के कारण हमारे यहां लाभप्रद हवाई अड्डों की संख्या कम है। परन्तु कुछ समय पश्चात् हवाई यातायात में वृद्धि के साथ-साथ, इस समय घाटा उठाने वाले छोटे हवाई अड्डों की स्थिति भी बदल जायेगी या तो उनके घाटे में कमी आयेगी और या वे भी लाभप्रद हवाई अड्डों में बदल जाएंगे। परन्तु माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा

है कि कुछेक हवाई अड्डे ऐसे हैं जो कि पर्याप्त धन अर्जित कर रहे हैं और घाटा उठाने वाले हवाई अड्डों को प्रति-राजसहायता उपलब्ध करा रहे हैं। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू विमानन में बदलती प्रवृत्तियों के साथ-साथ हवाई अड्डों की मूल अवसंरचना एक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बन गया और हमें इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसका एक कारण यह है कि पिछले दशक या लगभग इसी अवधि के दौरान भारत के पूर्वी और पश्चिम भाग के शहरों के हवाई अड्डों पर न केवल हवाई सेवाओं का विस्तार हुआ है बल्कि ये सिंगापुर, दुबई, कुआलालाम्पुर, बैंकाक और ऐसे कई अन्य शहरों में जाने वाले लोगों का केन्द्र बन गए हैं। ऐसा इसीलिए हो पाया है कि उनकी विमानन अवसंरचना उस स्तर की हो पायी है जो कि हम केवल विदेश जाने पर ही देख पाते थे और अपने देश में उसका अनुभव नहीं कर सकते थे। इसका मुख्य कारण यह है कि इस क्षेत्र में अधिक निवेश पिछले दशक में ही किया है। मैं आपको इसका छोटा सा उदाहरण देता हूं, हाल ही में बैंकाक में 4 बिलियन डालर की लागत से एक नया हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है इसी तरह सिंगापुर, कुआलालाम्पुर, दुबई और अन्य स्थानों पर भी अधिक निवेश किया जा रहा है। ये बहुत बड़े निवेश हैं जिसके लिए हमें निश्चित तौर पर सरकारी एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता है यही हमारा उद्देश्य है। हम इन परिसम्पत्तियों को बेच नहीं रहे हैं। हम पुनः निर्माण और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं जिसमें सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्र संलग्न हैं। यह कहना ठीक नहीं होगा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का सारा राजस्व इस प्रक्रिया में लग जाएगा क्योंकि इस संयुक्त उद्यम प्रक्रिया में वह भी एक चयनित भागीदार होगा और उसका राजस्व भी इसमें उपयोग किया जाएगा। अतः यह वक्तव्य देना ठीक नहीं होगा।

चूंकि माननीय सदस्य ने यह मामला यहां उठाया है अतः मैं एक और मुद्दे पर भी बात करूंगा। महोदय, मुम्बई, दिल्ली और अन्य प्रमुख हवाई अड्डों का 50 प्रतिशत लाभ ए.टी.सी. कार्य प्रचालन के अंतर्गत आता है। ए.टी.सी. कार्य प्रचालन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में ही है और लाभ का 50 प्रतिशत भविष्य में जारी रहेगा या बढ़ेगा और शेष राजस्व घाटे को संयुक्त उद्यम की गतिविधियों में आदर्श राजस्व भागीदारी में लगाया जाएगा, जिससे विमानपत्तन प्राधिकरण को राजस्व की प्राप्ति होगी।

श्री असादुद्दीन ओवेसी: महोदय, अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि संप्रग सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले सरकारी उपक्रमों के एककों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिये गए जवाब न्यूनतम साझा कार्यक्रम के विपरीत हैं।

मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक अन्य मुद्दा लाना चाहता हूं। उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के उदाहरण दिये हैं। परन्तु यह तथ्य नहीं है कि सिंगापुर, हांगकांग और मलेशिया के हवाई अड्डों को देश के स्वायत्त बोर्डों द्वारा परिचालित किया जा रहा है।

मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है। क्या उनका विचार इस लाभ को दिल्ली और मुम्बई के हवाई अड्डों में नई प्रौद्योगिकी शुरू करने या उनके विस्तार का है क्योंकि यहां हवाई यातायात में वृद्धि के कारण यह समय की मांग बन गयी है। हवाई यातायात में वृद्धि के कारण ईंधन की खपत भी बढ़ गयी है।

जहां तक घाटा उठाने वाले हवाईअड्डों का संबंध है तो क्या माननीय मंत्रीजी वाणिज्यिक केन्द्र शुरू करने जा रहे हैं? इसके लिए एमस्टर्डम शिफाल हवाई अड्डे का उदाहरण दिया जा सकता है जिसके अनुसार घाटा उठाने वाले हवाई अड्डे वाणिज्यिक केन्द्र बन सकते हैं।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न का विशिष्ट जवाब दें। उन्होंने न्यूनतम साझा कार्यक्रम से विपरीत जवाब कैसे दिया जिसके अनुसार नवीकरण और आधुनिकीकरण के नाम पर लाभ अर्जित करने वाले निकायों का निजीकरण नहीं किया जाएगा। हम आधुनिकीकरण के खिलाफ नहीं हैं। यह भी एक जाना माना तथ्य है कि इस हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 2500 करोड़ रुपये की धनराशि सुरक्षित रखी है।

उन्होंने 500 करोड़ रुपए का लाभ दिया है। उन्होंने बड़ी चतुराई से पहले प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। ...*(व्यवधान)* उन्हें स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिए कि वे निजीकरण कर रहे हैं या नहीं। मेरे द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उनका जवाब क्या है?

अध्यक्ष महोदय: हम उनके जवाब की प्रतीक्षा करें।

श्री प्रफुल पटेल: मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम की कोई अवहेलना नहीं की गयी है। जैसे कि माननीय सदस्य इस बारे में चिंतित हैं मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का निजीकरण नहीं किया जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि दो हवाई अड्डे संयुक्त उद्यम में भागीदारी कर रहे हैं क्योंकि इस समय यही प्रमुख स्रोत है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इनसे अधिकतम (राजस्व) धन प्राप्ति होती है। हमें भविष्य के अपने अर्जित लाभ को भी अधिकतम पर लाना है। जहां तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सुरक्षित निधि का संबंध है, मैं आपके द्वारा दिये गये आंकड़ों से सहमति नहीं रखता।

इस समय मेरे पास सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि ऐसा इसलिए है कि पैसा पूरे देश में फैले हवाई अड्डों को देना पड़ता है। हर माननीय सदस्य ने, माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी कई बार इसका उल्लेख किया है तथा इच्छा व्यक्त की है कि उनके चुनाव क्षेत्र के हवाई अड्डे का उचित मानक तक उन्नयन होना चाहिए। ऐसे हवाई अड्डों में भी पैसा लगाना पड़ता है। यही प्रयास है। वास्तव में, प्रथम बार भारत के प्रमुख छः महानगरों से अपना ध्यान हटाकर तेरह अन्य हवाई अड्डों पर ध्यान दिया है। तेरह अन्य महानगरों के हवाई अड्डों का उन्नयन कार्य पूरा करने के लिए चरणबद्ध तरीके से इस वर्ष से आगे हम वास्तव में यही प्रयास जारी रखना चाहते हैं। इसके लिए पर्याप्त पैसे की जरूरत होगी। वास्तव में, जिस पैसे का आपने उल्लेख किया है वह हमारे पास उपलब्ध हो तो भी यह पैसा पर्याप्त नहीं है। न केवल इन प्रमुख हवाई अड्डों के निर्माण के लिए बल्कि हम अन्य तेरह गैर-महानगरों के हवाई अड्डों के विकास के लिए भी उधार लेने के लिए तैयार हैं। इसलिए इसका अंशांकन होना चाहिए। देश का हित इस बात में है कि विमानन का अधिक विकास हो जिससे यह आम आदमी तक पहुंचे। मैं समझता हूं कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। अभी तक हमारा विमानन ढांचा इसमें सबसे बड़ा बाधक रहा है। इसका समाधान होना चाहिए। हमें निजी-सरकारी भागीदारी पर एक माडल के रूप में विचार करना होगा। हम भारतीय विमान प्राधिकरण का निजीकरण नहीं करने जा रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप में यहां यह बताना चाहता हूं। लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि इस प्रणाली में कितना अधिक धन लगाया जा सकता है।

आपने हवाई अड्डों के आस-पास की जमीन के व्यावसायिक या अन्य प्रकार के उपयोग के बारे में एक छोटा सा प्रश्न पूछा हैं। यह पता लगाने के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है कि हवाई अड्डों के शहर की ओर की कुछ जमीन का व्यावसायिक विकास के लिए उपयोग किया जा सकता है ताकि इस धन से हवाई अड्डों के हवाई पक्ष के विकास के लिए राजसहायता दी जा सके।

अध्यक्ष महोदयः मैं समझता हूं कि यह बहुत ही विस्तृत उत्तर है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री मोहम्मद शाहिद, मैं आपको मौका नहीं दे सकता क्योंकि आप अपनी सीट पर नहीं हैं। आपको प्रश्न पूछने के लिए अपने स्थान पर जाना होगा।

[हिन्दी]

मोहम्मद शाहिदः मेरी सीट पर एक माननीय सदस्य बैठे हुए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कोई बैठा होगा। आप अपनी सीट पर जाइये। जब निर्णय लिए जाते हैं तो उनका पालन करना होता है।

[हिन्दी]

मोहम्मद शाहिदः अभी मंत्री जी ने बताया और स्वीकार किया कि देश के अंदर हर व्यक्ति को हवाई जहाज की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए देश में जितने एयरपोर्ट्स हैं, उनके सुधार के लिए कार्यवाही और उन पर निवेश किया जाना बहुत आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदयः आप प्रश्न पूछें।

मोहम्मद शाहिदः मंत्री जी ने कहा कि जिन सांसदों के संसदीय क्षेत्रों में एयरपोर्ट्स हैं, वे उनमें सुधार चाहते हैं। क्या सरकार का ऐसा कोई इरादा है कि जिन सांसदों के संसदीय क्षेत्रों में एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, वहां नई फ्लाइट्स चलाई जाएंगी? मेरे संसदीय क्षेत्र मेरठ में एयरपोर्ट तो है, लेकिन वहां से कोई भी फ्लाइट नहीं चलाई जा रही है। क्या सरकार का वहां से कोई फ्लाइट चलाने का इरादा है, या नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः एक वाक्य पर्याप्त होता अर्थात् क्या आप मेरठ से उड़ाने शुरू करने जा रहे हैं।

श्री प्रफुल पटेलः जैसाकि मैंने कहा कि भारत में विमानन क्षेत्र में घातीय विकास हो रहा है। मुझे विश्वास है कि एक बार अधिक एयरलाइंस शुरू हो जाती हैं और अधिक उड़ानें शुरू की जाती हैं तो भविष्य में विस्तार छोटे शहरों में भी पहुंचेगा। आज मैं मेरठ के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकता। किंतु अधिक से अधिक मार्गों से बेहतर सम्पर्क होगा। मुझे विश्वास है कि भविष्य में मेरठ को भी लाभ होगा।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने कहा कि 13 एयरपोर्ट्स को जाइंट वेंचर के द्वारा अपग्रेड किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि मुम्बई और दिल्ली को ज्वाइंट वैंचर के तहत कब तक अपग्रेड कर दिया जाएगा और कुल 13 एअरपोर्ट्स को कब तक अपग्रेड कर दिया जाएगा? क्या इसकी कोई समय सीमा तय है या अभी तब नहीं की गई है?

श्री प्रफुल पटेलः मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि मुम्बई और दिल्ली

एअरपोर्ट का पहले पांच वर्ष और फिर हर पांच वर्ष में अपग्रेड करने का प्रोग्राम है। इसके साथ-साथ माननीय सदस्य ने अन्य एअरपोर्ट्स का अपग्रेडेशन करने की भी बात पूछी है। ऐसे 13 नहीं 30 एअरपोर्ट्स हैं। सरकार की योजना है कि इस वर्ष से लेकर पांच वर्षों तक उन 30 एअरपोर्ट्स का पूरा काम होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री एम. अप्पादुरई: माननीय अध्यक्ष महोदय, दस वर्ष से भी पहले पत्तन शहर तूतीकोरिन में एक विमानपत्तन का निर्माण किया गया था परन्तु इसने अभी तक कार्य करना प्रारम्भ नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इसे संचालित करने का निर्णय ले लिया है।

श्री प्रफुल पटेल: जैसा कि मैंने पहले कहा और जैसा मैंने अपने उत्तर में भी उल्लेख किया है, 28 नागरिक क्षेत्रों सहित 126 विमानपत्तन हैं। तथापि, सभी पूरी तरह कार्य नहीं कर रहे हैं। कुछ विमानपत्तन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में हैं और कुछ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। जैसा मैंने कहा कि यातायात और मांग में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसे प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है। यदि आप किसी विशिष्ट विमानपत्तन का उल्लेख करते हैं तो वह कैसे उत्तर दे सकते हैं?

श्री प्रफुल पटेल: निश्चय ही इन चीजों में आने वाले वर्षों में वृद्धि होगी। अर्थव्यवस्था के बहुत से अन्य क्षेत्रों की भांति उड्डयन भी अंतिम बिंदु, अंतिम मील तक पहुंच गया है। इसी तरह उड्डयन क्षेत्र में विकास से ऐसे स्थानों पर भी विमान जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य: विश्व के बहुत से प्रमुख विमानपत्तनों का निजीकरण के बिना ही अंतरराष्ट्रीय मानकों तक उन्नयन कर दिया गया है। यहां हमारे देश के दो प्रमुख विमानपत्तनों मुम्बई और दिल्ली के बारे में, उनके आधुनिकीकरण और अंतरराष्ट्रीय केंद्रों के रूप में उनका दर्जा बढ़ाने के लिए निजीकरण का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने पहले ही इसके बारे में पूरी तरह उल्लेख कर दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य: दो विमानपत्तनों के निजीकरण के विरुद्ध पूरे देश में कर्मचारी आंदोलन चला रहे हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इन दोनों विमानपत्तों का निजीकरण किए बिना इनके आधुनिकीकरण और उन्नयन के बारे में विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी यूनियन से कोई वैकल्पिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

श्री प्रफुल पटेल: यह एक अच्छा प्रश्न है। मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य आचार्य जी ने यह प्रश्न पूछा है। मामले की सत्यता यह है कि अंतरराष्ट्रीय रूप से कुछ देशों में विमानपत्तन हैं जो राज्य अथवा राज्य की कंपनियों द्वारा चलाये जाते हैं। तथापि, मैं सभी सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि भारत में विमानपत्तन प्राधिकरण, इंडियन एयरलाइंस अथवा एअर इंडिया, जो कि सभी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां हैं, किसी को भी सरकार से कोई बजटीय सहायता अथवा कोई अन्य सहायता नहीं मिलती। तथापि, ऐसा होने से हमने मुम्बई और दिल्ली में संयुक्त उद्यम का कार्य शुरू किया है। हमने भविष्य की योजनाओं में कर्मचारियों के प्रस्ताव को भी बाहर नहीं रखा है। हम अभी भी इसका परीक्षण कर रहे हैं। किसी भी तरह का यानी इस प्रस्ताव पर अथवा भविष्य में प्राप्त हो सकने वाले किसी अन्य वैकल्पिक प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। फिर भी मैं आपको एक चीज का भरोसा दिलाता हूं जिसका हमने स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया है वह यह है कि किसी भी परिस्थिति में मुम्बई तथा दिल्ली विमानपत्तनों के क्षेत्र में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। संयुक्त उद्यम के मामले में वे तीन वर्ष तक संयुक्त उद्यम में प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे और संयुक्त उद्यम की अवधि के पश्चात् भी मुम्बई और दिल्ली के 40 प्रतिशत कर्मचारियों को संयुक्त उद्यम में समामेलित किया जाएगा। शेष कर्मचारियों के संबंध में यह एक आश्वासन है कि उनमें से एक की भी नौकरी नहीं जाएगी। किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी। वे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारी बने रहेंगे *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: नौकरी खोने का कोई प्रश्न है। किंतु यह दोनों विमानपत्तनों का निजीकरण करने के बारे में है *...(व्यवधान)*

श्री प्रफुल पटेल: मैंने पहले ही कहा है कि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मैंने इसके बारे में कहा है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अब, डा. अरूण कुमार शर्मा को प्रश्न पूछना है।

डा. अरूण कुमार शर्मा: किसी विमानपत्तन की लाभप्रदता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां से कितनी उड़ानें उड़ान भरती हैं, यह यात्रियों की संख्या पर निर्भर करती है और क्या इसे कार्गो के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गुवाहाटी विमानपत्तन

को एक अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया गया था। इसके अलावा, एक घोषणा हुई थी कि इसे एक क्षेत्रीय केंद्र बनाया जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गुवाहाटी विमानपत्तन का प्रभावी उपयोग करने हेतु क्या प्रस्ताव है? मैं माननीय मंत्री से एक बात जानना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के माननीय सदस्यों को भरोसा दिलाया था।

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न कीजिए। हमने इस प्रश्न पर पहले ही 20 मिनट ले लिए हैं।

डा. अरूण कुमार शर्मा: गुवाहाटी विमानपत्तन को लाभप्रद बनाने तथा अंतरराष्ट्रीय उड़ानें पुनः शुरू करने के लिए उसके उपयोग हेतु क्या प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय: यह एक साधारण प्रश्न है।

डा. अरूण कुमार शर्मा: एक बार अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू की गई थीं और फिर उन्हें बंद कर दिया गया।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, गुवाहाटी केवल पूर्वोत्तर का ही नहीं बल्कि देश के भी सबसे महत्वपूर्ण विमानपत्तनों में से है। यह शास्त्रीय अर्थों में एक केंद्र नहीं है बल्कि यह पूर्वोत्तर में अधिकांश शहरों तथा राज्यों के लिए एक सम्पर्क बिंदु भी है और यातायात बढ़ रहा है। मैं तत्काल सभी आंकड़े नहीं दे सकता परन्तु यदि कोई गत 5 से 10 वर्षों में सम्पूर्ण पूर्वोत्तर में गुवाहाटी का उड्डयन का विकास और यातायात देखता है तो मुझे लगता है कि समय के साथ इसमें वृद्धि ही हो सकती है।

जहां तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का प्रश्न है तो एक नई उड़ान शुरू हुई है जो गुवाहाटी से बैंकाक जाती है। प्रतिक्रिया बेहतर हो सकती थी परन्तु मैं निश्चित रूप से यह तय करूंगा कि गुवाहाटी से अंतरराष्ट्रीय सम्पर्क और कैसे बढ़ाया जा सकता है।

***श्री एम. शिवन्ना:** माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि बंगलोर विमानपत्तन को गत 10 वर्षों से भारी घाटा हो रहा है। यदि हां, तो इतना भारी घाटा होने के क्या कारण हैं और उनके मंत्रालय द्वारा घाटे को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, मुझे थोड़ा विलम्ब हो गया था परन्तु मैं जितना भी समझ पाया हूं मैं उनके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। माननीय सदस्य बंगलौर विमानपत्तन के बारे में चिंतित हैं। निश्चय ही बंगलौर विमानपत्तन न केवल वहां से चलने वाली उड़ानों के लिए बल्कि बड़ा शहर होने तथा दक्षिण भारत का गेटवे होने के कारण देश का एक महत्वपूर्ण विमानपत्तन है। बंगलौर विमानपत्तन को पैसे का घाटा नहीं हो रहा है जैसा कि माननीय सदस्य बताने का प्रयास कर रहे हैं। तथापि, मैं कह सकता हूं कि बंगलौर में एक नया ग्रीन फील्ड विमानपत्तन बन रहा है। वास्तव में यह हमारे देश में पहला ग्रीन फील्ड विमानपत्तन बनाया गया है और यह निश्चय ही विश्व स्तर का होगा। मैं समझता हूं कि वह बंगलौर और सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य की भावी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त होगा।

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पायलटों का पलायन

***462. श्री + एन. जनार्दन रेड्डी:**
श्रीमती मनोरमा माधवराज:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया/एलायंस एयरलाइंस के पायलट लगातार निजी विमान सेवाओं की ओर पलायन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने पायलट राष्ट्रीय विमान कंपनियों को छोड़कर गए हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने इस पलायन के कारणों का विश्लेषण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने अनुभवी पायलटों द्वारा निजी विमान सेवाओं में जाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) और (ख) जी हां। पिछले 3 वर्षों के दौरान 4 पायलट एअर इंडिया को तथा 13 पायलट इंडियन एयरलाइंस को छोड़कर चले गए हैं। इसी अवधि में, 38 बी-737 पायलटों तथा 4 एटीआर पायलटों ने एलाइंस एयर को भी छोड़ दिया। इस अवधि के दौरान अन्य एयरलाइनों के पायलट भी एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस तथा उनकी अनुषंगी कंपनियों में आए हैं।

(ग) और (घ) सरकार की उदार नीति के मद्देनजर, मौजूदा एयरलाइनों तथा नई अनुसूचित एयरलाइनों की क्षमता विस्तार में समग्र रूप से वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय वाहक भी ड्राई लीज पर विमानों को प्राप्त करके अपने बेड़े का विस्तार कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, प्रशिक्षित पायलटों की आवश्यकता में वृद्धि हुई है।

(ङ) और (च) सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइनों द्वारा पायलटों को रोके रखने के लिए लगातार कदम उठाए जाते हैं। इनमें से कुछ कदम निम्नानुसार हैं :

1. परिलब्धियों को संस्थापित भारतीय वाहकों के समान स्तर पर रखा जाना।

2. अधिक जाब सिक्योरिटी प्रदान किया जाना।

3. पायलटों को उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से उनके लिए लास-आफ-लाइसेंस संबंधी बीमे तथा बीमा कवरेज में संशोधन किया जाना।

4. पायलटों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की आयु से आगे, लाइसेंस की वैधता के अध्यधीन जारी रखना।

हाल ही में सभी एयरलाइनों की बैठकें हुई हैं, जिनमें सभी एयरलाइनें मिलकर अतिक्रमण रोधी (एंटी पोचिंग) उपायों पर विचार कर रही हैं।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: अध्यक्ष महोदय, संप्रग सरकार के सत्ता में आने के बाद एयरलाइन्स के कार्य को बेहतर बनाने के लिए इसमें काफी परिवर्तन हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जब मैंने मंत्री जी के विवरण को देखा तो राष्ट्रीय कैरियर्स से निजी कैरियर्स की ओर पायलटों का पलायन चौंकाने वाला है। हमने समाचारपत्रों में पढ़ा कि मंत्री जी ने निजी एयरलाइन्स के साथ बातचीत की है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसका परिणाम क्या रहा। इंडियन एयरलाइन्स के सी.एन.डी. ने भी व्यावसायिक पायलटों के साथ एक बैठक की थी। इसका क्या परिणाम रहा?

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, सर्वप्रथम मैं यह स्वीकार करता हूं कि पायलटों की बहुत मांग है और हमारे देश में विमानन क्षेत्र में भारी विकास के कारण पायलटों की भारी कमी है, न सिर्फ पायलटों की अनिवार्यत: जरूरत है बल्कि कमांडर जो कि पायलट के बायीं ओर की सीट पर बैठता है उसकी विमानन के क्षेत्र में आज बहुत अधिक मांग है और यह व्यक्ति अनुभव वाला ही हो सकता है, तथा एक व्यक्ति तभी कमांडर बन सकता है जब उसने इस क्षेत्र में अनिवार्य रूप से कुछ निश्चित घंटे तक कार्य किया हो। ऐसा कह कर मैं यह नहीं कहना चाहता कि पायलटों का एक एयरलाइन से दूसरे एयरलाइन में जाना प्रथम बार हो रहा है। ऐसा पूर्व में भी हुआ है कानूनी रूप में भी किसी पर किसी एक एयरलाइन से दूसरे एयरलाइन में जाने पर कोई रोक नहीं है। यह एक नौकरी है और कोई भी एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जा सकता है। तथापि, मैं माननीय सदस्य को अवश्य बताना चाहूंगा कि पायलटों का एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स से पलायन इतना व्यापक नहीं है जितना मीडिया में दिखाया गया है।

एलायन्स एयर से निश्चित रूप से कुछ पायलटों का पलायन हुआ है। मैं माननीय सदस्य को पुन: बताना चाहूंगा कि एलायन्स एयर एक कम्पनी है जो ठेकेदारी पर लोगों को नियुक्त करती है। यह एयर इंडिया या इंडियन एयर लाइन्स की तरह स्थायी नियुक्ति नहीं देती इसके साथ ही एलायन्स एयर में भी विमान बहुत पुराने हैं और पायलट निश्चित रूप से नई पीढ़ी के विमानों के ओर जाना चाहेंगे और स्थायी नौकरी के लिए भी जा सकते हैं। तथापि, सिर्फ ऐसा नहीं है कि पायलट केवल सरकारी क्षेत्र के कैरियर्स से निजी क्षेत्र में ही जा रहे हैं बल्कि निजी क्षेत्र के पायलट भी सरकारी क्षेत्र में आए हैं। यही स्थिति पैदा हुई है और विकसित हुई है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि देश में पायलटों की भारी कमी है और यही कारण है कि इस प्रकार का पलायन हो रहा है।

तथापि, मैंने सरकारी तथा निजी क्षेत्र के एयरलाइन्स की एक बैठक बुलाई थी तथा उनसे कुछ हद तक स्व-अनुशासन स्व-नियंत्रण तंत्र का उपयोग करने को कहा था क्योंकि रातों-रात पायलट छोड़कर चले जाते है चाहे वह निजी क्षेत्र का या सरकारी क्षेत्र का एयरलाइन्स हो और दूसरी ही सुबह उड़ान रद्द करनी पड़ती है। इससे यात्रियों को कठिनाई होती है और इससे सारी प्रणाली अस्त-व्यस्त हो जाती है। इसलिए, हमने उन्हें चेतावनी दी है।

तथापि, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था, पायलट एक एयरलाइन्स से दूसरे एयर लाइन्स में जा रहे हैं, सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र की ओर तथा इसके विपरीत क्रम में भी जा रहे है। तथापि, इस प्रकार के पलायन में एक अवधि के बाद ठहराव आ जाएगा। ऐसा एयरलाइनों में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण तथा कार्यभार ग्रहण करने वाले कमांडरों की कम संख्या के कारण हो रहा है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा, विशेषकर, इस एलायन्स एयरवेज के बारे में। यह एलायन्स एयर लाइन देश में कुछ अन्य एयरलाइनों को प्रतिस्थापित करने हेतु कुछ समय पूर्व ही बनाया गया था। ऐसा लग रहा है कि कर्मचारी और यात्री यह अनुभव कर रहे हैं कि उनके साथ दूसरे दर्जे के

कर्मचारी जैसा व्यवहार हो रहा है और यात्रियों के प्रति उनका व्यवहार भी वैसा ही है। क्या मंत्री महोदय ऐसा सोचते हैं कि इसे नियमित एयरलाइन्स के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए?

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, एलायन्स एयर एक नियमित एयरलाइन्स है। एलायन्स एयर कई वर्ष पूर्व इंडियन एयरलाइन्स की अनुषंगी कम्पनी के रूप में बनाई गई थी। तथापि, इस एयरलाइन्स को ऐसे हिस्से के रूप में विकसित करने की योजना थी जिसकी लागत कम आए तथा सभी कर्मचारियों को ठेके के आधार पर भर्ती किया गया था क्योंकि इंडियन एयरलाइन्स का उच्च लागत ढांचा इसे कुछ मार्गों पर आर्थिक रूप से किफायती नहीं बना पा रहा था। यही एलायन्स एयर की पृष्ठभूमि थी।

तथापि, दुर्भाग्यवश, विमानों की कमी और भारी मांग के कारण एलायन्स एयर ने अपना कार्य जारी रखा तथा इसने इंडियन एयरलाइन्स के इन्हीं मौजूदा मार्गों पर सेवाएं देना जारी रखा। दुर्भाग्यवश, एलान्यस एयर के बेड़े में 20 वर्ष पुराने विमान हैं और वह चाहे छोटी अवधि के लिए ही सही इन विमानों को ठेके के माध्यम से प्रतिस्थापित करने की कोशिश कर रहा है।

पुनः, दुर्भाग्यवश, पिछले एक वर्ष में, एलान्यस एयर का कम से कम समय में अपने बेड़े का ठेका प्रणाली के अंतर्राष्ट्रीय बाजार के माध्यम से उन्नयन करने का कार्य पूरा नहीं हो सका। तथापि, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा कि तब से लेकर अब तक बहुत सी बातें हुई हैं और उम्मीद है कि अगले वर्ष की शुरुआत तक एलायन्स एयर को ठेके पर नई पीढ़ी के कुछ विमान मिलने शुरू हो जाएंगे जो इसे और प्रभावी और प्रतिस्पर्धात्मक बना देंगे।

श्री उमर अब्दुल्लाह: महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि पायलटों की कमी तथा पायलटों का पलायन मांग और आपूर्ति से ज्यादा है। आपूर्ति से मांग बहुत अधिक है। और पायलटों की बेतहाशा मांग को आपूर्ति बढ़ाकर ही रोका जा सकता है।

इस संदर्भ में, मैंने हाल ही में पढ़ा था कि माननीय मंत्री जी महाराष्ट्र में एक नई अकादमी शुरू कर रहे हैं। लेकिन यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश में पहले से ही एक अकादमी है जिसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है। मेरा ऐसा मानना है कि उस अकादमी की क्षमता उपयोग बहुत ही कम है। यह अकादमी अपनी अधिकतम क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रही है और इसलिए आप पर्याप्त संख्या में पायलट नहीं बना पा रहे हैं।

इसलिए मैंने यह प्रश्न यह पूछा है। क्या वे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान व अकादमी की क्षमता उपयोग को बढ़ाने के लिए संयुक्त उद्यम भागीदार लाना चाहते हैं ताकि इसका अधिकतम उपयोग हो सके जो न केवल घरेलू क्षेत्र के लिए अधिक पायलट तैयार करेगा बल्कि विदेशी पायलटों विशेषकर इस्लामिक देशों, से अधिक संख्या में पायलटों को प्रशिक्षण देने का अवसर पैदा कर सके। 9/11 के बाद अब उन्हें यू.एस. या ई.यू. में प्रशिक्षण की अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री प्रफुल पटेल: उन्होंने अच्छा प्रश्न पूछा है।

मैं 'हां' कहूंगा, क्योंकि इं.गां.रा.उ. अकादमी में उसकी कुल क्षमता के उपयोग संबंधी समस्याएं हैं। अकादमी उन मानकों के अनुरूप नहीं है जैसा हमने सोचा था।

वास्तव में, भारत में आज की तारीख में अच्छे पायलटों की अधिकांश संख्या चाहे वह एयर इंडिया में हो या इंडियन एयरलाइंस में हो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी से ही आती है। हमने कई कदम उठाए हैं। हम कई तरीकों पर विचार कर रहे हैं जिससे इस अकादमी को कम से कम समय में सुदृढ़ बना सकें। हम नए प्रशिक्षक विमान ले रहे हैं। हम जेट प्रशिक्षण विमान भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक पहलू को मैं अवश्य स्वीकार करूँगा कि पायलटों की कमी के अतिरिक्त अच्छे अनुदेशक भी अच्छे अवसर पाते ही अन्यत्र चले जाते हैं। तथापि, हमने पैटर्न बदल दिया है और बहुत कम समय में हम देखेंगे कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी न केवल अधिकतम स्तर को प्राप्त करेगी बल्कि यह अपने वर्तमान स्तर से बहुत ऊपर उठेगी।

विदेशी पायलटों या विदेशी छात्रों को यहां आने और प्रशिक्षण पाने की अनुमति दिए जाने संबंधी मुद्दे पर मैं समझता हूं कि इस पर कोई रोक नहीं है। तथापि, सर्वप्रथम हमें अकादमी की क्षमता को बढ़ाना होगा जिससे प्रत्येक क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने में यह सक्षम बने।

श्री रूपचंद पाल: अध्यक्ष महोदय, सरकारी क्षेत्र की एयरलाइनों को अलाभकारी गन्तव्यों को शामिल करने की जिम्मेदारियों को उठाते हुए इन्हें प्रति स्पर्धात्मक बनना होगा।

इस समय उनके प्रशिक्षित और अनुभवी कार्मिकों को भी दूसरे क्षेत्रों द्वारा लगातार खरीदा जा रहा है। इसे रोकने के लिए पूर्व सरकार की ओर से तथा एयरलाइनों और अखिल भारतीय पायलट एसोशियेशन की ओर से पूर्व में कई सुझाव दिए गए हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस पुरानी गलत ढंग से खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए हाल ही में सम्पन्न बैठक में किसी निरोधक कदम, जिसमें दोषियों पर दंड लगाना भी शामिल है, पर विचार किया गया?

श्री प्रफुल पटेल: माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत एक आजाद देश है, हम लोगों को एक नौकरी से दूसरी नौकरी पर जाने से नहीं रोक सकते। निसंदेह, जैसा मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए जो रातोंरात हो और जिससे पूरी व्यवस्था ही अस्तव्यस्त हो जाए। हम सभी एयरलाइंस को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो किसी समय एक के लिए अच्छा है वह कभी दूसरे के लिए खराब हो सकता है। इसे एक आत्मनियंत्रण वाला तंत्र बनना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि समय के साथ सभी एयरलाइंस ने कम से कम बैठक में मान लिया कि जिससे एक को नुकसान होगा उससे सबको नुकसान हो सकता है।

श्री रूपचंद पाल: क्यों नहीं? एसोसिएशन ने सुझाव दिया है कि जिन्होंने दूसरी जगह कार्य ग्रहण कर लिया है उन्हें वापस नहीं आने देना चाहिए। यह आल इंडिया पायलट एसोसिएशन के निर्णयों में से एक है।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, आल इंडिया पायलट एसोसिएशन है परंतु प्रत्येक पायलट अभी भी वही करता है जो वह करना चाहता है।

[हिन्दी]

श्री छेवांग थुपस्तन: अध्यक्ष महोदय, पायलटों के पलायन से सबसे ज्यादा जो सैक्टर प्रभावित हुआ है, मेरी कांस्टीट्यूएंसी लद्दाख का क्षेत्र है। माननीय मंत्री महोदय अच्छी तरह से जानते हैं कि सर्दियों में सात महीनों में लद्दाख पहुंचने का एक ही साधन है— बाइ एयर। सारे रास्ते और पासेज़ पर बर्फ होने की वजह से सड़कें बंद हो जाती हैं। सिर्फ जहाज़ के जरिये ही लद्दाख पहुंचा जा सकता है। लेकिन पायलटों की कमी की वजह से और बोइंग 737 को आपरेशन से हटाने के बाद पूरी सर्दियों के महीनों में लद्दाख के लिए शैड्यूल्ड फ्लाइट्स जम्मू और श्रीनगर से आपरेट नहीं हो सकीं, चंडीगढ़ तो बिल्कुल बंद कर दिया गया। दिल्ली से भी फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि लद्दाख के लिए मई के महीने से उन्होंने रिवाइज्ड शैड्यूल एनाउंस किया है। अगर आपके पास ट्रेन्ड पायलट्स की कमी है, जहाजों की कमी है तो इसको आप किस तरीके से पूरा करने जा रहे हैं?

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि इंडियन एयरलाइन्स के कुछ कंस्ट्रेन्ट्स हैं, तो प्राइवेट एयरलाइन्स को क्यों नहीं इजाजत दी जाती कि वे जम्मू से लेह आपरेट करें, श्रीनगर से लेह आपरेट करें?

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल: मैं स्वीकार करता हूं कि कतिपय क्षेत्रों का वांछित स्तर तक सम्पर्क नहीं है। तथापि, हमने इस ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम में कुछ सम्पर्क मामलों में सुधार करने का प्रयत्न किया है। फिर भी निजी एयरलाइंस के जाने की इच्छा के मामले में किसी भी एयरलाइंस द्वारा किसी भी वायु क्षेत्र में कार्य करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मुझे विश्वास है कि यदि व्यावसायिक विचार होता है तो कोई भी एयरलाइंस इस पर ध्यान देना चाहेगी। हमें किसी को भी कहीं भी जाने की अनुमति देने में खुशी होगी।

अध्यक्ष महोदय: कुछ स्थान हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है जैसे लेह।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री थुपस्तन, मैंने आपकी तरफ से बोला है।

[हिन्दी]

श्री छेवांग थुपस्तन: अगर आपकी कामर्शियल वायेबिलिटी नहीं है, तो सोशल आब्लिगेशन के तौर पर प्राइवेट एयरलाइन्स को मजबूर किया जाना चाहिए कि ऐसे क्षेत्रों में आपरेट करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह विचारणीय मामला है।

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन: क्या मैं मंत्री जी से जान सकती हूं कि पायलटों द्वारा नौकरी छोड़कर जाने को रोकने हेतु उनका वेतन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है। क्या वि[illegible]पत्तन प्राधिकरण और पायलटों के बीच एक समझौता करना [illegible]भव है जिसकी शर्त होगी कि उन्हें एक विशेष अवधि तक अनिवार्य रूप से कार्य करना चाहिए।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, पायलटों को उनकी एयरलाईंस द्वारा वेतन दिया जाता है। किंतु मुझे विश्वास है कि सभी एयरलाइंस में केवल अपने पब्लिक कैरियर्स की बात कर रहा हूँ कम से कम हमें अन्य वाणिज्यिक संगठन के समान भुगतान करना चाहिए। अन्यथा वे उन पायलटों को भी नहीं रोक पायेंगे। जो अभी भी उनके पास हैं। इसलिए, निश्चय ही यह ऐसा मामला है जिसकी हमें जानकारी है। मैं समझता हूँ कि कम से कम सरकारी कैरियर्स कुछ निजी कैरियर्स से भी अधिक भुगतान कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री दिन्शा पटेल: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर के भाग 'ड' और 'च' में बताया है कि पायलटों की सेवाओं को सेवानिवृति की आयु से आगे, लाइसेंस की वैधता के अध्यधीन जारी रखा जाता है, मैं जानना चाहता हूँ कि सेवानिवृत्ति के बाद

कब तक उनकी सेवाएं जारी रहती हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उनके लाइसेंस की वैधता कौन तय करता है और लाइसेंस कितने साल तक वैध रहता है?

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छा प्रश्न किया है क्योंकि पहले हमारे पायलटों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष थी परन्तु पायलटों की कमी के मद्देनजर नागर विमानन महानिदेशालय ने व्यावसायिक पायलटों को 60 वर्ष के बाद थी विमान उड़ानें की अनुमति दे दी है और अब इस सेवानिवृत्ति की आयु को 61 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि यह कठोर कदम है जिनका डी जी सी ए ने सुझाव दिया है फिर भी यह सुनिश्चित करने हेतु कि पायलटों के स्वास्थ्य का कोई मुद्दा न हो उन पायलटों का निःशुल्क मासिक चिकित्सा परीक्षण कराया जाता है। अन्यथा यात्रियों की सुरक्षा जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती है उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए ...(व्यवधान)

विमान सुरक्षा नियमों की समीक्षा

***463. श्री [+]एकनाथ महादेव गायकवाड़:**
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बार-बार हो रही विमान दुर्घटनाओं के आलोक में विमान सुरक्षा नियमों की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में भारतीय वायु सेना से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा बढ़ती विमान दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा मानकों में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, नहीं। नागर विमानन महानिदेशालय (डी जी सी ए) द्वारा प्रख्यापित मौजूदा विमान सुरक्षा नियम अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आई सी ए ओ) द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं तथा सुरक्षित विमान प्रचालनों को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) नागर विमानन महानिदेशालय सेफ्टी आडिटों के माध्यम से निरंतर यह सुनिश्चित करता है कि निजी प्रचालकों सहित सभी विमान प्रचालकों द्वारा सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। इसके अतिरिक्त, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा स्थल पर जाकर अनुरक्षण गतिविधियों की जांच भी की जाती है। विमानन सुरक्षा पहलू को सुदृढ़ बनाने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन संबंधी आवश्यकताओं/परिपत्रों को अद्यतन करने का कार्य भी करता रहता है। विमानन सुरक्षा में वृद्धि के लिए बेहतर उड़नयोग्यता शैड्यूल सुलभ कराने की दृष्टि से सरकार नागर विमानन महानिदेशालय तथा एयरलाइनों के अधिकारियों के लिए दो अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। ये कार्यक्रम हैं: प्रचालनिक सुरक्षा का समन्वित विकास एवं सतत् उड़नयोग्यता कार्यक्रम (सी ओ एस सी ए पी) तथा यूरोपीय संघ-भारत-प्रशिक्षण कार्यक्रम।

[हिन्दी]

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में पिछले वर्षों में कितनी विमान दुर्घटनाएं हुई हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह पायलटों द्वारा नौकरी छोड़कर जाने से संबंधित है।

[हिन्दी]

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़: महोदय, मैं प्रश्न 463 पर ही सप्लीमैंटरी कर रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे दुःख है, मैं अपनी गलती मानता हूं।

[हिन्दी]

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़: मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में कितनी विमान दुर्घटनाएं हुई

हैं? उनकी जांच रिपोर्ट क्या है, उनका ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, मैं यह बात बताना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष में दुर्घटनाएं हुई हैं और वे अधिकांशतः हेलीकाप्टर की श्रेणी में थी। दुर्घटनाओं की ठीक संख्या के संबंध में मुझे खेद है कि मैं यही कह सकता हूं कि इस समय मेरे पास दुर्घटनाओं की संख्या की पूर्ण जानकारी नहीं है। किंतु मुझे माननीय सदस्य को ठीक संख्या और ब्यौरा देने में प्रसन्नता होगी। हेलीकाप्टर दुर्घटनाओं के मामले हुए हैं।

[हिन्दी]

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: अध्यक्ष महोदय, सभी एयर लाइंस के उड़ानकर्मी दल, उनकी कार्य समय-सीमा, कर्मी प्रशिक्षण, योग्यता, चिकित्सा तथा लाइसेंस की वैधता आदि का कंप्यूटरीकरण करना चाहिए। ऐसा करना आवश्यक है। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी एयर लाइंस ने अब तक ऐसा किया है और उसका ब्यौरा क्या है? मंत्री जी बताएं कि कितनी विमान कंपनियों ने इसका अब तक कंप्यूटरीकरण किया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कम्प्यूटरीकरण के बारे में है।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, यह प्रश्न सीधा मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब प्रत्येक व्यक्ति कम्प्यूटर पर काम कर सकता है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रफुल पटेल: पहले, यह कम्प्यूटर का युग है। बहुत स्वचालन का कार्य हो रहा है। तथापि, सुरक्षा और अन्य मुद्दों के सभी मानकों पर डीजीसीए ने कठोर मानदंड बनाये हैं। मैं नहीं समझता कि उसमें कोई विचलन है। यदि कुछ भी मेरे ध्यान में लाया जाता है तो मुझे उस पर कार्यवाही करने में खुशी होगी।

मेरे पास बहु-इंजिन संबंधी दुर्घटनाओं की संख्या के बारे में वह ब्यौरा है जो माननीय सदस्य ने पहले मांगा था। उन्होंने पिछले वर्ष के बारे में पूछा था। मेरे पास वर्ष-वार ब्यौरा है। 2002 में दो दुर्घटनाएं हुईं। 2003 में चार और 2004 में दो दुर्घटनाएं हुईं।

डा. सुजान चक्रवर्ती: हम सब इस बात से सहमत होंगे कि हर लिहाज से विमान सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। नियमों का प्रश्न है, इंजिनों का प्रश्न भी है और मैं मानता हूं कि प्रभावशाली पायलटों का भी प्रश्न है। आपको जानकारी है कि कलकत्ता फ्लाइंग क्लब देश में सबसे पुराने फ्लाइंग क्लबों में से एक है और राज्य सरकार ने संभवतः प्रस्ताव किया है कि इसे प्रभावशाली ढंग से अपग्रेड किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इसके अंतर्गत पूर्व प्रश्न से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं।

डा. सुजान चक्रवर्ती: मेरा प्रश्न पूर्व प्रश्न से ज्यादा संबंधित है परन्तु मैं मुझे बोलने का अवसर दिये जाने का लाभ उठा रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की वास्तव में कलकत्ता फ्लाइंग क्लब का विकास करने में दिलचस्पी है जो कि देश में सबसे प्राचीन क्लबों में से है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ताकि सुरक्षा नियमों का पालन किया जा सके।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रफुल पटेल: निःसंदेह पायलटों का प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। कोई भी जब तक पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं हो जाता तब तक किसी व्यावसायिक विमान का पायलट नहीं बन सकता।

कलकत्ता फ्लाइंग क्लब और बहुत से अन्य फ्लाइंग क्लब विगत में बहुत क्रियाशील रहे हैं परन्तु समय के साथ सभी फ्लाइंग क्लब या तो राज्य सरकार की सहायता की कमी अथवा किसी अन्य कारण से बंद होते चले गए। विमानन लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है और जरूरत भी बहुत बढ़ रही है कि इसमें वास्तव में बड़ा अंतर पड़ता है। हालांकि, डीजीसीए के माध्यम से हम आज भी देश में कुछ फ्लाइंग क्लबों की वित्तीय रूप से नहीं बल्कि उन्हें कुछ प्रशिक्षण विमान अथवा अन्य प्रकार के उपकरण देकर सहायता करते हैं। मुझे कलकत्ता फ्लाइंग क्लब की वर्तमान स्थिति का पता नहीं है। मैं जानता हूं कि यह कार्य नहीं कर रहा है। क्या यह बेहाल फ्लाइंग क्लब की बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह बेहाला फ्लाइंग क्लब है।

डा. सुजान चक्रवर्ती: इसे कैसे चालू किया जा सकता है।

श्री प्रफुल पटेल: इन फ्लाइंग क्लबों को आगे चलकर कुछ निजी क्षेत्र की भागीदारी करनी पड़ेगी क्योंकि उन्हें व्यावसायिक संगठनों की तरह चलाना पड़ेगा। यही उड्डयन के विकास की

एकमात्र कुंजी है। बाजार गतिशीलता इस मामले में प्रभावी रहेगी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं। आप जा सकते हैं और बाद में माननीय मंत्री से मिल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है कि बहुत सी हेलीकाप्टर दुर्घटनाएं हुई हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उनके विभाग ने यह पता लगाने के लिए कि क्या ये दुर्घटनाएं मशीन में खराबी अथवा मानवीय भूल अथवा अन्य किसी कारण से हुई हैं, कोई जांच कराई है। क्या उन्होंने हेलीकाप्टर के यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई अध्ययन कराया है क्योंकि घटनाएं बहुत चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई हैं। कुछ दिन पूर्व ही श्री ओ.पी. जिंदल एक हेलीकाप्टर दुर्घटना में मारे गए हैं। अब यह नियमित रूप से हो रहा है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि इनकी पुनरावृत्ति न हो सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्री प्रफुल पटेल: हाल ही में विगत में भी दुर्घटनाएं हुई हैं जो हमें यह देखने के लिए बाध्य करती हैं कि क्या कारण है कि इतनी अधिक हेलीकाप्टर दुर्घटनाएं हो रही हैं। विगत में नियमित जांच समितियां गठित की गई हैं और जांच की गई हैं। प्रत्येक दुर्घटनाएं की जांच कराई गई है। दुर्घटनाओं के विभिन्न कारण हैं। कुछ पायलट अथवा मानवीय भूल से हो सकती हैं; कुछ इंजिन फेल होने से हो सकती हैं।

[अनुवाद]

विभिन्न कारण हैं। तथापि, यह हमारे लिए भी आंखें खोलने वाली बात है कि हमें अपने सम्पूर्ण तंत्र को और मजबूत बनाना चाहिए जिसके द्वारा बेहतर जांच कराई जा सके।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि फाग (धुंद) के कारण चूंकि पायलट हवाई जहाजों की टेक आफ एवं लैंडिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें फाग में टेक आफ और लैंडिंग की ट्रेनिंग दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसे समय ही एक्सीडेंट की सम्भावना रहती है। इसलिए हमारे देश के पायलटों को फाग के समय उड़ान की ट्रेनिंग देने के बारे में आपका क्या ख्याल है? दूसरे देशों में इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे देश में भी वैसी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, नियमित पायलटों के लिए भी पायलट प्रशिक्षण सतत प्रक्रिया है। कमांडर भी उन्नयन कार्यक्रम में भाग लेते हैं। कोहरे के लिए पायलटों को एक निश्चित प्रशिक्षण दिया जाता है और वह भी एयरलाइंस के खर्चे पर क्योंकि एयरलाइंस को इस प्रकार के प्रशिक्षण में निवेश करना पड़ता है। अब यह इंडियन एयरलाइंस में किया जा रहा है और कुछ अन्य एयरलाइंस भी ऐसा कर रही हैं। भारत में कोहरा वर्ष में एक या दो महीने पड़ता है और वह भी भारत के उत्तरी भाग में और वह भी एक या दो प्रमुख विमानपत्तनों पर। इसीलिए भारत में सभी पायलटों को इन परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता। दिल्ली के अतिरिक्त भारत में कोई अन्य विमानपत्तन ऐसा नहीं है जिस पर श्रेणी-तीन कोहरे में विमान उतारने की प्रणाली है। समय के साथ-साथ यह प्रक्रिया जारी है। मैं समझता हूं कि आगामी वर्षों में इस संबंध में और राहत मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र पटना में, जो बिहार की केपिटल है, चार साल पूर्व एक बहुत बड़ी विमान दुर्घटना हुई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। उस दुर्घटना के संदर्भ में विमानन विभाग के माध्यम से कई तरह की जांच-पड़ताल की गई और सुरक्षा के कई उपाय सोचे गए। उस दुर्घटना के पीछे कई खामियां पाई गईं, जिन्हें दूर करने की बात भी कही गई।

महोदय, उस समय कहा गया था कि ऐसी परिस्थिति में अगर विमान उतारा जाएगा तो आगे और भी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। वहां जांच के दरम्यान जो कमियां और खामियां पाई गई थीं, मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें दूर करने के लिए कौन-कौन से उपाय किए गए और अगर नहीं किए गए तो उन कमियों को कब तक दूर करने का काम किया जाएगा, ताकि भविष्य में पटना एयरपोर्ट पर विमान उतारते समय कोई दुर्घटना न होने पाए।

श्री प्रफुल पटेल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत का कोई भी हवाई अड्डा, जहां आज विमान सेवाएं हैं, उन्हें जब तक डीजीसीए की तरफ

से एयर वर्दीनैस या वहां लैंडिंग प्रोसिजर्स की परमीशन नहीं दी जाती है, तब तक कहीं भी हवाई सेवाएं नहीं चलाई जाती हैं। आपने जो पटना हवाई दुर्घटना की बात की, जो सन् 2000 में हुई थी, वह दुर्घटना ह्यूमन एरर की वजह से हुई थी। उसकी जांच की रिपोर्ट भी आई थी। आप यदि उसकी पूरी जानकारी चाहें तो मैं आपको प्रेषित कर सकता हूं कि किन कारणों से वह दुर्घटना हुई थी। लेकिन मैं आपको और सारे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी हवाई-अड्डे पर, कहीं भी सेफ्टी को काम्प्रोमाइज करते हुए कोई भी विमान सेवा नहीं चलाई जाती है।

[अनुवाद]

श्रीमती परनीत कौर: धन्यवाद श्रीमा। पटियाला फ्लाईंग क्लब पंजाब में सबसे प्राचीलन क्लबों में से एक है और इसने बहुत से अच्छे पायलट दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न विमान सुरक्षा के बारे में है।

श्रीमती परनीत कौर: मैं सोचा कि वे फ्लाईंग क्लबों के बारे में पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप यह प्रश्न अगली बार पूछिये। मंत्री महोदय बेहतर होगा कि आप माननीय सदस्य को उत्तर भेज दें। श्रीमती परनीत कौर आप मंत्री को एक पत्र भेजिये।

श्रीमती परनीत कौर: मैं पत्र भेजूंगी। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपके लिए जवाब रखा है।

[हिन्दी]

श्री शंखलाल माझी: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न पिछले प्रश्न से संबंधित है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप एयर सेफ्टी के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री शंखलाल माझी: नहीं सर, मेरा पिछले प्रश्न से संबंधित सवाल है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह प्रश्न हो चुका है। अगली बार मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा।

वृद्ध लोगों संबंधी राष्ट्रीय नीति की समीक्षा

***464. श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा वृद्ध लोगों के प्रति अपराधों में अचानक हुई वृद्धि के मद्देनजर और उनकी बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और पोषण सुविधा उपलब्ध कराने तथा उनकी अन्य सामाजिक/वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करने हेतु वृद्ध लोगों संबंधी राष्ट्रीय नीति की समीक्षा की गई है या किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इनके बेहतर कार्यान्वयन हेतु नीति में क्या-क्या परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है; और

(ग) विकसित देशों में उनके समकक्ष लोगों को दी जा रही सुविधाओं जैसी बेहतर सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीय वृद्धजन नीति में संरक्षण, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और सामाजिक/वित्तीय सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। वृद्धजनों की स्थिति में सुधार के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने वृद्धावस्था गृहों, दीवा देखभाल केन्द्रों, सचल चिकित्सा एककों के रख-रखाव के लिए सहायता अनुदान देने, कर में छूट, रेल तथा हवाई यात्रा आदि में रियायत देने जैसे अनेक उपाय किए हैं।

(ग) विकसित देशों में वृद्धों को उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है। हमारे सांस्कृतिक लोकाचार और संसाधन की उपलब्धता स्तर विकसित देशों से भिन्न हैं।

श्री बाडिगा रामकृष्णा: महोदय, मैं माननीय मंत्री से सरकार द्वारा बदलते परिदृश्य और सामाजिक संस्कृति तथा समाज के तथाकथित आधुनिकीकरण के संदर्भ में समाज के अलग-थलग पड़े तथा उपेक्षित वर्गों और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां वे सबसे अधिक परेशान हैं को प्रदान की जा रही सुविधाओं को लागू करने

हेतु जिम्मेदार निगरानी एजेंसियों तथा उन वर्गों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपने वृद्ध व्यक्तियों के हरेक सप्तक का उल्लेख कर दिया है।

श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन: महोदय, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वृद्ध व्यक्ति अपराधी तत्वों के लिए आसान शिकार होते हैं और घरों में ही धोखाधड़ी, शारीरिक तथा भावनात्मक कष्टों के शिकार बन जाते हैं इसे रोकने के लिए और वृद्ध व्यक्तियों के प्रति अपराधों में अकस्मात वृद्धि के मद्देनजर हमने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को लिखा है कि वृद्ध व्यक्तियों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उचित कार्यवाही की जाए।

श्री बाडिगा रामकृष्णा: महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि समाज के वृद्ध लोगों का ध्यान रखने हेतु आम जनता को जागरूक बनाने के लिए क्या कोई जागरूकता अभियान चलाये जाने की संभावना है।

श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन: महोदय, हम गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से सभी लोगों को जागरूक बना रहे हैं वृद्ध लोगों को संबंधियों, मित्रों तथा पड़ौसियों के साथ फोन पर सम्पर्क बनाये रखने और अनधिकृत प्रवेश, घरेलू नौकर रखने, मरम्मत तथा रखरखाव वाले व्यक्तियों और फेरीवालों के आने और नगदी तथा बहुमूल्य सामान को रखने के बारे में सावधानी बरतने के महत्व के संबंध में सलाह दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी कह रही हैं कि एन.जी.ओज. के जरिये वृद्धों की खिदमत की जाती है और आवश्यकतानुसार उनकी मदद की जाती है। इनके पास इस मद में किसी प्रकार की न तो धनराशि है, न किसी विभाग के जरिये कोई सेवा करने का कार्यक्रम है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि देश के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले बहुत से ऐसे वृद्ध हैं, जो जिंदगी भर खेती के काम में लगे रहे, लेकिन वृद्ध होने पर, अब न तो उन्हें दवा मिलती है, न उनकी सुरक्षा होती है और वे लोग कुत्ते की मौत बहुत सी जगह मर जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या प्रदेश सरकारों को मदद देने के लिए केन्द्र सरकार कोई ऐसी नीति बनाएगी ताकि ग्रामीण अंचलों में रहने वाले वृद्धों को उनकी बुजुर्गी के टाइम पर दवा मिल सके, उन्हें आर्थिक मदद मिल सके और संरक्षण प्राप्त हो सके—क्या इस प्रकार की कोई नीति और किसी प्रकार की मदद माननीय मंत्री जी जारी करेंगी?

[अनुवाद]

श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन: महोदय, हमने पहले ही वृद्ध व्यक्तियों के संबंध में राष्ट्रीय नीति तैयार कर ली है। इस नीति के अंतर्गत वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम नामक एक योजना है जिसके माध्यम से गैर-सरकारी संगठनों को वृद्धाश्रमों, बड़े केयर सेंटरों और चल चिकित्सा यूनिटों की स्थापना करने और उनके रखरखाव हेतु तथा वृद्ध व्यक्तियों को गैर-संस्थागत सेवाएं प्रदान करने के लिए परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रम और बहु-सेवा केन्द्रों का निर्माण करने हेतु पंचायती राज संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों, स्व-सहायता समूहों को सहायता देने की योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत वृद्धाश्रमों के निर्माण के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

डा. आर. सेनथिल: माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत में विश्व में सबसे अधिक वृद्ध व्यक्ति हैं। माननीय मंत्री जी का जवाब इस संबंध में असंतोषजनक है कि सरकार के पास वृद्ध व्यक्तियों की मदद के लिए कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है। तमिलनाडु सरकार सभी वृद्ध लोगों को लगभग 200 रुपए मासिक तथा दोपहर का भेजन देती है। मैं माननीय मंत्री को सिर्फ यह सुझाव देना चाहता हूं कि तमिलनाडु की तरह केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी वृद्ध लोगों को दोपहर का भोजन और कुछ पेंशन प्रदान करने हेतु एक योजना शुरू की जाए।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप उस पर विचार करेंगे।

श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन: महोदय, पहले से एक योजना है। वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के माध्यम से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 1,189 करोड़ रुपए राज्यों को आवंटित किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री हन्नान मोल्लाह, क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री हन्नान मोल्लाह: जी नहीं।

श्रीमती मिनाती सेन: महोदय, संयुक्त परिवार जो कि भारतीय विरासत और संस्कृति थी वह अब अपना रूप बदल रहा है और नाभिकीय परिवार बन रहा है। बहुत से वृद्ध व्यक्ति विशेषकर वृद्ध माता-पिता सामाजिक सुरक्षा और परिवार के सदस्यों की ओर से उचित देखभाल के अभाव में दयनीय और खराब दशाओं में रह रहे हैं।

क्या मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जान सकती हूं कि क्या भारत सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक कानून बनाने हेतु कोई पहल की है ताकि वे लोग अपने परिवारों से अलग न हों।

श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन: महोदय, पहले से दो कानून बने हुए हैं-एक है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 और दूसरा है भारतीय दंड संहिता में एक विशेष प्रावधान।

अध्यक्ष महोदय: हां, माननीय मंत्री जी यह अपर्याप्त पाया गया है। अब, मैं श्रीमती पुरन्देश्वरी को बुलाता हूं।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: महोदय, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति हिंसा के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया।

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य: अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित है कि भारत सरकार वृद्धों के लिए तमाम योजनाएं वृद्धावस्था योजना या एनजीओज के द्वारा बहुत से कार्यक्रम चला रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी तमाम योजनाएं आज पूरी तरह से फ्लाप हो चुकी हैं। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाएं, वहां पर गरीब किसान वृद्धों की जो हालत है, वे दवाइयों के अभाव में बीमारियों से लड़ते रहते हैं और परेशानियों का सामना करते रहते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर कोई प्रदेश सरकार वृद्धों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना या दवाइयों के लिए निश्चित सीमा के भीतर कोई धनराशि का पैकेज भारत सरकार को भेजना चाहे, तो क्या भारत सरकार और माननीय मंत्री जी उनकी और अधिक मदद करने का काम करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप किसी प्रस्ताव पर विचार करेंगे?

श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन: महोदय, पहले भी एक योजना थी और अब वह योजना राज्य योजना में स्थानांतरित कर दी गई हैं। हम पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता दे रहे हैं।

श्री जे.एम. आरून रशीद: वृद्ध लोग जो अपने घरों में अकेले रह रहे हैं उन्हें लूटा गया है और उनमें से कुछ की किसी लाभ के लिए हत्या की गई है। ये घटनाएं तमिलनाडु में हुई हैं। हाल ही में समाचार-पत्रों में छपा था कि एक वृद्ध महिला की उसके घर में हत्या कर दी गई।

क्या केंद्रीय सरकार भुगतान करने वाले और भुगतान न करने वाले दोनों तरह के वृद्ध व्यक्तियों को, जिन्हें उनके बच्चों द्वारा परित्यक्त किया गया है, वृद्धाश्रम की सुविधा प्रदान करेगी? क्या केंद्रीय सरकार फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और अमरीका की भांति वृद्धाश्रम खोलेगी।

अध्यक्ष महोदय: उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन: मैंने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि गैर-सरकारी संगठन वृद्धाश्रम, मेडिकल केयर सेंटर और चल चिकित्सा यूनिट चला रहे हैं। इसके अतिरिक्त, उनका ध्यान रखने के लिए निजी वृद्धाश्रम, जे एण्ड स्टे होम्स भी हैं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न 465, डा. रतन सिंह अजनाला— अनुपस्थित

सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा—अनुपस्थित।

''आपरेशन पराक्रम'' के दौरान हताहत सैन्यकर्मी

***466. श्री रघुनाथ झा:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 'आपरेशन पराक्रम' के दौरान 19 दिसम्बर, 2001 से 16 अक्तूबर, 2002 के बीच नाकाम फ्यूजों वाली पुरानी और खराब बारूदी सुरंगें बिछाते समय 60 सैन्यकर्मियों की मृत्यु हो गयी थी और 142 सैन्यकर्मी घायल हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बारूदी सुरंग दुर्घटनाओं की जांच कराने तथा पुरानी बारूदी सुरंगों के इस्तेमाल करने और निर्धारित सुरक्षा प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करने हेतु जिम्मेदारी तय करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पुरानी और खराब बारूदी सुरंगों और फ्यूजों को हटाकर उनके स्थान पर आधुनिक/अत्याधुनिक बारूदी सुरंगों का प्रयोग करने हेतु अद्यतन खुदाई उपकरणों के इस्तेमाल के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) 'आपरेशन पराक्रम' के दौरान बारूदी सुरंगें बिछाते समय कुल 60 सेना कार्मिकों की जानें गईं जबकि 142 कार्मिक घायल हो गए।

सुरंगें बिछाने का कार्य जोखिम-भरा है और शत्रु द्वारा पता लगा लेने की स्थिति को रोकने के लिए अंधेरे के दौरान सुरंगें बिछाने की आवश्यकता, घने कोहरे और जाड़े की स्थिति तथा कुछ क्षेत्रों में घने झाड़-झंखाड़ जैसे पर्यावरणीय, भू-भागीय एवं युद्ध संबंधी कारकों के कारण बारूदी सुरंग संबंधी अधिकांश दुर्घटनाएं सभी सुरक्षा उपायों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन किए जाने पर भी हुईं। इनमें से अधिकांश कारक फील्ड विरचनाओं के नियंत्रण से बाहर थे। बारूदी सुरंगों और फ्यूजों के केवल उन्हीं स्टाकों का उपयोग किया गया था जो निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर काम में लाने योग्य माने गए थे। ऐसी परिस्थिति में जांच करवाने तथा जिम्मेदारी तय करने पर विचार नहीं किया गया।

तथापि, एक और एहतियाती उपाय के रूप में, 1975 तक की बारूदी सुरंगों के स्टाक को अप्रयोज्य घोषित कर दिया गया है और उनका निपटान किया जा रहा है। इसके अलावा, आधुनिकीकरण की सतत प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में, अत्याधुनिक बारूदी सुरंगों की एक नई किस्म की अधिप्राप्ति तथा बारूदी सुरंगें बिछाने, उनके अभिलेखीकरण और बरामदगी की आधुनिक प्रणाली की संकल्पना की जा रही है। 'आपरेशन पराक्रम' के उपरांत बारूदी सुरंगें हटाने के कार्य में लगे सैनिकों को मुखावरण सहित हेलमेट, बुलेट-प्रूफ जैकेट और बारूदी सुरंग-रोधी जूते जैसे रक्षक साज-सामान मुहैया कराए गए थे। 'आपरेशन पराक्रम' के पश्चात् बारूदी सुरंगें हटाने के कार्य में संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बारूदी सुरंगों की बरामदगी संबंधी यांत्रिक उपस्कर की अधिप्राप्त करके लगाए गए थे।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि 'आपरेशन पराक्रम' के समय सेना के 60 जवान मारे गए और 146 घायल हुए थे। मेरा प्रश्न था कि इसमें खराब पुर्जों और एक्सपायरी डेट के सामान रहने के कारण, उनको बिछाते समय ही विस्फोट हो गया जिसमें इतने सैनिक मारे गए। अपने दूसरे पार्ट में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम इन स्टाकों को जायज़ मानते थे, वे प्रामाणिक थे, इसलिए हमने उनकी जांच कराने की आवश्यकता नहीं समझी। दूसरी तरफ स्टैंडिंग कमेटी आन डिफेंस-2000-2005 की रिपोर्ट के पेज एक से तीस के पैरा 119 में इस बात को स्वीकार किया गया है कि खराब पार्टस और पुर्जों के कारण, एक्सपायरी डेट के बाद, 1975 के स्टाक को बिछाया गया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में सैनिक हताहत हुए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस आधार पर इस प्रकरण की जांच करवाएंगे?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: एक स्थापित प्रक्रिया है। सबसे पहले मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि 1975 बैच की सुरंगे कार्य से वापस हटा ली गई हैं और उन्हें पुनः काम में नहीं लिया जाएगा। यद्यपि, सामान्य काल 10 वर्ष का होता है फिर भी दस वर्ष समाप्त होने के पश्चात् भी सुरंगों का अनियमित परीक्षण किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं सुरंगों में और लम्बे समय की क्षमता होती है। इसलिए, औचक परीक्षण की एक प्रक्रिया होती है। नमूने लिए जाते हैं और यदि वे प्रभावी पाये जाते हैं तो उन्हें प्रयोग किया जाता है। यदि वे अप्रभावी पाए जाते हैं तो उनका प्रयोग नहीं किया जाता। इसी प्रकार दस वर्षों की अवधि के भीतर भी यदि देखने से लगता है कि वे क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो उन्हें रद्द कर दिया जाता है। इसलिए, एक निश्चित प्रक्रिया है जो इस संबंध में अपनाई जा रही है।

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, इसमें जांच कराई ही नहीं गयी, तभी डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि खराब पुर्जे और एक्सपायरी डेट के न मानने के कारण ऐसा हुआ है। इसकी जांच कराने में क्या आपत्ति है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा है कि उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री प्रणब मुखर्जी: माननीय सदस्य दो बातों से भ्रमित हो रहे हैं। एक बात है खदानों के बारे में। अन्य बातों के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि क्या कुछ हथियारों को समयावधि समाप्त होने के बाद भी प्रयोग किया गया था। वह जांच के अधीन है।

अध्यक्ष महोदय: उसकी जांच की जा रही है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में उग्रवादी गतिविधियां

***465. डा. रतन सिंह अजनाला:**
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंधों से भी उग्रवादी गतिविधियों में कमी नहीं आई है क्योंकि अभी भी घुसपैठ के प्रयास हो रहे हैं और उग्रवादियों को सीमापार से प्रशिक्षण मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उग्रवादी अभी भी नियंत्रण रेखा और पाक अधिकृत कश्मीर से अपनी गतिविधियां चला रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) गत तीन महीनों के दौरान घुसपैठ की कुल कितनी घटनाएं हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ङ) पिछले दो वर्षों की तुलना में, वर्ष 2004 के दौरान आतंकवादी गतिविधियों में प्रत्यक्ष कमी आई है। तथापि, साक्ष्य नहीं हैं जिससे यह पता चले कि पाकिस्तान ने अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्र में आतंकवाद को समर्थन देने वाली आधारभूत अवसंरचना को नष्ट करने के लिए दीर्घकालीन उपाय शुरू कर दिए हैं।

सरकार ने, सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के लिए नियंत्रण-रेखा पर बाड़ लगाने, घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए सैनिक तैनात करने, घुसपैठ रोकने के लिए बाड़ के साथ-साथ सेंसर तथा इलेक्ट्रानिक उपकरण लगाने जैसे विभिन्न उपाए किए हैं। इसके अतिरिक्त, लोगों का मन-मस्तिष्क जीतने के उद्देश्य से नागरिक कार्य संबंधी कार्यक्रम 'आपरेशन सद्‌भावना' शुरू किया गया है। पाकिस्तान के नियंत्रणाधीन किसी भी भू-भाग का उपयोग, किसी भी प्रकार से, आतंकवाद को समर्थन देने के लिए किए जाने की अनुमति नहीं दिए जाने का राष्ट्रपति मुशर्रफ का 6 जनवरी, 2004 का वायदा पूरा करने की गंभीरता के संबंध में भी राजनयिक माध्यमों के जरिए पाकिस्तान पर जोर दिया गया है।

सरकार के पास उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार प्रश्नों के लिखित उत्तर 1 जनवरी से 31 मार्च, 2005 तक की अवधि में घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों की संख्या 16 आंकी गई है। इसके अलावा, सेना ने 1 जनवरी से 22 अप्रैल, 2005 के बीच, नियंत्रण-रेखा पर, 15 आतंकवादियों को मारकर घुसपैठ के 6 प्रयास विफ किए है।

[हिन्दी]

चीन और ब्रिटेन के साथ विमान सेवा समझौते

***467. श्री अविनाश राय खन्ना:**
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में चीन और ब्रिटेन के साथ नागर विमानन समझौतों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो निबंधन और शर्तों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जहां तक भारत का संबंध है इन समझौतों के किस सीमा तक सहायक सिद्ध होने की संभावना है;

(घ) क्या उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने के लिए यूरोपीय देशों के साथ कोई बातचीत की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति की गया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) जी, हां। यातायात अधिकारों की समीक्षा किए जाने की सतत प्रक्रिया के एक भाग के रूप में अभी हाल ही में चीन तथा ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा परामर्श वार्ताएं की गई हैं। इन वार्ताओं के अनुसरण में, दिनांक 11.4.2005 को चीन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें दोनों देशों के बीच तत्काल प्रभाव से प्रति सप्ताह 14 विमान सेवाएं तथा वर्ष 2006 की ग्रीष्मऋतु तक प्रति सप्ताह 42 विमान सेवाओं के प्रचालन के लिए पात्रताओं में उत्तरोत्तर वृद्धि करने का प्रावधान किया गया है। दोनों में से किसी भी देश की नामित एयरलाइनों को, अन्य देश के क्षेत्र में किन्हीं छः गंतव्यों तक अपनी उड़ानें प्रचालित करने की अनुमति भी दी गई है।

जहां तक ब्रिटेन का संबंध है, भारत-ब्रिटेन सेक्टर में पात्रताएं वर्ष 2006 के शीतकालीन मौसम तक दिल्ली/मुम्बई-लंदन हीथ्रो

मार्ग पर प्रति सप्ताह 56 सेवाओं तक बढ़ जाएंगी। इन मार्गों पर पात्रताओं में वृद्धि निम्नानुसार होगी:-

(1) शीतकाल, 2005 - प्रति सप्ताह 42 सेवाएं

(2) ग्रीष्मकाल, 2006 - प्रति सप्ताह 49 सेवाएं

(3) शीतकाल, 2006 - प्रति सप्ताह 56 सेवाएं

जहां तक अन्य मार्गों का संबंध है, वर्ष 2005 के शीतकाल के आरम्भ से भारत की नामित एयरलाइनें, बिना किसी क्षमता संबंधी सीमा के, भात तथा ब्रिटेन के बीच उड़ानें प्रचालित कर सकेंगी। ब्रिटेन की नामित एयरलाइनें भी हीथ्रो दिल्ली तथा हीथ्रो मुम्बई को छोड़कर भारत में सभी अन्य मार्गों पर उड़ानें प्रचालित कर सकेंगी, बशर्ते कि, बंगलौर तथा चेन्नई के मामले में जहां वर्ष 2006 के ग्रीष्मकाल के आरम्भ से कुल क्षमता सीमा को प्रति सप्ताह 14 सेवाओं तक बढ़ा दिया जाएगा को छोड़कर, भारत के प्रत्येक हावाईअड्डे को। से इनकी कुल क्षमता सीमा 7 सेवाएं प्रति सप्ताह होंगी। ये सभी सेवाएं इंटरमीडिएट तथा निर्धारित बिन्दुओं के आग्र तक से 5वें फ्रीडम राइट्स के साथ प्रचालित की जा सकेंगी।

चीन के साथ संशोधित वयवस्थाएं, दोनों देशों के बीच व्यापार में हुई व्यापक वृद्धि की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर की गई है जिससे कि पर्याप्त प्रत्ययक्ष सम्पर्कता का मार्ग सुगम हुआ है। भारत-ब्रिटेन सेक्टर पर पात्रता में वृद्धि से प्रत्ययक्ष सम्पर्कता की कठिनाई दूर होगी तथा यात्रियों के लिए भी तीसरे देश से होकर जाने के स्थान पर सीधी यात्रा सम्भाव हो सकेगी। इससे भारतीय वाहकों को भी इस सेक्टर में वाणिज्यिक अवसरों का सर्वोत्तम रूप से उपयोग करने अवसर प्राप्त होंगे।

(घ) और (ङ) यूरोपीय देशों में से, ब्रिटेन के अतिरिक्त अभी हाल ही में फ्रांस के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं की गई हैं। इन वार्ताओं में प्रति सप्ताह 14 उड़ानों की पात्रता को बढ़ाकर प्रति सप्ताह (35) उड़ानें किए जाने तथा एकाधिक एयरलाइनों के नामन के लिए मौजूदा समझौते में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। फ्रांस की एयरलाइनों को दिल्ली, मुम्बई तथा कोलकाता के अतिरिक्त बैंगलौर, चेन्नई तथा हैदराबाद के लिए प्रचालन करने की अनुमति भी दी गई है। पारस्परिक आधार पर भारतीय वाहकों को फ्रांस के रास्ते न्यूयार्क, मांट्रियल, टोरंटो तथा उत्तरी अमेरिका में 4 नए बिन्दुओं पर प्रचालन की अनुमति प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

गैस पाइपलाइन और कच्चे तेल की परियोजनाओं पर विदेशी मुद्रा भंडारों का उपयोग

***468. श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश की तेल सुरक्षा के लिए गैस पाइपलाइन और कच्चे तेल की परियोजनाओं पर विदशी मुद्रा भंडारों का उपयोग करने का है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस मामले में ऐसा प्रस्ताव वित्त मंत्रालय-भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा है और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध विदेशी मुद्रा भंडारों का उपयोग अपेक्षित सीमा तक किया जा रहा है।

(ग) और (घ) पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक को कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं भेजे गए हैं क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा के लिए विदेशी मुद्रा की जरूरतें मौजूदा प्रक्रियाओं के माध्यम से सामान्य रूप से पूरी की जा रही हैं।

[हिन्दी]

हेलीकॉप्टर/विमान दुर्घटनाएं

***469. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बार-बार हो रही हेलीकॉप्टर/विमान दुर्घटनाओं के कारण हाल ही के वर्षों में अन्य यात्रियों सहित अनेक अति-महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मृत्यु हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी दुर्घटनाओं में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ग) क्या सरकार ने इन दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समितियों का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जांच समितियों ने अपनी चांज पूरी कर ली है तथा अपनी रिपोर्टें सरकार को सौंप दी है;

(च) यदि हां, तो इनके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(छ) समितियों के निष्कर्षों के मद्देनजर सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाए किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) पिछले तीन वर्ष अर्थात् सन् 2002 से अब तक की अवधि में भारतीय सिविल पंजीकृत विमानों/हेलीकॉप्टरों की 21 दुर्घटनाओं में से 3 दुर्घटनाओं में अतिविशिष्ट व्यक्ति शामिल थे। इन सभी 21 दुर्घटनाओं में, कर्मीदल के सदस्यों तथा 4 अतिविशिष्ट व्यक्तियों सहित 63 व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

(ग) और (घ) जी, हां। दिनांक 3.3.2002 को विजयवाड़ा के निकट हुई डेक्क न एविएशन के बेल 206 हेलीकॉप्टर की दुर्घटना, जिसमें श्री जी.एम.सी. बालयोगी सहित 2 अन्य सवार व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, के संबंध में एक जांच समिति ने दुर्घटना की जांच की थी। शेष दुर्घटनाओं में दुर्घटनाओं के कारणों की जांच के लिए नागर विमानन महानिदेशक द्वारा दुर्घटना निरीक्षक नियुक्त किए गए थे।

(ङ) से (छ) दिनांक 3.3.2002 को विजयवाड़ा के निकट हुई मैसर्स डेक्क एविएशन के हेलीकॉप्टर की दुर्घटना के संबंध में गठित की गई जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति के अनुसार दुर्घटना का कारण यह था कि उतरने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश करते समय, कम दृश्यता के कारण, पायलट से तालाब के पानी को भूमि की सतह समझने की भूल हुई थी। यह गलती अनुभव करने पर जब उसने कम ऊंचाई से हेलीकॉप्टर को उठाने का प्रयास किया तो टेल बूम (हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा) पानी के सम्पर्क में आ गया और अलग हो गया, जिससे हेलीकॉप्टर तेजी से चक्कर खाने लगा और क्रैश हो गया। समिति की सिफारिशों को नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

शेष जांच-पड़तालों में, विभिन्न दुर्घटना जांचों से उद्भूत सुरक्षा संबंधी सिफारिशें जब कभी प्राप्त हुई तथा सरकार द्वारा स्वीकार की गई, संबंधित एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन हेतु उनका अनुसरण किया गया, ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी केन्द्र

***470. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान, पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यरत आकाशवाणी केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्यरत आकाशवाणी केन्द्रों की सेवाओं की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों में कर्मचारियों की अत्यधिक कमी है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (च) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इस समय राजस्थान, पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में निम्नलिखित तेरह आकाशवाणी केन्द्र कार्यशील हैं:

राजस्थान

1. बाड़मेर
2. बीकानेर
3. जोधपुर
4. जैसलमेर
5. सूरतगढ़

पंजाब

6. जालंधर

जम्मू और कश्मीर

7. जम्मू

8. कठुआ

9. कुपवाड़ा

10. नौशेरा

11. पुंछ

12. राजौर

13. श्रीनगर

पांच आकाशवाणी केन्द्रों नामतः जैसलमेर, कुपवाड़ा, नौशेरा, पुंछ और राजौरी जिनको स्टाफ की कमी के कारण पूरी क्षमता पर नहीं चलाया जा रहा है, को छोड़ कर समीवर्ती क्षेत्रों में अन्य सभी आकाशवाणी केन्द्र पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं।

भारत तथा संयुक्त राज्य अमरीका के बीच सैन्य सहयोग

***471. श्री वाई. जी. महाजनः**
श्री रतिलाल कालीदास वर्माः

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई वार्ता/विचार-विमर्श हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक इस बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमरीका-भारत सैन्य संबंधों को रक्षा नीति दल (डी पी जी) तथा इसके संघटक दलों के जरिए आगे बढ़ाया जाता है। 1995 में रक्षा नीति दल के गठन के बाद से इसकी छह बैठकें हो चुकी हैं। इसकी अंतिम बैठक जून 2004 में हुई थी। रक्षा नीति दल में होने वाले विचार-विमर्शों में सुरक्षा वार्ता, सेना से सेना स्तर पर सहयोग, रक्षा अधिप्रासियां, रक्षा अनुसंधान एवं विकास में सहयोग तथा रक्षा प्रौद्योगिकी सुरक्षा संबंधी मामले शामिल होते हैं।

(ग) और (घ) अमरीका-भारत रक्षा सहयोग में निरंतर प्रगति हुई है। सैन्य सहयोग के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रगति देखी जा सकती है जिसमें प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास तथा अनुभव का आदान-प्रदान शामिल है। अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है। जब भी रक्षा नीति दल की बैठक होती है, उसमें आपसी सहमति के जरिए सहयोग संबंधी क्रिया-कलापों पर निर्णय लिए जाते हैं।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को स्वायत्तता

***472. श्री ई. पोन्नुस्वामीः**
श्री गुरूदास कामतः

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार, सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को और अधिक स्वायत्तता देने पर विचार कर रही है जिससे कि वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा निजी भारतीय कंपनियों के साथ स्पर्धा कर सकें, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) तेल कंपनियों सहित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित स्वायत्तता से संबंधित सामान्य दिशानिर्देश लागू होते हैं। वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत नवरत्न तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों नामतः आयल एंड नेचुरल गैस कापोरेशन (ओएनजीसी), गेल इंडिया लिमिटेड (गेल), इंडियन आयल कापोरेशन (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कापोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कापोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को अन्य बातों के साथ-साथ बिना किसी मौद्रिक सीमा के पूंजीगत व्यय करने, प्रोद्योगिकी संयुक्त उद्यम/कार्यनीतिक गठबंधन करने, संगठनात्मक पुनर्गठन करने, बोर्ड के स्तर से नीचे के पदों का सृजन और इन्हें समाप्त करने और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से पूंजी उगाहने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

सार्वजनिक उद्यम विभाग ने राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अंतर्गत अधिदेश के संदर्भ में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में स्वायत्तता, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन, नैगम संचालक, अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकीय उन्नयन, एक प्रतिस्पार्धात्मक वातावरण में प्रभावशाली क्रियाकलाप इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए एक तदर्थ विशेषज्ञ दल का गठन किया है। सरकार को तदर्थ दल की सिफारिशों पर अभी निर्णय लेना है।

विदेश से तेल और गैस के स्रोतीकरण के लिए पहलों में प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ बनाने हेतु ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) के निदेशक मंडल को 75 मिलियन अमरीकी डालर या 300 करोड़ रुपए इनमें से जो भी कम हो, तक के निवेश वाली विदेशी परियोजनाओं का अनुमोदन करने के लिए शक्तिप्रदत्त किया गयाहै। विदेश में अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) परियोजनाओं में इस वित्तीय सीमा से अधिक के निवेश निर्णयों के लिए ओवीएल को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, वित्त, विदेश मंत्रालयों, योजना आयोग, विधि कार्य विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिवों की शक्तिप्रदत्त समिति के माध्यम से सरकारी अनुमोदन लेना होता है। इंडियन आयल कार्पोरेशन (आईओसी) और आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) द्वारा संयुक्त रूप से आरंभ की जाने वाली विदेशी परियोजनाओं के लिए ऐसे ही शक्तिप्रदत्तकरण पर विचार किया जा रहा है।

रेलवे को माल ढुलाई में हानि

*473. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री तथागत सत्पथी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल ने पिछले कुछ समय में परिवहन के अन्य प्रतिस्पर्धी साधन आ जाने के कारण अपना हिस्सा गंवाया है;

(ख) यदि हां, तो इसका मोटे तौर पर ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे के उद्देश्यों में रणनीतिक बदलाव लाने की आवश्यकता है ताकि वह बाजार में अपना खोया हुआ कुछ स्थान प्राप्त कर सके, जिसे उसने परिवहन के अन्य प्रतिस्पर्धी साधनों के प्रति गंवा दिया था, और

(घ) यदि हां, तो रेलवे ने और अधिक प्रतिस्पार्धात्मक बाजार का सामना करने के लिए तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति और अनुकूल बनने के लिए अपने उद्दश्यों को पुनः कैंद्रित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) परिवहन के अन्य प्रतिस्पर्धी साधनों के संदर्भ में रेलवे की बाजार में भागीदारी से संबंधित आंकड़ों को नहीं रखा जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां। भारतीय रेलों की उत्पादकता और कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए यातायात के थ्रूपुट में सुधार करने की आवश्यकता है। बाजार में भागीदारी को पुनः प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम निम्न प्रकार हैं;

1. वैगनों की आपूर्ति के लिए अधिमान्य यातायात अनुसूची को तर्कसंगत और सरल बनाया गया है। इंजन-ऑन-लोड (ई ओ एल) योजना, वैगन निवेश योजना और चौबीसों घंटे यंत्रीकृत कार्य आदि अपनाने वाले ग्राहकों को उसी वर्ग में उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

2. विद्युतीकृत खंडों पर डीजल साइडिंगों का विद्युतीकरण रेलवे की लागत पर किया जाएगा, बशर्तें कि यातायात का औचित्य बनता हो।

3. इंजन-ऑन-लोड योजना को और उदार तथा आकर्षक बनाया गया है, यह योजना चयनित माल शेडों और उन ग्राहकों को भी प्रदान की गई है जिनकी अपनी निजी साइडिंग नहीं है।

4. उद्योगों से परामश्र करके टर्मिनलों पर रूकौनी कम करने के उद्देश्य से नकद प्रोत्साहन सहित टर्मिनल प्रोत्साहन योजना बनाना।

5. जांच में गुणात्मक सुधार और क्रमिक जांच में लंबे अंतराल उपलब्ध कराने के लिए माल गाड़ी जांच केन्द्रों पर सुविधाओं का उन्नयन।

6. बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन के लिए जनवरी, 2005 में इलैक्ट्रॉनिक भुगतान गेटवे सुविधा लागू की गई है और यह सुविधा अन्य बड़े ग्राहकों भी उपलब्ध कराई जाएगी।

7. लागत में भागीदारी के माध्यम से मालभाड़ा ग्राहकों को अपनी निजी साइडिंगें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यदि कोई उद्योग लंबे समय तक, जैसे 10 वर्ष या इससे अधिक समय के लिए, यातायात का वचन देता हो तो नई रेबले साइडिंग की लागत में रेलवे द्वारा भागीदारी की जाएगी जिसका लागत-लाभ विश्लेषण क्षेत्रीय रेलवे द्वारा किया जाएगा। रेलपथ, स्लीपरों सहित हटाई जानी वाली अधिसंरचना और शिरोपरि बिजली उपस्कर की लागत रेलवे द्वारा वहन की जाएगी। भूमि, मिट्टी संबंधी कार्य, गिट्टी आदि सहित पटरी की उपसंरचना की लागत ग्राहक द्वारा वहन की जाएगी।

8. सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से ग्राहकों को एकल खिड़की सेवा की व्यवस्था करने के लिए इंटीग्रेटिड वेयरहाउस काम्पलैक्सों के विकास की योजना आरंभ करना।

9. माल भाड़ा दरों को सरल, तर्कसंगत और पारदर्शी बनाया गया है। तर्कसंगत माल भाड़ा दरों में मौजूदा 4000 वस्तुओं के स्थान पर वस्तुओं के केवल 80 समूह होंगे।

10. माल भाड़ा दरों की श्रेणियों की कुल संख्या को मार्च, 2002 में 59 से घटाकर अप्रैल, 2005 से 19 कर दिया गया है।

11. उच्च श्रेणी को चरणों में 2001-02 में श्रेणी-300 से घटाकर 2005-06 में श्रेणी-240 कर दिया गया है।

12. एक नई ''प्रीमियम पंजीकरण योजना'' उन ग्राहकों के लिए लागू की गई है जो वरीयता की उसी श्रेणी में रेकों के आबंटन में डचचतर प्राथमिकता के लिए निर्धारित श्रेणी से दो श्रेणी उच्चतर भाड़ा देने के इच्छुक हैं।

13. सप्ताह में दो दिन निश्चित तौर पर पंजीकरण की तारीख के अनुसार रेकों के आबंटन के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

14. नई आकर्षक ''वैगन निवेश योजना'' तैयार की गई है जिसमें रेलवे डिब्बों में निवेश करने वाले ग्राहकों को डिब्बों की निश्चित आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्राहकों को मालभाड़े में रियायत और उच्चतर प्राथमिकता भी दी जायेगी।

रेलगाड़ियों की गति में वृद्धि

***474. डा. एम. जगन्नाथ:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने कुछ एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की गति को बढ़ाने से इंकार कर दिया है जैसा कि 3 अप्रैल, 2005 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल पटरियों और सिगनल प्रणाली को तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ियां चलाने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो पटरियों और सिगनल प्रणाली को प्रोन्नत न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में रेलवे द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले सुधारात्मक उपाय क्या हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) जी हां। यह समाचार नई दिल्ली-आगरा छावनी खंड पर 150 किमी. प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाने के बारे में है। मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त ने नई दिल्ली-आगरा छावनी खंड पर 150 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार पर गाड़ी चलाने की अभी तक स्वीकृति नहीं दी है। मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त ने कथित गाड़ी चलाने की अनुमति के लिए उत्तर रेलवे और उत्तर-मध्य रेलवे के आवेदनों को कुछ टिप्पणियों के साथ रेलवे बोर्ड को अग्रेषित किया है। ये आवेदन रेलवे बोर्ड के विचाराधीन हैं, जिसे इस मामले पर अंतिम निर्णय लेना है।

(ख) जी नहीं। नई दिल्ली-आगरा छावनी खंड पर मौजूद रेलपथ और सिगनल प्रणाली इस प्रकार की गाड़ियां चलाने के लिए पर्याप्त है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रेलपथ और सिगनल प्रणाली के लिए कोई निवारक उपाय अपेक्षित नहीं है। मुख्य रेलवे संरक्षा आयुक्त ने रेलपथ पर आवारा पशुओं को घूमने से रोकने के लिए पूरे रेलपथ पर बाड़ लगाने, खतरे के सिगनल की ड्राइवर द्वारा अनदेखी को रोकने के लिए अतिरिक्त उपाय के रूप में गाड़ी बचाव और चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था, बंद गेटों से सड़क उपयोगकर्ताओं को गुजरने से रोकने के लिए अतिरिक्त उपाये के रूप में समपार गेटों पर लिफ्टिंग बैरियर पर फ्रिल की व्यवस्था करना, पटरियों की मैनुअल जांच के अतिरिक्त एस पी यू आर टी (स्मर्ट) कार द्वारा पटरियों की पराश्रव्य दोष संसूचक जांच आदि मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

गाड़ी चलाने से पहले, इन सभी पहलुओं का संतोषजनक रूप से निवारण करने के लिए कार्रवाई की गई है। इस मामले पर अंतिम निर्णय लेते समय मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त की टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाएगा।

ईंधन हेतु हाइड्रोजन गैस का प्रयोग

***475. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई:**
श्री देविदास पिंगले:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राकृतिक गैस के साथ मिश्रित हाइड्रोजन गैस का आटोमोबाइल ईंधन के रूप में प्रयोग करने पर विचार किया जा रहा है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन गैस के मिश्रण से प्राप्त लाभ क्या है तथा प्रभावी ईंधन के रूप में इसकी प्रभावोत्पादकता कितनी है;

(घ) इस संबंध में कुल कितना निवेश प्रस्तावित है;

(ङ) क्या हाइड्रोजन शक्ति के सृजन हेतु संसाधन जुटाने के लिए निजी क्षेत्र से सहायता लेने को कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (च) तकनीकी रूप से यह सिद्ध हो गया है कि प्राकृतिक गैस और हाइड्रोजन के मिश्रण का एक परिवहन ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाइड्रोजन का इस प्रकार उपयोग करने के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान और विकास की सहायता के लिए 100 करोड़ रुपए की एक हाइड्रोजन संग्रह निधि की स्थापना की है। जिन प्रदर्शन परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, उनमें फरीदाबाद में इंडियन आयल कार्पोरेशन अनुसंधान और विकास केन्द्र में संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) में 10ब हाइड्रोजन का उपयोग (जुलाई 2005 के लिए योजित) और दिल्ली में बाद में एक ऐसी ही प्रदर्शन परियोजना सम्मिलित है।

परीक्षणों से यह पता चला है कि हाइड्रोजन मिश्रित प्राकृतिक गैस आंतरिक दहन इंजनों में जलाए जाने पर प्राकृतिक गैस इंजनों की प्रभावकारिता और कार्यनिष्पादन को प्रभावित किए बिना उत्सर्जनों, विशेष रूप से नाइट्रस आक्साइड के उत्सर्जन को कम कर सकती है। तथापि प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन मिलाने से होने वाले लाभ और समस्याओं के संबंध में और भारतीय सड़क परिस्थितियों में ईंधन के रूप में इसकी प्रभावकारिता का तब ही पता लग सकता है जब प्रदर्शन परियोजनाएं लागू हो जाएं और पर्याप्त आंकड़े जुटा लिए जाएं।

हाइड्रोजन विद्युत के उत्पादन हेतु संसाधन जुटाने के लिए निजी क्षेत्र से सहायता लेने पर कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन विद्युत बोर्ड का गठन किया है जिसमें सरकार, उद्योग, शैक्षणिक संस्थाओं और विशेषज्ञों से उच्च स्तर का प्रतिनिधित्व है। बोर्ड उत्पादन, भंडारण, परिवहन, सुपुर्दगी, अनुप्रयोगों की सुरक्षा से आरंभ करते हुए हाइड्रोजन ऊर्जा के सभी पहलुओं को समाहित करते हुए राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा कार्यक्रम की तैयारी और कार्यान्वयन में दिशानिर्देश प्रदान कर रहा है। इस कार्यक्रम से सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ विशेष परियोजनाओं का विकास करने में सहायता मिलेगी जिससे निजी क्षेत्र से संसाधनों का सृजन भी सुकर होगा।

रक्षा खरीद संबंधी केलकर समिति की रिपोर्ट

***476. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री निखिल कुमार:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा खरीद संबंधी केलकर समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों को किस सीमा तक स्वीकार किया गया है; और

(घ) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) प्रयोक्ताओं, रक्षा मंत्रालय और उद्योग को एकीकृत करने के लिए रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया की समीक्षा संबंधी केलकर समिति की रिपोर्ट का पहला भाग दिनांक 5 अप्रैल, 2005 को सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है।

समिति की सिफारिशें निम्नलिखित से संबंधित हैं:

(1) अर्जन-कार्यक्रम के लिए आधार तैयार करते हुए 15-वर्षीय दीर्घकालिन योजना बनाना;

(2) सशस्त्र सेनाओं की अपेक्षाओं के संबंध में उद्योग को सूचना देना;

(3) अर्जन प्रक्रिया में निजी क्षेत्र के लिए प्रवेश बिन्दुओं की पहचान;

(4) रक्षा उद्योग रत्न/चैम्पियन को मान्यता और प्रोत्साहन देना;

(5) रक्षा उत्पादन में लघु तथा मध्यम दर्जे के उद्यमों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नीति तैयार करना;

(6) रक्षा अर्जन के लिए नई संस्थागत संरचना;

(7) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन और उद्योग, दोनों के पास रक्षा अनुसंधान तथा विकास के अवसर;

(8) निर्णय लेने में पारदर्शिता बढ़ाना;

(9) मौजूदा क्षमता का इष्टतम उपयोग;

(10) 300 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक मूल्य की संविदाओं के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध में एक प्रतिपूर्ति खंड शामिल करना; तथा

(11) रक्षा-निर्यातों के लिए निषेधात्मक सूची की संकल्पना की पुन: जांच करना तथा निर्यात अंकन संगठन की स्थापना करना।

समिति द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के विचारधीन हैं।

[हिन्दी]

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

***477. श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल लाइनों के विद्युतीकरण के संबंध में रेलवे की क्या नीति है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने रेल खंडों का विद्युतीकरण किया गया;

(ग) इस पर जाने-वार कितना व्यय किया गया;

(घ) रेल खंडों के विद्युतीकरण के संबंध में राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) परिचालनिक आवश्यकताओं के रूप में औचित्यपूर्ण परियोजनाओं के अलावा आर्थिक आधार पर मुख्यत: विद्युतीकरण परियोजनाओं पर विचार किया जाता है। इस संबंध में निम्नलिखित मानकों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है:

(1) प्रत्येक विद्युतीकरण परियोजना का औचित्य प्रतिफल की दर के आधार पर होगा जो कि बट्टागत नकदी प्रवाह (डी सी एफ) प्रणाली सहित 14ब से अधिक होना चाहिए।

(2) कतिपय विशेष मामलों में विद्युतीकरण परिचालनिक लचीलेपन के आधार पर औचित्यपूर्ण माना जाएगा।

(3) सामानयत: एकल लाइन खंड (मेन लाइन) का विद्युतीकरण नहीं किया जाएगा।

(4) किसी मार्ग के विद्युतीकरण का प्रस्ताव देते समय यदि आवश्यक हो, छोटी लंबाई के मार्ग, जो अन्यथा गैर-विद्युतीकृत रह जाएंगे तथा जिनसे परिचालनिक लचीजेपन में कमी आएगी, को शामिल करने के लिए उस पूरे क्षेत्र के रेल नेटवर्क पर विचार किया जाना चाहिए।

(ख) और (ग) वर्ष 2002-03, 2003-04, और 2004-05 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकृत खंड और उन पर खर्च की गई राशि इस प्रकार है:

2003-03 के दौरान विद्युतीकृत खंड	मार्ग किमी.	2003-04 के दौरान विद्युतीकृत खंड	मार्ग किमी.	2004-05 के दौरान विद्युतीकृत खंड	मार्ग किमी.	रेलवे जोन	उन पर खर्च की गई अनुमानित राशि (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7	8
बरसात-हसनाबाद	52	-	-	-	-	पूर्व	28.80
गया-जहानाबाद्	43	जहानाबाद-पटना	49	-	-	पूर्व मध्य	56.72
कुसुण्डा-जमुनियाटांड	23	-	-	-	-		
भुवेनश्वर-बारंग मेरामंडोली	96	बारंग-कटक	10	कपिलास रोड केन्द्रपाड़ा और सालेगांव-नरगुंडी	15		
-		रजतगढ़-कपिलास रोड/नरगुंडी और राधाकिशोरपुर-माचापुर	27	केन्द्रपाडा-जखापुरा	33	पूर्व तट	136.22
-	-	-	-	कपिलास रोड हरिदासपुर	25		
-	-	तालचेर-स्टेशन यार्ड	03	खुर्दा रोड-पुरी	41		

1	2	3	4	5	6	7	8
अमरदा रोड-बालासोर	37	बालासोर-रानीताल	50	रानीताल-भद्रक	11	दक्षिण पूर्व	47.50
लुधियाना-फगवाड़ा	36	फगवाड़ा-अमृतसर	101	रूड़की-दौसानी	14		
माल्हौर-सफेदाबाद-बाराबंकी लुधियाना-	18	सहारनपुर-रूड़की	31	लक्सर-मुअज्जमपुर नारायाण	27	उत्तर	110.66
-	-	तापरी बाई पास लाइन-हिंडोल कोबिन	02	-	-		
-	-	लखनऊ पैसेंजर लाइन	04	-		-	
कांचीपुरम-न्यू कांचीपुरम	01	कांचीपुरम-टक्कोल	21	-			
टिंडीवनाम-विघुपुरम	37	एर्णाकुलम-शेरतलाई	30	शेरतलाई-कायमकुलम	69	दक्षिण	164.27
एर्णाकुलम-कुरूप्पनतारा-चांगनचेरी	35	कुरूप्पनतारा-चांगनचेरी	37	चांगनचेरी-कायनकुलम-कोल्लम	81		
रेणीगुंटा-बल्लापल्ली	22	बल्लापल्ली-नंदलूर	64	-	-	दक्षिण मध्य	38.52
व्यारा-लक्कड़कोट	23	ढेकवाड़-लक्कड़कोट	75	भेस्तान नियोल बाई पास लाइन	04	पश्चिम	63.67
डोंडाचा-नांदूरवार-ढेक्वाड़	32	-	-	-	-		
जोड़	455		504		320		

(घ) और (ङ) निम्नलिखित खंडों का विद्युतीकरण करने के लिए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य	खंड	स्थिति
1	2	3
राजस्थान	1. कोटा-बारां-छाबरा-	अभी इसका अनुमोदन नहीं किया गया है। इस खंड को विद्युतीकृत करने का अंतिम निर्णय परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन पर आधारित होगा।

1	2	3
	2. जयपुर-सवाई माधोपुर और रतलाम-नीमच-चित्तौड़गढ़	दूसरे उच्च घनत्व वाले मार्गों के विद्युतीकरण की सापेक्ष प्राथमिकता के कारण विचार नहीं किया गया।
पांडीचेरी	विष्णुपुरम-पांडीचेरी	अनुमोदित बजट 2005-06 में शामिल किया गया।
उत्तरांचल	लक्सर-देहरादून	परिचालनिक कारणों से अभी इसका अनुमोदन नहीं किया गया है।
केरल	शोरूवण्णूर-मंगलोर	दूसरे उच्च घनत्व वाले मार्गों के विद्युतीकरण की सापोक्ष प्राथमिकता के कारण विचार नहीं किया गया।

[अनुवाद]

तीव्रगामी बुलेट ट्रेन

*478. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ चुनिंदा मार्गों पर तीव्रगामी बुलेट ट्रेन चलाने हेतु विकास अध्ययन के लिए कोई प्रस्ताव जापान सरकार को भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर जापान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) उक्त अध्ययन पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) चुनिंदा मार्गों पर बुलेट ट्रेनों के कब तक चलाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) से (ङ) रेल मंत्रालय ने वर्ष 2005-06 के लिए जापानी तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के विकास अध्ययन कार्यक्रम के तहत वित्त मंत्रालय के माध्यम से मुंबई-अहमदाबाद के बीच उच्च गति की रेल संपर्क परियोजना का प्रस्ताव रखा था। तत्पश्चात् सरकार ने जापानी प्राधिकारीयों को यह बता दिया कि परियोजना की प्राथमिकता में हुए परिवर्तन को देखते हुए परियोजना का व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया जाए।

रेल मंत्रालय ने प्रस्तावित विकास अध्ययन पर कोई खर्च नहीं किया था।

लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में क्रिटिकल केयर एंबुलैंस कपार्टमेंट

*479. **डा. के. धनराजू:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बीमार यात्रियों विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता पूरी करने के लिए 24 घंटों से अधिक समय तक चलने वाली लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में क्रिटिकल केयर एंबुलैंस कंपार्टमंट' शुरू करने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से उक्त प्रस्ताव को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका है;

(ग) क्या भारी मांग के मद्देनजर सरकार का विचार इसे शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कारगिल युद्ध के शहीदों के परिवारों को पेट्रोल पंपों का आबंटन

*480. **श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पहले कारगिल युद्ध के शहीदों के परिवारों को पट्रोल पंप आबंटित करने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कारगिल युद्ध के शहीदों के अनेक परिवारों को आबंटित पेट्रोल पंप अभी मिलने बाकी है;

(ग) यदि हां, तो इन परिवारों को पेट्रोल पंपों के आबंटन में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) शहीदों के परिवारों को शीघ्र पेट्रोल पंपों के आबंटन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) सरकार ने "आपरेशन विजय" (कारगिल) में कार्रवाई में मारे गए रक्षा कार्मिकों की विधवाओं/निकट संबंधियों को खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप (पेट्रोल पंप) और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आबंटन के लिए 1999 में एक विशेष योजना आरंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत पुनर्वासन महानिदेशक (डीजीआर) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को लाभप्राप्तकर्ताओं के नामों और उन स्थानों की सिफारिश करते हैं जहां वे डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोजना चाहेंगे। आबंटनों का अनुमोदन, उन लाभप्राप्तकर्ताओं द्वारा विकल्प दिए गए स्थानों के व्यवहार्यता अध्ययन करने के बाद तेल उद्योग की सिफारिश पर, सरकार द्वारा किया जाता है।

इस योजना के तहत 308 खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज) को चालू किया जाना था, परन्तु आठ आबंटिती डीलरशिप प्राप्त करने के इच्छुक नहीं थे। इसके अतिरिक्त 12 मामले ऐसे हैं जिनमें आशय-पत्र (एलओआई) ऐसे कारणों से जारी नहीं किए गए हैं जिनमें आबंटितियों द्वारा उत्पाद/स्थान परिवर्तन की मांग किए जाने, अपेक्षित कागजात पेश करने में विफलता, आबंटियों द्वारा सुझाए गए स्थानों के व्यवहार्य न पाया जाना आदि शामिल है। शेष 288 आबंटनों जिनके मामले में एलओआई जारी कर दी गई है, की स्थिति निम्नानुसार है:

चालू किए गए खुदरा बिक्री केन्द्र	-	249
भूमि प्राप्त और प्रगति पर कार्य	-	4
भूमि प्राप्त	-	2
पहचान की गई भूमि	-	9
भूमि की तलाश में	-	24
योग	-	288

जिन छह मामलों में भूमि प्राप्त की जा चुकी है उनमें कार्य प्रगति पर है और खुदरा बिक्री केन्द्रों के शीघ्र चालू किए जाने की आशा है। जिन 9 मामलों में भूमि की पहचान कर ली गई है उनमें भूमि आधिग्रहण हेतु औपचारिकताएं प्रगति पर हैं। शेष 24 मामलों में जहां अभी भूमि का पता नहीं लग पाया है, इन आबंटनों को शीघ्रता से चालू किए जाने के लिए सरकारी प्राधिकारियों/निजी पक्षकारों के साथ संबंधित ओएमसीज द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

प्राचीन वस्तुओं की तस्करी

4975. श्रीमती मिनाती सेन: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सिलिगुडी गलियारे से भारत-बांग्लादेश सीमा पर प्राचीन वस्तुओं की बड़े पैमाने पर तस्करी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि चीन के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कल्चरल हैरिटेज ने विगत में भारत को सिलीगुडी गलियारे से प्राचीन वस्तुओं की बढ़ती तस्करी के बारे में चेताया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सिलीगुडी से प्राचीन वस्तुओं की तस्करी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

हज यात्रियों हेतु विमान किराये पर लेना

4976. श्री थावरचंद गेहलोत: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान सऊदी अरब हेतु हज यात्रियों की आवाजाही के लिए कितने विमानों का उपयोग किया गया है;

(ख) प्रत्येक यात्री से कितना किराया वसूल किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किन-किन देशों से विमान किराये पर लिए गए और तत्संबंधी संख्या क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने हज यात्रियों को निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान सरकारी खर्चे पर हज समिति के कितने पदाधिकारियों/सदस्यों ने सऊदी अरब की यात्रा की है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) एअर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस द्वारा हज 2004-05 प्रचालनों के लिए पांच विमान कार्य में लगाए गए थे।

(ख) इसके लिए लिया गया किराया प्रति व्यस्क 12,000 रु., प्रति बालक 8,000 रु. तथा प्रति शिशु 1,200 रु. था।

(ग) हज तीर्थयात्रियों को लाने/ले जाने के लिए जो विमान इस्तेमाल किए गए, वे एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के वर्तमान बेड़े से लिए गए थे इसके अतिरिक्त हज प्रचालनों के लिए सऊदी अरेबियन एयरलाइन ने भी अपना विमान लगाया था।

(घ) कोई भी नहीं। तथापि, 81,022 हज यात्रियों (जिनमें 48 बच्चे तथा 236 शिशु शामिल थे) ने इमदादी किरायों पर जेद्दाह की यात्रा की।

(ङ) वर्ष 2004-05 के दौरान भारतीय हज समिति के पद धारकों/सदस्यों द्वारा हज व्यवस्थाओं के संबंध में सऊदी अरब के 18 दौरें कि गए। इस दौरों पर सरकार द्वारा कोई धन खर्च नहीं किया गया।

अ.जा. की सूची में धांगर और गढ़रिया को शामिल करना

4977. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अनुसूचित जातियों की सूची में धांगर जाति को शामिल करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र से बाहर गढ़रिया के कार्य में परम्परागत रूप से कार्यरत जाति को भी अनुसूचित जातियों में शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) "अस्पृश्यता के पारंपरिक चलन से पैदा होने वाले अत्यंत सामाजिक, शैक्षिक एंव आर्थिक पिछड़ापन" के मापदंड को पूरा करने के आधार पर, समुदायों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाता है।

सड़क सरेखण में परिवर्तन

4878. श्री छेवांग थुपस्तन: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा सड़क संगठन ने पदुम, जनसकार के रास्ते लद्दाख में नेमों को हिमाचल प्रदेश में दर्या को जोड़ने हेतु प्रस्तावित सड़क के सरेखण में परिवर्तन का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित सरेखण परिवर्तन से जनसकार सब-डिवीजन की लुंगनाग घाटी के निवासियों का एक बड़ा भाग सड़क सम्पर्क से वंचित हो जाएगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार सीमा सड़क संगठन के माध्यम से इन निवासियों के लिए सड़क सम्पर्क पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सऊदी अरब से कच्चे तेल का आयात

4979. श्री जयप्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुल कच्चे तेल के आयात में से 26 प्रतिशत सऊदी अरब से आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास सऊदी अरब से कच्चे तेल के आयात को दुगुना करने की योजन है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस देश की हाल यात्रा के दौरान सऊदी अरब के नेताओं के साथ किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और तत्संबंधी क्या परिणाम निकले हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) वर्ष 2004-05 के दौरान सऊदी अरब से कच्चे तेल का आयात, देश में कुल कच्चे तेल आयात का 24.96 (अनंतिम) था।

(ख) और (ग) सऊदी अरब ने भारत को कच्चे तेल की किसी अतिरिक्त मांग की आपूर्ति का आश्वासन दिया है। अगले बीस वर्षों में कच्चे तेल का आयात दुगुना हो जाने की संभावना के साथ, यह संभव है कि सऊदी अरब से हमारा आयात भी काफी बढ़ सकता है।

(घ) मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्र में स्थिति और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में भारत-सऊदी सहयोग के संबंध में सऊदी नेतृत्व के साथ व्यापक राजनीतिक और आर्थिक चर्चा की। चर्चा के मुख्य मुद्दे निम्नानुसार थे:

(1) विशेष रूप से विद्यमान अनिश्चितताओं और असुरक्षाओं के संदर्भ में क्षेत्र में शांति और विकास के संवर्धन के लिए भारत सऊदी भागीदारी पर बल दिया गया।

(2) सऊदी सरकार भारत की भविष्य की कच्चे तेल की सभी जरूरतों को पूरा करने पर सहमत हो गई।

(3) दोनों पक्ष विशेष रूप से रिफाइनरियों और गैस के अन्वेषण और उत्पादन के संबंध में एक दूसरे के हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में निवेश करने पर सहमत हो गए।

(4) सऊदी पक्ष इस बात पर सहमत हो गया कि एशियाई तेल मंत्रियों की पहली गोल मेज बैठक, जो जनवरी 2005 में नई दिल्ली में पहली बार हुई, अब वार्षिक रूप से आयोजित की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

कल्याण योजनाओं हेतु लोकप्रिय उपाय

4980. **श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेडियों को विभिन्न सरकारी कल्याण योजनाओं के बारे में सूचना और जानकारी देने का सशक्त माध्यम माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अपनी कल्याण योजनाओं के प्रचार हेतु इस माध्यम का पूर्ण उपयोग कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कौन-कौन से और किस तरह के रेडियो कार्यक्रम बनाए और प्रसारित किए जा रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इस लोकप्रिय मीडिया का उपयोग न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा मंत्रालय का कल्याण योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए इस माध्यम के पूर्ण उपभोग के दोहन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) जी हां

(ग) 15 मिनट की अवधि का साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम "संवरती जाएं जीवन की राहें" वर्ष 2004-05 में बनाया एवं प्रसारित किया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

समपारों का निर्माण

4981. **श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:**
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य/जोन-वार कितने रेल समपारों का निर्माण किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उनके निर्माण पर कितना व्यय हुआ है; और

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान देश में निर्माण हेतु प्रस्तावित रेल समपारों का राज्यवार/जोनवार ब्यौरा क्या है और वे कहां-कहां पर हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) प्रचलित नियमों के अनुसार, समपार की व्यवस्था नई लाइन बिछाते समय राज्य सरकार के परामर्श से या समायोजन संबंधी कार्यों के रूप में इस पर यातायात शुरू करने के 10 वर्षों के भीतर की जाती है। इसके पश्चात् निक्षेप आधार पर तकनीकी रूप से यथोचित स्थान पर समयपार मुहैया कराया जा सकता है, यदि ऐसा प्रस्ताव राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा समपार के निर्माण की प्रारंभिक लागत और आवर्ती अनुरक्षण तथा परिचालनिक प्राभारों की एकमुश्त पूंजी लागत को वहन करने की सहमति देते हुए प्रत्यायोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, रेलवे की नीति के अनुसार, संरक्षा कारणों से मौजूदा लाइनों पर चौकीदार रहित समपार की अनुमति नहीं है।

मौजूदा नीति को ध्यान में रखते हुए, पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे निधि से मौजूदा लाइनों पर किसी नए समपार का निमार्ण नहीं किया गया है। इस समय, 2005-06 के दौरान रेलवे निधियों से मौजूद लाइनों पर नए समपार के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, नए समपारों का निर्माण परियोजनाओं के भाग के रूप में किया जाता है।

[अनुवाद]

विकलांगों का उत्थान

4982. श्री रमेश बर्मन: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विकलांगों की स्थिति के उत्थान हेतु सरकार के विचाराधीन कोई योजना और कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत योजनावार, राज्य-संघ राज्य क्षेत्रवार और गैर-सरकारी संगठन-वार आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) सरकार निःशक्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ अनेक योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित करती है। इन योजनाओं के लिए निधियों का आबंटन राज्यवार और गैर-सरकारी संगठनवार नहीं किया जाता है। वर्ष 2005-06 के लिए योजनावार निधियों का आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

वर्ष 2005-06 के लिए निधियों का योजनावार आबंटन

(करोड़ रुपए)

1.	डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी एनआईओएच, कोलकाता	4.00
2.	चन्द्र सिंह गढ़वाली एनआईवीएच, देहरादून	5.00
3.	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई	9.00
4.	स्वामी विवेकानन्द निरतार, कटक	6.25
5.	पं. दीनदयाल उपाध्याय विकलांग संस्थान, नई दिल्ली	2.00
6.	महात्मा ज्योतिबा फूले एनआईएमएच, सिकन्दराबाद	10.00
7.	राष्ट्रीय बहु-विकलांगता संस्थान	6.50
8.	भारतीय मेरुदण्ड क्षति केन्द्र	3.50
9.	भारतीय पुनर्वास परिषद	3.00
10.	विकलांग व्यक्तियों को रोजगार	0.01
11.	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम	11.00
12.	निःशक्त व्यक्ति अधिनियम का कार्यान्वयन	20.34
13.	मिशन मोड में एस एंड टी परियोजनाएं	2.00

14.	दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना	80.00
15.	सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों की सहायता योजना	60.00
16.	विविध योजना	
17.	(1) आईटी प्लान	0.50
	(2) अन्य	1.50
	कुल	224.60

[हिन्दी]

विदेशी अखबारों का प्रकाशन

4983. श्री बालेश्वर यादव: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में विदेशी अखबारों को अपने प्रकाशन निकालने की अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) यह नीति समीक्षाधीन है।

निजी चैनलों का डिजिटलीकरण

4984. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों के दौरान निजी चैनलों की संख्या में कई गुणा वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कई चैनलों की उचित टेलीकास्टिंग में केबल ऑपरेटरों के सामने आ रही समस्याओं के मद्देनजर उन्हें डिजिलैलाइज करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार निजी क्षेत्र में टेरिसट्रेयल चैनलों को अनुमति देने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) हाल ही के वर्षों में निजी टी वी चैनलों की उपलब्धता में बढ़ोत्तरी हुई है। कुल मिलाकर 151 टी वी चैनलों को भारत से अपलिंक करने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, विदेश से अपलिंक किए जाने वाले टी वी चैनल बड़ी संख्या में भारत के दर्शकों के लिए उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 3 जनवरी, 2005 को केबल टेलीविजन के डिजिटलीकरण से संबंधित मुद्दे पर एक परामर्श-पत्र जारी किया है। इसमें सरकार को इस मामले में अभी तक कोई सिफारिश नहीं की है।

(घ) और (ङ) इस समय भारत में स्थलीय टेलीविजन प्रसारण केवल लोक सेवा प्रसारक, प्रसार भारती द्वारा किया जा रहा है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 'निजी स्थलीय टेलीविजन प्रसारण सेवाओं से संबंधित मुद्दों' पर विभिन्न स्टेकहोल्डरों से विचार प्राप्त करने और भारत में निजी स्थलीय टी वी प्रसारण सेवा की शुरूआत करने के लिए उपयुक्त नीति और लाइसेंसिंग ढांचे पर चर्चा करने हेतु 25 फरवरी, 2005 को केवल एक परामर्श-पत्र जारी किया है, ट्राई ने अभी तक अपनी सिफालिशें तैयार नहीं की हैं। सरकार ट्राई की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही कोई राय कायम करेगी।

[अनुवाद]

विरासत रेल गाड़ियां

4985. श्री सुबोध मोहिते: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष के दौरान दक्षिण-पूर्वी रेलवे और मध्य-रेलवे द्वारा राष्ट्रीय सुन्दरता और विदर्भ और मध्य प्रदेश के बहुमूल्य स्मारक की एक झलक पर्यटकों को देने के लिए विरासत रेलगाड़ियां शुरू की गई थी लेकिन अब वे लोको-शैडों में पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र पर्यटन विकास परिषद अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में असफल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन रेलगाड़ियों को यथाशीघ्र शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) भारतीय रेल की 150वीं वर्षगांठ के समारोह के रूप में नागपुर और जबलपुर के बीच एक हेरिटेज गाड़ी चलाई गई थी। इस गाड़ी की रचना पुराने लकड़ी के मौजूदा सवारी डिब्बों से की गई थी और इस गाड़ी को नियमित पर्यटक गाड़ी के रूप में नहीं चलाया गया था।

(ग) उपर्युक्त गाड़ी को चलाने में महाराष्ट्र पर्यटन विकास संघ की कोई भूमिका नहीं थी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जब कभी इस प्रकार की गाड़ियों को चलाने की मांग की जाती है, तो उसकी जांच की जाती है।

[हिन्दी]

तटरक्षक एयर-स्क्वैड्रन परिसर का निर्माण

4986. श्री अतीक अहमद: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तटरक्षक एयर स्क्वैड्रन परिसर के निर्माण के लिए कोलकाता में भूमि अधिग्रहीत की है;

(ख) यदि हां, तो इस भूमि को कब अधिग्रहीन किया गया था और इसकी कीमत कितनी है;

(ग) उक्त परिसर के निर्माण में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस परिसर के निर्माण कार्य को कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) 29 मार्च, 1996 को 15.86 करोड़ रुपए की कुल लागत पर भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

(ग) एक अतिरिक्त हेलीकॉप्टर स्क्वॉड्रन शामिल किए जाने के कारण अतिरिक्त कार्यालय तथा विवाहितों के लिए आवास और निर्माण में अन्य परिवर्तन जो आवश्यक थे, के कारण परियोजना में विलंब हुआ।

(घ) भवन का निमार्ण-कार्य एक वर्ष के भीतर शुरू हो जाने की संभावना है

[अनुवाद]

एशियाई विकास बैंक ऋण से रेल परियोजनाएं

4987. श्री सनत कुमार मंडल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में एशियाई विकास बैंक ऋण से आरंभ की जाने वाली रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं पर कब तक कार्य आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने की समयावधि क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) पश्चिम बंगाल में ऐसी कोई रेल परियोजनाएं नहीं हैं जिसके लिए निधि की व्यवस्था एशियाई विकास बैंक के माध्यम से की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गांधी स्मृति और दर्शन समिति

4988. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:
श्री अशोक अर्गल:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान गांधी स्मृति और दर्शन समिति में निमार्ण कार्यों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ख) इन कार्यों को पूरा करने के लिए नियुक्त कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्माण कार्य आरंभ करने से पूर्व निविदाएं आमंत्रित की गयी थी;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

प्रिंट मीडिया नीति

4989. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 2004 में सरकार ने प्रिंट मीडिया नीति पर व्यापक विचार करने के लिए मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) का पैनल बनाने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्री समूह ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गयी है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) मंत्रीमण्डल ने दिनांक 29 सितम्बर, 2004 को हुई अपनी बैठक में प्रेस एवं पुस्तक पंजीयन अधिनियम, 1867 में किए गए संशोधन को ध्यान में रखते हुए निदेश दिया कि इस मामले पर पहले मंत्री-समूह द्वारा विचार किया जाए। तद्नुसार, सरकार ने एक मंत्री-समूह का गठन किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन

4990. श्री गणेश सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन पर कितना कार्य किया गया है;

(ख) क्या उक्त रेल लाइन पर केवल एक ओर से कार्य पूरा किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सतना, रीवा और सिंगरौली की ओर से भी कार्य आरंभ करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) ललितपुर-सिंगरौली और महोबा से खजुराहो के बीच नयी बड़ी लाइन के निर्माण का कार्य चरणों में शुरू किया गया है और पहले चरण में ललितपुर-महोबा और खजुराहो-महोबा के कार्य प्रगति पर है। खंडों पर भूमि अधिग्रहण, मिट्टी एवं पुल निर्माण संबंधी कार्य प्रगति पर है। 8.83 लाख घन मीटर मिट्टी संबंधी कार्य, 31 छोटे पुलों का निमार्ण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। शेष खंड अर्थात् खजुराहों-सतना और रीवा-सिंगरौली में अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। संरेखण के निर्धारित होने तथा अनुमान के स्वीकृत हो जाने के बाद संसाधनों को उपलब्धता के मद्देनजर इन खंडों पर कार्य शुरू किया जाएगा। 2005-06 के बजट में इस परियोजना के लिए 25 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

भूतपर्व सैनिक समूह स्वास्थ्य योजना (ई.जी.एच.एस.) औषधालय खोले जाना

4991. श्री बापू हरी चौरे: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में भूतपूर्व सैनिक समूह स्वास्थ्य योजना (ई.जी.एच.एस.) के अंतर्गत अब तक खोले गए औषधालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वित्त वर्ष में कितने ई.जी.एच.एस. औषधालय खोले जाने का प्रस्ताव है और ये कहां-कहां खोले जाएंगे; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितनी धनराशि मंजूर की गयी और खर्च की गयी?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य में अब तक खोले गए 12 ई सी एच एस पोलिक्लीनिकों का ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है। चालू वित्त वर्ष (2005-06) के दौरान महाराष्ट्र राज्य में खोले जाने के लिए प्रस्तावित ई सी एच पोलिक्लीनिकों की संख्या तथा उनके स्थानों का ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ग) यह योजना 1 अप्रैल, 2003 से चालू की गई थी। गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ई सी एच एस के लिए आबांटित तथा खर्च की गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

	आबांटित राशि	खर्च की गई राशि
2003-2004		
(क) पूंजी	15.0 करोड़ रुपए	शून्य
(ख) राजस्व	150.0 करोड़ रुपए	17.22 करोड़ रुपए
2004-2005		
(क) पूंजी	17.98 करोड़ रुपए	17.98 करोड़ रुपए
(ख) राजस्व	93.42 करोड़ रुपए	93.42 करोड़ रुपए

विवरण I

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अब तक महाराष्ट्र में खोली गई डिस्पेंसरियों (पोलिक्लीनिक) का ब्यौरा

क्र.सं.	क्षेत्रीय केन्द्र	पोलिक्लीनिक	प्रकार	सैन्य/गैर-सैन्य
1.	पुणे	सतारा	ए	गैर-सैन्य
2.	पुणे	कोल्हापुर	बी	गैर-सैन्य
3.	पुणे	मुम्बई	बी	सैन्य
4.	पुणे	पुणे	बी	सैन्य
5.	पुणे	नागपुर	सी	सैन्य
6.	पुणे	आकोला	डी	गैर-सैन्य
7.	पुणे	नासिक (देवलाली)	डी	गैर-सैन्य
8.	पुणे	औरंगाबाद	डी	सैन्य
9.	पुणे	शोलापुर	सी	गैर-सैन्य
10.	पुणे	अहमदनगर	सी	सैन्य
11.	पुणे	मुंबई (उपनगर) पोवाई	डी	सैन्य
12.	पुणे	बुलडाना	डी	गैर-सैन्य

विवरण II

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष (2005-06) के दौरान महाराष्ट्र में खोले जाने के लिए प्रस्तावित डिस्पेंसरियों (पोलिक्लीनिककों) का उनके स्थान सहित ब्यौरा

क्र.सं.	क्षेत्रीय केन्द्र	पोलिक्लीनिक	प्रकार	सैन्य/गैर-सैन्य
1	2	3	4	5
1.	पुणे	सांग्ली	बी	गैर-सैन्य
2.	पुणे	रत्नागिरि	सी	गैर-सैन्य

1	2	3	4	5
3.	पुणे	सिंधुदुर्ग	सी	गैर-सैन्य
4.	पुणे	थाणे	सी	गैर-सैन्य
5.	पुणे	अमरावती	डी	गैर-सैन्य
6.	पुणे	जलगांव	डी	गैर-सैन्य
7.	पुणे	ओसमनाबाद	डी	गैर-सैन्य
8.	पुणे	अलीबाग	डी	गैर-सैन्य
9.	पुणे	लातूर	डी	गैर-सैन्य

राजस्थान में विमान सेवाएं

4992. श्री कैलाश मेघवाल: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार से राजस्थान में उद्योगों और पर्यटन के विकास की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विमान सेवाओं के विस्तार और सुधार संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) राजस्थान सरकार तथा अन्यों से जयपुर-बैंगलोर-जयपुर मार्ग पर विमान सेवाएं आरम्भ करने; जयपुर तथा हांगकांग के बीच विमान सेवाएं आरम्भ करने; बीकानेर तथा कोटा के लिए विमान सेवाएं आरम्भ करने; राजस्थान के लिए/के भीतर विमान सेवाओं में वृद्धि करने, उदयपुर-औरंगाबाद सेक्टर पर विमान यातायात सेवाएं बहाल करने; जयपुर तथा चण्डीगढ़ के बीच सीधी उड़ान आरम्भ करने आदि के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) इंडियन एयरलाईस ने पहले ही राजस्थान के पर्यटन बिन्दुओं यथा जोधपुर, जयपुर तथा उदयपुर को विमान मार्ग द्वारा जोड़ने की सुविधा सुलभ करा दी है। इंडियन एयरलाईस जयपुर को सिंगापुर, बैंकाक तथा दुबई से भी जोड़ती है। इंडियन एयरलाइंस, विमानों की कमी, अपर्याप्त यातायात संभावना, वाणिज्यिक दृष्टि से प्रचालनों का लाभकारी न होना जैसे विभिन्न कारणों के मद्देनजर उन विमान सेवाओं को आरम्भ करने/बहाल करने में सक्षम नहीं है, जिनके लिए अनुरोध किया गया था।

बहरहाल सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान यातायात की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विमान यातायात सेवाओं के बेहतर विनियमन की दृष्टि से मार्ग संवितरण संबंधी दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। बहरहाल, यह एयरलाइन पर निर्भर करता है कि वह यातायात की मांग तथा वाणिज्यिक लाभकारिता के मद्देनजर विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं प्रदान करे। अतएव, एयरलाइनें देश के किसी भी भाग में प्रचालन के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि वे सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करें।

महाराष्ट्र में नए रेलवे स्टेशन

4993. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में विशेषकर हिरोज (जिला शोलापुर) में नए रेलवे स्टेशन स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निजी-विमान कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्ग खोला जाना

4994. **श्री बची सिंह रावत ''बचदा'':** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निजी विमानन कम्पनी जैट एयरवेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायुमार्ग खोलने और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए मार्ग अधिकार प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार अन्य निजी विमान कम्पनियों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय वायुमार्ग खोलने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जेट एयरवेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायुमार्गों को खोले जाने के निर्णय की घोषणा उसी दिन की गई थी जब जेट एयरवेज ने एक्विटी संबंधी अपना पब्लिक ऑफर जारी किया था जिसे उसी दिन इक्विटी ओवरसब्सक्राइब हो गई;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा निजी विमान कम्पनियों के पक्ष में ऐसे निर्णयों की घोषणा न करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/ उठाये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) भारतीय अनुसूचित वाहक जो घेरलू सेक्टर में न्यूनतम 5 वर्षों से निरंतर प्रचालन कर रहे हैं और जिनके विमान बेड़े में कम से कम 20 विमान हैं, उन्हें यू. ए. ई., कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत तथा सऊदी अरब को छोड़कर अन्य सभी अंतर्राष्ट्रीय रूटों पर प्रचालन करने की अनुमति प्रदान की गई है। अब तक निम्नलिखित नजी वाहनों को अंतर्राष्ट्रीय रूटों पर प्रचालन करने का अधिकार दिया गया है:

जेट एयरवेज: श्रीलंका, नेपाल, बंग्लादेश, यू.के., बेल्जियम, यू.एस.ए., मलेशिया, सिंगापुर।

एयर सहारा: श्रीलंका, नेपाल, बंग्लादेश, यू.के. मलेशिया, सिंगापुर।

(घ) से (च) पात्र भारतीय अनुसूचित वाहकों को अंतर्राष्ट्रीय रूटों पर प्रचालन करने की अनुमति देने का निर्माण कुछ समय से सरकार के पास विचाराधीन था तथा नरेश चन्द्र समिति द्वारा की गई सिफारिशों में भी यह एक सिफारिश थी। यह निर्णय सभी पात्र निजी वाहकों पर समान रूप से लागू होता है तथा जेट एयरवेज के पब्लिक ऑफर से इसका कोई संबंध नहीं है।

समुद्री पुरातत्व विज्ञान

4995. **श्री के.सी. पलनिसामी:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा समुद्री पुरातत्व के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने देश में संग्रहालयों का उन्नयन करने के लिए कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2004-05 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की विभिन्न गतिविधियों के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबांटित की गयी और वर्ष 2005-2006 के लिए कितनी धनराशि का प्रस्ताव किया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भा.पु.स.) में समुद्री स्कन्ध की स्थापना 2001 में की गई थी तथा उसने पुरातत्वीय अन्वेषणों का कार्य शुरू किया और उत्खननों के लिए क्षेत्रों की पहचान की। सत्र 2001-2002 से 2003-2004 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समुद्री स्कन्ध ने महाबलीपुरम, बंगाल की खाड़ी में अन्वेषण कार्य तथा अरब सागर में लक्षद्वीप के समुद्र में प्रिंसेस रायल के पोत अवशेषों के उत्खनन का कार्य भारतीय नौसेना के सहयोग से किया है। एलीफैंटा द्वीप, कावेरीपट्टनम, पांडिचेरी, अरिकामेडू तथा महाबलीपुरम् में भी समुद्र तट से दूर तथा तट पर अन्वेषण किए गए थे।

शैक्षिक वातावरण का विस्तार करने के लिए समुद्री स्कन्ध ने मार्च 2005 में समुद्री दाय पर भारतीय नौसेना के साथ अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी को आयोजित किया।

(ख) और (ग) पुरातत्वीय स्थल संग्रहालयों का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है तथा जन-सुविधाओं, संग्रहालय संबंधी वस्तुओं का बेहतर प्रदर्शन तथा लोकप्रिय साहित्य के प्रकाशन के बारे में विभिन्न मदों संबंधी कार्य समय-समय पर किया जाता है।

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभिन्न कार्यों के लिए सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-2005 के दौरान 224.24 करोड़

रुपए और वित्तीय वर्ष 2005 2006 के लिए कुल 251.00 करोड़ रुपए की निधि का नियतन किया गया।

भाप के इंजनों को पुनः आरंभ किया जाना

4996. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने ऐसे मार्गों की पहचान करने के लिए कृतक बल गठित किया है जिन पर भाप के इंजन पुनः आरंभ किए जा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में इस कृतक बल ने मार्गों की पहचान कर ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ पर्यावरणविदों ने रेलवे द्वारा भाप के इंजनों को पुनः आरंभ किए जाने के संबंध में अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) रेलवे की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

कम लागत वाले पेट्रोल पंप

4997. श्री सी. कुप्पुसामी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसान वितरण केन्द्र स्कीम के अंतर्गत कम लागत वाले पेट्रोल पंप लगाने हेतु सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों को निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए डीलर चयन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार योजना को सफल बनाने हेतु ऐसे पेट्रोल पंपों के लिए डीलरों के मामले में बहुविकल्पी डीलरशिप मानदंडों में छूट देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो ऐसे पेट्रोल पंपों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (च) जहां सरकार ने "किसान वितरण केन्द्र योजना" के नाम से निम्न लागत वाले पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को निर्देश नहीं दिए हैं ओएमसीज से कहा गया है कि वे कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु और ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल/डीजल की आवश्यकता को पूरा करने हेतु एक व्यापार माडल विकसित करने के लिए अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए एक सर्वेक्षण करें। सरकार ने ओएमसीज को देश में बैरल केन्द्रों/अप्राधिकृत पंपों के बदले निम्न लागत वाले खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित किए जाने के संबंध में एक एप्रोच पेपर का प्रारूप तैयार करने की सलाह दी है।

इस बीच इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2005-06 के दौरान अपनी स्वयं की नीति के अनुरूप "किसान सेवा केन्द्र" नाम के तहत ग्रामिण क्षेत्रों में खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए उपायों की शुरूआत की है।

[हिन्दी]

विज्ञापनों पर व्यय की गई राशि

4998. श्री मुनव्वर हसन: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक विभिन्न सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के दिल्ली स्थित कार्यालयों द्वारा विज्ञापनों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या विज्ञापन पंजीकृत ठेकेदारों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए;

(ग) यदि हां, तो क्या सभी ठेकेदारों के नाम इन तेल कंपनियों के दिल्ली स्थित कार्यालयों में पंजीकृत थे;

(घ) क्या ठेके और पंजीकृत ठेकेदारों को भी दिए गए थे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गैर-पंजीकृत ठेकेदारों को विज्ञापन ठेके पर दिए जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

संगमेशवाड़ा मंदिर का आप्लावन

4999. **श्री जी. वी. हर्ष कुमार:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित सदियों पुराना संगमेशवाड़ा मंदिर स्थायी आप्लावन का सामना कर रहा है जैसा कि दिनांक 26 दिसंबर, 2004 के 'हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा संगमेशवाड़ा मंदिर को बचाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) बी. टनड्डापड्डू, करनूल ताल्लुक करनूल जिला स्थित रुपाला संगमेश्वर मंदिर का पुन: निर्माण राज्य सरकार द्वारा श्री सलेम परियोजना के दौरान किया गया था। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के परिरक्षण में नहीं है तथा इसके डूबने का कोई खतरा नहीं है।

महबूब नगर जिला स्थित कुदाली संगमेश्वर नामक अन्य मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सुरक्षित ऊंचे स्थान पर प्रतिरोपित किया गया था क्योंकि श्रीसेलम परियोजना के निर्माण के कारण यह आप्लावित हो सकता था। इस मंदिर का विखंडन 1979 में शुरू किया गया तथा इसे महबूब नगर जिला, आलमपुर में नवब्रह्मा मंदिर समूह के पश्चिम में प्रतिरोपित किया गया। इसका पुनर्निर्माण वर्ष 1989 में पूरा हुआ था।

(ग) राज्य सरकार ने आलमपुर स्थित मंदिर समूह के निकट तुंगभद्रा नदी के बाएं किनारे के साथ-साथ एक सुरक्षा दीवार का निमार्ण कराया है ताकि बाढ़ का पानी मंदिर समूह को जलमग्न न कर सके।

[हिन्दी]

रेलवे सुरक्षा बल द्वारा वाहनों की खरीद

5000. **श्री महेश कनोडीया:**
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने ऐसे कोई मार्ग-निर्देश जारी किए हैं कि रक्षा/केन्द्रीय पुलिस संगठनों के अलावा कोई केन्द्रीय सरकारी विभाग कोई नए वाहन की खरीद नहीं करेगा, रेलवे सुरक्षा बल और अन्य पर लागू होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय पुलिस संगठन की छत्रछाया में रेलवे सुरक्षा बल ने वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दिसंबर, 2004 में 10 करोड़ रुपए की राशि के नए वाहन खरीदे थे;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच के आदेश दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं; और

(च) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) वित्त मंत्रालय ने सितंबर 2000 में वाहनों की खरीद पर निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। "अग्रिम आदेशों तक नए वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी गई है।" केवल रक्षा, केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों आदि की परिचालनिक आवश्यकताओं को पूरा करने संबंधी अपवादों की अनुमति दी जाएगी। यहां तक कि नकारा वाहनों के बदले नए वाहनों को खरीद भी नहीं की जाएगी। बाहर से प्राइवेट को किराए पर लेने की संख्या को नकारा वाहनों की संख्या तक सीमित किया जाएगा।

(ख) दिसंबर 2003 में रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम और रेल अधिनियम, 1989 में हाल ही में हुए संशोधनों के चलते रेलवे परिसम्पत्ति की सुरक्षा करने के अलावा यात्री और स्टेशन परिसरों के यात्री क्षेत्र की संरक्षा और सुरक्षा करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने सुरक्षा विभाग के लिए 8.94 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 48 अदद बसों, 152 डीजल वाहनों और 119 मोटर साइकिलों की खरीद की है। रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 को वर्ष 1985 में संशोधित किया गया था तथा रेलवे सुरक्षा बल को अधिनियम की धारा 3 के तहत संघ सरकार के सशस्त्र बल के रूप में घोषित किया गया था।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इन्सट्रूमेंटेशन लिमिटेड के लिए पुनरुद्धार पैकेज

5001. **श्री एन.एन. कृष्णदासः**
श्री रघुबीर सिंह कौशलः

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इन्सट्रूमेंटशन लिमिटेड को कितना घाटा हुआ है;

(ख) क्या इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के लिए कोई पुररुद्धार पैकेज सरकार के पास विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त कंपनी के कर्मचारियों को स्थानांतरण का तरीका अपना कर वी.आर.एस. लेने पर बाध्य किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने के प्रस्ताव है;

(च) क्या सरकार का विचार उक्त कंपनी को किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ विलय करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड द्वारा उठाई गई निवल हानि निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

2001-02	2002-03	2003-04
(-) 34.49	(-) 29.18	(-) 29.02

(ख) और (ग) जी, हां। बीआईएफआर के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने बीआरपीएसई के समक्ष कंपनी की वित्तीय पुनर्सरचना का प्रस्ताव करते हुए एक संशोधित पुनरुद्धार स्कीम प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है।

(घ) और (ङ) कंपनी द्वारा परामर्श एवं प्रोत्साहन से स्वैच्छिक सेवानिवृति स्कीम (वीआरएस) के माध्यम से अतिरिक्त कर्मचारियों को यौक्तिकीकृत किया गया है। कर्मचारी वीआरएस अपना रहे हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति की सूची में धोबी समुदाय को शामिल करना

5002. **श्री के. सुब्बारायणः**
श्री एस. के. खारवेनथनः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु में धोबी समुदाय को केवल कन्याकुमारी जिले और तिरूनेलवेली जिले की सेनकोट्टई तहसील में अनुसूचित जाति वर्ग में रखा गया है जबकि राज्य के अन्य भागों में इसे अन्य पिछड़े वर्ग में रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य के पूरे धोबी समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने हेतु राज्य सरकार और विभिन्न पक्षों से कोई अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पूरे देश में धोबी समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं। तमिलनाडु में धोबी को न तो संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के अनुसार विनिर्दिष्ट किया गया है न ही उसे तमिलनाडु की अनुसूचित जातियों की केन्द्रीय सूची में शामिल किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। धोबी समुदाय को तमिलनाडु की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए इस समुदाय के कुछ संघों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

अम्बेडकर फाउंडेशन द्वारा अ.जा./अ.जन.जा. को वित्तीय सहायता

5003. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री एम. शिवन्ना:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अम्बेडकर फाउंडेशन कैंसर, ह्रदय आदि रोगों के उपचार के लिए अ.जा. एवं अ.जन.जा. के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या अम्बेडकर फाउंडेशन से सभी राज्यों के अ.जा./अ.जन.जा. के लोग वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और वे कौन से राज्य हैं जिनके अ.जा./अ.जन.जा. के लोग वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं; और

(घ) शेष राज्यों के अ.जा./अ.जन.जा. के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (घ) डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान गुर्दा, ह्रदय, यकृत, कैंसर और मस्तिष्क से संबंधित गंभीर रोगों से पीड़ित या जीवन को खतरा पहुंचाने वाले कोई अन्य रोग ग्रस्त अनुसूचित जातियों के रोगियों को चिकित्सा उपचार हेतु वित्तीय साहयता प्रदान कर रहा है। इस समय, निम्नलिखित अस्पतालों के माध्यम से सभी अनुसूचित जातियों के लिए यह योजना कार्यान्वित की जा रही है;

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली;
2. संजय गांधी स्नातकोत्तर संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश;
3. पटना चिकित्सा कालेज अस्पताल, पटना बिहार;
4. जबलपुर अस्पताल तथा अनुसंधान केन्द्र जबलपुर, मध्य प्रदेश;
5. बी. बरूआ कैंसर संस्थान, गुवाहाटी, असम;
6. बिड़ला ह्रदय रोग प्रतिष्ठान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल;
7. कलिंग अस्पताल लि., चन्द्र शेखरपुर, भुवेनश्वर, उड़ीसा;
8. टाटा कैंसर अनुसंधान संस्थान, मुम्बई;
9. निजाम चिकित्सा विज्ञान संस्थान, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश, और
10. वोलंटरी स्वास्थ्य सेवाएं, चेन्नई।

5004. श्री ज्योतिरादित्य माधवराज सिंधिया: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2004-05 के दौरान भारत में यूनेस्को से मान्यता प्राप्त विरासत स्थलों के रखरखाव को अपने हाथों में लिया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 के दौरान उनमें से प्रत्येक के रखरखाव तथा अनुरक्षण पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) इन विरासत स्थलों के रखरखाव तथा अनुरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2004-05 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन प्रत्येक विश्वदाय स्थल के देख-भाल तथा रख-रखाव पर किया गया व्यय का ब्यौरा विवरण संलग्न में दिया गया है।

(ग) विश्वदाय स्थलों की देख-भाल तथा रख-रखाव को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी विश्वदाय स्थलों के संबंध में विस्तृत स्थल प्रबंधन योजनाएं तैयार कर रहा है। स्थल प्रबंधन योजनाओं को अंतिम रूप दिए जाने तक, नियमित परिक्षण तथा संरक्षण उपाए किए जा रहे हैं जिनमें आवधिक/संरचनात्मक मरम्मतें, वैज्ञानिक परिक्षण, पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्था तथा पर्यावरणीय विकास शामिल हैं।

विवरण

वर्ष 2004-05 के दौरान विश्वदाय् स्मारकों पर किए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(राशि रुपयों में)

1.	ताज महल, आगरा	1,58,64,661
2.	आगरा किला, आगरा	192,42,625
3.	फतेहपुर सीकरी, आगरा	1,28,35,822
4.	कुतुब मीनार, दिल्ली	39,86,665
5.	हुमायूं का मकबरा, दिल्ली	13,71,327
6.	एलोरा, गुफाएं, औरंगाबाद	89,44,105
7.	अंजता गुफाएं, औरंगाबाद	70,07,945
8.	सूर्य मंदिर, कोणार्क	1,29,25,378
9.	चम्पानेर-पावगढ़ पुरातत्वीय पार्क	37,17,026
10.	स्मारक समूह, पट्टडकल	44,09,437
11.	स्मारक समूह, सांची	9,64,090
12.	स्मारक समूह, खजुराहो	23,82,799
13.	शैलाश्रय, भीम बैठका	6,00,102
14.	एलिफैंटा गुफांए, मुम्बई	23,26,530
15.	गोवा के चर्च तथा कन्वेटें, पुराना गोवा	96,88,350
16.	स्मारक हम्पी	1,15,05,502
17.	महान मंदिर जिनमें पूजा-अर्चना की जा रही है,	16,91,968
	तंजावुर	
	बृहदेश्वर मंदिर का विस्तार	
	(1) ऐरावतेश्वर मंदिर, धुरासुरम	35,71,248
	(2) बृहदीश्वर मंदिर, गंगाइक कोंडाचोलापुरम्	11,17,058
18.	स्मारक समूह, महाबलीपुरम्	62,25,715

[हिन्दी]

पट्टे पर रेल भूमि का आवंटन

5005. श्री बीर सिंह महतो:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन करने हेतु रेल कर्मचारियों को पट्टे पर रेल भूमि का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और रेल कर्मचारियों को पट्टे पर रेल भूमि प्रदान करने के क्या कारण हैं;

(ग) किस दर पर पट्टे पर भूमि प्रदान की गई है; और

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान इस दिशा में जोन-वार कितना कार्य किया गया?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। भूमि को पट्टे पर नहीं दिया गया है। बहरहाल, बहुमूल्य रेलवे भूमि को अतिक्रमण से बचाने की दृष्टि से, इस केवल समूह 'ग' और 'घ' श्रेणी में काम करने वाले रेल कर्मचारियों को खेती करने के लिए यथा सब्जियां आदि उगाने के लिए चिह्नित शहरी क्षेत्रों में लाइसेंस आधार पर दिया जा सकता है।

ऐसे मामले में लाइसेंस शुल्क का निर्धारण उस भूमि से राजस्व उगाहने की क्षमता के आधार पर किया जाएगा और यह कर्मचारी द्वारा कमाए जाने वाले संभावित वार्षिक राजस्व का एक चौथाई से एक तिहाई के बीच होगा।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वैगनों की आवश्यकता

5006. श्री रूपचन्द मुर्मू:
श्री अनन्त नायक:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दसवीं योजना तक देश में वैगनों की आवश्यक संख्या के बारे में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समय वैगनों की आवश्यकता और उपलब्धता के बची भारी अंतर है; और

(घ) यदि हां, तो वैगनों की कमी को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) 10वीं योजना के लिए रेलवे ने टर्मिनल वर्ष 2006-07 के लिए प्रस्तावित राजस्व अर्जन 624 मिलियन टन के प्रारंभिक माल लदान पर आधारित 65 हजार माल डिब्बों (चौपहिया इकाइयों के हिसाब से) की आवश्यकता का अनुमान लगया है। सुनियोजित माल लदान के लिए 10वीं योजना की मध्यावधि समीक्षा में माल डिब्बों की खरीद में संशोधन करके 94214 माल डिब्बे (चौपहिया इकाइरों के हिसाब से) कर दिया गया है।

(ग) और (घ) माल डिब्बों की आवश्यकता का मूल्यांकन मोटे तौर पर पंचवर्षीय अवधि के लिए किया जाता है और किसी वर्ष विशेष में ढोये जाने वाले प्रत्याशित माल यातायात की मात्रा के मद्देनजर सालाना आधार पर इसमें फेरबदल किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के खराब निष्पादन के बावजूद चौपहिया इकाइयों के हिसाब से 10वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में माल डिब्बों का कुल उत्पादन 53148.5 माल डिब्बे की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है।

[हिन्दी]

रक्षा भूमि का अतिक्रमण

5007. **श्री मोहन सिंह:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोरखपुर मंडल में माफिया ग्रुपों द्वारा रक्षा भूमि के बड़े क्षेत्र का अतिक्रमण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई आकलन किया है कि उसकी कितनी भूमि अनधिकृत कब्जे में है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे अतिक्रमण को हटाने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) गोरखपुर मंडल में किसी रक्षा भूमि पर माफिया समूहों द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है। तथापि, 30.45 एकड़ क्षेत्र राज्य सरकार प्राधिकरणों के कब्जे में हैं तथा कैंपिंग ग्राउंड में से 4.17 एकड़ भूमि पर निजी व्यक्तियों ने अतिक्रमण किया हुआ है। ये अतिक्रमण 20 वर्ष पुराने हैं। निजी अतिक्रमणों के अधीन भूमि इस प्रकार है:

मंदिर	-	0.27 एकड़
दुकानें तथा मकान	-	0.934 एकड़
मोरारी इंटर कॉलेज	-	2.84 एकड़
अन्य निजी व्यक्ति	-	0.129 एकड़

वायुसेना स्टेशन, गोरखपुर में अतिक्रमण के चार मामले हैं जिनमें कुल 18.75 एकड़ भूमि अंतर्ग्रस्त है।

(घ) गोरखपुर मंडल में कैंपिंग ग्राउंड से संबंधित भूमि, रक्षा सेवाओं की आवश्यकता से अधिशेष घोषित कर दी गई है ताकि उसका मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार निपटान किया जाना है। वायुसेना स्टेशन, गोरखपुर में अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई थी। तथापि, यह मामला अब न्याय-निर्णयाधीन है तथा इस समय इलाहाबाद उचच न्यायालय में लंबित है।

बिहार में धुरा और पहिया कारखाना

5008. **श्री सुशील कुमार मोदी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार में हरनौत में यात्री डिब्बे कारखाने और छपरा में धुरा और पहिया कारखाने की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) इस संबंध में हुई प्रगति की क्या स्थिति है; और

(घ) इन परियोजनाओं का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) बिहार में हरनौत में सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना और छपरा में पहिया विनिमार्ण संयंत्र के लिए परियोजनाएं स्वीकृत हो गई हैं।

(ख) इन परियोजनाओं की प्रत्याशित लागत क्रमश 98.74 करोड़ रुपए और 470.09 करोड़ रुपए है।

(ग) विस्तृत योजनाएं और अनुमान तैयार किए जा रहे हैं/अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) विस्तृत योजनाओं और अनुमानों के स्वीकृत होने पर ही इन परियोजनाओं के पूरा होने के संबंध में पता चलेगा।

[अनुवाद]

उत्पादन इकाइयों का आधुनिकीकरण

5009. **श्री टी.के. हमजा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास अपनी उत्पादक इकाइयों के आधुनिकीकरण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) उत्पादन इकाइयों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और जब कभी प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं में परिवर्तन होता है तथा जब आवश्यकता पड़ती है तो विशिष्ट क्षेत्रों में इनपुट निवेश किए जाते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

जलपाईगुड़ी में दूरदर्शन केन्द्र

5010. **श्री जोवाकिम बखला:**
श्री हितने बर्मन:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जलपाईगुडी स्थित दूरदर्शन केन्द्र का कई वर्षों से क्षमता से कम उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि जलपाईगुडी स्थित दूरदर्शन केन्द्र में कर्मचारियों की कमी की वजह से कार्यक्रमों का प्रसारण प्रभावित होता है और इन्हें कोलकाता से प्रसारित किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त केन्द्र स्वयं के कार्यक्रम कब तक प्रसारित करना आरम्भ कर देगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। ऐसा इसके पूर्ण संचालन हेतु अपेक्षित पूरी संख्या में स्टाफ स्वीकृत न किए जाने के कारण है।

(ग) और (घ) जलपाईगुड़ी में कार्यक्रम निमार्ण सुविधा को दूरदर्शन केन्द्र, कोलकाता और डी डी बंगला उपग्रह चैनल के लिए स्थानीय क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों का निर्माण करने के लिए स्थापित किया गया है। उपर्युक्त कार्यक्रमों के अलावा जलपाईगुड़ी कार्यक्रम निर्माण सुविधा जलपाईगुड़ी क्षेत्र को कवर करने वाले निकटवर्ती उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, कुर्सियांग से प्रसारण हेतु नैराकास्टिंग पद्धति के अंतर्गत कृषि और संबद्ध विषयों पर प्रति सप्ताह प्रति आधे घंटे के पांच कार्यक्रमों का निर्माण कर रहा है।

(ङ) इस स्थिति में कोई समय-सीमा इंगित नहीं की जा सकती है।

रेलवे टिकट प्रतिदाय के लंबित मामले

5011. **श्री जे.एम. आरून रशीद:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे के समक्ष जोन-वार रेलवे टिकट प्रतिदाय के कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) जनवरी, 2004 से आज की तिथि तक जोन-वार टिकट प्रतिदाय की कुल बकाया राशि कितनी है; और

(ग) रेल टिकटों के प्रतिदाय की वापसी तीव्र करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) 31.3.2005 को क्षेत्रीय रेलों के पास रेलवे टिकट धन वापसी के लंबित मामलों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:

रेलवे का नाम	टिकट धन वापसी के लंबित मामलों की अनुमानित संख्या
1	2
मध्य	1059
पूर्व	204

1	2
पूर्व मध्य	538
पूर्व तट	187
उत्तर	3323
उत्तर मध्य	6318
पूर्वोत्तर	164
पूर्वोत्तर सीमा	4584
उत्तर पश्चिम	295
दक्षिण	491
दक्षिण मध्य	979
दक्षिण पूर्व	856
दक्षिण पूर्व मध्य	442
दक्षिण पश्चिम	619
पश्चिम	481
पश्चिम मध्य	5673

इन मामलों में धन वापसी की बकाया राशि की पहले से गणना करना संभव नहीं है क्योंकि धन वापसी की राशि दावे की यथार्थता के आधार पर मामला-दर-मामला भिन्न होती है।

(ग) रेलों को प्राथमिकता के आधार पर धन वापसी के सभी लंबित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में रेल की पटरी बिछाना

5012. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में बैंगलोर-तुमकुर-चित्रदुर्गा-दावणगेरे रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(घ) यह कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है; और

(ङ) कोई भी सर्वेक्षण न करने के क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) चित्रदुर्ग के रास्ते तुमकूर से दावणगेरे तक नई लाइनों के निर्माण के लिए सर्वेक्षण वर्ष 1998-99 के दौरान पूरा कर लिया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 195.76 किमी. लंबी लाइन के निर्माण की लागत (-) 51.376 प्रतिफल की दर से 299.59 करोड़ रु. आंकी गई थी। चालू परियोजनाओं के भारी थ्रोफार्वर्ड और संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।

लौह स्तम्भ पर अनुसंधान

5013. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिकों के समूह ने कुतुब मीनार परिसर में स्थित लौह स्तम्भ पर और अधिक अनुसंधान की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) वर्ष 1998 में, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र कल्पक्कम द्वारा लौह स्तम्भ के गैर-विध्वंसक मूल्यांकन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की परियोजना के कार्य का दायित्व किया गया था। भारतीय प्रौद्योगिकी विभाग की परियोजना के कार्य का दायित्व लिया गया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के वैज्ञानिकों को भी इस अनुसंधान में सहयोजित किया गया था। उपर्युक्त संगठनों के वैज्ञानिकों ने 11 मार्च 2005 को आयोजित बैठक में लौह स्तम्भ पर आगे अनुसंधान का सुझाव दिया है। तथापि, इस संबंध में, सरकार को कोई औपचारिक अनुरोध अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) लौह स्तम्भ पर गैर-विध्वंसक परीक्षण द्वारा आगे अनुसंधान के लिए यदि कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर विचार किया जाएगा।

रेलवे में खेलों को बढ़ावा देना

5014. श्री अनन्त नायक: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खेलों को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने क्या प्रयास किए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान क्या उपलब्धियां रही; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खेलों को बढ़ावा देने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय रेल ने खेलकूद ने संवर्धन के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती की है और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उन्हें बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई हैं। रेलवे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन जैसे बिना बारी के पदोन्नति, अतिरिक्त वेतन वृद्धि और नकद पुरस्कार भी मुहैया कराती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय रेल ने विभिन्न वर्गों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय टीम के लिए कई खिलाड़ी दिए हैं और देश द्वारा जीते गए कुल पदकों में रेलों का योगदान 50 प्रतिशत से अधिक है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलकूल प्रतियोगिताओं में भारतीय रेल की टीम ने कुल 115 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया जिनमें से 51 प्रतिस्पर्धाओं में विजेता रही और 33 प्रतिस्पर्धाओं में उप विजेता रही।

(ग) क्षेत्रीय रेलों द्वारा कर्मचारी कल्याण और खेलकूद के संवर्धन के लिए खर्च की गई राशि के अलावा, पिदले तीन वर्षों के दौरान रेलवे खेलकूद संवर्धन बोर्ड के माध्यम से भारतीय रेल द्वारा केवल ेलकूद गतिविधियों और खेलकूल के संवर्धन के लिए लगभग 20.28 करोड़ रुपए खच्र किए गए हैं।

शिमला विमानपत्तन का विकास

5015. डा. कर्नल (सेवानिवृत) धनीराम शांडिल्य: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न गन्तव्यों के लिए और अधिक उड़ानों के प्रचालन के उद्देश्य से शिमला विमानपत्तन को प्रोन्नत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शिमला स्थित एयरपोर्ट, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का है और अच्छे मौसम में 20 सीटों वाले विमान के प्रचालन के लिए उपयुक्त है। स्थल संबंधी बाधाओं के कारण इस हवाईअड्डे के रनवे का विस्तार किए जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर भारत के संरक्षित स्मारक/सांस्कृतिक विरासत स्थल

5016. श्री रामचन्द्र पासवान:
श्री सूरज सिंह:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर भारत में संरक्षित स्मारकों/सांस्कृतिक विरासत के स्थलों का रख-रखाव दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो इन संरक्षित स्मारकों/सांस्कृतिक विरासत के स्थलों के संरक्षण के लिए सरकार ने क्या उपाए किए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि मंसाधनों ओर सरकारी अनुदान के अभाव में मिथिलांचल की मिथिला चित्रकला और विभिन्न सांस्कृतिक विरासतें फल-फू ल नहीं रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में 77 केन्द्रीय संरक्षित स्मारक हैं जिनकी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उचित देखभाल तथा परिक्षण किया जाता है।

भारती पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारकों के संबंध में नियमित संरक्षण तथा परीक्षण कार्यों को करता है जिसमें वार्षिक रखरखाव, विशेष मरम्मतें, रसायनिक परिरक्षण तथा पर्यावरणीय विकास कार्यक्रम शामिल हैं। उत्तर-पूर्वी भारत के स्मारकों के रखरखाव तथा संरक्षण पर वर्ष 2004-2005 के दौरान 156.16 लाख रुपए व्यय किए गए।

(ग) मिथिलांचल में कोई केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं है। मिथिला चित्रों तथा अन्य सांस्कृतिक दाय के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जाली दस्तावेजों के आधार पर सेना में भर्ती

5017. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
श्री सुनिल कुमार महतो:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री तथागत सत्पथी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने सेना में भर्ती होने के इच्छुक व्यक्तियों को जाली निवास प्रमाण-पत्र और शपथ-पत्र की आपूर्ति करने वाले गिरोह का भण्डाफोड़ किया है, जैसा कि दिनांक 14 अप्रैल, 2005 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त गिरोह में संलिप्त सेना के अधिकारियों की संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) जाली दस्तावेजों के आधार पर विगत में कितने व्यक्तियों की भर्ती की गई; और

(ङ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) मीडिया की रिपोर्ट है कि स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों ने ऐसे तीन व्यक्तियों को पकड़ा है जो उम्मीदवारों को भर्ती-क्षेत्र से दूर, भर्ती के लिए जाली अधिवास प्रमाण-पत्र जारी कर रहे थे।

(ख) इस मामले की स्थानीय पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) सेवारत सेना-कार्मिकों की संलिप्तता के संबंध में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। यदि कोई सेना-कार्मिक संलिप्त पाया जाता है तो कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

(घ) और (ङ) सेना में भर्ती के लिए प्रत्येक उम्मीदवार की स्थिति के सत्यापन हेतु कड़ी प्रणाली अपनाई जा रही है। उम्मीदवार को अंतिम रूप से भर्ती किए जाने से पूर्व, उसके द्वारा प्रस्तुत कागजात पुष्टि के लिए हमेशा उसे जारी करने वाले प्राधिकरण के पास भेजे जाते हैं। यदि किसी भी स्तर पर कागजात जाली पाए जाते हैं तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है और उस उम्मीदवार को सेवामुक्त कर दिया जाता है। इसके अलावा, पारदर्शिता और खुलापन सुनिश्चित करने के लिए, भर्ती प्रक्रिया की सतत समीक्षा की जाती है। कदाचार और दलालों की गतिविधियों को रोकने के लिए चरित्र प्रमाण-पत्रों, पूर्ववृतों और अधिवास प्रमाण-पत्रों के सत्यापन जैसे उपाय भी किए गए हैं।

[अनुवाद]

नई रेलगाड़ियों हेतु सरकारी/निजी क्षेत्र की भागीदारी

5018. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने अपनी दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में रेलवे को नई रेलगाड़ियों हेतु सरकारी/निजी क्षेत्र की भागीदारी (पी.पी.पी.) आरंभ करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने यह भी इंगित किया है कि पी.पी.पी. के उपयोग को पर्यटक गंतव्यों के बीच यात्री रेलगाड़ियों और कोलियरिज एवं विद्युत स्टेशनों जैसे विशिष्ट स्थानों के बीच मालगाड़ियों के लिए अनुमति दी जा सकती है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में योजना आयोग के सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे ने योजना आयोग के सुझावों को स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन्हें लागू करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) योजना आयोग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में अपने ड्राफ्ट अध्याय में पर्यटक गंतव्यों के लिए सवारी गाड़ियों के स्वामित्व और उनकी मार्केटिंग एवं विनिर्दिष्ट स्थलों के बीच निजी मालगाड़ियों के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी पर एक पैरा शामिल किया था।

बहरहाल, रेलवे ने पहले पर्यटन गाड़ियों के संचलन सहित रेल आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी उपायों के लिए भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम की स्थापना की है। रेलवे "पैलेस ऑन व्हील्स" और "डेक्कन ओडिसी" के पैटर्न पर पर्यटन गाडियां चलाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ संपर्क कर रही है। माल यातायात में निजी भागीदारी के लिए रेलवे ने पहले ही कंटेनर किस्म का परिचालन शुरू करने और मालडिब्बा निवेश योजनाएं लागू करने का निर्णय लिया है। बंदरगाहों से संपर्कता कायम करने में निजी भागीदारी के लिए निगम जैसी विशेष प्रयोजन योजना स्थापित की जा रही है।

रेलवे ने योजना आयोग को मध्यावधि मूल्यांकन पर ड्राफ्ट अध्याय पर अपनी टिप्पणी में यह सुझाव दिया है कि निजी पर्यटक और मालगाड़ियों के संबंध में किए गए जिक्र को शामिल ने किया जाए।

भारतीय पुनर्वास परिषद

5019. **श्री एम. शिवन्ना:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय पुनर्वास परिषद की संरचना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) परिषद के अध्यक्ष तथा सदस्यों के चयन के लिए क्या मानदंड/तरीके अपनाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) भारतीय पुर्नवास परिषद अधिनियम, 1992 के अनुसार भारतीय पुनर्वास परिषद की संरचना और 2000 में किए गए इसके उत्तवर्ती संशोधन इस प्रकार हैं:

अध्यक्ष	–	1 (एक)
सदस्य	–	27 (सत्ताइस)
सदस्य-सचिव	–	1 (एक)

(ख) भारतीय पुनर्वास परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति/नामांकन/चयन, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 के उपबंधों और 2000 में किए गए इसके उत्तरवर्ती संशोधन के अनुसार, किया जाता है।

कर्मचारियों की संख्या में कमी

5020. **श्री पी. करूणाकरन:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राकेश मोहन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के मद्देनजर कर्मचारियों की संख्या में कमी के संबंध में कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) राकेश मोहन समिति की सिफारिशें रेल मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रिक्त पद

5021. **श्री प्रशान्त प्रधान:**
श्री रामचन्द्र डोम:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र तथा निदेशक, नहेरू स्मारक संग्रहालय और ग्रंथालय के पद अनेक महीनों से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो ये पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन रिक्त पदों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र में निदेशक की कोई रिक्ति नहीं है। तथापि, नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय में निदेशक का पद 1 मार्च, 2004 से रिक्त है।

(ग) नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय ने इस रिक्ति को नियमानुसार केन्द्रीय रोजगार कार्यालय को अधिसूचित किया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय की कार्य परिषद निदेशक के पद हेतु खोज समिति (सर्च कमिटि) के रूप में कार्य करेगी। निदेशक के पद को भरने की कार्रवाई पहले से ही चल रही है।

रेलवे स्टेशनों पर टिकट जारी करने की सुविधा

5022. **श्री प्रबोध पाण्डा:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान में कुछ रेलवे स्टेशनों पर टिकट जारी करने की सुविधा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन/डिवीजन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन स्टेशनों पर ऐसी सुविधा नहीं होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन स्टेशनों से यात्रियों को मुफ्त में यात्रा करने की अनुमति है;

(ङ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप रेलवे को प्रतिवर्ष कितने राजस्व का नुकसान हुआ; और

(च) इन स्टेशनों पर टिकट जारी करने की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाएंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) टिकट उन्हीं स्टेशनों से जारी किए जाते हैं जहां गाड़ियों का वाणिज्यिक ठहराव मुहैया कराया गया है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फूड प्लाजाओं में खाद्य सामग्री की ऊंची कीमतों पर बिक्री

5023. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलवे स्टेशनों पर नए फूड प्लाजाओं में बिक्री की जा रही खाद्य सामग्री बाजार की तुलना में महंगी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) रेलवे स्टेशनों पर इन फूड प्लाजाओं में खाद्य सामग्री सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं/उठाए जाएंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी नहीं। स्टेशनों पर फूड प्लाजा नियंत्रित मूल्यों पर पहले से मौजूदा खानपान सुविधाओं के अतिरिक्त इस दृष्टि से स्थापित किए गए हैं कि रेलयात्रियों तथा उपयोगकर्त्ताओं के लिए खाने-पीने के बहुत विकल्प हों तथा वे किसी भी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। फूड प्लाजा पर खाद्य पदार्थों के मूल्य बाजार में मौजूदा प्रतियोगी मूल्यों के अनुसार हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एडवांस जेट प्रशिक्षण विमानों का विनिर्माण

5024. **श्रीमती अनुराधा चौधरी:**
श्री मुन्शी राम:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विनिर्मित किए जा रहे एडवांस जेट प्रशिक्षण विमानों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इन्हें सशस्त्र सेनाओं में कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) बी ए ई सिस्टम (ऑपरेशन्स) लिमिटेड से प्राप्त लाइसेंस के तहत हॉक उन्नत जेट प्रशिक्षक विमान के विनिर्माण संबंधी परियोजना कार्य, हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है।

(ख) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में विनिर्मित किए जाने वाले उन्नत जेट प्रशिक्षक विमानों की भारतीय वायुसेना को वर्ष 2007-08 से सुपुर्दगी शुरू करने की योजना है।

[अनुवाद]

तिनधारिया कार्यशाला का पुनरुद्धार

5025. **श्री डी. नरबुला:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की छोटी लाइन तथा तिनधारिया कार्यशाला का आधुनिकीकरण/पुनरुद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेल लाइनों और कारखानों का आधुनिकीकरण/नवीकरण एक सतत प्रक्रिया है और यह कार्य आयु एवं दशा, परिचालनिक आवश्यकताएं और निधियों की उपलब्धता के आधार पर निधियों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

(ख) वर्ष 2004-05 के दौरान दार्जिलिंग-हिमालय रेलवे की छोटी लाइन में लगभग 12 किमी. थ्रू रेल नवीकरण (गौण) टी आर (एस) और 2 किमी. थ्रू स्लीपर नवीकरण (गौण) टी एस आर (एस) कार्य पूरा किया जा चुका है। तिनधारिया कार्यशाला के आधुनिकीकरण/नवीकरण की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

(ग) 1.4.2005 तक 61 किमी. थ्रू रेल नवीकरण (गौण) और 85 किमी. थ्रू स्लीपर नवीकरण (गौण) कार्य अनुमोदित है और इन्हें 2006-07 के अंत तक पूरा कर लिए जाने की योजना है।

[हिन्दी]

भारतीय नौसेना में अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान किया जाना

5026. **श्री सज्जन कुमारः** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सेल शिप्स वाणिज्यिक लाइसेंसधारकों को भारतीय नौसेना में अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने व्यक्तियों को कमीशन दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) सेल शिप्स के वाणिज्यिक लाइसेंसधारी, नौसेना में अल्पकालिक सेना कमीशन हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं बशर्ते वे नौसेना में भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा शिक्षा संबंधी मानदण्ड पूरे करते हों। उनके लिए रिक्तियां निर्धारित नहीं हैं। जो व्यक्ति सेवा चयन बोर्ड में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं तथा योग्यता-क्रम में आते हैं उन्हें अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान किया जाता है।

[अनुवाद]

मैंगनीज आधारित ओक्टेन एनहान्सर का प्रयोग

5027. **कुंवर मानवेन्द्र सिंहः** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ तेल कंपनियां अवैध रूप से मैंगनीज आधारित ओक्टेन एनहान्सर जो मिथाइल साइक्लो-पेन्टाडाइनिल मैंगनीज ट्राईकार्बोनिल (एमएमटी) के नाम से जाना जाता है, का प्रयोग कर रही है जो कि मानव मस्तिष्क तथा वाहन उत्सर्जन प्रणाली के लिए भी हानिकारक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने की प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) सिवाए नुमालीगढ़ रिफाइनरी के जो मोटर स्पिरिट की आक्टेन संख्या में सीमांत वृद्धि के लिए एक कर्तन एजेंट के रूप में एमएमटी की मामूली मात्रा का उपयोग करती है, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनरियां मिथइलसाइक्लोपेंटाडाइनिल मैंगनीज ट्राईकार्बोनिल (एमएमटी) का उपयोग अब नहीं कर रही हैं। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड भी मार्च 2006 तक, जब तक उनके द्वारा मोटर स्पिरिट के उत्पादन के लिए स्थापित की जा रही नई सुविधाएं पूरी हो जाने की संभावना है, एमएमटी का उपयोग बंद कर देगी।

[हिन्दी]

नागरिकों का पुनर्वास

5028. **श्री निखिल कुमार चौधरीः**
श्री रघुराज सिंह शाक्यः

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न छावनी क्षेत्रों से नागरिकों को निकालने से उनके पुनर्वास से संबंधित एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है;

(ख)यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ऐसे नागरिकों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) जी, नहीं। छावनी क्षेत्रों की रक्षा भूमि, सशस्त्र सेनाओं के सक्रिय इस्तेमाल के लिए होती है। रक्षा भूमि पर यदि कोई अतिक्रमण हो, तो उन्हें नियमों के अनुसार बेदखल किया जाता है। रक्षा भूमि से बेदखल किए गए अतिक्रमण करने वालों के पुनर्वार्सस के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जाती है।

[अनुवाद]

श्रीनगर/जम्मू दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा वृत्तचित्र फिल्म

5029. **श्री अब्दुल रशीद शाहीनः** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन केन्द्र श्रीनगर तथा दूरदर्शन केन्द्र जम्मू के लिए वृत्तचित्र फिल्म तथा वीडियो कवरेज के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित कितने वृत्तचित्र बनाए गए; और

(ग) कशीर चैनल द्वारा बनाई गई लघु फिल्मों तथा पूरी लम्बाई वाले वृत्तचित्रों की संख्या कितनी है तथा गत प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान वस्तुत: कितनी धनराशि खर्च की गई?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आबंटित धनराशि निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	2002-2003	05.988
2.	2003-2004	14.7351
3.	2004-2005	19.3797

(ख) और (ग) दूरदर्शन द्वारा निर्मित/प्राप्त किए जा रहे वृत्तचित्रों और फीचरों की संख्या से संबंधित ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विभिन्न श्रेणियों में कार्यक्रमों की कमीशनिंग पर किए गए व्यय से संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	2002-2003	18.6811
2.	2003-2004	20.4402
3.	2004-2005	26.0900

[हिन्दी]

मालगाड़ियों के लिए समय-सारणी

5030. श्री तूफानी सरोज: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मालगाड़ियों के लिए समय-सारणी बनाने तथा उन्हें तदनुसार चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना किस तारीख से क्रियान्वित की जा रही है अथवा क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या उक्त योजना के क्रियान्वयन से यात्री रेलगाड़ियों के आवागमन पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस स्थिति से किस प्रकार से निपटेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एक रैंक एक पेंशन

5031. श्री पी.सी. थामस:
श्री सुरेश चंदेल:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूतपूर्व सैनिक विसंगति हटाने तथा पेंशन में समानता लाने के लिए 'एक रैंक एक पेंशन' फार्मूला लागू करने की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है तथा यह पता लगाने का प्रयास किया है कि राजकोष पर कुल कितनी धनराशि का बोझ पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार का 'एक रैंक एक पेंशन' फार्मूला कब तक लागू करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) इस मामले की जांच के लिए मंत्रियों के एक दल का गठन किया गया है।

[हिन्दी]

विकलांगों के लिए शैक्षिक योजनाएं

5032. श्री ब्रजेश पाठक: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित राज्यों में शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान तथा आल तक कोई विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में बधिर और दृष्टिहीन लोगों के लिए देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में राज्यवार कौन-कौन से विनिर्दिष्ट संस्थान हैं;

(घ) बधिर और दृष्टिहीनों के लिए सरकारी एजेंसियों सहित किन-किन एजेंसियों द्वारा ये संस्थान चलाए जाते हैं; और

(ङ) बधिर और दृष्टिहीनों के कल्याण के लिए विशेषकर उत्तर प्रदेश के गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्तावों तथा इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति का राज्यवार ब्योरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, सरकार वर्ष 2001 से राजय सरकारों के माध्यम से सर्वशिक्षा अभियान कार्यान्वित कर रही है जिसका लक्ष्य वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के विकलांग बच्चों सहित सभी बच्चों को 8 वर्षों की प्रारम्भिक स्कूल शिक्षा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, सरकार 1998-99 से स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने की योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत विशेष स्कूलों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, समुदार आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों, कुष्ठरोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास, मानसिक मंदता, दृष्टि विकलांगता और श्रवण विकलांगता में जनशक्ति विकास कार्यक्रमों, शीघ्र उपचार और स्कूल पूर्व प्रशिक्षण, गृह आधारित प्रशिक्षण आदि जैसी विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान दिया जाता है।

(ग) और (घ) बधिर और दृष्टिहीन के लिए स्कूल चलाने हेतु दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार सरकारी संगठन संलग्न वितरण-I में दिए गए हैं।

(ङ) उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। नये प्रस्तावों को इस योजना के तहत चालू परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के पश्चात उपलबध निधियों को सीमा, गैर-सरकारी संगठनों से सभी आवश्यक दस्तावेज और सूचना की उपलब्धता, उन जिलों में जहां से नये प्रस्ताव आए हैं, योजना के तहत पहले से कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के ब्यौरे के आधार पर आरम्भ किए जाते हैं।

विवरण I

दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत बधिर और दृष्टिहीनों के लिए विशेष स्कूल चलाने वाले गैर-सरकारी संगठनों को राज्यवार ब्यौरा

राज्य	संगठन का नाम
1	2
आंन्ध्र प्रदेश	नवजीवन ब्लाइंड रिलीफ सेंटर, चितूर
	रेहरू युवजन सेवा संगठन, चितूर
	विक्टरी इंडिया चैरिटेबुल ऑफ रेस्क्यू याच चितूर
	हेलेन केलर्स स्कूल फॉर दि डेफ, कुडप्पा
	च्वाइस, ईस्ट गोदावरी
	जियन एजुकेशनल सोसायटी, ईस्ट गोदावरी
	डेफ एंड डम्ब पीपुल सर्विस सोसायटी, खम्माम
	ए हैंडीकैप्ड सर्विस फाउंडेशन, खम्माम
	अन्नम्मा स्कूल फॉर दि हियरिंग एंड फिजीकली हैंडीकैप्ड एंड बेबी केयर सेंटर, कृष्णा

1	2
	इम्मैकुलेट हार्ट ऑफ मेरी सोसायटी, कृष्णा
	वाणी एजुकेशनल एकेडमी, कृष्णा
	वाल्युन्टरी आर्गनाइजेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, कुर्नूल
	रेजीडेंसियल स्कूल फॉर दि ब्लांइड, महबूबनगर
	आशा ज्योति वेल्फेयर एसोसिएशन फॉर दि डिसेबल्ड, नालगोंडा
	सेंट फ्रांसिस एजुकेशनल सोसायटी, नेल्लौर
	प्रगति चैरिटीज, नेल्लौर
	ग्रेसी आर्गनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट सर्विसेज, निजामाबाद
	स्नेहा सोसायटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, निजामाबाद
	चैतन्य महिला मंडली, प्रकाशम
	मदर टेरेसा स्कूल फॉर दि ब्लाइंड, प्रकाशम
	देवनार फाउंडेशन फॉर दि ब्लाइंड रंगारेड्डी
	दुर्गाबाई देशमुख वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर (आन्ध्र महिला सभा) रंगारेड्डी, हैदराबाद
	हेलेन केलर्स स्कूल फॉर दि डेफ एंड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन रंगारेड्डी
	आईटीआरआरओडीडीडी, रंगारेड्डी
	स्वीकार रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर हैडिकैप्ड, सिकन्दराबाद
	सनलाइट एजुकेशनल सोसायटी, श्रीकाकुलम
	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लेडीज क्लब, विशाखापट्टनम
	ओंकार लायन्स एजूकेशन सोसायटी फॉर दि डेफ, विशाखापट्टनम
	प्रियदर्शनी सर्विस आर्गनाइजेशन, विशाखापट्टनम
	चैतन्य इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग डिसेबल्ड, विजयनगरम
	सोसायटी फॉर एजुकेशन ऑफ दि डेफ एंड ब्लाइंड, विजयनगरम
	असीसी सिस्टर्स ऑफ मेरी इम्मैकुलेट, वारंगल
असम	आशादीप, गुवाहाटी
	सहायिका, गुवाहाटी
बिहार	फाउंडेशन फॉर इंटीग्रल ह्यूमन एडवांसमेंट, आरा
	श्री जैन महिला विद्यापीठ, आरा
	गिरिजा शंकर दृष्टिविहीन बालिका विद्यालय, भागलपुर

1	2
	गया नेत्रहीन विद्यालय, गया
	बड़ा बैद्यनाथ बालिका मूक बधिर विद्यालय, मुंगेर
	सुभम, मुजफ्फरपुर
	अखिल भारतीय ग्रामीण विकास एवं सेवा मंडल, पटना
	बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग रिसर्च सेंटर, पटना
	बिहार नेत्रहीन परिषद, पटना
	जेएम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, पटना
	जनता समाज कल्याण संस्थान, वैशाली
छत्तीसगढ़	लायन्स चैरिटेबुल ट्रस्ट, भिलाई
	नेत्रहीन व विकलांग शिक्षण प्रशिक्षण एवं धमार्थ समिति, कोरिया
	श्रवण मूक विकलांग अभिभावक संघ, रायपुर
	ज्ञानोदय एसोसिएशन, सरगुजा
दिल्ली	चन्द्रभूषण सिंह मेमोरियल महिला, बाल एवं श्रवण विकलांग शिक्षा एवं पुनर्वास संस्थान, दिल्ली
	सुनिए, दिल्ली
	अखिल भारतीय नेत्रहीन संघ, दिल्ली
	दिल्ली एसोसिएशन ऑफ दि डेफ, दिल्ली
	इंस्टीट्यूट फॉर दि ब्लाइंड, दिल्ली
	जनता आदर्श अंध विद्यालय, दिल्ली
गोवा	लोकविश्वास प्रतिष्ठान स्कूल फॉर हैंडीकैप्ड किड्स नार्थ गोवा
गुजरात	सद्भावना रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, अहमदाबाद
	श्री के.एल. इंस्टीट्यूट फॉर दि डेफ, भावनगर
	अक्षर ट्रस्ट, बड़ौदरा
हरियाणा	रोटरी वेल्फेयर सोसायटी फॉर दि डेफ, अम्बाला
	एजूकेशनल-कम-वोकेशनल एसोसिएशन फॉर दि डिसेबल्ड, बल्लभगढ़
	एसोसिएशन फॉर दि वेल्फेयर ऑफ हैंडीकैप्ड, फरीदाबाद
	आल इंडिया कंफीडरेशन ऑफ दि ब्लाइंड, (गुड़गांव), गुड़गांव
	इंडियन रेड क्रास सोसायटी (हिसार), हिसार

1	2
हिमाचल प्रदेश	नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लांइड (कुल्लू), कुल्लू
	एच.पी. स्टेट कांउसिल फॉर चाइल्ड वेल्फेयर, शिमला
झारखंड	श्री श्रीभजन ब्रह्मचारी इंस्टीट्यूट फॉर दि विजुअली हैंडीकैप्ड, धनबाद
कर्नाटक	श्री शतश्रुंगा विद्या संस्था, बंगलौर
	डा. एस.आर. चन्द्रशेखर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, बंगलौर
	कर्नाटक हैंडीकैप्ड वेल्फेयर एसोसिएशन, बंगलौर
	श्री रमन महर्षि एकेडमी फॉर दि ब्लांइड, बंगलौर
	अजय वेल्फेयर एसोसिएशन फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ दि ब्लाइंड, बेलगांम
	बेलगांम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, बेलगांम
	आदर्श एजुकेशनल सोसायटी बेल्लारी
	श्री मणिक प्रभु शिक्षण समिति, बिदर
	संग्राम एजुकेशन सोसाइटी, बिदर
	श्री परमानन्द जनसेवा समिति, बीजापुर
	कर्नाटक फेडरेशन फॉर दि ब्लाइंड, चिकमंगलूर
	मार्गदर्शी रोटरी ट्रस्ट फॉर डिसेबल्ड, चित्रदुर्ग
	श्री विनायक एजुकेशन सोसायटी, देवनगिरी
	होन्नम्मा एजुकेशन सोसायटी रेजीडेंसियल स्कूल फॉर डेफ चिल्ड्रेन, धारवाड़
	प्रियदर्शनी जनसेवा सागर, धारवाड़
	श्री अरुध एजुकेशन सोसायटी फॉर डिसेबल्ड, धारवाड़
	डा. पुत्तराजा गवईगलवार ब्लाइंड एजुकेशन सोसायटी, गदाग
	डा. बीडी टाटी (अन्नवड्ड) मेमोरियल चैरिटेबुल ट्रस्ट, गदाग
	ब्लांइड एंड हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन रेजीडेंसियल वेल्फेयर एसोसिएशन, गुलबर्गा
	दक्षिण भारत दलित एजुकेशन सोसायटी, गुलबर्गा
	रोटरी ट्रस्ट, हासन
	सेवा ट्रस्ट फॉर दि ब्लाइंड, हावेरी
	श्री चन्ना बासबेश्वर ग्रामीण विद्या संस्था, हावेरी
	आशा किरण एजुकेशनल एंड रिहैबिलिटेशन, सोसायटी, कोलार
	जय भारत डेफ चिल्ड्रेन्स रेजीडेंसियल स्कूल एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट, कोलार

1	2
	मांटफोर्ड एजुकेशनल एंड चैरिटेबुल ट्रस्ट ऑफ दि ब्रदर ऑफ गैब्रियल मांड्या
	श्री आदिचुनचांगगिरी शिक्षण ट्रस्ट, मांड्या
	डाटर ऑफ आवर लेडी ऑफ मर्सी डेफ एंड डम्ब स्कूल, मैसूर
	रंगाराव मेमोरियल स्कूल फॉर दि डेसेबल्ड, मैसूर
	साई रंगा विद्या संस्था, मैसूर
	श्रीमती पुत्तरमा विश्वस्थ आश्रय, मैसूर
	बापूजी ग्रामीण विकास समिति, उत्तर कन्नड़
	उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट डिसेबल्ड वेल्फेयर एसोसिएशन, उत्तर कन्नड़
केरल	इर्नाकुलम वीमेन्स एसोसिएशन, इर्नाकुलम
	सोसायटी फॉर दि सर्विस ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रेन, कासरगाड़
	करूणा, कोझीकोड (कालीकट)
	श्रवण संस्कार स्कूल, पलक्कड़
मध्य प्रदेश	डेफ डम्ब एसोसिएशन, इन्दौर
	मूक बधिर संस्थान, इन्दौर
	विकलांग एवं दृष्टिबाधितार्थ कल्याण संघ, जबलपुर
	श्री तुलसी प्राज्ञचक्षु हायर सेकेण्डरी विद्यालय, सतना
	आशादीप विकलांग विकास एंव कल्याण संगठन शिवनी
महाराष्ट्र	परिवर्तन शिक्षण संस्था, भंडारा
	अंकुर ग्राम्य विकास संस्था, धुले
	रावलनाथ शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक मंडल, धुले
	शांतिवन अपंग निराधार एंड आदिवासी विकास शिक्षण संस्था, गदचिरौली
	अहिल्या देवी होलकर शिक्षण प्रसारक मंडल, लातूर
	मौली महिला मंडल, सिंधुदुर्ग
मणिपुर	इंस्टीट्यूट ऑफ सोसल डेवलपमेंट फॉर वीकर सेक्शन, इम्फाल
मेघालय	बेथनी सोसायटी, वेस्ट गारो हिल्स,
मिजोरम	समारिटन एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड, आइजोल
	सोसायटी फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ स्पास्टिक चिल्ड्रेन, आइजोल
उड़ीसा	शिशुसखा संघ, भुवनेश्वर

1	2
	एसोसिएशन फॉर सोसल वर्क एंड सोसल रिसर्च इन उड़ीसा, बौध
	रेडक्रास स्कूल फॉर दि ब्लाइंड, गंजाम
	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल वेल्फेयर एंड सोसल एक्शन, खुर्दा
	नीलाचल सेना प्रतिष्ठान, पुरी
पांडिचेरी	श्री पचईअपने सोसायटी फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ दि हियरिंग इम्पेयर्ड, पांडिचेरी
पंजाब	इंस्टीट्यूट फॉर दि ब्लाइंड, अमृतसर
	इंडियन रेड क्रास सोसायटी, भटिण्डा
	पंजाब आईएएस आफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन, चंडीगढ़
	इंडियन रेड क्रास सोसायटी, फरीदकोट
	डा. सत्यपाल खोसला चैरिटेबल मेमोरियल ट्रस्ट, जलंधर
	जिला रेड क्रास सोसायटी, जलंधर
	इंडियन रेड क्रास सोसायटी, लुधियाना
	वोकेशनल रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर, लुधियाना
राजस्थान	जीवन निर्माण संस्थान, भरतपुर
	बधिर बाल कल्याण विकास समिति भीलवाड़ा
	एलकेसी श्री जगदम्बा अंध विद्यालय समिति, श्रीगंगनगर
तमिलनाडु	अजय मेमोरियल फांडेशन, चेन्नई
	मुर्थुजाबिया एजुकेशनल एंड कल्चरल फाउंडेशन ऑफ साउथ इंडिया, चेन्नई
	दि स्कूल फॉर यंग डेफ चिल्ड्रेन (बाल विद्यालय), चेन्नई
	ईकिआर कल्वी संगम, धरमपुरी
	एफफाटा इंस्टीट्यूट फॉर दि डेफ, कन्याकुमारी
	कनमनी ट्रस्ट करूर
	हेलेन केलर सर्विस सोसायटी फॉर दि डिसेबल्ड मदुरै
	वाईएमसीए कामक हाइस्कूल एंड होम फॉर दि डेफ, मदुरै
	इंडियन एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड, मदुरै
	हेलन केलर स्कूल फॉर दि हियरिंग इम्पेयर्ड, पीम्बलूर
	अरिवलयम, तिरूचिरापल्ली
	वेला इंस्टीट्यूट फॉर सोसल एक्शन एंड डेवलपमेंट, तिरूचिरापल्ली

1	2
	फ्लोरेंस स्वैनसन हायर सेकेण्डरी स्कूल फॉर दि डेफ, तिरूनेलवेली
	लाइफ एण्ड सेंटर, तिरूवल्लूर
	होली क्रास स्कूल फॉर दि हियरिंग इम्पेयर्ड, वेल्लौर
त्रिपुरा	नार्थ त्रिपुरा डेफ एंड डम्ब स्कूल, कैलाशहर
उत्तर प्रदेश	सुर स्मारक मंडल, आगरा
	प्राग नारायण मूक बधिर विद्यालय समिति, अलीगढ़
	इसराजी देवी शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद
	आदर्श जनता शिक्षा समिति, इलाहाबाद
	उत्तर प्रदेश मूक बधिर विद्यालय, इलाहाबाद
	बाधित बाल विकास समिति, आजमगढ़
	रामा स्कूल फॉर दि ब्लाइंड एवं फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, बांदा
	श्री संत कबीर मूक बधिर विद्यालय समिति, बस्ती
	ए.के. माडल पब्लिक स्कूल समिति, बिजनौर
	भावना इंस्टीट्यूट फॉर दि डिफ्रेंडली डिसेबल्ड, फतेहपुर
	पावहरी स्मृति परिसर, गाजीपुर
	गूंगे बहिरों का विद्यालय, कानपुर
	आदर्श मूक बधिर विद्यालय, लखीमपुर
	चेतना, लखनऊ
	एन.सी. चतुर्वेदी स्कूल फॉर डेफ, लखनऊ
	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस शिक्षा विकास समिति, लखनऊ
	सरस्वती बधिर सेवा समिति, लखनऊ
	श्री वृंदावन अंध महाविद्यालय, मथुरा
	डेफ एंड डम्ब स्कूल, मेरठ
	वाणी (फ्रेंड्स ऑफ हैंडीकैप्ड), मेरठ
	क्वीन ऑफ एपोशल एजुकेशनल सोसायटी, वाराणसी
	बीसीजी स्कूल फॉर दि डेफ, वाराणसी
	श्री हनुमान प्रसार पोद्दार अंध विद्यालय, वाराणसी

1	2
	दि सोसांयटी ऑफ खिस्ट ज्योति, वाराणसी
उत्तरांचल	बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, देहरादून
	ज्योति स्कूल फॉर हैंडीकैप्ड (श्री भारत मंदिर स्कूल सोसायटी), देहरादून
	नन्ही दुनिया बधिर विद्यालय, देहरादून
पश्चिम बंगाल	रामकृष्ण विवेकानन्द मिशन, 24 परगना (नार्थ)
	नार्थ 24 परगना डिसेबल्ड पर्सन्स एसोसिएशन, 24 परगना (नार्थ)
	डा. शैलेन्द्र नाथ मुखर्जी मूक बधिर विद्यालय, बांकुरा
	नार्थ बंगाल हैंडीकैप्ड रिहैबिलिटेशन सोसायटी, दार्जिलिंग
	प्रतिबंधी कल्याण केन्द्र, हुगली
	श्री रामपुर चाइल्ड गाइडेंस सेंटर, हुगली
	पैरेंट्स ओन क्लीनिक फॉर डेफ चिल्ड्रेन, कोलकता
	वाइस ऑफ वर्ल्ड, कोलकाता
	कोतवाली सलेहा मेमोरियल स्कूल फॉर हियरिंग एंड मेंटली हैंडीकैप्ड, माल्डा
	सेवा यतन कल्याण केन्द्र, मिदनापुर
	ब्लाइंड पर्सन्स एसोसिएशन, नादिया, कोलकाता
	करीमपुर सोसल वेल्फेयर सोसायटी, नदिया

विवरण II

बधिर और दृष्टिहीन व्यक्तियों कल्याण के लिए गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गैर-सरकारी संगठन से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	8
2.	बिहार	2
3.	दिल्ली	1
4.	गुजरात	5
5.	हरियाणा	1
6.	झारखंड	1
7.	कर्नाटक	12
8.	मध्य प्रदेश	3
9.	महाराष्ट्र	3
10.	उड़ीसा	5
11.	पंजाब	1
12.	तमिलनाडु	4
13.	उत्तर प्रदेश	9
14.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल	56

स्मारकों के अनुरक्षण के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करना

5033. **श्री एम. अंजनकुमार यादव:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री बाडिगा रामाकृष्णा:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में स्मारकों की देखभाल तथा प्रकाश व्यवस्था के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए पहचान किए गए स्मारकों सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में निर्धारित निबंधन एवं शर्तें क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के रखरखाव में निजी क्षेत्र को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय संस्कृति निधि के अन्तर्गत दाय परिरक्षण में सार्वजनिक निजी साझेदारी के लिए प्रावधान विद्यमान हैं। कुछ संरक्षित स्मारकों पर रोशनी करने का कार्य निजी क्षेत्र द्वारा शुरू किया गया है।

(ख) हुमायूं का मकबरा, दिल्ली पर रोशनी करने के कार्य का दायित्व मैसर्ज ओबराय ग्रुप को सौंपा होटल्स, नई दिल्ली द्वारा लिया गया था।

जंतर मंतर के मिश्र यंत्र पर प्रकाश करने का कार्य मैसर्ज एपीजे सुरेन्द्र होटल्स प्रा.लि. को सौंपा गया है।

(ग) निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्रतिष्ठानों की देखभाल करेगा तथा ऊर्जा प्रभारों को वहन करेगा।

एयरबेस को सिविलियन विमानपत्तन में बदलना

5034. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के जोधपुर जिले में गुरबिश्नोई/सालावास गांव में एक बहुत पुराना एयरबेस विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस एयरबेस को सिविलियन विमानपत्तन में बदले जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां। यह एयरबेस भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ख) भारतीय वायु सेना को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कैंटीन भंडार विभाग में भ्रष्टाचार

5035. **श्री गिरिधारी यादव:**
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कैंटीन भंडार विभाग में विभिन्न मदों की खरीद के संबंध में इस संगठन की भूमिका में व्यापक भ्रष्टाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अल्कोहल युक्त पेयों की खरीद के लिए निर्धारित मानदंड समग्र खरीद नीतियों के अनुरूप हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार की खरीद के लिए अलग-अलग मानदंड हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सैन्यकर्मी कैंटीन भंडार विभाग से अपनी पसंद के उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं जो बाजार में उपलब्ध हैं;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) इस संबंध में क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) कैंटीन स्टोर विभाग में कोई व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त नहीं है। विभिन्न मदों की खरीद में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए पहले से ही समुचित उपाय मौजूद हैं। तथापि, इतने बड़े संगठन में भ्रष्टाचार के इक्के-दुक्के मामलों से इंकार नहीं किया जा सकता।

(ग) कैंटीन स्टोर विभाग में सभी मदों को (सामान्य भंडार तथा शराब सहित) निर्धारित मानदंडों तथा समग्र खरीद नीति के अनुसार शामिल किया जाता है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ग) पर दिए गए उत्तर के मद्देनजर लागू नहीं होता।

(च) जी, हां।

(छ) और (ज) उपर्युक्त (च) पर दिए गए उत्तर के मद्देनजर लागू नहीं होता।

रंगिया-रंगापाड़ा रेल खंड के बीच इमारती लकड़ी की तस्करी

5036. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को रंगिया-रंगापाड़ा रेल खंड के बीच बड़े पैमाने पर इमारती लकड़ी की तस्करी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या गुवाहाटी- जोगीघापा रेल लाइन का शुरू से ही कम प्रयोग हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त रेल लाइन के पूर्ण उपयोग के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, हां। रंगिया-रंगापाडा खंड में टिम्बर की तश्कीर की बुराई को समाप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2001 से 2004 के दौरान 89 छापे डाले गए थे जिनमें 20,41,129 रु. के मूल्य की लकड़ी के 5776 पीस बरामद किए गए थे और 40 बाहरी लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बरामद की गई टिम्बर आगे निपटान के लिए राज्य के वन विभाग को सौंप दी गई है। इसके अलावा, उपर्युक्त बुराी को खत्म करने के लिए वन अधिकारियों के साथ संयुक्त छापे भी डाले गए हैं।

(ग) जी, नहीं। गुवाहाटी-जोगीघोपा रेल खंड का कम उपयोग नहीं हो रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेडियो और टेलीविजन कवरेज

5037. श्री अर्जुन सेठी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में रेडियो तथा टेलीविजन कवरेज का प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या उड़ीसा में कवरेज का प्रतिशत देश के अन्य भागों की तुलना में बहुत कम है;

(ग) क्या निकट भविष्य में कवरेज के विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) प्रसार भारती द्वारा सूचित किया गया है कि 99.13% राष्ट्रीय कवरेज की तुलना में उड़ीसा की 99% आबादी को रेडियो सिगनलों द्वारा कवर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सम्पूर्ण उड़ीसा को जैपोर स्थित 50 कि.वॉ.वे. रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा भी कवर किया जाता है। 90.7% के राष्ट्रीय औसत की तुलना में उड़ीसा की लगभग 93.3% आबादी को टी वी कवरेज उपलब्ध है। सम्पूर्ण उड़ीसा राज्य को शेष सारे देश के साथ (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर) दूरदर्शन की के.यू. बैंड (फ्री-टु-एयर) डी टी एच प्रसारण सेवा के जरिए मल्टी-चैनल कवरेज प्रदान की गई है। 33 टी वी और 12 रेडियो चैनलों के डी टी एच समूह को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर सारे देश में एक लघु आकार की अभिग्रहण इकाई की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है।

(ग) और (घ) रेडियो कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्य से दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निधियों के अनुमोदन और उपलब्धता के अध्यधीन उड़ीसा में बारीपाड़ा, भवानीपटना, भुवनेश्वर, देवगढ़, प्रलाकीमिड़ी, रायरंगापुर और रायगढ़ में नए ट्रांसमीटरों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इन स्कीमों के कार्यान्वयन के पश्चात् उड़ीसा की 99.7% आबादी को, राज्य में एफ.एम. रेडियो सेवा के विस्तार के अतिरिक्त रेडियो सिगनलों द्वारा कवर किए जाने की आशा है। उड़ीसा में बहालदा में एक अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किया गया है जो कि कमीशनिंग के लिए भी तैयार है।

सामान्य ड्यूटी सैनिकों की आयु सीमा

5038. प्रो. चन्द्र कुमार: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सामान्य ड्यूटी सैनिकों की आयु सीमा को बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) 'बाल अधिकार संबंधी सम्मेलन', जिसका भारत सरकार सदस्य है, पर संयुक्त राष्ट्र नयाचार की राष्ट्र पार्टियों के निर्णय को ध्यान में रखते हुए सैनिक (सामान्य ड्यूटी) की भर्ती के लिए न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 17.5 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण

5039. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:
प्रो. एम. रामदास:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सशक्त करने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय संसाधनों के प्रत्यायोजन संबंधी बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों का सार क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने बारहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो जब ये सिफारिशें क्रियान्वित की जाएंगी तो केन्द्र सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धता क्या होगी;

(ङ) क्या उन राज्यों को वित्तीय अनुदान बंद करने का प्रस्ताव है जोकि स्थानीय निकायों के चुनाव कराने में विफल रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए उपाए संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय संसाधनों की सुपुर्दगी के बारे में बारहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का सार संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) सरकार ने बारहवें वित्त आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्थानीय निकायों के संबंध में की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

(घ) जब ये सिफारिशें लागू की जाएंगी तब पंचायतों के लिए 2005-06 से 2009-2010 तक की पांच वर्ष की अवधि के लिए केन्द्र सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धता 20,000 करोड़ रु. होने की आशा है।

(ङ) और (च) बारहवें वित्त आयोग के निदेश के अनुसार अनुदानों की रिलीज के नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश बनाए जा रहे हैं।

विवरण I

पंचायतों को वित्तीय दृष्टि से मजबूत करने के लिए संविधान में तीन अनुच्छेद हैं। यह निम्नलिखित हैं

- अनुच्छेद 243ज के अंतर्गत, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर और फीसें उद्‌गृहीत, संगृहीत और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। यह पंचायतों को राज्य सरकार द्वारा उद्‌गृहीत और संगृहीत ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें समनुदिष्ट कर सकता है। यह राज्यों की संचित निधि में से पंचायतों के लिए ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकता है और पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त किए गए सभी धन को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने और उन निधियों में से धनों को निकालने के लिए भी उपबंध कर सकता है।

- अनुच्छेद 243झ के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल, पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए और राज्य द्वारा उद्‌गृहीत करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्य और पंचायतों के बीच, जो उनके बीज विभाजित किए जाएं और सभी स्तरों पर पंचायतों के बीच आगमों के तत्संबंधी भाग के आवंटन को ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के अवधारणा को, जो पंचायतों को समनुदिष्ट की जा सकेंगी, राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में, पंचायतों को वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा।

- अनुच्छेद 243ञ के अंतर्गत, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों द्वारा लेखा रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकता है।

जुलाई-दिसम्बर, 2004 के बीच पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने का उद्देश्य प्राप्त करने की दृष्टि से एक मसौदा कार्य योजना तैयार करने के लिए राज्य के पंचायती राज मंत्रियों के सात गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए ताकि वे संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार स्वशासन की संस्थाओं के रूप में उभर सकें। कोलकाता में हुए पहले गोलमेज सम्मेलन में अन्य विषयों के साथ-साथ पंचायतों को वित्त सौंपने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। गुवाहाटी में छठे गोलमेज सम्मेलन में पंचायतों की लेखा-परीक्षा और लेखे से जुड़े मुद्दे पर विचार हुआ। इन गोलमेज़ सम्मेलनों में पहुंचे निष्कर्षों जहां तक ये पंचायत वित्त के मुद्दों से संबंधित हैं, के ब्यौरे संलग्न अनुबंध-I और II में दिये गये हैं।

सात गोलमेज सम्मेलनों की 150 सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंधमें हुई प्रगति की निगरानी के लिए सचिव (पंचायती राज) की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्य सचिवों और राज्य पंचायत राज्य सचिवों की एक समिति गठित की गई है।

सात गोलमेज सम्मोलनों के लिए 150 सिफारिशों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए पंचायती राज मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पंचायती राज मंत्रियों की एक परिषद गठित की गई है।

मंत्रालय ने अब सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करने की प्रक्रिया शुरू की है ताकि इन गोलमेज सम्मेलनों में सहमत कार्य-मुद्दों के क्रियान्वयन में संबंधित अधिकारियों के साथ प्रगति की समीक्षा की जा सके।

आशा है कि इन पहलकदमियों से पंचायत के वित्त को मजबूती प्रदान करने में तेजी आएगी।

विवरण II

पंचायती राज संस्थाओं के लिए बारहवे वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

1. पंचायतों के संसाधनों को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट के पैरा 8.19 में सूचीबद्ध सर्वोत्त कार्यों पर विचार किया जाए जिससे राज्यों द्वारा लागू किया जाना है।

2. राज्यों को राज्य वित्त आयोगों के गठन में विलंब, चरण-वार ढंग से उनके गठन, बारंबार पुनर्गठन, रिपोर्टों की प्रस्तुती और विधानमंडल में की गई कार्रवाई रिपोर्टों को प्रस्तुत करने में होने वाले विलंब से बचना चाहिए।

3. जब केन्द्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है तब उन्हें राज्य वित्त आयोगों की रिपोर्टें आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए ताकि केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा एक समान सिद्धांतों के आधार पर राज्य की जरूरतों को आकलन किया जा सके।

4. एसएफसी के गठन में संबद्ध क्षेत्र में गुणवत्ता और अनुभव रखने वाले श्रेष्ठ और सक्षम व्यक्ति शामिल होंगे।

5. वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशों को बिना किसी संशोधन के राष्ट्र स्तर पर स्वीकारने के लिए हुए अभिसमय का एसएफसी रिपोर्टों के संबंध में राज्य स्तर पर पालन किया जाए।

6. एसएफसी में उन मुद्दों का स्पष्ट रूप से निर्धारण किया जाए जिन पर केन्द्र सरकार की ओर से राज्य की संचित निधियां बढ़ाने के लिए और केन्द्रीय वित्त आयोग के विचारार्थ उन्हें एक अलग अध्याय में सूचीबद्ध करने के लिए कार्रवाई करने की जरूरत होती है।

7. व्यावसायिक कर की अधिकतम सीमा को बढ़ाने के संबंध में एसएफसी द्वारा दिए गए सुझाव केन्द्र सरकार द्वारा कार्रवाई के लिए पृष्ठांकित किए जाते हैं।

8. एसएफसी में राज्य सरकारों से स्थानीय निकायों को संसाधनों के अंतरण के संबंध में केन्द्र से राज्यों को संसाधनों के अंतरण के लिए केन्द्र वित्त आयोग द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया का पालन किया जाए। एसएफसी रिपोर्टों में अंतरण के पूर्व तथा बाद के स्तरों पर राज्य सरकार और स्थानीय निकायों की निधियों तथा राजस्वों का परिमाणन, जिसे स्थानीय निकायों द्वारा अतिरिक्त रूप से सृजित किया जा सकता है, को शामिल किया जाए। वे अंतर जो अभी रह सकते हैं, केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए जाने वाले मानदंडों का आधार बनेंगे।

9. स्थानीय निकायों के संसाधनों का आकलन करते समय, एसएफसी राजस्व और खर्च के मूल्यांकन में एक सामान्य दृष्टिकोण अपनाए।

10. राज्य सरकार के वित्त विभाग में एक स्थायी एसएफसी प्रकोष्ठ का निर्माण किया जाए क्योंकि आंकड़ों का समेकन और मिलान निरंतर करना पड़ेगा और जब

कभी भी एसएफसी का गठन किया जाता है उसे यह उपलब्ध कराया जाएगा।

11. पीआरआई को जल आपूर्ति और स्वच्छता से संबंधित परिसंपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेने और मरम्मत था संचालन एवं रख-रखाव खर्च के लिए अनुदानों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तथापि, पीआरआई किए गए खर्च का 50 प्रतिशत प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में वसूल करेगी।

12. अधिकांश राज्यों में उनके स्थानीय निकायों की निधियों के संबंध में विश्वसनीय जानकारी नहीं है। राज्य इस संबंध में प्रत्येक स्थानीय निकायों की जरूरतों का आकलन कर सकते हैं और तद्नुसार 12वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए कुल आबंटन में से निधियां निर्धारित कर सकते हैं।

13. केन्द्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान रिलीज करने के लिए 12वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई शर्तों के अलावा कोई अन्य शर्तें नहीं लगाई जा सकती हैं।

अनुबंध I

पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों का पहला गोलमेज सम्मेलन- कोलकाता 24-25 जुलाई, 2004

पंचायती राज के प्रभारी मंत्री और उनके प्रतिनिधि संघीय सहयोग की भावना को ध्यान में रखते हुए, जिसमें भारत के संविधान के भाग-IX में निर्धारित पंचायती राज के प्रभावी कार्यान्वयन की जानकारी होना आवश्यक है, और उससे सम्बद्ध प्रावधानों, जिनमें अनुच्छेद 243जैडडी (जिला आयोजना समितियां) विशेष रूप से शामिल हैं केन्द्र और राज्यों द्वारा संयुक्त स्वीकृति के लिए कार्यवाही के निम्नलिखित मुद्दों की अपनी-अपनी सरकारों को सिफारिश करने के लिए सहमत हुए:

कार्यों का प्रभावी अन्तरण:

(1) संविधान (अनुच्छेद 243जी) में "अंतरण" अर्थात् स्व-शासी संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पंचायती राज संस्थाओं के लिए अन्तरित विषयों, जिनमें ग्यारहवीं अनुसूची में दिए विषय और ऐसे विषय शामिल हैं, जिन्हें राज्य ने ऐसी शर्तों के अध्यधीन कानून बना कर विनिर्दिष्ट किया हो, के लिए (10 अपने-अपने क्षेत्रों के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने और (2) अपने-अपने क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रम कार्यान्वित करने को दोहरे प्रयोजन के लिए अधिकार देने का प्रावधान है। इसलिए, इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंचायती राज संस्था ऐसे कार्यों के संदर्भ में, जो उन्हें अंतरित किए जा सकते हों, अन्य प्राधिकरणों के लिए सिर्फ कार्यान्वयन एजेंसी के स्थान पर स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करें।

(2) कार्य हस्तान्तरित करते समय समयबद्ध तरीके से राज्य के विधान में दिए गए सभी विषय शामिल किए जाने चाहिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने-अपने अंतरण कार्यक्रम को प्राथमिकता दे सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसे कार्यों, जिन्हें प्राथमिकता दी गई है, के संबंध में पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में अधिकार देने में पूरा और प्रभावी हस्तांतरण होगा।

(3) इस दिशा में त्रि-स्तरीय प्रणाली के उपयुक्त स्तर को इन गतिविधियों को सौंपने की दृष्टि से अन्तरित कार्यों से संबंधित गतिविधियां तय करना एक आवश्यक कदम है। जहां तक संभव हो, किसी भी विशेष गतिविधि के संदर्भ में स्तरों के बीच अतिव्याप्ति नहीं होनी चाहिए।

(4) यह निर्धारित करते समय कि कोई विशिष्ट गतिविधि पंचायती राज प्रणाली के किस स्तर को सौंपी जाए, जहां तक संभव हो, अनुक्रम सिद्धांत का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाए। अनुक्रम सिद्धांत में यह उल्लेख है कि यदि किसी गतिविधि को निचले स्तर पर शुरू किया जा सकता है तो उसे किसी उच्च स्तर पर ले जाने की बजाय उसी स्तर पर शुरू किया जाना चाहिए।

(5) अन्तरित कार्यों से संबंधित गतिविधियों के निर्धारण के आधार पर और अनुक्रम सिद्धांत लागू करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वित्तीय वर्ष 2004-05 के भीतर इस कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से समयबद्ध गतिविधि रूप-रेखा की समीक्षा कर सकते हैं/शुरू कर सकते हैं।

(6) पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों और कार्य के अंतरण संबंधी कार्यबल की रिपोर्ट में ग्रामीण विकास मंत्रालय में जिस प्रकार गतिविधि रूपरेखा मॉडल बनाया गया है और गोलमेज सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए तथ्य-पत्र में मौजूदा राज्य-वार गतिविधि रूपरेखा के बारे में दी गई जानकारी के आधार पर राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपनी-अपनी गतिविधि रूपरेखा तैयार करने के लिए गतिविधि रूपरेखा मॉडल बना सकते हैं।

(7) संघ का पंचायती राज मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अनुरोध पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर गतिविधि रूपरेखा बनाने के लिए उन्हें तकनीकी सहायता एवं विशेषज्ञ भेज सकता है।

(8) ऐसा उपाय करने की दृष्टि से कि अंतरित कार्य पुन: अन्तरित न किए जा सकें, कार्यों का अन्तरण विधिक उपायों अथवा विकल्प के रूप में कार्य-पालिका के आदेशों के माध्यम से अन्तरण के लिए कठोर वैधानिक रूप-रेखा उपलब्ध करा कर किया जा सकता है।

कर्मियों का प्रभावी अंतरण:

(1) पंचायती राज संस्थाओं को कर्मियों का अंतरण अंतरित कार्यों से संबंधित गतिविधियों की गतिविधि रूपरेखा के आधार पर किया जाना चाहिए।

(2) यदि अंतरित गतिविधि की योजना बनाने अथवा उसे कार्यान्वित करने में निर्वाचित पंचायती राज संस्था की मदद करने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता हो तो संबद्ध कर्मचारी बुनियादी तौर पर निर्वाचित प्राधिकारी के प्रति जिम्मेवार और उनके अनुशासनिक निरीक्षण एवं नियंत्रण के तहत होने चाहिए।

(3) पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित कार्यों में विशेषज्ञता रखने वाले कर्मचारियों और प्रौद्योगिकीविदों का संवर्ग बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इन अंतरित कार्यों के लिए राज्य सेवाओं में स्टॉफ की और भर्ती बंद करके पंचायती राज प्रशासनिक एवं तकनीकी सेवा शुरू कर सकते हैं।

(4) (1) जिला पंचायतों में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के उत्तरोत्तर विलय के माध्यम से पंचायती राज विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में लिया ग्रामीण विकास एजेंसियों की भूमिका पर पुन: विचार करना। उपयुक्त स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित प्राधिकारियों की संपूर्ण जवाबदेही और अनुशासनात्मक नियंत्रण के तहत पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की तकनीकी विशेषज्ञता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

(2) पंचायती राज प्रणाली के तीनों स्तरों के संबंध में पुन: विचारी गई जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की गतिविधियां कार्यों, कर्मियों और निधियों के अंतरण की गतिविधि रूपरेखा पर आधारित होनी चाहिए ताकि पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के पास जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के संसाधन, विशेषज्ञता सुविधाएं और श्रमिक समान रूप से उपलब्ध हों।

निधियों का प्रभावी अंतरण:

(1) पंचायतों का "सुदृढ़ वित्तीय आधार" अनुच्छेद 243-I द्वारा राज्यों पर लागू की गई संवैधानिक बाध्यता है। इस संवैधानिक बाध्यता के अनुपालन में राज्यों और केन्द्र को संघीय राजकोषीय की भावना के अनुरूप निर्वाचित स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए।

(2) इस दिशा में पंचायती राज प्रणाली के तीनों स्तरों को निधियों का अंतरण कार्यों और कर्मियों के अंतरण के लिए गतिविधि रूपरेखा के आधार पर होना चाहिए ताकि निधियों के अंतरण को कार्यों और कर्मियों के अंतरण के साथ मिलाते हुए पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों का प्रभावी अंतरण सुनिश्चित हो सके।

(3) ऊपर वर्णित सिद्धांतों के आधार पर, राज्य सरकारें गतिविधि की रूपरेखा तैयार करने के प्रयास कर सकती हैं जिसे यथाशीघ्र लागू किया जाए और हर हाल में इसे अगले वित्त वर्ष 2005-06 के अंत तक बिना लिया जाए; इसमें निम्नलिखित घटक शामिल हो सकते हैं:

(1) स्तर-वार और निम्न की गतिविधि रूपरेखा पर आधारत अंतरण:

(क) नियोजन

(ख) बजट

(ग) निधियों का प्रावधान

(2) गतिविधि रूपरेखा के आधार पर प्रत्येक राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग के बजट में पंचायती राज संस्था के घटक का समावेश;

(3) राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा पंचायतों को स्तर-वार क्रमिक रूप से शर्तमुक्त बड़ी राशि का प्रावधान;

(4) गतिविधि रूपरेखा के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को योजना आयोग से स्तर-वार शर्तमुक्त अनुदान का प्रावधान;

(5) पंचायती राज संस्था की गतिविधि रूपरेखा के आधार पर, पूर्व वित्त आयोगों द्वारा अब तक आबंटित न किए गए अनुदानों, यदि कोई हो, का स्तर-वार आबंटन और बारहवें तथा भावी वित्त आयोगों से स्तर-वार आबंटन की पूर्व निर्धारित पद्धति के आधार पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुदानों का आबंटन।

(6) प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा एक कार्यक्रम निर्धारित किया जाना है जिसकी समय-सीमा के भीतर राज्य वित्त आयोगों को अपनी रिपोर्टें तैयार करनी चाहिए तथा जिसमें विधानमंडल के प्रति की गई कार्रवाई रिपोर्ट और राज्य विधानमंडल द्वारा समर्थित सिफारिशों/की गई कार्रवाई रिपोर्टों पर कार्य-पालक द्वारा कार्य करने संबंधी सिफारिशें शामिल हों।

(7) पंचायती राज संस्थाओं को अपने संसाधन जुटाने हेतु प्रोत्साहित करना, विशेषकर उन राजस्वों के विनियोजन के प्रावधान के माध्यम से, जो उन्होंने अपनी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जुटाए हैं। (अनुच्छेद 243-एच)

ग्राम सभाएं

(1) संविधान के अनुच्छेद 243-क के भाग-IX में ग्राम सभाओं को स्थापित करने का प्रावधान है ताकि वे "ऐसी शक्तियों को इस्तेमाल करें और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य निष्पादि करें जो राज्य विधान सभा द्वारा, कानूनन, उन्हें प्रदान करे।"

(2) एक सुदृढ़ ग्राम सभा प्रणाली, पंचायती राज के माध्यम से अच्छे शासन का अपरिहार्य आधार है।

(3) ऊपर वर्णित दोनों नीतियों के आधार पर, राज्य सरकार यह तय करने के लिए वर्तमान विधान की समीक्षा कर सकती है कि संविधान के अनुच्छेद 243-क में उल्लिखित "शक्तियों" एवं "कार्यों" का राज्य विधान में पर्याप्त रूप से शामिल किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कौन से विधायी एवं अन्य कदम उठाए जाने बाकी हैं। विशेष रूप से निम्नलिखित मदों की जांच की जाए:

(1) ग्राम स्तर से नीचे सभाओं को गठित करने (जैसे ग्राम संसद, उप ग्राम सभा अथवा वार्ड सभा, जिस नाम से भी संबोधित किया जाए) की आवश्यकता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वार्ड में वयस्क आबादी को ग्राम सभा के सम्मुख विचार हेतु उभरने वाले मुद्दों पर अपने विचार रखने का मौका दिया जा सके और प्रत्येक वार्ड में वयस्क आबादी के लिए निर्वाचित वार्ड प्रतिनिधि को जिम्मेदार ठहराया जा सके।

(2) ग्राम सभा और वार्ड सभाओं की बैठकों की अवधि।

(3) महिलाएं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति भूमिहीन मजदूर आदि जैसे जनसंख्या के विशेष और उपेक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के साथ पूर्ण और संतोषजनक परामर्श का प्रावधान।

(4) वार्ड/ग्राम पंचायत क्षेत्र की सभी वयस्क महिलाओं वाली महिला सभा बैठकों का प्रावधान ताकि वे ग्राम/वार्ड सभा में अपने विचार रख सकें और तौर-तरीकों के बारे में निर्णय ले सकें।

(5) ग्राम/वार्ड सभा को निम्न उपायों के माध्यम से सार्थक सशक्तीकरण द्वारा सम्पन्न बनाना:

(क) पारदर्शी और अच्छे शासन में योगदान देने के लिए ग्राम/वार्ड सभाओं को सभी अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने का अधिकार/पात्रता; साथ ही ग्राम/वार्ड सभा के प्रति निर्वाचित पंचायत को जवाबदेह बनाना।

(ख) पंचायत द्वारा तैयार की गई आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए आयोजना तथा कार्यक्रमों को (बजट सहित) कार्यान्वयन शुरू होने से पहले मंजूरी देना।

(ग) पंचायत की योजनाओं, परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के लिए आवंटित निधियों हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी करने को प्राधिकृत करना।

(घ) लाभार्थियों की पहचान।

(6) ऐसे सामाजिक लेखापरीक्षा उपाय ब्लॉक एवं जिला स्तर पर उपयुक्त रूप से संस्थागत भी किए जा सकते हैं।

अनुबंध-II

पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों का छठा गोलमेज सम्मेलन-गुवाहाटी

27-28 नवम्बर, 2004

पंचायती राज के प्रभारी मंत्री और उनके प्रतिनिधि संघीय सहयोग की भावना को ध्यान में रखते हुए, जिसमें भारत के संविधान के भाग IX में निर्धारित पंचायती राज और उससे संबद्ध प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन की जानकारी होना आवश्यक है, केन्द्र और राज्यों द्वारा संयुक्त स्वीकृति के लिए कार्यवाही के

निम्नलिखित मुद्दों की अपनी-अपनी सरकारों को सिफारिश करने के लिए सहमत हुए:

चुनाव:

(1) भारतीय मतदाता एक हैं और वे अविभाज्य हैं। इसलिए एक तरफ संसदीय तथा विधान सभा चुनावों तथा दूसरी तरफ पंचायत चुनावों के बीच की समानता के सिद्धांत को बरकरार रखा जाए, विशेष रूप से यह देखा गया है कि पंचायत चुनावों में लोगों की भागीदारी काफी अधिक होती है और आमतौर पर यह भागीदारी संसदीय/विधानसभा चुनावों की भागीदारी के समान या उससे अधिक होती है। इस प्रकार, उदाहरण स्वरूप, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र वाले राज्यों में भी हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों में 88% मतदाताओं में तथा सिक्किम में 83.5% मतदाताओं ने हिस्सा लिया।

(2) जबकि पंचायत चुनावों से संबंधित सभी मुद्दे संविधान द्वारा राज्य विधानमंडलों/सरकारों को सौंप दिए गए हैं; फिर भी यदि चुनाव प्रक्रियाओं तथा प्रावधानों में एकरूपता नहीं लाई जाती है, तो भी इसमें समानता लाने की जरूरत है। इसके लिए चुनाव प्रक्रिया संबंधी सभी दायित्वों को अलग-अलग हिस्सों में बांटने की बजाए राज्य चुनाव आयोगों को सौंपना वांछनीय होगा।

(क) मतदाता सूची तैयार करना

(ख) निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

(ग) आरक्षण और बारी

(घ) उम्मीदवारों की योग्यता

(ङ) चुनाव कराना, और

(च) चुनाव विवादों में निर्णय लेने के स्तर के रूप में काम करना।

(3) केन्द्र सरकार पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन, इन चुनावों को कराने से संबंधित आदर्श संहिता बनाने पर विचार करेगी।

(4) चुनावों में सभी स्तरों पर एक जैसी मतदाता सूची बनाने के परिप्रेक्ष्य में, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा राज्य चुनाव आयुक्तों के बीच आपसी विचार-विमर्श को प्रोत्साहित किया जा सकता है ताकि सरकार के विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर कराए जाने वाले चुनावों के लिए ऐसी मतदाता सूचियों को बनाने, रख-रखाव करने तथा उनका अद्यतन करने में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सका। पंचायत एवं नगरपालिका वार्डों को चुनाव के सभी स्तरों की मतदाता सूची के निर्माण इकाई के रूप में माना जाएगा।

(5) पंचायती राज चुनावों से संबंधित नियमों में ऐसे प्रावधानों को शामिल करने पर विचार किया जाए जो संसदीय तथा राज्य विधान सभा चुनावों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं।

(6) राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले निदेशों, चुनाव संबंधी जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिए रेडियो प्रसारण का इस्तेमाल, पलायन से उत्पन्न होने वाली अनियमितताओं, जनगणना कार्य से परिसीमन को जोड़ने, राज्य चुनाव आयोगों की सेवा शर्तों में एकरूपता लाने जैसे मुद्दों और इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में मशीन को सील न करके केवल इलेक्ट्रॉनिक चिप को सील करना ताकि इन मशीनों का स्पष्ट रूप से पंचायत चुनावों में इस्तेमाल किया जा सके, जैसे प्रस्तावों पर राज्य चुनाव आयोगों तथा भारतीय चुनाव आयोग के बीच संस्थागत रूप से आपसी बातचीत करने हेतु एक मंच तैयार करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग से संपर्क किया जा सकता है।

(7) राज्य चुनाव-चुनाव आयुक्तों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और पारिश्रमिक देने पर विचार कर सकते हैं।

(8) यह सिफारिश की जाती है कि परिसीमन आयोग नियमित रूप से ऐसे राज्य चुनाव आयुक्तों के संपर्क में रहेगा जो परिसीमन प्रक्रिया से होने वाली व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए आयोग के सदस्य होते हैं।

(9) पंचायत चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के उपयोग को आसान बनाने के लिए केन्द्र सरकार भारतीय चुनाव आयोग तथा राज्य चुनाव आयोगों के परामर्श से राज्य चुनाव आयोगों के इस्तेमाल हेतु ईवीएम की खरीद के लिए धन देने से संबंधित मुद्दों पर विचार करेगी।

(10) जिला आयोजना समितियों के चुनाव जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 243जेडडी में प्रावधान है, को भी राज्य चुनाव आयोगों के कार्यक्षेत्र में लाया जाए ताकि संवैधानिक प्रावधानों का पूर्णरूपेण अनुसरण सुनिश्चित किया जा सके, जैसा पहले कभी नहीं हुआ है।

लेखा-परीक्षा

(1) चूंकि स्थानीय निकाय अब स्थानीय स्व-शासन की संस्थाएं हैं, इसलिए संवैधानिक अनिवार्यता के अपेक्षित स्तर तक स्थानीय कोष लेखा परीक्षा के निदेशक तथा इसी प्रकार के अन्य निकायों के काम-काज के स्तर को बढ़ाया जाए और इसके लिए डी एल एफ ए और इसी प्रकार के अन्य निकाय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ मिलकर कार्य करें।

(2) पी आर आई को स्थानीय स्व-शासन की संस्थाएं मानते हुए, पी आर आई स्वयं ही मानकों एवं मानदण्डों की निर्माण प्रक्रिया से जुड़ें और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए केवल निधियां देने की बजाए निधियों की व्यवस्था करने और निधियां एकत्र करने पर बल दें।

(3) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी लेखा परीक्षा पी आर आई में भ्रष्टाचार को रोकने, कम करने और धीरे-धीरे समाप्त करने में ठोस भूमिका अदा करती है, यह आवश्यक है कि पंचायत के कार्यों के अनुरूप ही लेखा परीक्षा और लेखा मानक बनाए जाए और उनका पालन किया जाए। ये मानक निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए स्पष्ट, सरल और आसानी से समझ आने वाले होने चाहिए और इनमें निम्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए:

* लेन देन की जांच-पड़ताल कब की जाए
* किसकी निगरानी की जाए
* लेन-देन को किस प्रकार दस्तावेज में दर्ज किया जाए, और
* इनका प्रकटन किस प्रकार किया जाए

(4) पंचायती राज प्रणाली के प्रत्येक स्तर पर आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली बनाने और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखा-परीक्षा (अथवा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित अथवा तकनीकी रूप से बताए गए निकायों द्वारा की गई लेखा-परीक्षा) को अनुपूरक बाह्य लेखा-परीक्षा के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है।

(5) लेखा-परीक्षा को प्रभावी बनाने के लिए उसमें स्थानीय सरकारी लेखों हेतु राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड (एन ए एस बी) गठित किया जा सकता है और राज्य स्तर पर लेखा-परीक्षा आयोग अथवा इसी तरह के नियामक निकायों का गठन करके उसे पूरक बनाया जा सकता है।

(6) इसके अलावा, राज्य विधान मण्डलों के पंचायती राज समितियों को प्रस्तुत करने के लिए विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं अथवा पंचायती राज संस्थाओं के लेखों के लिए लोक लेखा समितियों का गठन करने के लिए राज्य विधान मण्डल में व्यवस्था की जा सकती है। लेखा-परीक्षा पैरा की व्यवस्था के लिए स्तरीय समितियों, जैसा कि आन्ध्र प्रदेश में है, पर भी विचार किया जा सकता है।

(7) निर्वाचित स्थानीय प्राधिकरणों के लिए उपयुक्त वित्तीय जवाबदेही अधिनियम बनाकर ऐसी सांस्थानिक व्यवस्थाओं को संपूरित करना उपयोगी है।

(8) ऐसे उपायों के माध्यम से अर्थात् जैसा कि ग्राम पंचायतों को मानक संविदा के लिए अभिप्रमाणित चार्टर्ड एकाउंटेंट नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, लेखा-प्रक्रिया की आउटसोर्सिंग पर विचार किया जा सकता है।

(9) कर्मचारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों दोनों को बेहतर लेखा-प्रक्रिया तथा लेखा-परीक्षा विधियों के बारे में प्रशिक्षण देने को उच्च प्राथमिकता दी गई है। इस संदर्भ में, राज्य सरकारों को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संरक्षण में कार्यरत क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों विशेषकर कोलकाता स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आर.टी.आई.), जिसे भारतीय सार्वजनिक लेखा-परीक्षक संस्थान (आई.पी.ए.आई.) के रूप में भी सर्वश्रेष्ठ केन्द्र घोषित किया गया है, का पूरा उपयोग करने को कहा गया है। प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्र सरकार से पर्याप्त अतिरिक्त वित्तपोषण को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

(10) ऐसी राज्य सरकारें, जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों के तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण (टी जी एस) योजना सहित लेखा-प्रक्रिया और लेखा-परीक्षा कार्यों के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लगाने की व्यवस्था अभी तक नहीं की है, उन्हें ऐसा करने को कहा जाता है और निम्न संबंध में इंडियन एण्ड ऑडिट एकॉउन्ट्स डिपार्टमेन्ट के प्रकाशन की ओर सभी संबंधितों का ध्यान आकर्षित किया जाता है:

(क) पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के लिए लेखा-परीक्षा प्रक्रिया मानक

(ख) पंचायती राज संस्थाओं की लेखा-परीक्षा और लेखों के अभिप्रमाणन के लिए दिशा-निर्देश

(ग) ग्राम पंचायतों की लेखा-परीक्षा का प्रशिक्षण माड्यूल

(11) देश भर में लाखों ग्राम पंचायतों, हजारों मध्यवर्ती पंचायतों और सैकड़ों जिला परिषदों में औपचारिक लेखा परीक्षा कार्य को करने के लिए स्टॉफ की कमी को देखते हुए यह जरूरी है कि लेखों का ऑटोमेशन और कम्प्यूटरीकरण यथासंभव तीव्र गति से कराया जाए तथा इस उद्देश्य के लिए रोजमर्रा के लेखों के कार्य के लिए, जैसा कि उड़ीसा राज्य सरकार के लिए जेवियर इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भुवनेश्वर द्वारा तैयार किया जा रहा है और जिसके 2004 के आरंभ में तैयार हो जाने की आशा है जैसे सॉफ्टवेयर को यथासंभव प्रत्येक जगह भेजा जाए।

(12) सामाजिक लेखा परीक्षा, औपचारिक लेखा-परीक्षा का पूरक है और पंचायती राज के सुदृढ़ और स्वस्थ विकास के लिए यह जरूरी है कि सामाजिक और औपचारिक लेखा-परीक्षाओं के बीच एक सहजीवी रिश्ता स्थापित किया जाए।

(13) सामाजिक लेखा परीक्षा को ग्राम सभा के स्तर पर लिया जाना चाहिए पर उसे पंचायती राज प्रणाली के उच्च स्तरों पर भी लिया जा सकता है, जैसा कि पश्चिम बंगाल में किया जाता है।

(14) सामाजिक लेखा-परीक्षा प्रभावी हो और विभिन्न राज्यों में उपलब्ध श्रेष्ठ प्रणालियों पर आधारित हो, इसके लिए, राज्य विधान सभाओं/सरकारों द्वारा अपनाए जाने हेतु सामाजिक लेखा-परीक्षा नीतियों को बनाने पर विचार किया जा सकता है ताकि एक ढांचा तैयार किया जा सके जिसके भीतर सामाजिक लेखा-परीक्षा कार्य किया जा सके। इस तरह की सामाजिक लेखा-परीक्षा नीतियां, पंचायतों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने में सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ गुणवत्ता मूल्यांकन, वरीयताओं की सुनिश्चितता और चयन के प्रावधान द्वारा औपचारिक लेखा-परीक्षा प्रक्रिया के पूरक के रूप में भी कार्य कर सकती हैं साथ ही, सामाजिक लेखा-परीक्षा नीतियों में अकारण परेशानियों को रोकने के लिए संस्थागत उपायों का प्रावधान किया जाए।

(15) सामाजिक लेखा-परीक्षा के माध्यम से उठाए गए मुद्दों पर समुचित अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक निकाय और विनियमन प्राधिकारी, सामाजिक लेखा-परीक्षा पैराओं को औपचारिक लेखा-परीक्षा के समतुल्य मानें ताकि एक समयबद्ध तरीके से उन पर विचार और उनका निपटान किया जा सके।

(16) प्रभावी सामाजिक लेखा-परीक्षा के लिए जानकारी को समग्र रूप से बताने की अत्यंत महत्ता को देखते हुए, राज्य, सूचना के अधिकार से संबंधित एक विधान पारित करने पर विचार कर सकते हैं और इसमें राजस्थान जैसे राज्यों में पहले से ही मौजूद लिखित विधान को भी देखा जा सकता है।

मीनारों और टॉवरों का झुकना

5040. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में कुछ मीनारों तथा टॉवरों के झुकने की सूचना की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ताजमहल की मीनारों और दिल्ली की कुतुब मीनार के झुकाव की जानकारी है।

(ख) भारतीय सर्वेक्षण ने सन् 1941 से ताजमहल की चारों मीनारों की ऊर्ध्वता की जांच करने के लिए आवधिक सर्वेक्षण किए हैं और हाल ही में भारतीय सर्वेक्षण की भूगणितीय तथा अनुसंधान शाखा ने मीनारों की ऊर्ध्वता के अध्ययन तथा प्रेक्षण मार्च, 2005 में किए हैं।

भारतीय सर्वेक्षण ने 1975 से 1994 में कुतुब मीनार के झुकाव का भी अध्ययन किया है और हाल ही में, अप्रैल, 2005 में अध्ययन किए गए हैं।

(ग) त्रिभुजन, तिरछापन और समतल आंकड़ों से भारतीय सर्वेक्षण ने निष्कर्ष निकाला है कि 1940 से 1994 तक ताज महल

के गुम्बद और चार मीनारों की योजना तथा उत्थापन बिल्कुल संतुलित रहा है।

1975 से 1994 तक प्रेक्षित त्रिभुजन, तिरछापन और समतलन आंकड़ों के आधार पर, भारतीय सर्वेक्षण ने दिनांक 16.2.1998 की रिपोर्ट में यह पुष्कि की कि कुतुब मीनार का प्रति वर्ष 9-10 आर्क सेकेन्ड की दर से हो रहा झुकान बहुत नगण्य है।

(घ) मार्च/अप्रैल, 2005 में ताजमहल तथा कुतुब मीनार के किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। उसके मिलने पर आगे की कार्रवाई करने का निश्चय किया जाएगा।

संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 में संशोधन

5041. श्री राजेन्द्र कुमार: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 में संशोधन करने के लिए अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) ऐसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेल भंडारों की खोज

5042. श्री हितेन बर्मन:
श्री रघुनाथ झा:
श्री सुब्रत बोस:
श्री रनेन बर्मन:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस भंडारों की खोज के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश के विभिन्न भागों में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा ड्रिल किए गए तेल कुओं की संख्या कितनी है और इनसे तेल और गैस की कितनी मात्रा का दोहन किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन कुओं की ड्रिलिंग पर कितना व्यय किया गया; और

(घ) देश में और तेल कुओं की ड्रिलिंग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नवत् है:

	नौवीं योजना योजना (1997-2002)	दसवीं योजना (2002-2007)
द्वि-आयामी भूकंपीय सर्वेक्षण (कि.मी.)	34745	98327
त्रि-आयामी भूकंपीय सर्वेक्षण (वर्ग के. मी.)	7450	48305
अन्वेषी कूप (सं.)	776	871
विकास कूप (सं.)	952	883
कूपों की कुल संख्या	1728	1754
भंडार अभिवृद्धि (मि.मी. टन)	663-862	785-914

(ख) और (ग) वेधित कूपों की संख्या, स्थानिक भंडार अभिवृद्धि तथा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा इन कूपों के वेधन पर किया गया व्यय निम्नवत् है:

	नौंवी योजना (1997-2002)	दसवीं योजना (प्रथम 3 वर्ष अर्थात्) (2002-2005)
अन्वेषी कूप (सं.)	750	411
विकास कूप (सं.)	828	637
स्थानिक भंडार अभिवृद्धि (मि.मी. टन)	563.30	293.07
वेधन पर किया गया व्यय (रु. करोड़ में)	19667.33	11839.59

(घ) हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के तहत आगामी अन्वेषण के लिए नए क्षेत्र खोले गए हैं। एनईएलपी के तहत, अभी तक हुए अन्वेषी वेधन के चार दौरों में विभिन्न कंपनियों को 90 अन्वेषण ब्लाक प्रस्तुत किए गए हैं। एनईएलपी ब्लाकों में अन्वेषण कार्य से अभी तक 19 तेल/गैस खोजें हुई हैं। एनईएलपी के पांचवे दौर के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के लिए 20 और अन्वेषण ब्लाक प्रस्तुत किए गए हैं।

(2) नामांकन आधार पर राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसी) को सौंपे गए क्षेत्रों में उनके द्वारा त्वरित अन्वेषण कार्यक्रम।

"एपेक्स" किराया योजना

5043. श्री विक्रम केशरी देव: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस का विचार भुवनेश्वर दिल्ली तथा भुवनेश्वर-कोलकाता सेक्टरों के लिए एपेक्स किराया योजना शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा एपेक्स किराया योजना के अंतर्गत इन सेक्टरों को कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पारादीप पत्तन तक रेल संपर्क

5044. श्री जुएल ओराम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारादीप पत्तन प्राधिकरण ने रेल मंत्रालय से इस पत्तन तक बेहतर रेल संपर्क प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पत्तन प्राधिकरण ने पत्तन से कार्गो की बेहतर आवाजाही के लिए अतिरिक्त वैगनों के लिए भी अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजधानी रेलगाड़ी में अधिभोग अनुपात

5045. श्री विजय कृष्ण: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा ऑफ सीजन के दौरान निजामुद्दीन तथा चेन्नई के बीच राजधानी रेलगाड़ी के अधिभोग अनुपात का अनुवीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऑफ सीजन के दौरान पूर्ण राजधानी रेलगाड़ी चलाने से रेलवे को कितना अनुमानित घाटा हुआ है;

(ग) क्या सरकार ऑफ सीजन के दौरान राजधानी रेलगाड़ी बंद करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) 2433/2434 चेन्नई-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों को ऑफ सीजन में भी चलाया जाना अपेक्षित होता है क्योंकि इस अवधि के दौरान 2 वाता. और 3 वाता. श्रेणियों में स्थान का वास्तविक अधिभोग 70-80% के स्तर तक हो गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में रेल परियोजनाएं

5046. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में जारी रेल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अब तक इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई तथा प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए वर्ष 2004-05 के दौरान कितनी निधियां आबंटित की गई;

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय सारिणी क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) विभिन्न चल रही नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाएं जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से पूरी तरह/आंशिक रूप से गुजरती है, के लिए परियोजनावार प्रगति और लक्ष्य तिथि, जहां कहीं निर्धारित है, 31.3.2005 तक प्रत्याशित खर्च (वास्तविक खर्च का पिछले वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिए जाने पर पता चलेगा) और 2005-06 के दौरान मुहैया कराया गया बजट आबंटन इस प्रकार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वर्तमान स्थिति रुपयों में)	प्रत्याशित लागत (करोड़ व्यय	31.3.2005 तक प्रत्याशित कराया गया (करोड़ रुपयों में)	2005-06 के दौरान मुहैया बजट आबंटन (करोड़ रुपयों में)
1	2	3	4	5	6
		नई लाइन			
1.	शिवपुर के रास्ते गुना-इटावा-ग्वालियर-भिंड (348.25 कि.मी.)	गुना-भिंड (308 कि.मी.) पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। भिंड-इटावा (36 कि.मी.) खंड पर, जहां समग्र वास्तविक प्रगति 77% है, मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी और गिट्टी आपूर्ति संबंधी कार्य प्रगति पर हैं।	423.00	381.69	25.00
2.	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली और महोबा-खजुराहो (541 कि.मी.)	कार्य को चरणों में शुरू किया जा रहा है। ललितपुर-खजुराहो (167.5 कि.मी.) और महोबा-खजुराहो (65 कि.मी.) पर अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। खजुराहो-सतना (116 कि.मी.) और रीवा-सिंगरौली (191.6 कि.मी.) में अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण प्रगति पर है। पूरी लाइन में मिट्टी	925.00	83.96	25.00

1	2	3	4	5	6
		संबंधी और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं जिसके लिए भूमि उपलब्ध करा दी गई है।			
3.	दाहोद, सरदार पुर और धार के रास्ते गोधरा-इंदौर और देवास-मकसी (316 कि.मी.)	देवास-मकसी (36 कि.मी.) पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। शेष परियोजना पर कार्य आवश्यक स्वीकृति मिलने के बाद शुरू कर दिया जाएगा। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है।	946.16	67.70	15.00
4.	रामगंज मंडी-भोपाल (262 कि.मी)	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। रामगंज मंडी-झालावाड़ (25.72 कि.मी.) के बीच कार्य शुरू कर दिया गया है।	726.05	30.44	15.00
5.	दल्लीराजहरा-जगदलपुर (235 कि.मी.)	दल्लीराजहरा से रोवाघाट तक इस लाइन का पहला चरण पूरी तरह से मैं. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) द्वारा निर्मित किया जाना है, जिन्होंने अभी तक रेलवे के पास इस परियोजना की लागत अभी जमा नहीं करवाई है तथा रोवाघाट क्षेत्र में खनन और वन स्वीकृति अभी नहीं मिली है। सेल जैसे ही रेलवे के पास धनराशि जमा करवा देगा और राज्य सरकार अपेक्षित भूमि का कब्जा दे देगा, कार्य शुरू कर दिया जाएगा।	369.00	0.44	0.01
6.	विश्रामपुर-अंबिकापुर (19.88 कि.मी.)	भूमि पूरी तरह अधिग्रहीत कर ली गई है। समग्र वास्तविक प्रगति 85% है। विश्रामपुर-कमालपुर एक ब्लॉक खंड पूरा हो गया है।	80.33	48.49	22.06

1	2	3	4	5	6
		आमान परिवर्तन			
1.	बालाघाट-कटंगी सहित जबलपुर-गोंदिया (285 कि.मी.)	गोंदिया-बालाघाट खंड पूरा हो गया है और ट्रायल इंजन चलाने का कार्य पूरा हो गया है। जबलपुर-बालाघाट खंड पर भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। गौरीघाट-कच्छेपुरा स्ट्रैच और बालाघाट-कटंगी खंडों पर मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।	511.86	147.87	25.00
2.	नीमच-रतलाम (135.38 कि.मी.)	मिट्टी-संबंधी, पुल संबंधी और गिट्टी आपूर्ति संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। इस कार्य को 2005-06 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।	167.51	90.99	20.00
3.	छिंदवाड़ा-नागपुर (149.522 कि.मी.)	बजट 2005-06 में नया कार्य शामिल किया गया।	383.79	0.00	4.00
		दोहरीकरण			
1.	कालापीपल-फांदा-मकसी-भोपाल (41.49 कि.मी.)	आंशिक रूप से भूमि अधिग्रहीत कर ली गई है। मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं।	97.64	19.11	25.00
2.	अकोडिया-मोहम्मद खेड़ा-शुजालपुर (13.15 कि.मी.)	इस कार्य को शुरू करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्था की जा रही है।	31.36	0.10	12.12
3.	मानिकपुर कटियाबंदी (32.68 कि.मी.)	मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी और गिट्टी आपूर्ति संबंधी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। रेलपथ संपर्क का कार्य प्रगति पर है। समग्र	50.74	35.38	0.99

1	2	3	4	5	6
		वास्तविग प्रगति 90% है। इस कार्य को 2005-06 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।			
4.	कोरबा-गेवरा रोड (8 कि.मी.)	गेवरा रोड-कुसमुंडा (3 कि.मी.) पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। कुसमुंडा-कोरबा की समग्र वास्तविक प्रगति 95% है।	46.80	42.95	3.50
5.	बिलासपुर-उरकुड़ा (तीसरी लाइन) (110 कि.मी.)	बिलासपुर-कुसमुंडा पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। दागोरी-भाटपाड़ा खंड पर मिड सेक्शन संपर्क का कार्य लगभग पूरा हो गया है। भाटपाड़ा-उरकुड़ा को रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।	227.36	171.36	56.00
6.	बिलासपुर-सलका रोड (39.4 कि.मी.)	उसलपुर-सलका रोड के बीच अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण शुरू किया जा रहा है।	90.02	6.81	10.00
7.	भिलाई-दुर्ग (तीसरी लाइन) (13.15 कि.मी.)	बजट 2005-06 में नया कार्य शामिल किया गया।	33.00	0.00	2.00
8.	बिलासपुर में पुल सहित बिलासपुर-अनूपपुर (कालाचन्द-खोंगसारा को छोड़कर)	बजट 2005-06 में नया कार्ग शामिल किया गया।	84.00	0.00	12.00

(ङ) कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति कर रहा है। रेलों ने परियोजनाओं की प्रगति तेज करने के लिए साधारण बजटीय सहायता से इतर स्रोतों से अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करने के बहुत से उपाय किए हैं।

विशेष भर्ती अभियान

5047. **श्री सुरेश चन्देल:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जब से भारतीय रक्षा सेवाओं में भर्ती के नये मानदंड अपनाए गए हैं, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों से रक्षा सेवाओं में भर्ती में समानुपातिक रूप से कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार की हिमाचल प्रदेश सरकार तथा राज्य के संसद सदस्यों से भी नए मानदंडों में छूट देने तथा राज्य में विशेष भर्ती रैलियों का आयोजन करने के लिए अनुरोध मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश में आयोजित विशेष भर्ती रैलियों की संख्या कितनी है तथा इन रैलियों में भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) शारीरिक और शैक्षिक मानदंडों में छूट दिए जाने के लिए संसद सदस्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। समग्र भू-सामाजिक परिवेश और संपूर्ण देश के सभी क्षेत्रों के आनुवंशिक पूल को ध्यान में रखते हुए उच्च अधिकार प्राप्त अध्ययन दलों द्वारा समय-समय पर इस पहलू की समीक्षा की जाती है। सशस्त्र सेनाओं में सैनिकों के शारीरिक प्रोफाइल में सुधार के लिए ऐसा किया जाता है। सेना में अगस्त, 2004 से समस्त पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के लिए लागू लंबाई की अपेक्षा 163 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 166 सेंटीमीटर कर दी गई है।

(घ) वायुसेना में, वर्ष 2002 में शिमला और हमीरपुर में दो विशेष भर्ती रैलियां और वर्ष 2004 में चोवारी में एक भर्ती रैली आयोजित की गई थी। सेना में, आबंटित रिक्तियों की तुलना में प्रतिक्रिया और भर्ती संतोषजनक रही। नौसेना में, 'अखिल भारतीय योग्यता' पर आधारित भर्ती भी पर्याप्त थी।

इथेनॉल को पेट्रोल/डीजल में मिलाने के लिए ब्राजील से प्रौद्योगिकी

5048. **श्री पारसनाथ यादव:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्राजील इथेनोल को पेट्रोल/डीजल में मिलाने के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान कर रहा है और विभिन्न संबंधित पहलुओं पर परामर्श दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इथेनोल को पेट्रोल तथा डीजल में मिलाकर सरकार द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा बचाई गई;

(घ) वर्तमान में इथेनोल मिश्रित पेट्रोल किन राज्यों में बेचा जा रहा है;

(ङ) क्या सरकार ने पेट्रोल में इथेनोल मिलाने से प्राप्त अतिरिक्त पेट्रोल का निर्यात किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने पर्यावरण पर इथेनोल मिश्रित पेट्रोल के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन किया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 8.4.2002 को ब्राजील के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत ब्राजील पेट्रोल/डीजल के साथ एथेनोल सम्मिश्रण के लिए प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान करेगा और प्रौद्योगिकी के विभिन्न संबंधित पहलुओं पर परामर्श देगा। तथापि, ब्राजील की कांग्रस द्वारा इसे अनुपोषित करने के बाद ही समझौता ज्ञापन लागू होगा।

(ग) से (च) भारत पेट्रोल का आयात नहीं करता और कुल मिलाकर डीजल में आत्मनिर्भर है। इसलिए पेट्रोल में एथेनोल सम्मिश्रण से विदेशी मुद्रा बचत का कोई सीधा निहितार्थ नहीं है। तथापि, पेट्रोल/डीजी की प्रमात्रा के शोधन के लिए अपेक्षित कच्चे तेल के आयात पर विदेशी मुद्रा बचाने के अप्रत्यक्ष परिणाम होते हैं। परिवहन क्षेत्र में प्रयोग के लिए पेट्रोल में एथेनोल सम्मिश्रण के लिए प्रौद्योगिकी प्रमाणित है। किन्तु, डीजल में एथेनोल सम्मिश्रण की ऐसी कोई प्रौद्योगिकी वाणिज्यिक प्रयोग की दृष्टि से अभी प्रमाणित नहीं हुई है।

सरकार अधिसूचित चीनी उत्पादक राज्यों/निकटवर्ती राज्यों तथा संघ शासित राज्यों में एथेनोल सम्मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही है। राज्य, जहां क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रम अधिसूचित है, वे हैं–महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश (चितूर व नेल्लोर जिलों के

अलावा) तथा तमिलनाडु (केवल कोयम्बटर डिंडीगुल, इरोड, कन्याकुमारी, नीलगिरी, रामनाथपुरम, तिरुनेलवेलि, तूतीकोरिन तथा विरुद्धनगर) तथा दमन व द्वीव, दादरा व नगर हवेली तथा चंडीगढ़ संघ शासित राज्य। राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 705 (ई) दिनांक 27.10.2004 के अनुसार, अधिसूचित क्षेत्रों में 5% एथेनोल सम्मिश्रित पेट्रोल की आपर्ति अनिवार्य है बशर्ते कि कार्यक्रम के लिए प्रस्तानित एथेनोल का मूल्य वैकल्पिक प्रयोगों के लिए उपलब्ध एथेनोल का मूल्य वैकल्पिक प्रयोगों के लिए उपलब्ध एथेनोल के मूल्य से तुलनीय है, और अधिसूचित स्थानों पर पेट्रोल के सुपुर्दगी मूल्य के समतुल्य है और इस शर्त पर भी कि ऐसे मूल्यों पर एथेनोल की आपूर्ति बनाए रखी जा सकती है।

भारत ने वर्ष 2003-04 में अनंतिम रूप से 4021 करोड़ रुपए मूल्य के कुल 2979 हजार मीट्रिक टन पेट्रोल का निर्यात किया, जिसमें पेट्रोल में एथेनोल सम्मिश्रण से बचाया गया पेट्रोल शामिल है।

(छ) और (ज) जी हां। उत्सर्जन अध्ययनों से पता चला है कि 5% तथा 10% एथेनोल पेट्रोल सम्मिश्रणों के प्रयोग से दुपहिया वाहनों के कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ) उत्सर्जनों में कमी आई थी किन्तु हाइड्रोकार्बन (एचसी) उत्सर्जनों में सीमांत वृद्धि हुई है। कैटेलिटिक कनवर्टर वाले दुपहिया-वाहन कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्सर्जन दोनों में भारी कमी दर्शाते हैं। यात्री कारों के मामले में नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओ) उत्सर्जनों में नाममात्र की सीमांत वृद्धि पाई गई थी। तथापि, सीओ व एचसी उत्सर्जनों में काफी कमी आई है।

गन कैरिज फैक्टरी, जबलपुर में विनिर्माण

5049. श्री राकेश सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जबलपुर में गन कैरिज फैक्टरी में इसकी निर्माण क्षमता के अनुसार पर्याप्त कार्य है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त फैक्टरी की निर्माण क्षमता का पूर्णतः उपयोग करने केलिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, हां। वर्ष 2005-06 के लिए गन कैरिज फैक्टरी, जबलपुर में इसकी उत्पादन क्षमता के अनुसार पर्याप्त कार्य है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेशी सैनिकों को प्रशिक्षण

5050. श्री खारबेल स्वाईं: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा देश-वार कितने विदेशी सैनिकों को प्रशिक्षण दिया गया;

(ख) क्या भारत अपने सैनिकों को प्रशिक्षण हेतु विकसित देशों में भेज रहा है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रशिक्षण हेतु भेजे गए सैनिकों की संख्या कितनी है; और

(घ) प्रशिक्षण के आदान-प्रदान तथा संयुक्त अभ्यासों से क्या लाभ मिला?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) पिछले तीन प्रशिक्षण वर्षों के दौरान भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा 5483 विदेशी सैनिक प्रशिक्षण किए गए थे। वर्षवार और देशवार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान विकसित देशों में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए सैनिकों की संख्या इस प्रकार है:

2002-03	-	96
2003-04	-	78
2004-05	-	102

(घ) प्रशिक्षण और संयुक्त अभ्यासों के आदान-प्रदान से अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग बनाने में सहायता मिलती है। मित्र देशों के सैनिकों को हमारे इतिहास, संस्कृति और समाज की भी जानकारी मिलती है। विदेशों में पाठ्यक्रमों का लाभ उठाने से हमारी सशस्त्र सेनाओं को संगठनात्मक प्रक्रियाओं, उपस्करों, तरीकों, प्रशिक्षण और प्रक्रियाओं में मौजूदा और उभरते अंतर्राष्ट्रीय रुझानों की जानकारी मिलती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा प्रशिक्षित विदेशी सैनिकों की संख्या का देशवार ब्यौरा

देश	प्रशिक्षित सैनिकों की संख्या			जोड़
	2002-03	2003-04	2004-05	
1	2	3	4	5
अल्जीरिया	शून्य	01	शून्य	01
आस्ट्रेलिया	01	02	01	04
बांगलादेश	41	26	33	100
बेनिन	शून्य	04	शून्य	04
भूटान	08	224	258	490
बोत्सवाना	शून्य	37	31	38
कम्बोडिया	28	18	10	52
चेक गणराज्य	शून्य	01	शून्य	01
मिस्र	01	01	शून्य	02
इथोप्पिया	01	शून्य	शून्य	01
फ्रांस	01	02	03	06
घाना	02	02	06	10
इंडोनेशिया	09	03	10	22
कजाकिस्तान	02	06	06	14
केनिया	08	06	11	25
कोरिया	0	01	01	03
क्रिगिस्तान	01	06	02	09
लाओस	01	07	04	12
लेबनान	01	01	शून्य	02
लेसोथो	शून्य	03	03	06
मलेशिया	15	16	09	40

1	2	3	4	5
मालदीव	56	77	105	238
मॉरीशश	25	36	27	88
मंगोलिया	05	05	01	11
म्यांमार	10	29	25	64
नामीबिया	01	शून्य	शून्य	01
नाइजीरिया	15	17	14	46
नेपाल	05	216	151	372
ओमान	04	02	शून्य	03
फिलिपीन्स	01	02	शून्य	03
कतर	04	शून्य	शून्य	04
सेशल्स	07	15	09	31
सिंगापुर	शून्य	01	07	08
दक्षिण अफ्रीका	शून्य	01	01	02
श्रीलंका	359	1776	1414	3549
सीरिया	01	01	01	03
ताजिकिस्तान	04	47	26	77
तंजानिया	01	शून्य	06	07
थाइलैंड	02	02	01	05
यूगांडा	01	04	03	08
यू.के.	04	04	04	12
यू.एस.ए.	03	06	08	17
उजबेकिस्तान	03	05	02	10
यू.ए.ई.	01	02	02	05
वियतनाम	16	08	15	39
जांबिया	शून्य	04	शून्य	04

कोयला गैसीकरण

5051. श्री बी. विनोद कुमार: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैस अथारिटी आफ इंडिया (गेल) ने कोयला गैसीकरण प्रक्रिया के लिए "शेल" के साथ सहयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयला गैसीकरण के लिए "गेल" द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) ने शैल के साथ विभिन्न प्रकार के गैस क्षेत्र सहयोगों, गैर पारंपरिक गैस उत्पादन और अन्त्य प्रयोक्ता क्षेत्रों से संबंधित एक आतपत्र करार किया था।

दोनों पक्षकार अब आतपत्र करार को पुनर्जीवित करने के लिए सहमत हो गए हैं।

गेल पूर्वोत्तर भारत में कोयला गैसीकरण परियोजना स्थापित करने के लिए शैल कोल गैसीकरण प्रक्रिया (एससीजीपी) का उपयोग करने की इच्छुक है।

शैल ने यह संकेत दिया है कि एससीजीपी भारतीय कोयले जिसमें स्वाभाविक रूप से अत्यधिक राख कण होते हैं, के लिए उपयुक्त है।

शैल ने इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स के कोयला नमूना विश्लेषण के आधार पर गेल के लिए अध्ययन किए हैं।

(ग) और (घ) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स से कोयला आंकड़ों के आधार पर मैसर्स उहदे मुंबई द्वारा अपनी मूल कंपनी मैसर्स उहदे, जर्मनी के सहयोग से विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट (डीएफआर) तैयार की जा रही है। इस डीएफआर के अगस्त, 2005 के अंत तक तैयार हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

रक्षा बलों में भर्ती

5052. श्री रामदास आठवले: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों से रक्षा बलों की तीनों स्कंधों के लिए की गई भर्ती का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों से भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या अन्य राज्यों से भर्ती किए गए व्यक्तियों की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की स्थिति के अनुसार देश में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में स्थानवार कितने भर्ती केन्द्र हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक देश के विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों के किन-किन भर्ती केन्द्रों पर भर्ती की गई; और

(च) चालू वर्ष के दौरान किन-किन जनजातीय क्षेत्रों से जनजातीय व्यक्तियों की भर्ती किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, की गई भर्ती का राज्यवार ब्यौरा, महाराष्ट्र राज्य सहित दर्शाने वाला विवरण I संलग्न है। जनजातीय क्षेत्रों से रक्षा बलों में की गई भर्ती के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) नौसेना तथा वायुसेना में भर्ती देश में विभिन्न स्थानों पर परीक्षा केन्द्रों/वायुसैनिक चयन केन्द्रों की स्थापना करके आवेदन प्रणाली के माध्यम से की जाती है। सेना में भर्ती, मेला (रैली) प्रणाली के माध्यम से की जाती है। सेना के भर्ती कार्यालयों का ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

किसी खास क्षेत्र, धर्म, जाति अथवा पंथ से संबंधित भर्ती के आंकड़े नहीं रखे जाते। सभी जिलों को वर्ष में कम से कम एक बार भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कवर किया जाता है।

विवरण 1

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2002			2003			2004		
	सेना	नौसेना	वायुसेना	सेना	नौसेना	वायुसेना	सेना	नौसेना	वायुसेना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	6614	323	268	7193	303	337	5648	317	748
अंडमान एवं निकोबार	49	03	05	22	03	18	22	08	00
असम	1555	27	20	1650	65	52	1618	55	36
अरुणाचल प्रदेश	191	02	02	61	01	00	82	00	00
बिहार	5105	814	1762	6895	605	838	5707	588	2265
चंडीगढ़	11	01	12	07	00	00	05	01	02
छत्तीसगढ़	1030	14	10	1183	34	54	1072	21	16
दादर एवं नागर हवेली	00	00	00	00	00	00	00	00	00
दमन एवं दीव	00	00	00	00	00	00	00	00	00
दिल्ली	1210	82	74	1460	46	35	1388	43	40
गुजरात	1899	12	18	3656	14	03	2128	01	55
गोवा	140	09	03	20	05	00	125	02	00
हरियाणा	3922	418	333	3099	674	168	2927	493	473
हिमाचल प्रदेश	2747	59	45	2884	133	40	2336	99	79
जम्मू-कश्मीर	3638	66	47	4266	125	16	3261	55	297
झारखण्ड	154	56	234	1987	40	153	1715	34	230
कर्नाटक	3994	06	38	3077	39	16	4686	18	101
केरल	3037	318	292	3529	229	242	2599	180	334
लक्षद्वीप	00	00	00	00	00	00	00	00	00
मध्य प्रदेश	4084	41	60	4726	55	16	4011	68	103
महाराष्ट्र	7998	103	36	10290	86	51	6723	80	60
मणिपुर	644	16	17	302	57	99	371	38	43
मेघालय	120	04	00	139	05	07	119	05	03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मिजोरम	296	02	04	178	01	27	329	04	05
नागालैंड	578	02	02	253	31	06	528	16	02
उड़ीसा	1929	261	208	2460	247	54	1814	198	225
पांडिचेरी	06	03	01	23	01	01	06	00	02
पंजाब	6995	59	32	5843	158	08	7944	101	71
राजस्थान	6595	59	32	5843	158	08	7944	101	71
सिक्किम	62	15	02	64	13	00	64	15	02
तमिलनाडु	5462	61	82	5615	39	52	4492	49	127
त्रिपुरा	157	00	00	151	00	54	159	00	36
उत्तर प्रदेश	12562	598	1352	16442	629	680	12650	656	848
उत्तरांचल	5966	95	149	3698	88	195	4077	75	200
पश्चिम बंगाल	4760	133	149	5417	129	92	4258	193	217
नेपाल	1880	01	00	1542	01	00	1412	00	00
कुल	96810	3833	5468	105421	4201	3435	89841	3784	7040

नोट: सेना में भर्ती आंकड़े कलैंडर वर्ष के आधार पर रखे जाते हैं तथा नौसेना तथा वायुसेना में वित्त वर्ष के आधार पर।

विवरण II

आज तक भर्ती कार्यालयों की अवस्थिति

(1) मुख्यालय भर्ती जोन अम्बाला

1. *भर्ती कार्यालय मुख्यालय, अम्बाला
2. शाखा भर्ती कार्यालय, रोहतक
3. शाखा भर्ती कार्यालय, हिसार
4. @शाखा भर्ती कार्यालय, दादरी
5. शाखा भर्ती कार्यालय, पालमपुर
6. शाखा भर्ती कार्यालय, हमीरपुर
7. शाखा भर्ती कार्यालय, शिमला
8. शाखा भर्ती कार्यालय, मंडी

(2) मुख्यालय भर्ती जोन बेंगलूर

9. भर्ती कार्यालय मुख्यालय, बेंगलूर
10. शाखा भर्ती कार्यालय, मंगलूर
11. शाखा भर्ती कार्यालय, बेलगांव
12. शाखा भर्ती कार्यालय, त्रिवेंद्रम
13. शाखा भर्ती कार्यालय, कालीकट

(3) मुख्यालय भर्ती जोन चेन्नई

14. भर्ती कार्यालय मुख्यालय, चेन्नई
15. शाखा भर्ती कार्यालय, तिरुचिरापल्ली
16. शाखा भर्ती कार्यालय, कोयम्बटूर
17. शाखा भर्ती कार्यालय, सिकंदराबाद
18. शाखा भर्ती कार्यालय, गंतूर
19. विशाखापट्टनम

(4) मुख्यालय भर्ती जोन दानापुर

20. भर्ती कार्यालय मुख्यालय, दानापुर

21. शाखा भर्ती कार्यालय

22. शाखा भर्ती कार्यालय, गया

23. शाखा भर्ती कार्यालय, कटिहार

24. शाखा भर्ती कार्यालय, रांची

(5) मुख्यालय भर्ती जोन जबलपुर

25. भर्ती कार्यालय मुख्यालय, जबलपुर

26. शाखा भर्ती कार्यालय, ग्वालियर

27. शाखा भर्ती कार्यालय, मऊ

28. शाखा भर्ती कार्यालय, भोपाल

29. शाखा भर्ती कार्यालय, रायपुर

(6) मुख्यालय भर्ती जोन जयपुर

30. भर्ती कार्यालय मुख्यालय, जयपुर

31. शाखा भर्ती कार्यालय, अलवर

32. शाखा भर्ती कार्यालय, झुंझुनू

33. शाखा भर्ती कार्यालय, जोधपुर

34. शाखा भर्ती कार्यालय, कोटा

(7) मुख्यालय भर्ती जोन जालंधर

35. भर्ती कार्यालय मुख्यालय, जालंधर

36. शाखा भर्ती कार्यालय, अमृतसर

37. शाखा भर्ती कार्यालय, फिरोजपुर

38. शाखा भर्ती कार्यालय, पटियाला

39. शाखा भर्ती कार्यालय, लुधियाना

40. शाखा भर्ती कार्यालय, जम्मू

41. शाखा भर्ती कार्यालय, श्रीनगर

(8) मुख्यालय भर्ती जोन कोलकाता

42. भर्ती कार्यालय मुख्यालय, कोलकाता

43. शाखा भर्ती कार्यालय, सिलीगुड़ी

44. शाखा भर्ती कार्यालय, कंचरापाड़ा

45. शाखा भर्ती कार्यालय, कटक

46. शाखा भर्ती कार्यालय, संबलपुर

47. शाखा भर्ती कार्यालय, गोपालपुर

(9) मुख्यालय भर्ती जोन लखनऊ

48. भर्ती कार्यालय मुख्यालय, लखनऊ

49. शाखा भर्ती कार्यालय, मेरठ

50. शाखा भर्ती कार्यालय, बरेली

51. शाखा भर्ती कार्यालय, आगरा

52. शाखा भर्ती कार्यालय, वाराणसी

53. शाखा भर्ती कार्यालय, अमेठी

54. शाखा भर्ती कार्यालय, लांसडाउन

55. शाखा भर्ती कार्यालय, अल्मोड़ा

56. शाखा भर्ती कार्यालय, पिथौरागढ़

(10) मुख्यालय भर्ती जोन पुणे

57. भर्ती कार्यालय मुख्यालय, पुणे

58. शाखा भर्ती कार्यालय, मुम्बई

59. शाखा भर्ती कार्यालय, नागपुर

60. शाखा भर्ती कार्यालय, कोल्हापुर

61. शाखा भर्ती कार्यालय, औरंगाबाद

62. शाखा भर्ती कार्यालय, अहमदाबाद

63. शाखा भर्ती कार्यालय, जामनगर

(11) मुख्यालय भर्ती जोन शिलांग

64. भर्ती कार्यालय मुख्यालय, शिलांग

65. शाखा भर्ती कार्यालय, जोरहाट

66. शाखा भर्ती कार्यालय, नारंगी

67. शाखा भर्ती कार्यालय, रंगपहाड़

68. शाखा भर्ती कार्यालय, सिल्चर

(12) गोरखा भर्ती डिपो (जीआरडी)

69. जीआरडी, कुनराघाट

70. जीआरडी घूम

(13) स्वतंत्र भर्ती कार्यालय (आईआरओ)

71. आई आर ओ दिल्ली छावनी

*भर्ती कार्यालय

@शाखा भर्ती कार्यालय

[अनुवाद]

विमान की खरीद से एअर इंडिया द्वारा उठाया गया घाटा

5053. डा. के.एस. मनोज: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 2005 (वाणिज्यिक) की अपनी रिपोर्ट सं. 3 में यह टिप्पणी की है कि एअर इंडिया ने अपने विमान की पेलोड लिमिट बढ़ाने के लिए 26.33 करोड़ रुपए व्यय किए थे परन्तु कार्गो वृद्धि की अवास्तविक अनुमान के कारण इससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) जी, हां। छह बी-737-400 विमानों के पे लोड की सीमा (बढ़ाने "अधिकतम जीरो फ्यूल भार") के लिए मई, 2000 में 26.33 करोड़ रु. व्यय किए गए। इक्नामी श्रेणी की 26 अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था करने के लिए विमान के रिकन्फीग्रेशन के कारण ऐसा किया जाना अनिवार्य था। परिणामस्वरूप, जून, 2000 से मार्च, 2001 के दौरान (वित्तीय वर्ष 2000-01), कार्गो राजस्व में वर्ष 1999-2000 की तुलना में 7 करोड़ रु. की वृद्धि हुई। इसी प्रकार, भारत/यू.एस.ए./भारत सेक्टर पर यात्री सीट घटक पिछले वर्ष के 72.4% की तुलना में बढ़कर 77.9% हो गया, जिससे 5.5% की वृद्धि हुई। बी 747-400 विमान में उपलब्ध 423 सीटों की क्षमता की तुलना में प्रत्येक एक तरफा उड़ान में औसतन 23 यात्रियों का अधिक वहन किया गया अर्थात् प्रति वापसी ट्रिप में 46 और यात्रियों को ले जाया गया। यात्रियों की संख्या में इस वृद्धि के कारण बैगेज के अतिरिक्त स्थान/भार के साथ-साथ अतिरिक्त यात्रियों के परिणामस्वरूप भार में वृद्धि की आवश्यकता थी तथा कार्गो के लिए निम्नलिखित सीमा तक पे लोड़ उपलब्ध को कम किया गया।

प्रति यात्री बैगेज का औसत भार (64 किग्रा.)		प्रति यात्री औसत भार (77 किग्रा.)
46 अतिरिक्त यात्री	(46 × 64) 2944	(46 × 77) 3542
प्रति सप्ताह 10 उड़ाने	29440	35420
प्रति वर्ष 52 सप्ताह	1530880 (क)	1841800 (ख)

यात्रियों में वृद्धि के कारण उपयोग हुआ अतिरिक्त पे लोड: (क) + (ख) = 3372.7 टन।

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2000-01 के दौरान ले जाए गए यात्रियों की संख्या में वृद्धि के कारण 3373 टन पे लोड के अतिरिक्त उपयोग के बावजूद, एअर इंडिया कार्गो लगभग उतने ही टन भार का वहन करने में समर्थ था तथा इसने 7 करोड़ रु. का अधिक राजस्व अर्जित किया। यदि 26.33 करोड़ रु. का उपर्युक्त व्यय न किया जाता तो कार्गो अपलिफ्ट 3373 टन तक कम हो जाता तथा इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2000-01 के दौरान मौजूदा कार्गो राजस्व की दर से एक वर्ष में 22.71 करोड़ रु. के राजस्व की हानि होती।

चल परिसंपत्ति

5054. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देशवार कितने अत्याधुनिक इलैक्ट्रिक और डीजल लोको तथा अत्याधुनिक सवारी डिब्बों का आयात किया गया;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने अत्याधुनिक लोको और सवारी डिब्बों का अपने देश में ही विनिर्माण किया गया;

(ग) क्या यातायात के अनुसार चल परिसंपत्तियां उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) चल परिसंपत्तियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख)

वर्ष	सवारी डिब्बे (एलएचबी)	इंजन	
		डीजल (जी एम लोको)	बिजली (ए बी बी लोको)
रेल डिब्बा कारखाना	डीजल रेल इंजन कारखाना	चितरंजन रेल इंजन कारखाना	
2002-C3	27	20	14
2003-04	76	24	16
2004-05	77	15	22

(ग) भारतीय रेल के माल यातायात में वास्तविक वृद्धि वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान क्रमशः 4.29%, 4.85% और 5.45% के लक्षित यातायात वृद्धि की तुलना में वर्ष 2002-03 में 5.3%, 2003-04 में 7.45% और 2004-05 में 7.98% हुई। अत: व्यस्ततम अवधि के दौरान रेलवे के पास अपर्याप्त चल स्टाक हो जाता है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2004-05 के दौरान 20,000 माल डिब्बों (चौपहिया वाहन इकाई) के बजट प्रावधान की तुलना में माल डिब्बा उद्योग द्वारा कुल 19,991 माल डिब्बों (चौपहिया वाहन इकाई) का निर्माण किया गया। यातायात की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए वर्ष 2005-06 के दौरान 23,300 माल डिब्बे (चौपहिया वाहन इकाई) खरीदने का प्रस्ताव है।

गैस पाइपलाइन परियोजनाएं

5055. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में पूरी हुई प्रमुख गैस पाइपलाइन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) निर्माणाधीन गैस पाइपलाइन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनके कब तक पूरा होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) ने लगभग 2228 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 610 कि.मी. की 17.5 एमएमएससीएमडी क्षमता की अपनी दहेज-विजयपुर पाइपलाइन 31.3.2004 को पूरी कर ली है।

(ख) गेल की निकट भविष्य में निम्नलिखित प्रमुख गैस पाइपलाइन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की योजना है:

पाइपलाइन परियोजना	पूर्णता के लिए निर्धारित तिथि
(1) दहेज-उरण	अगस्त, 2006
(2) थूलेन्दी-फूलपुर	अप्रैल, 2006
(3) विजयपुर-कोटा	दिसंबर, 2006
(4) जगोदी-देवास-तिताहमपुर	जुलाई, 2006
(5) केलारास-मालनपुर	जुलाई, 2006

उपर्युक्त के अलावा, मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा विकसित कंपनी, मैसर्स गैस ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड (जीटीआईसीएल) भी काकीनाडा-हैदराबाद-उरण-अहमदाबाद पाइपलाइन स्थापित करने की प्रक्रिया में है जिसे वर्ष 2008 के मध्य तक पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

इंटर-स्टेशन लोकल ट्रेन सेवा

5056. **श्री अनंत कुमार:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे निकट भविष्य में विद्युतीकृत सेवा मार्गों पर इंटर-स्टेशन लोकल ट्रेन सेवा की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सेवा को आरंभ करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) परिचालनिक सुविधाओं और संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए भारतीय रेल पर इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (ई एम यू) सहित यात्री गाड़ियां शुरू करना एक सतत् प्रक्रिया है। जनता को इसकी सूचना क्षेत्रीय रेलों द्वारा जारी समय-सारणी और अधिसूचनाओं के माध्यम से यथा समय दे दी जाती है।

[हिन्दी]

अकोला विमानपत्तन

5057. श्री संजय धोत्रे: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में अकोला विमानपत्तन को विमान यातायात हेतु बंद किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार अकोला विमानपत्तन को पुनः खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) फिलहाल यह हवाईअड्डा गैर-प्रचालनात्मक है, क्योंकि इस हवाईअड्डे से कोई भी विमान प्रचालन नहीं होरहा है। हवाईअड्डे को प्रचालनात्मक बनाया जाना, एयरलाइनों द्वारा इस हवाईअड्डे से आने/जाने के लिए अपनी नियमित उड़ानें आरंभ करने की स्थायी वचनबद्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

टी-स्टालों पर खाद्य वस्तुएं बनाना

5058. श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी रेलवे/रेलवे बोर्ड ने रेलवे स्टेशनों/प्लेटफार्मों पर टी-स्टालों पर चाय/खाद्य वस्तुएं बनाने के कार्यों को हतोत्साहित करने की नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस नीति से यात्रियों को ताजी और अच्छी गुणवत्ता वाली खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने संबंधी जनसुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) रेलें/भारतीय रेल खानपान निगम शनैः शनैः बायो-डिग्रेडेबल तथा इको-फ्रेंडली कंटेनरों, जिनमें भोजन को परोसे जाने से पहले गरम किया जा सकता है, में पैक्ड पी-कुक्ड खाद्य पदार्थों को परोसने की अवधारणा की ओर शिफ्ट हो रही है। ऐसा रेलवे स्टेशनों में प्लेटफार्म पर कुकिंग/डीप फ्राईंग को हतोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। कुकिंग केन्द्रीयकृत किचन में ही सीमित रखी जा रही है तथा भोजन बैन मैरीज, इन्फ्रारेड/माइक्रोवेव ओवन इत्यादि जैसे हीटिंग उपस्करों के माध्यम से दिया जा रहा है ताकि पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित, आस-पास के वातावरण को स्वच्छ रखा जा सके तथा रेल यात्रियों की संरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों की कमी

5059. श्री नीतीश कुमार:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री दिनांक 24 मार्च, 2005 के तारांकित प्रश्न संख्या 310 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के कारण देश में इनकी कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) जी, नहीं। इस समय मिट्टी तेल और एलपीजी को छोड़कर पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात की खुली अनुमति है जिसके लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। यह प्रावधान पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी, जोकि जनखपत के राजसहायता प्रदत्त उत्पाद हैं, की उनके निर्यातों की अनुमति देने से पहले घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।

[अनुवाद]

मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना

5060. प्रो. एम. रामदास: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मंडल आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के समानुपात में पिछड़े वर्गों के आरक्षण की मात्रा निर्धारित करने हेतु राज्य सरकारों को अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार अन्य पिछड़े वर्गों को न्यायपालिका में भी आरक्षण देने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राज्य सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का निर्धारण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इंदिरा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित पैरामीटरों के भीतर किया जाता है। केन्द्रीय सरकार से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।

(ङ) और (च) केन्द्रीय सरकार का संबंध केवल भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में पदों को आरक्षित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) के सहयोग से विकलांगों हेतु प्रायोगिक परियोजना

5061. श्री अजीत जोगी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) के सहयोग से विकलांगों के कल्याण हेतु छत्तीसगढ़ में कोई प्रायोगिक परियोजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में रेल परियोजनाएं

5062. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में नई रेल लाइनों के निर्माण, मौजूदा छोटी लाइनों के परिवर्तन और मौजूदा रेल लाइनों के दोहरीकरण के प्रस्ताव मंत्रालय के पास लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) महाराष्ट्र में आंशिक रूप से/पूरी तरह पड़ने वाली नई लाइनों, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण के लिए चल रहे/नए सर्वेक्षण कार्य का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कि.मी.
1.	दुर्ग-नागपुर तीसरी लाइन	256
2.	शोलापुर-तुलजापुर-आसमानाबाद नई लाईन	60
3.	चिंचवाड-रोहा नई लाइन	95
4.	अचलपुर-मूर्तजापुर-यवतमल, पुलगांव-अरवी आमान परिवर्तन	225
5.	इटारसी-नागपुर-वर्धा-बल्लारशाह	306
6.	पुणे-मिरज-कोल्हापुर दोहरीकरण	326
7.	पंधरपुर-नोनंद नई लाइन	145
8.	बल्लारशाह-काजीपेट तीसरी लाइन	192
9.	वर्धा-यवतमल-पुसाद-नांदेड नई लाइन	260
10.	शिरपुर-महू नई-लाइन	185
11.	इगतपुरी-भुसावल तीसरी लाइन	308

सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर उपर्युक्त परियोजनाओं पर आगे की कार्रवाई संभव हो पाएगी।

पेट्रोल पम्पों की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र का मुद्दा

5063. श्री अधीर चौधरी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेट्रोलियम पम्प स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए क्या मानदंड और समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) क्या सरकार को विशेषकर हरियाणा में अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने में की जा रही अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवायी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) सामान्यत: खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल पम्पों) की स्थापना के लिए विभिन्न प्राधिकारियों जैसे पुलिस, अग्निशमन सेवा, लोक निर्माण विभाग आदि से मंजूरियां मिल जाने के बाद जिला न्यायाधीश द्वारा "अनापत्ति प्रमाणपत्र" (एनओसी) जारी किया जाता है। पेट्रोलियम नियम 2002 के प्रावधानों के तहत, जिला प्राधिकारी से अपेक्षित है कि वह अपनी जांच पूरी करेगा और यथा संभव शीघ्रता से, किन्तु आवेदन प्राप्ति की तारीख से तीन माह के अंदर, एन ओ सी जारी करने या इंकार करने, जैसा भी मामला हो, के लिए कार्रवाई पूरी करेगा।

(ख) से (च) सरकार को हरियाणा राज्य में खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना के लिए एन ओ सी जारी करने में राज्य के जिला प्राधिकारियों की ओर से होने वाले विलंब के संबंध में कभी कभी शिकायतें मिलती रहती थी। इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाए जाने के बाद राज्य सरकार ने उपायुक्तों को हिदायतें जारी की कि प्राथमिकता के आधार पर एन ओ सी जारी करने के संबंध में सभी लंबित मामलों को निपटाएं। लगता है कि अब यह कार्य संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ रही है।

[हिन्दी]

कन्हनपुर समपार पर दुर्घटना

5064. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के अंतर्गत चौकीदार रहित समपारों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को हाल ही में कन्हनपुर समपार पर हुई दुर्घटना की जानकारी है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें जान-माल की कितनी हानि हुई है और दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों/उनके परिवारों को कितने मुआवजे का भुगतान किया गया है;

(घ) उक्त समपार पर चौकीदार तैनात करने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) उन मानवरहित समपारों का राज्यवार/जोनवार ब्यौरा क्या है जिन पर वर्ष 2005-06 के दौरान चौकीदार तैनात किए जाने का प्रस्ताव है तथा ऐसे समपार कहां-कहां पर स्थित है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) नागपुर मंडल दक्षिण मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। बहरहाल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में जहां कन्हनपुर रेलवे क्रासिंग पर दुर्घटना हुई थी, वहां पर 576 चौकीदार रहित समपार हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के नागपुर-रामटेक खंड के कन्हनपुर-रामटेक स्टेशनों के बीच 3.2.2005 को एक चौकीदार रहित समपार पर दुर्घटना हुई। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 58 व्यक्तियों की जानें गईं और 14 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। इस दुर्घटना में रेलवे संपत्ति की 5000/- रु. की क्षति हुई। प्रत्येक मृतक के लिए एक लाख रुपए और प्रत्येक घायल के लिए 25000/- रु. की मानवीय सहायता मंजूर की गई है।

(घ) चौकीदार रहित समपार जहां दुर्घटना घटी, को बिना बारी के आधार पर चौकीदार युक्त बनाने के लिए मंजूरी दे दी गई है।

(ङ) चौकीदार रहित समपारों को चौकीदार युक्त बनाने की जोन-वार योजना है न कि स्थल-वार, या राज्य-वार, 2005-06 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर कुल 255 चौकीदार रहित समपारों

को चौकीदार युक्त बनाए जाने का लक्ष्य है। 255 चौकीदार रहित समपारों का जोन-वार विवरण इस प्रकार है:

रेलवे	लक्ष्य
मध्य	6
पूर्व	0
पूर्व मध्य	4
पूर्व तट	15
उत्तर	50
उत्तर मध्य	4
पूर्वोत्तर	20
पूर्वोत्तर सीमा	13
उत्तर पश्चिम	15
दक्षिण	34
दक्षिण मध्य	33
दक्षिण पूर्व	7
दक्षिण पूर्व मध्य	15
दक्षिण पश्चिम	15
पश्चिम	20
पश्चिम मध्य	4
कुल	255

पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विमान सेवाएं

5065. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:
श्री अविनाश राय खन्ना:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमान सेवाओं को सुधारने हेतु कोई योजना तैयार की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु कितनी धनराशि खर्च की गयी है/खर्च किए जाने की संभावना है; और

(घ) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, एलाइंस एयर ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सम्पर्कता में सुधार करने के लिए 4 एटीआर विमान लीज पर लिए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा, पूर्वोत्तर परिषद् के माध्यम से, वित्त वर्ष 2002-03 से आरंभ करके पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष 35 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता द्वारा इस परियोजना का समर्थन किया गया है। इस प्रयोजन के लिए एलाइंस एयर तथा पूर्वोत्तर परिषद के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन के एक भाग के रूप में, एलाइंस एयर द्वारा पूर्वोत्तर परिषद् के परामर्श से और गुवाहाटी को एक प्रचालनिक आधार स्थल बनाने के प्रयोजन से, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए/में सम्पर्कता उपलब्ध कराने के लिए एटीआर विमान प्रचालित किया जाना अपेक्षित है। अब तक इंडियन एयरलाइंस/एलाइंस एयर को इस प्रयोजन के लिए 105 करोड़ रुपए प्रदान किए जा चुके हैं। एलाइंस एयर पूर्वोत्तर क्षेत्र में एटीआर विमान द्वारा 8 केन्द्रों के लिए प्रति सप्ताह 148 उड़ानें प्रचालित कर रही है और प्रति सप्ताह लगभग 3100 यात्रियों का वहन कर रही है।

एच.एम.टी. चिनार, कश्मीर के कर्मचारियों के बकायों का भुगतान

5066. श्री अतीक अहमद:
श्री कुलदीप बिश्नोई:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एच.एम.टी. चिनार वाचिज कंपनी लिमिटेड, कश्मीर के कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ताकि उक्त कंपनी के कर्मचारियों को उनके बकायों का भुगतान हो सके।

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी, हां।

(ख) एच.एम.टी. चिनार वाचिज लिमिटेड, श्रीनगर लगातार भारी हानि उठा रही है और वेतन/मजदूरी पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए आंतरिक संसाधनों का सृजन करने में सक्षम नहीं रही है। विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा उठाई गयी हानि निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

	2002-03	2003-04	2004-05
लाभ/हानि	-6.31	-21.92	-25.72

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपने कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है। विशेष परिस्थितियों में सरकार द्वारा समय-समय पर उपक्रम की सहायता करने की दृष्टि से ऐसे वेतनों का भुगतान करने के लिए एच.एम.टी. चिनार वाचिज को संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं। हाल ही में जुलाई, 2004 तक के वेतन/मजदूरी का भुगतान करने के लिए अक्टूबर, 2004 में ऐसी सहायता उपलब्ध करायी गई है।

इंडरेल पास जारी करने वाले आरक्षण केन्द्र

5067. श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में सभी रेलवे स्टेशनों पर इंडरेल पास जारी करने वाले आरक्षण केन्द्रों की सुविधा मुहैया कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन स्टेशनों की संख्या कितनी है जहां वर्तमान में यह सुविधा उपलब्ध है; और

(घ) शेष रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा कब तक मुहैया कराए जाने की संभाना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय यह सुविधा 17 स्टेशनों पर मौजूद है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलगाड़ियों/स्टेशनों पर अपराध

5068. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे: क्या रेल मंत्री रेलगाड़ियों/स्टेशनों पर अपराध के बारे में 9.12.2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1489 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संबंधित सूचना एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और यह सूचना कब तक एकत्रित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जी हां। कथित प्रश्न के संबंध में दिए गए आश्वासन को पहले ही 31.3.2005 को पूरा कर लिया गया है। बहरहाल, सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) से (ग) रेलवे में वर्ष 2003 की तुलना में वर्ष 2004 में दर्ज किए गए अपराध से संबंधित मामलों (कत्ल, डकैती, लूटपाट और यात्रियों के सामान की चोरी) की संख्या में वृद्धि हुई है।

वर्ष 2004 के दौरान क्षेत्रीय रेलवे द्वारा कत्ल, लूटपाट और यात्रियों द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी और यात्रियों के सामान की चोरी के मामलों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष		कत्ल	डकैती	लूटपाट	यात्रियों को मादक पदार्थ खिलाने के मामले	यात्रियों के सामान की चोरी
2004	गाड़ियों में	49	107	224	467	7055
	परिसरों में	220	25	183	81	4645

रेलवे में उपर्युक्त अपराध के मामले, राज्य सरकार की राजकीय रेलवे पुलिस (जी आर पी) को सूचित किए जाते हैं, उनके द्वारा दर्ज एवं जांच की जाती है।

जी हां। 25.6.2004 को 2322 डाउन (मुम्बई-हावड़ा एक्सप्रेस) में भबुआ रोड और कुद्रा स्टेशनों के बीच 10-12 डाकुओं ने बंदूक और चाकू की नोंक पर व्यक्तिगत सामान सहित यात्रिों से 1,00,000 (एक लाख रु.) की नगद राशि लूटी। उन्होंने एक यात्री जो ए सी-3 टियर में यात्रा कर रहा था, को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता दी गई थी। इस संबंध में राजकीय रेलवे पुलिस (जी आर पी)/सासाराम (बिहार) ने 25.6.2004 को भारतीय दंड संहिता 395 और 397 के अंतर्गत मामला सं. 32/04 दर्ज किया है।

रेलगाड़ियों में यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा को बेहतर बनाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 और रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन किया गया है ताकि अपराध नियंत्रण में रेलवे सुरक्षा बल राज्य सरकार की राजकीय रेल पुलिस को कारगर सहायता दे सके। इस प्रकार राजकीय रेल पुलिस की सक्रिय रूप से सहायता करने के लिए रेल सुरक्षा बल को जहां तक संभव हो सके, विभिन्न अनुसूचित ड्यूटियों से हटाकर 1 जुलाई 2004 से महत्वपूर्ण गाड़ियों के मार्ग रक्षण के लिए तैनात किया गया है। इस उद्देश्य के लिए रेल सुरक्षा बल के जवानों को रेलवे परिसर में सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस (जी आर पी) की सहायता करने के अलावा लगभग 1288 रेलगाड़ियों में मार्गरक्षण के लिए तैनात किया गया है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत (चोरी, लूटपाट और मादक पदार्थों सहित) अपराध की जांच, मुकदमा चलाना और रेलवे अधिनियम के अंतर्गत तोड़फोड़ संबंधी मामले राजकीय रेलवे पुलिस (राज्य पुलिस) के पास ही बरकरार रहेंगे।

[अनुवाद]

डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसेल्स की खरीद

5069. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौसेना का विचार डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसेल्स (डीएसआरवी) को खरीदने का है जैसा कि 10 अप्रैल, 2005 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या दो विदेशी फर्मों को डीएसआरवी प्रणाली की कर्मचारी मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रस्तावित वेसेल्स की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) इन वेसेल्स को नौसेना में कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ङ) अर्जन के लिए प्रस्तावित डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वैसेल्स (डी एस आर वी) समकालीन डिजाइन के हैं तथा ये भारतीय नौसेना के विनिर्देशों को पूरा करेंगे। चुनी गई फर्मों द्वारा प्रस्तावित वैसेल्स के मूल्यांकन के बाद ही इन्हें अर्जित किया जाएगा।

सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही डी एस आर वी को सेवा में शामिल किया जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र शांति सेना द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन

5070. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना द्वारा किए जा रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी रिपोर्टों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की योजना संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या पूर्वोपाय किए गए हैं/किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) जी हां। तथापि, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में तैनात भारतीय सशक्त्र सेना के कार्मिकों की संलिप्तता की ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है। संयुक्त राष्ट्र मिशनों में तैनात भारतीय सैन्य-टुकड़ियों की सेवाओं की संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रशंसा की गई है। भारतीय सैनिक मानवाधिकारों के उल्लंघन में संलिप्त न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए कार्मिकों के चयन हेतु उच्च मानक, शामिल करने से पूर्व पर्याप्त प्रशिक्षण देना, सैनिकों को नियमित जानकारी (ब्रीफिंग) देना, आदि जैसे सभी एहतियाती उपाय किए जाते हैं।

मुस्लिम समुदाय संबंधी समिति

5071. **श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) समिति के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपने हेतु क्या समय सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या समिति के पास राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त करने हेतु कोई वैधानिक दर्जा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि प्रत्येक राज्य सरकार इस संबंध में समिति की सहायता करे?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) जी, हां। न्यायमूर्ति राजेन्द्र सचर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति में अध्यक्ष के अलावा, 6 सदस्य हैं।

(ग) समिति अपने गठन की अधिसूचना की तिथि अर्थात् 9 मार्च, 2005 से 15 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(घ) और (ङ) समिति के विचारार्थ विषयों के अनुसार, यह केन्द्र और राज्य सरकारों के विभागों/एजेंसियों सहित संगर स्रोतों से संगत सूचना प्राप्त करेगी।

व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु समझौता

5072. **श्रीमती मनोरमा माधवराज:**
श्री इलियास आजमी:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने बांग्लादेश में अपने व्यवसाय को बढ़ाने हेतु बांग्लादेश बिजनेस डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के साथ हाल में किसी समझौते/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) तेल कंपनियों द्वारा इस संबंध में कितना निवेश किए जाने की संबावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) तथा ओएनजीसी ने बांग्लादेश के बिजनेस डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (बीडीसीएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

गेल द्वारा बांग्लादेश में मुख्यतः गैस पाइपलाइन, वितरण तथा ओएण्डएम अवसरों जैसे क्षेत्रों में अपने कारोबारी हितों को प्रोन्नत करने तथा सहयोग करने की दृष्टि से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्तमान में दोनों पक्ष संभावित अवसरों का पता लगाने के लिए प्रारम्भिक स्तर की चर्चाएं कर रहे हैं और बांग्लादेश में गेल द्वारा निवेशों के लिए किसी निश्चित परियोजना का पता नहीं लगा है।

ओएनजीसी के समझौता ज्ञापन का उद्देश्य बांग्लादेश में हाइड्रोकार्बन क्षेत्रों के अपस्ट्रीम तथा डाऊनस्ट्रीम खंड में कारोबारी अवसरों का पता लगाने, सहायता करने और सुरक्षित करने के द्वारा अपना कारोबारी हित प्रोन्नत करता है। समझौता ज्ञापन के तहत सहायता की परिधि में निम्नलिखित बड़े क्षेत्र शामिल हैं:

- तेल और गैस रकबों के अधिग्रहण में सहायता करना।
- तेल और गैस क्षेत्र में सेवा, प्रशिक्षण और परामर्शदात्री संविदा में सहायता।
- ओएनजीसी तथा बांग्लादेश के शासकीय निकायों के बीच बातचीत में सहायता तथा ओएनजीसी कारोबारी हित से संबंधित करारों का निष्पादन।
- बाजार आसूचना तथा निविदा जानकारी उपलब्ध कराना तथा प्रस्तुतीकरण पर ओएनजीसी की निविदा को आगे बढ़ाना।
- पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन में सहायता।
- पता लगाए गए कारोबारी क्षेत्रों के संबंध में बीडीसीएल, द्वारा ओएनजीसी को विशेष सेवा उपलब्ध कराना।
- ओएनजीसी ने इस प्रकार पहले ही बांग्लादेश में 10 विकासशील गैस कूपों के वेधन तथा 8 कूपों में वर्क-ओवर प्रचालन कार्यों में सेवा दी है।

महिला प्रादेशिक सेना

5073. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादवः
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्रीमती निवेदिता मानेः
श्री कीर्ति वर्धन सिंहः

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय सेना जम्मू व कश्मीर में मानवाधिकार के उल्लंघन के दृष्टिगत एक महिला प्रादेशिक सेना का गठन करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) इस समय महिलाओं को केवल जनरल अस्पताल प्रादेशिक सेना यूनिटों में डाक्टर और नर्सिंग स्टाफ के रूप में भर्ती किया जाता है। महिला प्रादेशिक सेना यूनिटें खड़ी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भटिंडा रिफाइनरी

5074. डा. रतन सिंह अजनालाः
सरदार सुखदेव सिंह लिब्राः
श्री सुखदेव सिंह ढींडसाः

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री 3 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 546 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने भटिंडा में रिफाइनरी परियोजना के संबंध में पंजाब सरकार के साथ आश्वासन विलेख किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रिफाइनरी पर कार्य शुरू हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, नहीं, लेकिन आश्वासन विलेख में समाकलित किए जाने वाले करार शीर्षों पर सहमति हो गई है और विलेख को अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में औपचारिकताएं जल्दी ही पूरी किए जाने की आशा है।

(ख) और (ग) भटिण्डा स्थित रिफाइनरी के विन्यास को अंतिम रूप देने संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को रिफाइनरी की प्रक्रम इकाइयों और उत्पाद स्लेट का इष्टतमीकरण का कार्य सौंपा गया है।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

5075. श्री अविनाश राय खन्नाः
श्री हरिशचन्द्र चव्हाणः

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन पर कितना धन खर्च होने की संभावना है; और

(घ) योजना पर कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाईअड्डों पर विद्यमान बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन, सुधार तथा आधुनिकीकरण के प्रस्तावों पर एयरलाइनों के साथ, उनके द्वारा प्रचालित विमान की किस्म पर परामर्श करके और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भूमि की उपलब्धता के मद्देनजर चरणबद्ध रूप में विचार किया जा रहा है। पूर्वोत्तर परिषद् ने प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया तथा उसके द्वारा विकास कार्यों की लागत का 60% फंड राशि रही है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक कार्य पूरा किए गए हैं। ये कार्य हैं: अगरतला, लीलाबाड़ी, दीमापुर, इम्फाल तथा गुवाहाटी हवाईअड्डों पर रनवे का विस्तार; अगरतला, लीलाबाड़ी, तेजपुर, दीमापुर तथा इम्फाल में नए टर्मिनल भवनों का निर्माण; अगरतला, इम्फाल, गुवाहाटी तथा डिब्रूगढ़ आदि में ग्राउंड लाइटिंग सुविधाओं तथा यांत्रिक अवतरण प्रणाली का संस्थापन। शेष कार्य यथा दीमापुर, लीलाबाड़ी तथा सिल्चर में यांत्रिक अवतरण

प्रणाली (आई एल एल) का संस्थापन, सिल्चर (भारतीय वायु सेना विमान क्षेत्र) तथा डिब्रूगढ़ में रनवे के विस्तार तथा संबद्ध पेवमेंट का कार्य दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान आरंभ किया जाएगा।

(ग) नवीं पंचवर्षीय योजना तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान पहले ही 243.32 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान 36 करोड़ रुपए व्यय किए जाने की आशा है।

(घ) प्रमुख विकासात्मक कार्यों को दसवीं पंचवर्षीय योजना तथा 2007 के अंत तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम पुनः तैयार करना

5976. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15 सूत्री कार्यक्रम को पुनः तैयार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसे कब तक तैयार किए जाने की संभावना है; और

(ग) उसमें शामिल किए जाने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) जी, हां। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। यह तैयार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

निजी टी.वी. चैनल

5077. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ निजी टी.वी. चैनल भारत-पाक मैच के अंश दिखाने के दोषी पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उन टी.वी. चैनलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न निजी टी वी चैनलों नामतः एन डी टी वी इंडिया (हिन्दी), स्टार न्यूज, जी न्यूज, हैडलाइन्स टुडे, आज तक, सहारा समय, एन डी टी वी 24 × 7 (अंग्रेजी), सन न्यूज, इ एस पी एन, टी.वी.-9, इंडिया टी वी, स्टार स्पोर्ट्स, ई टी वी-2, एशियानेट ग्लोबल, टेन स्पोर्ट्स, सी एन बी सी को भारत-पाकिस्तान मैचों के अंशों का अनुमत्य सीमा से अधिक प्रयोग करते हुए पाया गया।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि अंशों के अनधिकृत प्रयोग को बंद करने के लिए ऐसे चैनलों को कानूनी नोटिस जारी किए गए थे। अनुमत्य सीमा से अधिक अंशों का प्रयोग करने वाले चैनलों के विरुद्ध बिल तैयार करके भिजवाए जाएंगे।

डी.टी.एच. ठेका देने में अनियमितताएं

5078. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
मोहम्मद शाहिद:
श्री मुन्शी राम:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन का डी.टी.एच. ठेका देने में अनियमितताएं बरती गई हैं;

(ख) यदि हां, तो किस कम्पनी को डी.टी.एच. ठेका दिया गया;

(ग) क्या दूरदर्शन द्वारा ठेका देने में 600 करोड़ रुपए की हानि का अनुमान लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; आर

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नही।

(ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि विश्वव्यापी निविदा के जरिए निविदा प्रस्तावों को आमंत्रित करने के बाद 10.8 करोड़ रुपये की कुल लागत पर जनवरी, 2004 में मै. अरेकॉम इंडिया लि., गांधीनगर, गुजरात को के.यू. बैंड (डी टी एच) भू-केन्द्र की आपूर्ति और स्थापना के लिए एक ऑर्डर दिया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

विकलांग व्यक्तियों को रोजगार

5079. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को रेलवे स्टेशनों पर प्राथमिकता के आधार पर टी-स्टाल, पीसीओ बूथ आबंटित करने हेतु कदम उठाये हैं और उन्हें अधिक से अधिक रोजगार प्रदान करने हेतु अन्य मंत्रालयों से कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) रेलवे में टी स्टालों और पीसीओ बूथों के आवंटन संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन इस प्रकार किया जा रहा है;

1. सभी आरक्षित श्रेणी खान-पान यूनिटों को दो प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को आवंटित की जाती हैं। आरक्षित श्रेणी यूनिटें निम्नलिखित मापदंडों पर आधारित होती हैं:

   (i) 'बी' और 'सी' श्रेणी स्टेशन-सभी रेस्टेरेंटों/जलपान कक्षों के 25% आरक्षित श्रेणी में आते है;

   (ii) 'ए', 'बी' और 'सी' श्रेणी स्टेशन सभी स्टालों के 25% और सभी ट्रोलियों के 25% आरक्षिण श्रेणी में होते हैं; और

   (iii) 'डी', 'ई' और 'एफ' केटेगरी स्टेशन-सभी लघु यूनिटों के 49.5% आरक्षित श्रेणी में होते हैं।

2. रेल स्टेशनों पर 25% एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ 40% और अधिक विकलांगता वाले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के आबंटन के लिए आरक्षित होते हैं।

3. नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में विकलांग व्यक्तियों के नियोजन के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों में अभिज्ञात पदों पर 3% स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था का उल्लेख है, जिनमें से प्रत्येक विकलांगता के लिए अभिज्ञात पदों में एक-एक प्रतिशत (1) अंधता अथवा अल्प दृष्टि; (2) श्रवण विकलांगता; और (3) चलन संबंधी विकलांगता अथवा सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे। उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत सरकार के प्रतिष्ठानों में अभिज्ञात पदों के 3% पद विकलांग व्यक्तियों द्वारा भरे जाते हैं।

[अनुवाद]

अवसंरचना संबंधी परियोजनाएं

5080. श्री टी.के. हमजा: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं पर कितनी राशि खर्च की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): पिछले तीन वर्षों के दौरान अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं पर किया गया व्यय इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

योजना शीर्ष	2002-03	2003-04	2004-05 (संशोधित अनुमान)
नई लाइनें	1415.11	1540.76	1644.18
आमान परिवर्तन	847.52	1217.56	1067.24
दोहरीकरण	583.41	537.71	437.08
रेलवे विद्युतीकरण	251.9	149.27	143.63
महानगर यातायात	314.15	352.52	331.10

उक्त व्यय में बिल्ड ऑन ट्रांसफर (बी ओ टी), राज्य सरकारों की भागीदारी, रेल विकास निगम लिमिटेड और रक्षा वित्त पोषण के माध्यम से किया गया व्यय शामिल नहीं है।

नई खोज लाइसेंस नीति

5081. **श्री ई. पोन्नुस्वामी:**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री कीरेन रिजीजू:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नई खोज लाइसेंस नीति में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव निवेशकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एकल खिड़की प्रणाली शुरू करने का है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में निवेशकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) भारत सरकार ने वर्ष 1997 में नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) अनुमोदित की थी और यह वर्ष 1999 में लागू हुई। तब से अन्वेषण के लिए लाइसेंस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली पद्धति के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय तेल कंपनियों को, पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भारतीय और विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना अपेक्षित है। अब तक एनईएलपी के तहत बोली के चार दौर पूरे किए जा चुके हैं। बोली की अंतिम तिथि 31 मई, 2005 के साथ पांचवां चक्र चालू है। हालांकि एनईएलपी के अंतर्गत समग्र राजकोषीय और संविदात्मक शर्तें लगभग वहीं हैं, प्रत्येक चक्र की समाप्ति पर सभी हिस्साधारकों को सुझाव देने और आगामी चक्रों के लिए सुधारों को समाकलित करने हेतु विचार-विमर्श किए जाते है। एनईएलपी के 5वें चक्र के लिए यही प्रक्रिया अपनाई गई थी जिसकी घोषणा 4 जनवरी, 2005 को की गई थी। पांचवें चक्र में भी कुछ नई विशेषताएं शामिल की गई हैं जिससे पिछले चक्रों पर सुधार किए जाएंगे। पांचवें चक्र में किए गए सुधारों का संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरण में देखा जा सकता है।

(ग) से (च) उत्पादन हिस्सेदारी संविदा पर हस्ताक्षर करने बाद अन्य संबंधित प्राधिकारियों के साथ निवेशक पारस्परिक क्रिया सुकर बनाने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में एक एकल खिड़की सुविधा स्थापित की जा रही है। विभिन्न प्रचालन कंपनियों के समक्ष समय-समय पर आ रही समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से इस मंत्रालय ने दो अंतर्मंत्रालयीन समितियां (आईएमसी) गठित की हैं, एक मंत्री (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) की अध्यक्षता में और दूसरी सचिव (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) की अध्यक्षता में। सचिव (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) की अध्यक्षता में गठित समिति को, अन्य बातों के साथ-साथ, सुरक्षा, पर्यावरण, रक्षा आदि के लिए अनापत्ति के मामलों में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वयन से संबंधित मसलों पर विचार करना और संकल्प जारी करने में सुविधा प्रदान करनी है। मंत्री की अध्यक्षता में गठित आईएमसी को देश में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पाद तेजी से बढ़ाने से संबंधित मामलों की समीक्षा करनी है। ये समितियां निवेशकों के समक्ष आ रही समस्याओं को दूर करने में सहयोग करती है और विभिन्न अनापत्तियां शीघ्र सम्पादित करती है और साथ ही प्रचालक कंपनियों के अन्वेषण और उत्पादन कार्यकलापों की निगरानी करती है।

विवरण

(1) कंपनियों को उनकी सुविधा और स्थान पर आंकड़े देखना सुलभ बनाने के लिए इन्टरनेट के माध्यम से सभी भूवैज्ञानिक आंकड़े आनलाइन उपलब्ध कराए गए हैं।

(2) लंदन, ह्यूस्टन, कैलगरी और दुबई स्थित आंकड़ा केन्द्रों पर साफ्टवेयर युक्त सुसज्जित कार्य स्थल उपलब्ध कराए गए। इससे कंपनियां आंकड़ा केन्द्र पर ही आंकड़ों का स्वयं विश्लेषण और निर्वचन करने में सक्षम हुई।

(3) कंपनियों को विपणन स्थायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार प्राकृतिक गैस के अपने लाभ का हिस्सा, पिछले चक्रों की भांति प्रत्येक वर्ष के लिए किए जा रहे ऐसे विकल्पों के स्थान पर, 5 वर्ष के ब्लाक के लिए नकद या वस्तु रूप में लेने का विकल्प रखेगी।

(4) डाटा पैकेज और सूचना डाकेट छूट प्रदत्त मूल्य पर खरीदे जा सकते हैं।

(5) छोटे और मध्यम निवेशकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 500 मिलियन अमेरिकी डालर या इससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को भू स्थित और उथले पानी वाले ब्लाकों की न्यूनतम कार्यक्रम वचनबद्धता के रूप में बैंक गारंटी देना अपेक्षित नहीं होगा। पिछले चक्र में यह प्रारंभिक मूल्य 1000 मिलियन अमेरिकी डालर था।

(6) बोली प्रक्रिया, उप-मानदंड के महत्वमूल्यों सहित सभी बोली मूल्यांकन मानदण्डों हेतु महत्वमूल्यों को और अधिक पारदर्शिता बनाने के प्रयोजन से पहली बार एनईएलपी-5 के तहत इसे अभ सार्वजनिक किया गया है।

(7) पिछले चक्रों से, कार्य कार्यक्रम, राजकोषीय शर्तें आदि जैसे सभी प्रचालनात्मक ब्लाकों के ब्यौरे, आंकड़ा केन्द्रों पर उपलब्ध कराये गये। इससे कंपनियां अपनी बोलियां निरूपित करते समय अन्य बोली मानदंडों के साथ-साथ विद्यमान कार्य कार्यक्रम का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगी और इससे उन्हें कार्यनीतिक गठबंधन करने में भी सहायता मिलेगी।

बाहरी निर्माताओं की सेवाएं लेना

5082. श्री जे.एम. आरून रशीद:
श्री डी.बी. पाटील:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती कतिपय कार्यक्रमों तथा कश्मीर मामले और पूर्वोत्तर हेतु निजी निर्माताओं की सेवाएं ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में अनुबंधित किए गए निजी निर्माताओं और प्रसारित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और उन्हें कितना भुगतान किया गया;

(ग) क्या प्रसार भारती का प्रस्ताव अपना दायरा बढ़ाने और उद्यमी निर्माताओं की सेवाएं लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि कार्यक्रमों की कमीशनिंग का कार्य दूरदर्शन द्वारा इसकी कार्यक्रम अपेक्षाओं और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कमीशंड कार्यक्रमों संबंधी दिशानिर्देशों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

रेलवे द्वारा रक्षित ताप विद्युत संयंत्र लगाना

5083. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा असाधारण रूप से विद्युत पर अन्य प्रशुल्क प्रभारित किए जाने के कारण रेलवे पर अतिरिक्त भार पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान विद्युत प्रशुल्क के कारण विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों को कितनी राशि का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा प्रभारित किए जा रहे उच्च विद्युत प्रशुल्कों के मद्देनजर रेलवे अपनी विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति और विद्युत कर्षण ऊर्जा बिलों पर व्यय को कम करने हेतु समर्पित रक्षित ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना की संभावना का पता लगा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्षण प्रयोजन के लिए बिजली दरों के हिसाब से विभिन्न राज्यों के बिजली बोर्डों को भुगतान की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी हां। रेलवे नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एन टी पी सी) के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में कैपटिव थर्मल पावर प्लांट स्थापित कर रहा है।

(घ) और (ङ) सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी आई बी) ने 13.2.2004 को आयोजित अपनी बैठक में इस परियोजना को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमण्डल समिति का अनुमोदन लेने के लिए प्रस्तुत करने की सिफारिश की है। चूंकि पर्यावरण संबंधी स्वीकृति 3.8.2004 को प्राप्त हो चुकी है।

विद्युत मंत्रालय के परामर्श से संयुक्त मंत्रिमण्डल नोट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण

कर्षण प्रयोजन के लिए बिजली दरों के हिसाब से विभिन्न राज्यों को भुगतान की गई राशि

(आंकड़े मिलियन रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	भुगतान की गई राशि (मिलियन रुपए में)		
		2001-02	2002-03	2003-04
1.	आन्ध्र प्रदेश	4161	4879	5096
2.	बिहार	1288	1300	1473
3.	गुजरात	2044	2051	2117
4.	हरियाणा	756	929	868
5.	कर्नाटक	141	152	172
6.	केरल	86	154	167
7.	महाराष्ट्र	4617	3854	4079
8.	मध्य प्रदेश	5438	6033	5988
9.	उड़ीसा	822	1078	1225
10.	पंजाब	327	307	319
11.	राजस्थान	964	1043	993
12.	तमिलनाडु	1890	1884	2379
13.	उत्तर प्रदेश	3001	2695	2645
14.	पश्चिम बंगाल	1973	2133	2466
15.	छत्तीसगढ़	2409	2484	2457
16.	झारखंड	1532	1706	1900
	कुल योग	31449	32682	34344

कर्नाटक में रेल परियोजनाएं

5084. **श्री जी.एम. सिद्धेश्वर:**
श्री एम. शिवन्ना:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में चल रही रेल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उन परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) कर्नाटक राज्य में चल रही परियोजनाएं मार्च, 2005 तक किया गया खर्च, 2005-06 के लिए परिव्यय और लक्ष्य तिथि, जहां निर्धारित है, सहित स्थिति इस प्रकार है:

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना	बजट में शामिल करने का वर्ष	लागत	मार्च, 2005 तक प्रत्याशित व्यय	बजट परिव्यय 2005-06	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7
	नई लाइनें					
1.	मुनीराबाद-महबूबनगर (246 कि.मी.)	1997-98	497.47	29.44	5	अंतिम स्थान निर्धारण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्यवाही प्रगति पर है। कृष्ण-येरामारास के बीच दोहरीकरण पूरा हो गया है।
2.	गडवाल-रायचूर (60 कि.मी.)	1998-99	108.31	19.25	4	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।
3.	हुबली-अंकोला (167 कि.मी.)	1996-97	997.58	67.55	5	33 कि.मी. के हुबली-किरवट्टी खंड में मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। इस खंड की शेष लाइन के लिए भी भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है और इस परियोजना के लिए वन भूमि क हस्तांतरण के लिए भी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।
4.	गुलबर्गा-बिदर (140 कि.मी.)	1997-98	369.7	35.07	4.45	अंतिम स्थान निर्धारण पूरा हो गया है। बिदर छोर से 31 कि.मी. तक भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिए गए हैं और अगले 22 कि.मी. के लिए कार्रवाई जारी है।
5.	हरपनहल्ली के रास्ते कोट्टर-हरिहर (65 कि.मी.)	1995-96	124.03	10.57	3	यह कार्य राज्य सरकार के साथ 2/3 लागत में हिस्सेदारी के आधार पर निष्पादित किया जा रहा है। राज्य सरकार अपना हिस्सा नियमित रूप से जमा नहीं करवा रही है, जिससे कार्य की प्रगति पर प्रभाव पड़ रहा है। कोट्टर छोर की ओर से मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

1	2	3	4	5	6	7
6.	कडूर-चिकमगलूर-सकलेशपुर (93 कि.मी.)	1996-97	274.29	48.43	8	कडूर-चिकमगलूर खंड पर कार्य शुरू कर दिया गया है। शेष हिस्सा वन भूमि है जिसके लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से मामला प्रक्रियाधीन है। 40 कि.मी. के हिस्से में मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं।
7.	श्रवणबेलगोला के रास्ते हसन-बंगलौर (166 कि.मी.)	1996-97	412.91	150.3	20	इस परियोजना में, हसन-श्रवणबेलगोला (42 कि.मी.) और बंगलौर-नीलामंगला (14 कि.मी.) कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में है। श्रवणबेलगोला-नीलामंगला (110 कि.मी.) के शेष खंड पर भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर हैं।
8.	बंगलौर-सत्यमंगलम (260 कि.मी.)	1998-99	901.62	0.36	0.01	207 कि.मी. पर अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। शेष भाग में सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।
आमान परिवर्तन						
9.	शोलापुर (होतगी)-गडग (300 कि.मी.)	1993-94	342.7	223.77	15	इस परियोजना में शोलापुर-बीजापुर (110 कि.मी.) के आमान परिवर्तन का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। बीजापुर-गडग (190 कि.मी.) शेष आमान परिवर्तन का कार्य कर्नाटक सरकार के साथ (50:50) लागत वहन करने के आधार पर निष्पादित किया जा रहाहै। बीजापुर-बसावन-बागेवाडी (45 कि.मी.) में रेलपथ संपर्क का कार्य पूरा हो गया है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार शेष खंड में कार्य प्रगति पर है।
10.	मेट्टूपलायम तक विस्तार सहित मौसूर-चामराजनगर (148 कि.मी.)	1997-98	606.58	52.49	16.54	मैसूर-चामराजनगर खंड में मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी और गिट्टी संग्रहण का कार्य प्रगति पर है। शेष खंड के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन की जा रही है।

1	2	3	4	5	6	7
11.	बंगलौर-हुबली और शिमोगा टाऊन-तालगुप्पा (640 कि.मी.)	1992-93	441.24	401.42	0.1	बंगलौर-हुबली और बिरूर और शिमोगा के बीच की लाइन का कार्य पूरा हो गया है। शिमोगा-तालगुप्पा खंड पर मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं।
12.	यशंवतपुर-सेलम (197 कि.मी.)	1995-96	199.78	195.12	1.45	मुख्य लाइन पर कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। यशवंतपुर में एक बाई पास लाइन के लिए अवशिष्ट कार्य प्रगति पर हैं।
13.	अरसीकेरे-हसन-मंगलौर (236 कि.मी.)	1994-95	357.43	224.1	0.01	अरसीकेरे-सकलेशपुर और मंगलौर कबकपुट्टर-सुब्रमण्यम रोड पर कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। सुब्रमण्यम रोड-सकलेशपुर को 2005-06 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है।
दोहरीकरण						
14.	होस्पेटल-गुंतकज (115 कि.मी.)	1996-97	157.73	147.2	26	इस परियोजना की शीघ्र प्रगति के लिए इसे के-राइड के अंतर्गत वित्त पोषण का प्रस्ताव है। तोरंगल्लु-होस्पेट का दोहरीकरण और गुंतकल-हगरी का रेलपथ संपर्क का कार्य पूरा हो गया है। हगरी-बेल्लारी (14 कि.मी.) और बेल्लारी-तोरंगल्लु को 2005-06 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है।
15.	रायचूर-गुंतकल (81.1 कि.मी.)	2003-04	136.62	10	19	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। यह कार्य रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।
16.	बंगलौर-केनगेरी विद्युतीकरण सहित पैच दोहरीकरण (12.45 कि.मी.)	1995-96	29.19	5.19	5.2	इस कार्य की दो तिहाई लागत कर्नाटक सरकार वहन कर रही है। फार्मेशन कार्य पूरा हो गया है और गिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। इस कार्य को 2005-06 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है।
17.	केनगेरी-रामनगर (32.43 कि.मी.)	1997-98	58.9	9.66	10	इस कार्य की दो तिहाई लागत कर्नाटक सरकार वहन कर रही है। इस परियोजना के केनगेरी-बिदाडी खंड (15 कि.मी.) को 2005-06 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है।

1	2	3	4	5	6	7
18.	यशवंत-तुमकुर (64 कि.मी.)	1997-98	98.14	57.38	35.55	यशवंतपुर-गोलाहल्ली खंड (26 (कि.मी.) को 2005-06 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। मुख्य पुलों का कार्य पूरा हो चुका है और मिट्टी संबंधी, छोटे पुलों संबंधी, ऊपरी सड़क पुलों और गिट्टी संग्रहण का कार्य प्रगति पर है।
19.	बंगलौर-व्हाईटफील्ड-बंगलौर सिटी-कृष्णराजपुरम चौहरीकरण (23.08 कि.मी.)	1997-98	85	0.02	0.01	अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

[हिन्दी]

वाटर-एस्केप-ट्रेनर टेकनीक के लिए हेलीकाप्टर का दिया जाना

5085. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का रक्षा सेवाओं को वाटर-एस्केप-ट्रेनर-टेकनीक के लिए हेलीकाप्टर देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समुद्री जल में हेलीकाप्टर की हुई दुर्घटना से जान और माल की सुरक्षा करने हेतु उपरोक्त तकनीक की उपयोगिता का मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किन-किन देशों के पास उक्त तकनीक उपलब्ध है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ङ) भारतीय नौसेना के लिए एक उन्नत अण्डरवाटर एस्केप ट्रेनर की अधिप्राप्ति के मामले पर कार्रवाई शुरू की गई है।

कनाडा, संयुक्त राज्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैण्ड, इण्डोनेशिया, ब्रुनेई, ब्रिटेन, पाकिस्तान, मलेशिया, स्काटलैण्ड, नार्वे, दक्षिण कोरिया और नाईजीरिया जैसे अनेक देशों के पास इस प्रकार की सुविधा है।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों का नाम बदला जाना

5086. डा. एम. जगन्नाथ: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के कुछ विमानपत्तनों के नाम बदलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन विमानपत्तनों के क्या नाम हैं जिनका नाम बदला जाना है; और

(ग) इन विमानपत्तनों के नाम कब तक बदल दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) देश में विभिन्न हवाईअड्डों के नाम बदलने के लिए समय-समय पर प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में जोधपुर के हवाईअड्डे का नाम बदलकर महाराजा उमेद सिंह हवाईअड्डा रखने, बिहार में गया हवाईअड्डे का नाम गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा रखने तथा मेघालय में उमरोई (शिलांग) हवाईअड्डे का नाम बदलने के प्रस्ताव को संबंधित राज्य सरकारों के पास विचारार्थ भेज दिया गया है, जिसके उत्तर की प्रतीक्षा है। हवाईअड्डों का नाम बदलने के लिए प्राप्त हुए कुछ अन्य प्रस्ताव इस प्रकार हैं: मध्य प्रदेश में खजुराहो हवाईअड्डे का नाम महाराजा छत्रसाल हवाईअड्डा, उत्तरांचल में देहरादून हवाईअड्डे का नाम वीर चन्द गढ़वाली हवाईअड्डा, गुजरात में भुज हवाईअड्डे का नाम क्रांतिवीर पंडित श्यामजी कृष्णा

वर्मा हवाईअड्डा, मेघालय में तुरा हवाईअड्डे का नाम कैप्टन डब्ल्यू.ए.संगमा हवाईअड्डा, छत्तीसगढ़ में रायपुर माना हवाईअड्डे का नाम स्वामी विवेकानंद हवाईअड्डा, अमृतसर हवाईअड्डे का नाम गुरू राम दास, राजकोट हवाईअड्डे का नाम श्री यू.एन. धेबर, लखनऊ हवाईअड्डे का नाम चन्द्रभानु गुप्ता, वाराणसी हवाईअड्डे का नाम लाल बहादुर शास्त्री, लेह हवाईअड्डे का नाम कुशोक बकुला रिम्पोचे तथा मिजोरम में लेंगपुई हवाईअड्डे का नाम लालडेंगा हवाईअड्डा। नाम बदलने के प्रस्तावों को समय-समय पर अनुमोदन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय समझौता

5087. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और सिंगापुर के बीच हवाई उड़ानों के परिचालन संबंधी द्विपक्षीय समझौते को सिंगापुर ने अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बंगाल की खाड़ी में गैस के नए भंडार

5088. **श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई:**
श्री जुएल ओराम:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगाल की खाड़ी के अपतट में "गैस हाईड्रेटस" नाम से नए गैस के भंडार पाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित मात्रा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत के पास इस गैस हाईडेट्स का दोहन करने हेतु तकनीक उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी नहीं। बंगाल की अपतटीय खाड़ी में गैस हाइड्रेटस की उपस्थिति का उस क्षेत्र में किए गए भूकम्पीय सर्वेक्षणों के निर्वचन से निष्कर्ष निकाा गया है। तथापि, उसे वेधन और "कोरिंग" प्रौद्योगिकी द्वारा अभी सिद्ध किया जाना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) गैस हाइड्रेटों से गैस का उत्पादन पूरे विश्व में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) चरण पर है। भारत ने राष्ट्रीय गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एनजीएचपी) के अंतर्गत इस क्षेत्र में आरएण्डडी करने के लिए अपने प्रयास भी आरम्भ कर दिए हैं।

मध्यस्थता प्रणाली की जांच

5089. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्यस्थता प्रणाली की जांच करने हेतु एक सदस्यीय समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी शर्तें और निबंधन क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने 16.11.2004 से माननीय न्यायमूर्ति, भुवनेश्वर प्रसाद, न्यायाधीश (सेवानिवृत्त), उच्च न्यायालय, पटना की अध्यक्षता में "भारतीय रेल की मध्यस्थता प्रणाली" की जांच करने के लिए एक "एक सदस्यीय" उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल एक वर्ष का है। यह समिति निम्नलिखित जांच करेगी:

(1) विभागीय मध्यस्थता अधिरण, अधीनस्थ न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय सहित विभिन्न क्षेत्रों में रेलवे से संबंधित मध्यस्थता मामलों की बढ़ती हुई संख्या के कारणों का अध्ययन।

(2) मौजूदा संविदागत उपबंधों में आवश्यक परिवर्तनों सहित मध्यस्थता मामलों की संख्या में कमी लाने के लिए तौर-तरीके सुझाना।

(3) मध्यस्थता मामलों के निपटान में देरी को कम करने की दृष्टि से, अत्यंत उपयुक्त वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र का सुझाव।

(4) मध्यस्थता मामलों से प्रभावी रूप से निपटाने के लिए उत्तम विधिक परामर्शदाताओं को रेलवे के लिए कार्य करने के लिए आकर्षित करने हेतु तौर-तरीके सुझाना।

(5) आंतरिक मध्यस्थता निपटान तंत्र की स्थापना का सुझाव।

(6) ऐसे मामलों में, जहां रेलवे एक पार्टी है, अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद निपटान केन्द्र (आई सी ए डी आर) के उपयोग की संभावनाओं का परामर्श; और

(7) ऐसे अन्य उचित तरीके और उपाय, जिनके बारे में समिति यह अनुभव करती है कि वे मध्यस्थता मामलों को और प्रभावी ढंग से निपटाने में सहायक होंगे।

विमान यात्राओं में घटिया खाना परोसा जाना

5090. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स उड़ानों में घटिया सेवा तथा घटिया खाना परोसने के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) राष्ट्रीय एयरलाइनों द्वारा वहन किए गए कुल यात्रियों की संख्या की तुलना में विमान में प्रदान की गई सेवाओं/परोसे गए भोजन की गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त शिकायतों का प्रतिशत नगण्य है। किसी क्षेत्र विशेष में कमी के संबंध में यात्रियों की शिकायतों/फीडबैक पर कैटरर्स/स्टाफ के स्तर पर तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है, जिसमें कि, जहां कहीं आवश्यक हो, दण्डात्मक कार्रवाई भी शामिल है।

[हिन्दी]

जनसंचार सुविधाओं का प्रयोग

5091. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शिक्षा, जन स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास और महिला एवं बाल विकास में जनसंचार साधनों के बेहतर उपयोग के लिए कोई विशेष प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस प्रयोजन के लिए 'एज्सैट' की सेवाओं का उपयोग कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) प्रसार भारती और इस मंत्रालय के सभी माध्यम एकक शिक्षा, जनस्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास और महिला एवं बाल विकास आदि पर सरकार की विभिन्न स्कीमों और नीतियों के बारे में लोगों तक सूचना का प्रसार करने के कार्य में संलग्न रहे हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन वृत्तचित्रों, चर्चा-परिचर्चाओं, साक्षात्कारों आदि जैसे कार्यक्रमों का ब्रॉडकास्ट/प्रसारण करते हैं। इन कार्यक्रमों का प्रसारण मुख्य भाषाओं और विभिन्न छोटे समुदायों द्वारा प्रयुक्त बोलियों में किया जाता है।

पत्र सूचना कार्यालय (पी आई बी) प्रिंड मीडिया को प्रेस विज्ञप्तियां, वक्तव्य, आलेख पृष्ठिकाएं आदि जारी करता है। इंटरनेट जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग, करते हुए प्रचार संबंधी कार्य भी किया जाता है। पत्र सूचना कार्यालय ग्रामीण विकास, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास आदि संबंधी विकासात्मक कार्यक्रमों के प्रति मीडिया को जागरूक बनाने के उद्देश्य से "सामाजिक क्षेत्र के मुद्दों पर सम्पादकों का सम्मेलन (ई सी एस आई)" नामक एक वार्षिक सम्मेलत का भी आयोजन करता है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय फिल्म प्रदर्शनों, प्रदर्शनी किटों के प्रदर्शन, मुद्रित सामग्री के वितरण, गीत और नाटक के रंगमंचीय कार्यक्रमों, मौखिक संप्रेषण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से ग्रामीण विकास सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि पर मल्टी-मीडिया अभियानों को आयोजित करके विशेष प्रयास कर रहा है। गीत एवं नाटक प्रभाग भी इन विषयों पर कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है।

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय ने जनसंचार हेतु प्रचार की विभिन्न प्रणालियों नामतः प्रेस विज्ञापनों, मुद्रित प्रचार, श्रव्य-दृश्य प्रचार, बाह्य प्रचार, प्रदर्शनियों और मुद्रित सामग्री को जनसमुदाय तक डाक द्वारा भेजने के जरिए शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास तथा महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में अनेक अभियान शुरू किए हैं।

प्रकाशन विभाग मुख्यतः शिक्षा, ग्रामीण विकास और महिला एवं बाल विकास के लिए जनसंचार के उपायों के बेहतर प्रयोग

हेतु योजना, कुरूक्षेत्र, बाल भारती आदि जैसी अपनी पत्रिकाओं तथा इन विषयों पर प्रामाणिक पुस्तकों के जरिए प्रयास करता है।

(ग) और (घ) जैसाकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है उपग्रह 'एड्यूसैट' पूर्णतया शैक्षणिक प्रयोजनों हेतु समर्पित है। स्कूली शिक्षा सहित शिक्षा के सभी क्षेत्रों हेतु एड्यूसैट संसाधनों की साझेदारी के तरीकों के बारे में सुझाव देने के लिए एक कोर समूह का गठन किया गया है।

[अनुवाद]

लेखा प्रणाली

5092. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में अपनाई गई वर्तमान लेखा प्रणाली पारदर्शी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे संबंधी विशेषज्ञ समूह ने यह सुझाव दिया है कि रेलवे की लेखाएं व्यवसाय प्रतिभा के मानक के अनुसार होनी चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं, रेलों द्वारा अपनाई गई मौजूदा लेखा प्रणाली सरकार लेखा संबंधी नियमों के अनुसार पारदर्शी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलवे संबंधी विशेषज्ञ दल ने सुझाव दिया है कि भारतीय रेलवे का पूंजीगत आधार की पुनर्संरचना की जानी चाहिए और इसके लेखों को सामान्य रूप से स्वीकृत भारतीय लेखांकन सिद्धांतों के तहत नया रूप दिया जाना चाहिए ताकि भारतीय रेलवे के परिचालनों को वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रदर्शित किया जा सके और इसकी अर्थ क्षमता तथा मूल्यह्रास निधि के परिचलन का ढंग कंपनी अधिनियम में निर्धारित मानक मूल्यह्रास मानदंडों के अनुसार हो और मूल्यह्रास आरक्षित निधि में आबंटित राशि तदर्थ रूप में निर्धारित न हो।

(घ) रेल मंत्रालय ने लेखा संबंधी सुधारों के लिए एक अध्ययन कराए जाने का विनिश्चिय किया है ताकि सरकारी लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए सरकारी लेखा मानकों के अनुरूप विभिन्न सरकारी और वाणिज्यिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समर्थ लेखा संरचना मुहैया कराई जा सके।

[हिन्दी]

महिला यात्रियों की सुरक्षा

5093. श्री बापू हरी चौरे: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिला यात्रियों की जन सुनवाई पर राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के संबंध में महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) महिला यात्रियों हेतु अलग से महिला यात्री डिब्बे वाली रेलगाड़ियों का प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या सरकार रेलगाड़ियों में महिला यात्री टिकट निरीक्षक नियुक्त करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ चयनित रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने में रेलवे द्वारा विशेष ध्यान रखा गया है। महिला रेल सुरक्षा बल के कांस्टेबलों और महिला टिकट जांचकर्ताओं को शामिल करते हुए सुरक्षणी, तेजस्विनी, दुर्गावाहिनी और भैरवी नामक विशेष दस्ते बनाए गए हैं और उनको मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और पटना उपनगरीय खण्डों के प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। इसके अलावा सशस्त्र राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मचारी भी मुम्बाई उपनगरीय खण्डों पर रात के समय महिला कम्पार्टमेंट का मार्गरक्षण करते हैं। महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रभावित खण्डों में अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी तैनात किए गए हैं।

(ख) सभी यात्री गाड़ियों में, एक कम्पार्टमेंट अथवा यथोपेक्षित संख्या में शायिकाओं/सीटों को केवल महिलाओं के इस्तेमाल के लिए निर्धारित किया जाता है।

(ग) रेलों पर टिकट संग्राहक के रूप में नियुक्ति के लिए पुरूष और महिलाएं दोनों आवेदन कर सकते हैं। लिंग के आधार पर कोई निर्धारण नहीं किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण की स्थापना

5094. श्री कैलाश मेघवाल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तीनों सेनाओं से संबंधित कोर्ट मार्शल के निर्णयों से होने वाले अपीलों तथा सेवा मामलों से निपटने के लिए सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) सेवा संबंधी मामलों पर कार्यवाही करने तथा तीनों सेनाओं से संबंधित सैन्य-अदालतों के निर्णयों से उत्पन्न अपीलों को निपटने के लिए एक सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण की स्थापना किए जाने के एक प्रस्ताव पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है।

[अनुवाद]

वायुसेना भूमि का स्थानांतरण

5095. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नागपुर में मल्टी-मॉडल अंतर्राष्ट्रीय यात्री तथा कार्गो केन्द्र विमानपत्तन बनाने के लिए वायुसेना की भूमि के स्थानांतरण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार का, नागपुर में मल्टी-मॉडल अंतर्राष्ट्रीय यात्री तथा कार्गो केन्द्र विमानपत्तन स्थापित करने के लिए भारतीय वायुसेना की लगभग 686 एकड़ भूमि अर्जित करने का प्रस्ताव है। बदले में, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मौजूद रन-वे के दक्षिण-पश्चिम में 400 एकड़ भूमि भारतीय वायुसेना को देने की पेशकश की है।

(ग) यह मामला, महाराष्ट्र सरकार के साथ उठाया गया है तथा भारतीय वायुसेना की संक्रियात्मक अपेक्षाओं के मद्देनजर इस पर कार्रवाई की जा रही है।

रेलवे सामग्री की चोरी

5096. श्री सुबोध मोहिते: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को देश भर में रेल मार्गों पर बिखरे पड़े रेल सामग्रियों की चोरी के कारण काफी अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान चोरी के कारण कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या रेलवे का मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार चोरियां रोकने के लिए रेल सामग्री का केन्द्रीकृत भंडारण शुरू करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2004-05 के दौरान, पटरियां, जो रेलपथ के साथ अस्त-व्यस्त पड़ी हैं, की चोरी के कारण रेलवे को 4,67,653 रु. का घाटा हुआ। क्योंकि 58,62,136 रु. मूल्य की पटरियां, चोरी हो गई थीं जिसमें से 53,94,483 रु. मूल्य की पटरियां बरामद कर ली गई थी।

(ग) से (ङ) साधारणत: पटरियों का स्टेशन यार्डों में रेलपथ डिपो में अथवा समपार फाटकों के समीप चट्टा लगाया जाता है। चोरी आदि रोकने के लिए उपयुक्त चौकीदार की भी व्यवस्था की जाती है।

[हिन्दी]

प्रेस प्रकाशनियों को तैयार करना

5097. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रेस सूचना ब्यूरो में अधिकांश प्रेस प्रकाशन अंग्रेजी में तैयार किये जाते हैं और हिन्दी की उपेक्षा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रेस प्रकाशनी तैयार किए जाने के क्या नियम हैं; और

(ग) सरकार द्वारा प्रेस प्रकाशन को हिन्दी में भी तैयार करने के लिए क्या उपचारी उपाय अपनाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) प्रेस विज्ञप्तियां/आलेख हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में तैयार किए जाते हैं। यह कहना पूर्णतया गलत है कि हिन्दी की उपेक्षा की जाती है।

(ग) पत्र सूचना कार्यालय के कार्यालयों में हिन्दी सॉफ्टवेयर अधिष्ठापित कर दिया गया है तथा स्टाफ को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाता है ताकि और अधिक विज्ञप्तियां हिन्दी में तैयार की जा सकें।

अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विपणन योजना

5098. **श्री देविदास पिंगले:**
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के तेल विपणन कंपनियों को अर्द्ध शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विपणन योजनाएं बनाने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) को अपने वाणिज्यिक दृष्टिकोणों के आधार पर अपने डीलरों/वितरकों का चयन करने का प्राधिकार दिया गया है। तथापि, सरकार ने यह सलाह दी है कि वे अपनी भावी विस्तार योजनाओं के तहत अपने कुल खुदरा बिक्री केन्द्रों (आर ओज) में से दूरदराज क्षेत्रों और न्यूनतम सेवा वाले क्षेत्रों में क्रमश: कम से कम 5.6% और 5.3% खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करें। इसी प्रकार, एल पी जी वितरण केन्द्रों के लिए सरकार ने ओ एम सीज की सलाह दी है कि वे अपनी भावी योजनाओं में अर्द्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करें। ओ एम सीज ने रिपोर्ट दी है कि वे इन दिशानिर्देशों के आधार पर अपनी विपणन योजाएं निरूपित कर रही हैं।

[अनुवाद]

रेल लाइनें

5099. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के नए रेल लाइन परियोजनाओं, नामत: दौसा-गंगापुर सिटी, कोलायत-फलौदी और अजमेर-पुष्कर लाइनों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के लिए मंजूर की गयी धनराशि और इन परियोजनाओं में से प्रत्येक के पूरा किए जाने के लिए आवश्यक कुल धनराशि क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा किए जाने की समय-सीमा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) दौसा-गंगापुर सिटी, कोलायत-फलौदी और अजमेर-पुष्कर नयी लाइन परियोजनाओं के ब्यौरे उनकी प्रत्याशित लागत, निधियों के आबंटन, उनकी वर्तमान स्थिति और लक्षित तिथि जहां कहीं निर्धारित की गई हो, सहित नीचे दर्शाये गये हैं:

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	परियोजना के नाम	प्रत्याशित लागत	निधियों का आबंटन 2005-06	वर्तमान स्थिति और लक्षित तिथि जहां कहीं निर्धारित की गई
1.	दौसा-गंगापुर सिटी (92.67 कि.मी.)	208.83	5.00	भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है। 448.25 हेक्टेयर भूमि में से अब तक 372.91 हेक्टेयर भूमि का कब्जा लिया जा चुका है।
2.	कोलायत-फलौदी (111.394 कि.मी.)	171.00 कक्षा मंत्रालय द्वारा धनराशि जमा की गई है।	5.00	मिट्टी संबंधी कार्य, छोटे/बड़े पुलों का निर्माण, स्टाफ आवास, स्टेशन इमारें, गिट्टी की सप्लाई और स्लिपन और पटरियों का लदान प्रगति पर है। राज्य सरकार ने अभी तक 700 मीटर (2.88) (हेक्टेयर) भूमि नहीं सौंपी है। यह कार्य 31.3.2006 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
3.	अजमेर-पुष्कर (31.40 कि.मी.)	88.40	10.00	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार के पास 9.90 करोड़ रु. जमा करा दिए गए हैं। रेलवे द्वारा 85% भूमि का कब्जा लिया जा चुका है।

यात्री सुख-सुविधा संबंधी समिति

5100. श्री सनत कुमार मंडल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल यात्रियों की सुख-सुविधा पर नजर रखने के लिए कोई समिति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यात्री सुख-सुविधा संबंधी समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के आलोक में कोई पहल की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) यात्री सुविधा समिति का गठन राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित कार्यकाल के लिए रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में समय-समय पर यात्री सुविधाओं की जांच करने के लिए किया जाता है। पिछले यात्री सुविधा समिति का कार्यकाल 21.5.2003 को समाप्त हो गया था। नई यात्री सुविधा समिति के गठन की प्रक्रिया जारी है।

(ख) से (घ) चूंकि नई यात्री सुविधा समिति का गठन अभी किया जाना है, इसलिए सिफारिशों और नए पहलुओं का प्रश्न ही नहीं उठता।

लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में क्रैश वर्थी दरवाजे लगाना

5101. डा. के. धनराजू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि रेल दुर्घटना के समय कई यात्रियों की मृत्यु इसलिए हो जाती है कि रेलगाड़ियों के दरवाजों को काटने और यात्रियों को बाहर निकालने में काफी देर हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में "क्रैश वर्थी" दरवाजे लगाने का निर्णय लिया है, ताकि दुर्घटना के वक्त लोगों को बचाया जा सके;

(ग) यदि हां, तो रेलगाड़ियों में ये सुविधाएं मुहैया कराए जाने को कार्यरूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो वे रेलगाड़ियां जिनमें ऐसे दरवाजे लगाए गए हैं, का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो रेलगाड़ियों में इन सुविधाओं को प्रदान नहीं किए जाने के क्या कारण है; और

(च) ''क्रैश वर्थी'' दरवाजे लगाए जाने की योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) से (च) जी नहीं। गाड़ियों में ''क्रैश वर्ती डोर्स'' नामक कोई अवधारणा नहीं है। बहरहाल, सभी सवारी डिब्बों में आपातकालीन निकास खिड़कियां मुहैया कराई गई है ताकि दुर्घटनाओं के मामले में यात्री सवारी डिब्बों से आसानी से बाहर निकल सकें। रेलें सवारी डिब्बों की बॉडी को समग्र रूप से क्रैश वर्थीनेश बनाने के लिए डिजाइन का विकास करने पर भी जोर दे रही है जिसमें दरवाजों को फाइबर री इन्फोर्सर्ड प्लास्टिक से बनाना शामिल है जिससे कि इस्पात के दरवाजों की तुलना में इन्हें कम समय में तोड़ा जा सकें।

उड़ीसा के तटों पर गैस की खोज

5102. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम कन्जर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन (पी सी आर ए) ने उड़ीसा तट पर गैस की खोज का विरोध किया है क्योंकि यह ओलिव रिडले कछुओं के प्रजनन के लिए गंभीर खतरा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस मामले को स्वीकृति के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस मामले पर पर्यावरण और वन मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पी सी आर ए) ने उड़ीसा तट पर ओलिव रिडले कछुओं पर अन्वेषण और उत्पादन प्रचालनों के संभाव्य असर पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। कार्यकारी निदेशक, पी सी आर ए मत व्यक्त किया है कि उड़ीसा तट के साथ ओलिव रिडले कछुओं के मामले पर विस्तृत अध्ययन की जरूरत है और जब तक ऐसा अध्ययन नहीं कर लिया जाता इस क्षेत्र में अन्वेषण और वेधन क्रियाकलापों की अनुमति रोकनी होगी।

सभी प्रचालकों को पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करनी होती है जो पर्यावरणीय अनापत्तियां प्रदान करने के लिए नोडल मंत्रालय है। यह मंत्रालय पर्यावरण और जैव विविधता का पूर्णत: संरक्षण करते हुए हाइड्रोकार्बन संसाधनों के सतत विकास की अनिवार्यता का पूर्णरूपेण समर्थन करता है।

(ग) से (ङ) पर्यावरणीय अनापत्तियां प्राप्त करना प्रचालक कंपनियों का दायित्व है। सामान्यत: वे पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई आई ए) अध्ययनों और अन्य अपेक्षित ब्यौरों के साथ आवेदन पर्यावरण और वन मंत्रालय को आवेदन करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर आई एल) ने दो अन्वेषण ब्लाकों नामत: एन ई सी-ओ एस एन-92/2 (उत्तर पूर्वी तटीय अपतट में) और एम एन-डी डब्ल्यू एन-98/2 (महानदी के गहरे पानी वाले क्षेत्र में) के लिए पर्यावरणीय अनापत्तियों हेतु आवेदन किया था।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने अप्रैल से नवम्बर के दौरान एन ई सी-ओ एस एन-97/2 ब्लाक में अन्वषणात्मक वेधन की अनुमति दी पर्यावरणीय, अनापत्ति में उल्लिखित शर्तों और निबंधनों की शर्त पर दी है किन्तु यह कहा है कि किसी भी हालत में अन्वेषण कार्य वर्ष की शेष अवधि अर्थात् दिसम्बर से मार्च के दौरान नहीं किया जाना चाहिए। इसमें आगे यह निर्धारित किया गया है कि ब्लाक एम एन-डी डब्ल्यू एन-98/2 के लिए अन्वेषणात्मक वेधन प्रचालन, आगे अर्हता प्राप्त अनुसंधाकर्त्ताओं के जरिए बृहत जमाव के क्षेत्र और निकासी भागों का पता लगाए जाने तक स्थगित किया जाना चाहिए और ब्लाक में वेधन प्रचालन आरम्भ करने से पहले पर्यावरण और वन मंत्रालय की विशिष्ट अनुमति प्राप्त की जाए। इसके अतिरिक्त इसमें यह निर्धारित है कि आर आई एल को समुद्री जीवन आकारों और ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के संबंध में अर्हताप्राप्त अनुसंधानकर्ताओं के माध्यम से तत्काल बहु-आयामी अध्ययन चालू करना चाहिए और उसे मई, 2005 तक पूरा करना चाहिए। इस अध्ययन में अन्वेषणात्मक मैदानों कि आस पास भी तनों नीडकों और जमाव स्थलों पर सेटेलाइट टेलीमीटरी अध्ययन शामिल होने चाहिए। आर आई एल, इस अध्ययन के लिए वाइल्ड लाइफ इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडिया और अन्य अनुभव प्राप्त एजेंसियों को शामिल कर सकती है।

इंडियन एयरलाइन्स/एयर इंडिया के लिए विशेष पैकेज

5103. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया ने विभिन्न गंतव्य स्थलों के लिए किसी विशेष किराए पैकेज का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका सेक्टर-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या घरेलू निजी एयरलाइनों तथा विदेशी एयरलाइनों ने इंडियन एयरलाइन्स के प्रस्ताव की जवाबी प्रतिक्रिया की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने तथा साथ ही विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए दोनों एयरलाइनों ने विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष किराया पैकेज आफर किए हैं। एअर इंडिया ने लैंड पैकेजों के साथ संयोजन करते हुए विशेष ग्रुप/वैयक्तिक टूर आधारित किराए आफर किए हैं। ये किराए टूर प्रचालकों/ट्रैवल एजेंटों को भारत से बाहर के गंतव्यों जैसे कि फ्रैंकफर्ट/पेरिस, लंदन, न्यूयार्क, शिकागो, लॉसएंजिल्स, बर्मिंघम, टोरंटो, सिंगापुर, कुवालालम्पुर, बैंकॉक, हांग-कांग, शंघाई, टोकियो, ओसाका, नैरोबी, दर-ए-सलाम तथा जर्काता के लिए ऑफर किए जाते हैं। इंडियन एयरलाइन्स ने आई ए-फ्लाईअवेज के रूप में वर्ष 1999 में होलीडे पैकेज आरंभ किए थे। कंपनी द्वारा प्रमुख होटलों के साथ बातचीत करके आकर्षक दरें निर्धारित की गई तथा उन होटल दरों के साथ अपने विशेष हवाई किराए प्रदान किए गए और पर्यटकों की सुविधा के लिए सिंग विंडो होलीडे पैकेज आरंभ किए गए। ये पैकेज 8 अंतर्राष्ट्रीय एवं 22 घरेलू सेक्टरों में उपलब्ध हैं, जिनमें कि 80 से अधिक गंतव्य स्थल सम्मिलित हैं। इंडियन एयरलाइन्स के पैकेज में इकॉनामी श्रेणी में वापसी हवाईयात्रा किराया, एयरपोर्ट से होटल आना-जाना, होटल में कमरे, भोजन की व्यवस्था तथा विभिन्न दर्शनीय स्थलों की सैर आदि के विकल्प शामिल हैं। पैकेजों की अवधि नियमित प्रकार के एक स्टॉप पैकेज के लिए 2 रातें/3 दिन से लेकर कुछ इटिनरी पैकेजों के मामले में 12 रातें/13 दिनों तक की हैं।

(ग) और (घ) इस संबंध में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। तथापि, यह वाहकों की सामान्य पद्धति है कि वे प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में अपनी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए आकर्षक पैकेज प्रस्तुत करते रहते हैं।

[हिन्दी]

एकीकृत रेल पूछताछ प्रणाली

5104. श्री राकेश सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पटना और बंगलौर में परीक्षण स्तर पर एकीकृत रेल पूछताछ प्रणाली/कंप्यूटरीकृत रेल पूछताछ प्रणाली सफल पायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो उन सुविधाओं को कहां शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या पूछताछ से संबंधित ठेका निजी कंपनियों को दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या उन शहरों में जहां उक्त कार्यों का ठेका निजी कंपनियों को दिया गया है, यह प्रणाली सफल साबित हुई; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) इंटरएक्टिव वायर रिस्पोंस प्रणाली (आई आर वी एस) और मैनुअल पूछताछ व्यवस्था वाली एकीकृत गाड़ी पूछताछ प्रणाली (आई टी ई एस) पहले ही पटना और बंगलौर में स्थापित कर दी गई और इसके सफलतापूर्वक कार्य करने पर अब इस प्रणाली को सभी क्षेत्रीय रेलों पर शेष टेलीकॉम सर्कल में स्थापित किया जाएगा।

(ग) से (ङ) रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (क्रिस) रेलवे सूचना टेलीकॉम संचालकों/सेवा मुहैया कराने वालों को (आई टी ई एस) स्थापित करने के लिए खुली प्रस्तावनाओं के माध्यम से फ्रैंचाइन नियुक्त करेगी।

[अनुवाद]

एन.टी.सी. मिलों की भूमि का अर्जन

5105. श्री के. सुब्बारायण: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन के निकट स्थित बंद पड़ी एन टी सी मिलों की भूमि को रेलवे द्वारा विकास कार्यों हेतु प्रयोग करने के लिए अर्जित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा उक्त भूमि को कब तक अर्जित किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेडियो केन्द्र

5106. श्री खारबेल स्वाईं: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में खोले गए रेडियो केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 2005-06 के दौरान ए.आई.आर. के कितने केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) प्रसार भारती ने गत तीन वर्षों अर्थात् 2992-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान निम्नलिखित नए रेडियो स्टेशनों को चालू कर दिया गया है:

1. भदरवाह (जम्मू और कश्मीर) – स्टुडियो सहित 6 किवॉ.एफ.एम. ट्रांसमीटर।
2. खलसी (जम्मू और कश्मीर) – 1 किवॉएफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले केन्द्र)।
3. नौशेरा (जम्मू और कश्मीर) – 20 किवॉ.एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले केन्द्र)।
4. राजौरी (जम्मू और कश्मीर) – 10 किवॉ.एफ.एम. ट्रांसमीटर (रिले केन्द्र)।
5. शान्तिनिकेतन (पश्चिम बंगाल) – 3 स्टुडियो सहित 3 किवॉ.एफ.एम. ट्रांसमीटर।
6. बेल्लारी (कर्नाटक) – 1 किवॉ.एफ.एम. ट्रांसमीटर (अन्तरिम ढांचा)।
7. कुपवाड़ा (जम्मू और कश्मीर) – 20 किवॉ.मी.वे. ट्रांसमीटर (रिले केन्द्र)।

(ख) वर्ष 2005-06 के दौरान उड़ीसा के रायरंगपुर में 1 किवॉ.एफ.एम. ट्रांसमीटर और नए स्थानों में 25 अल्प शक्ति एफ.एम. ट्रांसमीटरों की स्थापना का कार्य पूरा कर लिया जाना प्रस्तावित है। निधियों के अनुमोदन और उपलब्धता के अध्यधीन इन स्कीमों को कार्यान्वित किया जाएगा।

ऊपरी सड़क पुल

5107. डा. के.एस. मनोज: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा ऊपरी सड़क पुल के लिए जनरल अरेंजमेंट डिजाइन तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर अलापुज्जा और चेरथल्स रेलवे स्टेशनों पर ऊपरी सड़क पुल हेतु और अलापुज्जा और अम्बलापुज्जा रेलवे स्टेशनों के बीच ऊपरी सड़क पुल का जनरल अरेंजमेंट डिजाइन प्रस्तुत कर दिया गया है; और

(ग) इन ऊपरी सड़क पुलों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) ऊपरी सड़क पुलों के लिए सामान्य आरेखण व्यवस्था सड़क प्राधिकारियों द्वारा तैयार की जाती है और रेलवे से अनुमोदित कराई जाती है।

(ख) अलापुज्जा और चेरथला रेलवे स्टेशनों के बीच और अलापुज्जा एवं अम्बालापुज्जा रेलवे स्टेशनों के बीच निक्षेप शर्तों पर राज्य सड़क प्राधिकारियों/एन.एच. विंग के लिए अलापुज्जा बाईपास राजमार्ग पर दो ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण किया जा रहा है। दोनों ऊपरी सड़क पुलों के मामले में सामान्य आरेखण व्यवस्था और डिजाइन मुख्य अभियंता/राष्ट्रीय राजमार्ग/तिरूवनंतपुरम केरल द्वारा तैयार किए गए हैं जिनकी रेलवे द्वारा संवीक्षा की जा रही है। रेलवे द्वारा सुझाए गए कुछ संशोधनों को उनके द्वारा अभी तक शामिल नहीं किया गया है। सुझाए गए आशोधन सहित संशोधित सामान्य आरेखण व्यवस्था अभी रेलों को प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) इन ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण निक्षेप शर्तों पर किया जाना है, इसलिए निधि की व्यवस्था राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारियों/एन.एच. विंग द्वारा की जानी है।

[हिन्दी]

नवजीवन एक्सप्रेस के मार्ग में परिवर्तन

5108. श्री संजय धोत्रे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई से चलने वाली 'नवजीवन एक्सप्रेस' के मार्ग में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इस संबंध में संबंधित डी आर एम से परामर्श लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए मध्यस्थता तंत्र

5109. प्रो. एम. रामदासः क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्र सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए एक स्थाई मध्यस्थ तंत्र बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) सरकारी उद्यमों के पारस्परिक वाणिज्यिक विवादों (आय कर, सीमा शुल्क तथा उत्पाद-शुल्क को छोड़कर) तथा किसी सरकारी उद्यम एवं किसी सरकारी विभाग के बीच के विवादों का समाधान करने के लिए वर्ष 1989 में पूर्ववर्ती सरकारी उद्यम कार्यालय (अब लोक उद्यम विभाग) में एक स्थायी मध्यस्थता तंत्र का गठन किया गया था। लोक उद्यम विभाग में तैनात विधि मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी स्थायी मध्यस्थता तंत्र के कार्यक्षेत्र में प्रत्येक मामले में मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है तथा कार्य करता है।

तेल/गैस की खोज के लिए लाइसेंस

5110. श्री रघुनाथ झाः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें तेल/गैस की खोज के लिए न्यू एक्सप्लोरेशन पाइसेंसिंग पालिसी के अंतर्गत लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पालिसी के अंतर्गत लाइसेंस जारी करने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत, निबंधन एवं शर्तें क्या हैं और क्या ये कंपनियों इन शर्तों को पूरा करती हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तेल/गैस की कितनी मात्रा में खोज की गई है; और

(घ) मांग और उत्पादन में बड़े अंतर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृति गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पी ई एल) भारत सरकार के साथ उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी एस सी) पर हस्ताक्षर के बाद जारी किए जाते हैं। अपतटीय ब्लाकों के लिए पीईएल संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन ई एल पी) के अंतर्गत हस्ताक्षरित 90 पी एस सीज के बाद पी ई एल सात तेल क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और 11 निजी कंपनियों को जारी किए गए हैं। उन कंपनियों जिनके साथ तेल क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी कंपनियों को जारी किए गए हैं। उन कंपनियों जिनके साथ सरकार ने एन.ई.एल.पी. कि पहले चार दौरों में संविदाएं हस्ताक्षरित की हैं, और इसके संबंध में जारी पी.ई.एल. की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ख) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन ई एल पी) के अंतर्गत, पी ई एल, पी एस सी पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद जारी किए जाते हैं। एन ई एल पी के अंतर्गत ब्लाक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रणाली के माध्यम से प्रस्तावित किए जाते हैं। बोलीदाता कंपनियों को तकनीकी और वित्तीय क्षमताओं के बारे में प्रस्ताव आमंत्रण सूचना (एन आई ओज) में निर्धारित बोली मूल्यांकन मानदंड को पूरा करना होता है। इसके बाद तकनीकी और आर्थिक योग्यता, प्रस्तावित कार्य संबंधी कार्यक्रम और बोलीदाता कंपनियों द्वारा प्रस्तावित राजकोषीय पैकेज को ध्यान में रखते हुए पारदर्शी मात्रात्मक बोली मूल्यांकन मानदंड के आधार पर बोलियों का मूल्यांकन किया जाता है। एन ई एल पी के मुख्य निबंधन और शर्तें निम्नानुसार हैं:

* कोई हस्ताक्षर, खोज या उत्पादन बोनस नहीं।
* आय कर अधिनियम, 1961 के अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन के आरम्भ से सात वर्षों के लिए आय कर से छूट।
* पेट्रोलियम प्रचालनों के लिए आवश्यक आयातों पर कोई सीमा शुल्क नहीं।
* बोली योग्यता लागत वसूली सीमा 100% तक।
* पहले वाणिज्यिक उत्पादन से 10 वर्ष की अवधि में अन्वेषण और वेधन व्यय को चुकाने का विकल्प।
* संविदाकार द्वारा प्राप्त पूर्व कर निवेश गुणक पर आधारित लाभ पेट्रोलियम की हिस्सेदारी और यह बोली योग्य है।

* जमीनी क्षेत्रों के लिए रायल्टी कच्चे तेल के लिए 12.5% और प्राकृतिक गैस के लिए 10% की दर पर देय है। अपतटीय क्षेत्रों के लिए तेल और प्राकृतिक गैस के लिए रायल्टी 10% की दर पर देय है। 400 मीटर आइसो-बाथ से अधिक के गहन समुद्री क्षेत्रों में खोजों के लिए रायल्टी वाणिज्यिक उत्पादन के पहले सात वर्षों के लिए अपतटीय क्षेत्रों के लिए लागू दर से आधी दर पर देय है।

* संविदा में राजकोषीय स्थायित्व प्रावधान।

* घरेलू बाजार में तेल और गैस के विपणन के लिए संविदाकार की स्वतंत्रता।

* समनुदेशन के लिए प्रावधान।

* यू एन सी आई टी आर ए एल माडल पर आधारित माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 लागू हैं।

* पी एस सीज भारत के कानून के अध्यधीन हैं।

पी ई एल के निबंधन और शर्तें पी एस सीज के निबंधनों और शर्तों और पेट्रोलियम प्रचालन करने के लिए रक्षा, सुरक्षा और पर्यावरणीय अनुमोदन आदि जैसी अन्य शर्तों के अध्यधीन हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खोजे गए तेल/गैस की मात्रा राज्यवार निम्नानुसार हैं:

राज्य/क्षेत्र	वर्ष 2001-02 से 2003-04 में तत्स्थान हाइड्रोकार्बन वृद्धि (मिलियन मीट्रिक टन में)
आन्ध्र प्रदेश	16.46
असम	108.81
गुजरात	87.22
राजस्थान	144.04
तमिलनाडु	20.82
त्रिपुरा	6.34
अरुणाचल प्रदेश	6.51

(घ) गैस के मांग और आपूर्ति के बीच अंतराल को कम करने के लिए निम्नलिखित मुख्य उपाय किए गए हैं।

(1) वर्धित तेल निकासी (ई ओ आर) उन्नत तेल निकासी (ई ओ आर) योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा वर्तमान मुख्य क्षेत्रों से निकासी घटक में सुधार करना।

(2) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन ई एल पी) के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करना; एन ई एल पी के चार दौरों के अंतर्गत 90 ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी एस सीज) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 20 अन्वेषण ब्लाकों के लिए बोलियां आमंत्रित करने के लिए 4 जनवरी, 2005 को एन ई एल पी का पांचवां दौर घोषित किया गया है; बोलियों के प्राप्त होने की अंतिम तारीख 31 मई, 2005 है।

(3) नए क्षेत्रों, विशेषकर गहरे समुद्र और कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों और पहले से उत्पादक क्षेत्रों की गहनतर परतों में अन्वेषण करना; और

(4) नए खोजे गए क्षेत्रों का तेजी से विकास करना और उत्पादक क्षेत्रों में भूकम्पीय सर्वेक्षणों, वर्क ओवर, उत्प्रेरण कार्यों, कूपों के वेधन इत्यादि के लिए नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना।

इसके अलावा राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के ऊर्जा सुरक्षा भाग के लक्ष्य के अनुरुप ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड (ओ वी एल) और आई ओ सी, ओ आई एल और गेल जैसी अन्य राष्ट्रीय तेल कंपनियां विदेश में इक्विटी तेल और उत्पादक तथा संभावी संपत्तियों का अर्जन कर रही हैं।

विवरण

तेल क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

(1) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड

(2) इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

(3) ऑयल इंडिया लिमिटेड

(4) गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

(5) गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

(6) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(7) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

निजी कंपनियां

(1) रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(2) हारडी एक्सप्लोरेशन एण्ड प्रोडक्शन (इंडिया) इंक.

(3) जुबीलियंट एन्ग्रो प्रा. लिमिटेड

(4) कैरन एनर्जी इंडिया प्रा. लिमिटेड

(5) हिन्दुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड

(6) निको रिर्सोसिस लिमिटेड

(7) ज्यो ग्लोबल रिर्सोसिस (इंडिया) इंक.

(8) प्राईज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड

(9) ज्यो ग्लोबल रिर्सोसिस (बारबाडोस) इंक

(10) एन्ग्रो फाइनेंस

(11) ओएओ गजप्रोम

[हिन्दी]

नए रेलवे जोनों के लिए धनराशि

5111. श्री गणेश सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में स्थापित किए गए रेलवे जोन उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो क्या विकास कार्यों को शुरू करने के लिए नवसृजित रेलवे जोन वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो देश में प्रत्येक नवसृजित रेलवे जोन को कितनी धनराशि प्रदान की गई है और जिस कार्य के लिए यह धनराशि प्रदान की गई थी, उसका ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। सभी सात नए मुख्यालय 31.3.2004 से पूर्ण रूप से संचालित हो गए है। बहरहाल, इनको स्थिर होने में थोड़ा वक्त लगेगा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत लंबित प्रस्ताव

5112. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के पास उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत धनराशि जारी करने के लिए राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनके लम्बित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों के कब तक स्वीकृत होने की संभावना है और इसके अंतर्गत धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) अनुसूचित जातियों के छात्रों की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए 2004-05 के बजट प्राक्कलन में 313.24 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी थी। तथापि पुनर्विनियोजन के माध्यम से अतिरिक्त निधियां जुटाई गयी और इस वर्ष योजना के अंतर्गत 330.27 करोड़ रुपए का व्यय किया गया।

इस योजना के अंतर्गत सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की गयी थी। तथापि इस वर्ष निधियों की कमी के कारण, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों को पूर्ण मांग पूरी नहीं की जा सकी। असम, बिहार, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर राज्यों की भी पूर्ण मांग पूरी नहीं की जा सकी क्योंकि इन राज्यों को पहले जारी की गयी निधियों के उपयोग की प्रगति के बारे में इन राज्यों द्वारा कोई सूचना नहीं दी गयी।

अन्य पिछड़े वर्गों की मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना की दशा में असम, बिहार, झारखण्ड और राजस्थान राज्य सरकारों को निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकी क्योंकि पूर्व वर्षों के दौरान निर्मुक्त निधियों के उपयोग संबंधी जानकारी उन्होंने नहीं दी थी। इसी प्रकार, कर्नाटक, पंजाब और सिक्किम राज्यों के प्रस्ताव ठीक नहीं पाये गए क्योंकि वे इस योजना के मानकों का पालन नहीं कर रहे थे।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए है और इस योजना के अंतर्गत किसी भी राज्य सरकार से प्राप्त कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के मामले में बिहार और पांडिचेरी के प्रस्ताव लम्बित हैं क्योंकि पूर्व वर्षों के दौरान जारी निधियों के उपयोग संबंधी जानकारी इनके द्वारा नहीं दी गयी। मध्य प्रदेश राज्य सरकार इस योजना को

कार्यान्वित नहीं कर रही है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे पहले दी गई निधियों को वापस करें।

[हिन्दी]

नए रेलवे स्टेशनों/जंक्शनों का निर्माण

5113. श्रीमती अनुराधा चौधरी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-शामली-सहारनपुर रेल मार्ग पर नए रेलवे स्टेशनों/जंक्शनों का निर्माण के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सर्वेक्षण किस वर्ष में किया गया था;

(ग) क्या सरकार ने रेलवे स्टेशनों के निर्माण की स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इस मार्ग पर निर्माण कार्य के कब तक प्रारंभ होने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) दिल्ली-शामली-सहारनपुर मार्ग पर नए रेलवे स्टेशन/जंक्शन के निर्माण के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। बहरहाल, पानीपत-मुज्जफरनगर और मेरठ-पानीपत खंडों के बीच नई लाइनों के लिए मेरठ-सहारनपुर लाइन के दोहरीकरण के लिए पहले सर्वेक्षण किए गए थे, लेकिन चालू परियोजनाओं के भारी थ्रोफारवड और संसाधनों की तंगी के कारण इन प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सका।

चल टिकट परीक्षकों का खतरा

5114. श्री ब्रजेश पाठक: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिना टिकट पकड़े गए यात्रियों से रिश्वत लेकर उन्हें रेल में यात्रा करवाने वाले चल टिकट परीक्षकों के विरुद्ध कितने मामले सरकार के ध्यान में आए है;

(ख) ऐसे मामलों में दोषी पाए गए चल टिकट परीक्षकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) ऐसे चलन को रोकने के लिए क्या कठोर उपाय किए गए हैं/किए जाने है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) टिकट जांचकर्ता कर्मचारियों की मिलीभगत से आरक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा कर रहे अप्राधिकृत यात्रियों के कुछ मामले ध्यान में आए हैं। बहरहाल, ऐसे मामलों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(ग) ऐसे कदाचारों में शामिल पाए जाने वाले टिकट जांचकर्ता कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

विकासोन्मुख कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को सम्मिलित करना

5115. श्री तथागत सत्पथी:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय परामर्शदात्री परिषद ने विभिन्न विकासोन्मुख कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को सम्मिलित करने के लिए कोई रणनीति बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) पंचायती राज और स्थानीय सरकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धता के अनुपालन में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने संविधान के भाग IX के अंतर्गत हस्तांतरण की वर्तमान स्थिति के विश्लेषण के आधार पर कतिपय सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें वित्तीय अंतरण, उत्तरदायित्व और पंचायतों के कार्य निष्पादन; पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के क्रियान्वयन; महिला सशक्तिकरण; पारदर्शिता के लिए सामान्य सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) क्रियाविधियों के व्यापक उपयोग और सूचना और सेवाएं आसानी से मिलने; ग्राम सभा की अधिकार सम्पन्नता के मुद्दों और उपयोक्ता समुदाय को संस्थागत संपर्क उपलब्ध कराने; संविधान की अनुसूची IX में विनिर्दिष्ट विषयों के

संबंध में कार्यक्रमों के क्रियाकलाप की रूपरेखा और पंचायत के सदस्यों की क्षमता के निर्माण से संबंधित हैं।

(ग) राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

एक्सप्रेस ट्रेनों में पार्सल बुकिंग को बंद करना

5116. **श्री हंसराज जी. अहीर:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एक्सप्रेस ट्रेनों में रेलवे पार्सल बुकिंग को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन ट्रेनों के नाम क्या है जिनमें रेलवे पार्सल बुकिंग को बंद किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव के समय को बढ़ाने और देश के वाणिज्यिक महत्व के ऐसे रेलवे स्टेशनों पर पार्सल बुकिंग सुविधा को पुन: चालू करने का है जहां पर यह सुविधा एक्सप्रेस ट्रेनों के बहुत ही थोड़े समय के ठहराव के कारण बंद कर दी गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) जनता के व्यापक हित में और यात्रियों की सुविधा और संरक्षा के लिए, गाड़ियों के समय पालन को बनाए रखना तथा पार्सलों के पारवहन समय में कमी, पार्सल यातायात की बुकिंग और ढुलाई को फरवरी, 2004 में युक्तिसंगत बनाया गया था। युक्तिकरण में ऐसी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों, जिनका मध्यवर्ती स्टेशनों पर ठहराव समय पांच मिनट से कम का है, द्वारा पार्सलों की बुकिंग की अनुमति नहीं दी गई है ताकि पार्सलों को अति ढुलाई से बचा जा सके और गाड़ियों के समय पालन को बनाए रखा जा सके। यह युक्तिकरण पार्सलों के समग्र पारवहन समय को कम करने के लिए किया गया है चूंकि विभिन्न गाड़ियों द्वारा छोर से छोर संचलन के माध्यम से तीव्रतर और बेहतर सेवाएं मुहैया कराई जा रही है। वास्तव में, क्षतिपूर्ति संबंधी दावों से बचने के फलस्वरूप अप्रत्यक्ष बचत हुई है, जो पार्सलों की बुकिंग और ढुली की तत्कालीन प्रणाली की आवश्यक विशेषता बन गई थी। अत: यात्रियों के हित में और रेल व्यवसाय के हित में भी युक्तिकरण को वापस लेना व्यवहार्य नहीं है। बहरहाल, जहां कहीं परिचालनिक रूप से व्यवहार्य पाया गया है, कुछ एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव समय को बढ़ाया गया है।

रेलवे के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा

5117. **श्री हरिभाऊ राठौड़:**
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में रेलवे के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधी कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप रेलवे को कितना लाभ होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) रेलवे ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष गाड़ियों/सवारी डिब्बे, पैलेस ऑन व्हील्स और दक्कन ओडिसी, जैसी लक्जरी गाड़ियां भारत दर्शन स्पेशल आम जनता के लिए पर्यटक गाड़ी चलाकर तथा इंडरेल पास, विदेशी पर्यटक आरक्षण कोटा, विदेशी पर्यटकों के लिए सुविधा केन्द्र आदि मुहैया करने जैसे कई कदम उठाए हैं। मूल्य संवर्धित पर्यटन पैकेज मुहैया कराने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) नामक एक नई कंपनी की भी स्थापना की गई है। यह कंपनी रेल द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से व्यस्त है। उपरोक्त सभी उपाय पर्यटन को बढ़ावा देने को ध्यान में रखकर किए गए हैं न कि रेलों को केवल लाभ पहुंचाने के उपाय के रूप में।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सूचना आयोग

5118. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय सूचना आयोग गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

माल-शेडों का विकास

5119. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार पूर्ण भंडार गृहों में माल-शेडों के विकास/पुनर्विकास करने के लिए निजी क्षेत्र से बोलियां आमंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य संगठनों को ऐसी भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

के.यू. बैंड उपग्रह वितरण परियोजना

5120. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने टी.वी. देखने वाली शत-प्रतिशत जनसंख्या को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु के.यू. बैंड उपग्रह वितरण परियोजना अनुमोदित की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की लागत कितनी है और इसके अन्तर्गत विनिर्दिष्ट क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) इस परियोजना को कब तक पूरा किए जाने और चालू करने की संभावना है; और

(ङ) सरकार किस प्रकार से वार्षिक आवृत्ति व्यय वहन करेगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि 164.35 करोड़ रुपये (भू-केन्द्र व डिश अभिग्रहण इकाइयों की लागत और उपग्रह ट्रांसपोंडर प्रभारों सहित) की अनुमोदित लागत से दूरदर्शन की के.यू. बैंड परियोजना डी डी डायरेक्टर +, 33 टी वी और 12 रेडियो चैनलों के समूह वाली दूरदर्शन की फ्री-टु-एयर डी टी एच सेवा की शुरूआत के साथ दिनांक 16.12.2004 से प्रचालन में आई। यह सेवा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर सारे देश में अभिग्रहण के लिए उपलब्ध है।

(ङ) इस व्यय को सरकारी अनुदान और प्रसार भारती के आंतरिक संसाधनों में से वहन किया जा रहा है।

गैस आधारित परियोजनाओं की गैस आवश्यकता

5121. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत वर्षों में विभिन्न गैस आधारित परियोजनाओं में गैस की मांग बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो देश में गैस आधारित परियोजनाओं में वर्ष 2004-05 के दौरान बढ़ी गैस की मांग का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संयंत्रों कि उक्त अवधि में उपलब्ध गैस में राज्य-वार कितनी गैस आबंटित की गई; और

(घ) देश में भविष्य में गैस उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) जी हां। प्राकृतिक गैस का राज्यवार आबंटन और वर्ष 2004-05 के दौरान की गई आपूर्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के तहत ब्लाक प्रदान करने और एलएनजी के रूप में तथा राष्ट्रपार गैस पाइपलाइनों के माध्यम से प्राकृतिक गैस का आयात करते हुए प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन की तीव्रीकरण सहित प्राकृतिक गैस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।

विवरण

राज्यवार आबंटन और वर्ष 2004-05 के दौरान आपूर्तियां

(एमएमएससीएमडी)

क्षेत्र	आबंटन		आपूर्ति	
	निश्चित	फालबैक	योग	(2004-05)
दिल्ली	4.59	-	4.59	3.45
मध्य प्रदेश	5.75	-	5.75	4.61
उत्तर प्रदेश	19.54	-	19.54	15.08
हरियाणा	2.65	-	2.65	1.67
गुजरात	17.61	9.31	26.92	13.13
महाराष्ट्र	16.71	0.79	17.50	10.17
तमिलनाडु	3.68	1.84	5.52	1.52
पाण्डिचेरी	0.18	0.32	0.50	0.18
आन्ध्र प्रदेश	14.71	2.52	17.23	7.07
असम	8.15	0.45	8.60	4.58
त्रिपुरा	6.78	-	6.78	1.38
योग	104.57	15.23	119.80	65.96

पुराने हवाई जहाजों/हेलीकॉप्टरों का प्रचालन

5122. **श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री राजेन गोहेन:
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि एयरलाइन कंपनियों में प्रचालनरत अधिकांश विमान और हेलीकॉप्टर 15-25 वर्ष पुराने हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने ऐसे पुराने विमानों और हेलीकॉप्टरों के प्रचालन हेतु कोई नियमावली निर्धारित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि एयरलाइन कंपनियां इन नियमों का पूरी निष्ठा से पालन नहीं कर रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) परमिट धारी अनुसूचित प्रचालकों द्वारा प्रचालित 184 विमानों में से केवल 48 विमान 15 वर्षों से अधिक पुराने हैं। 20 वर्षों से अधिक पुराने विमानों के उचित रखरखाव एवं प्रचालन के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) ने आवश्यक नागर विमानन अपेक्षाएं खण्ड 2 श्रृंखला-एफ भाग-एक्स-पुराने हो रहे विमानों की उड़ानयोग्यता तथा उड़नयोग्यता

परामर्शिका वर्ष 2000 का परिपत्र संख्या 4-पुराने हो रहे विमानों का रखरखाव जारी किए हैं।

(घ) नागर विमानन महानिदेशालय सेफ्टी ऑडिटों के माध्यम से नियमित आधार पर यह सुनिश्चित करता है कि निजी प्रचालकों सहित सभी हवाई प्रचालकों द्वारा सुरक्षा नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। इसके अलावा नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा रखरखाव के कार्यों की स्थल पर जाकर अचानक जांच भी की जाती है। विमानन सुरक्षा संबंधी पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए डीजीसीए नागर विमानन संबंधी अपेक्षाओं/परिपत्रों को अद्यतन भी करता रहता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

5123. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सभी छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो बिहार में छोटी लाइनों/खण्डों के नाम क्या है और इनके आमान परिवर्तन हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) बिहार में किन-किन छोटी लाइनों/खण्डों में इस समय आमान परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है और इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(घ) बिहार की शेष छोटी लाइनों/खण्डों में आमान परिवर्तन का कार्य कब तक शुरू किया जाएगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आंशिक/पूर्ण रूप से बिहार में पड़ने वाली आमान परिवर्तन संबंधी चल रही परियोजनाओं के संबंध में 31.3.2005 तक किए गए प्रत्याशित व्यय और 2005-06 के लिए मुहैया कराए गए परिव्यय सहित उनकी वर्तमान प्रगति का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	31.3.2005 तक किया गया अनुमानित व्यय (करोड़ रु. में) (करोड़ रु. में)	2005-06 के दौरान परिव्यय की व्यवस्था	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	जयानगर-दरभंगा-नरकटियागंज (268 कि.मी.)	58.05	20.00	मिट्टी संबंधी और पुलों के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
2.	कप्तानगंज-थावे-सिवाना-छपरा (233.5 कि.मी.)	31.09	8.00	मिट्टी संबंधी और पुलों के कार्य शुरू कर दिए गए हैं।
3.	कटिहार-जोगबनी (कटिहार-राधिकापुर) (201.25 कि.मी.)	122.61	20.50	मिट्टी संबंधी और पुलों के कार्य शुरू कर दिए गए हैं। बदसोई-राधिकापुर के 2005-06 में पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
4.	मानसी-सहरसा-दौरम मधेपुरा और दौरम मधेपुरा-पुरनिया (142 कि.मी.)	110.62	10.01	मिट्टी संबंधी और पुलों के कार्य प्रगति पर हैं। मानसी-सहरसा के 2005-06 में पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

1	2	3	4	5
5.	समस्तीपुर-खगड़िया और मानसी-खगड़िया (94 कि.मी.)	18.44	35.04	मिट्टी संबंधी और पुलों के कार्य प्रगति पर हैं।
6.	सकरी-लौखा बाजार-निर्मली और सहरसा-फोर्ब्सगंज (206.06 कि.मी.)	0.51	10.00	इस कार्य के लिए निधियां रक्षा मंत्रालय द्वारा मुहैया कराई जाएगी। विस्तृत अनुमान तैयार कर लिए गए हैं और अनुमोदन के लिए प्रक्रियाधीन हैं।

(घ) बिहार में शेष लाइनों के आमान परिवर्तन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

रेल लाइनों का स्थानान्तरण

5124. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के कई जानवर विगत वर्षों में रेल लाइन को पार करते समय दुर्घटना में मारे गए;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रेल पथ को राष्ट्रीय उद्यान से दूर स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) रेलवे ने ऐसी दुर्घटनाओं से बचाव हेतु क्या वैकल्पिक उपाय किए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बीच से गुजरने वाली रेल लाइन पर पशुओं के कुचलने की कुछ घटनाएं हुई हैं। पिछले वर्ष के दौरान इस खंड पर केवल ऐसा एक ही मामला सामने आया है।

(ख) से (घ) पशुओं के कुचलने के मामले बहुत कम हैं और इसलिए रेलवे लाइन के स्थानांतरण करने या अन्य कोई वैकल्पिक उपाय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पिछड़ी जाति विभाग की स्थापना

5125. डा. एम. जगन्नाथ: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष रूप से पिछड़ी जाति के कल्याण के लिए एक पिछड़ी जाति विभाग बनाने की कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) जी, हां। पिछड़ा वर्ग एसोसिएशनों द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए अलग से एक विभाग बनाने की मांग की गई है।

(ग) इस मंत्रालय का पिछड़ा वर्ग प्रभाग, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित मामलों को देखता है। इस उद्देश्य के लिए अलग से विभाग बनाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में स्टाफ की कमी

5126. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कर्मचारियों की कमी के कारण स्मारकों और विरासत स्थलों के रखरखाव में सक्षम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो स्मारकों और विरासत स्थलों के रखरखाव हेतु वास्तविक स्टाफ आवश्यकता और वर्तमान कर्मचारियों की स्थिति क्या है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) विभिन्न स्तरों पर कुछ रिक्त पद होने के बावजूद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, स्मारकों तथा दाय स्थलों की उचित ढंग से देखभाल कर रहा है।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में संरक्षण संवर्ग की स्वीकृत संख्या तथा रिक्तियों का विवरण संलग्न है।

(ग) रिक्त पदों की भरने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

भारतीय पुरातन्व सर्वेक्षण में संरक्षण संवर्ग में पदों की स्वीकृत संख्या तथा रिक्त पदों की स्थिति

संरक्षण संवर्ग

क्र.सं.	संवर्ग का नाम	स्वीकृत संख्या	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	निदेशक (संरक्षण) रु. 12,000-16,500/-	1		1
2.	अधी. पुरा. इंजीनियर रु. 10,000-15,200/-	9	2	7
3.	उप अधी. पुरा. इंजीनियर रु. 8,000-13,500/-	25	10	15
4.	सहायक अधी. इंजीनियर रु. 6,500-10,500/-	27	19	8
5.	वरिष्ठ. संरक्षण सहायक रु. 5,500-9,000/-	58	53	5
6.	संरक्षण सहायक ग्रेड I रु. 5,000-8000/-	86	61	27
7.	संरक्षण सहायक ग्रेड II रु. 4000-6000/-	106	96	10
8.	केयर टेकर रु. 3250-4590/-	68	62	6
9.	फोरमैन (निर्माण कार्य) रु. 3250-4590/-	123	121	2
10.	स्मारक परिचर	6170	6020	150

नए तेल खंडों का अन्वेषण

5127. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री जी. करुणाकर रेड्डी:
श्री स्वदेश चक्रवर्ती:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के तहत घोषित किए जाने वाले संभावित तेल खंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन तेल खंडों के कब तक काम शुरू किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) सरकार ने नई अन्वेषण

लाइसेंस नीति के पांचवें दौर एलईएलपी-V के तहत 20 ब्लाकों अर्थात् 12 जमीनी, 2 उथले पानी वाले अपतटीय और 6 गहरे पानी वाले ब्लाकों में तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। इन ब्लाकों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) एनईएलपी-V के तहत बोलियां भेजने की अंतिम तारीख 31 मई, 2005 है। हमें जुलाई, 2005 के अंत तक ब्लाकों के प्रदान किए जाने की घोषणा किए जाने और सितंबर के अंत तक अथवा अक्टूबर, 2005 के आरंभ में संविदाओं पर हस्ताक्षर किए जाने की आशा है। प्रदान किए गए ब्लाकों पर कार्य उसके बाद आरंभ होगा।

विवरण

एनईएलपी-ट के तहत प्रस्तावित अन्वेषण ब्लाकों का वितरण

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	बेसिन	क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	राज्य/अपतट	जिला
1.	केके-डिडब्ल्यूएन-2003/1	केरल कोंकन	18245	पश्चिमी अपतट	
2.	केके-डिडब्ल्यूएन-2003/2	केरल कोंकन	12285	पश्चिमी अपतट	
3.	केजी-डिडब्ल्यूएन-2003/1	कृष्णा-गोदावरी	3288	पूर्वी अपतट	
4.	एमएन-डीडब्ल्यूएन-2003/1	महानदी	17050	पूर्वी अपतट	
5.	एएन-डीडब्ल्यूएब-2003/1	अण्डमान निकोबार	9970	अण्डमान अपतट	
6.	एएन-डीडब्ल्यूएन-2003/2	अण्डमान निकोबार	13110	अण्डमान अपतट	
		उथले अपतटीय ब्लाक			
7.	सीबी-ओएनएन-2003/1	गल्फ ऑफ कैम्बे	2394	पश्चिमी अपतट	
8.	जीएस-ओएसएन-2003/1	सौराष्ट्र	5970	पश्चिम अपतट	
		जमीनी ब्लाक			
9.	एए-ओएनएन-2003/1	असम-अरकन	81	असम	गोलाघाट
10.	एए-ओएनएन-2003/2	असम-अरकन	295	अरुणाचल प्रदेश	चांगलोग
11.	एए-ओएनएन-2003/3	असम-अरकन	275	असम	तिनसुकिया
12.	जीवी-ओएनएन-2003/1	गंगा घाटी	7210	उत्तर प्रदेश	दियोरिया गोरखपुर
13.	वीएन-ओएनएन-2003/1	विध्यांन	3585	राजस्थान	कोटा व झालावाड़
14.	आरजे-ओएनएन-2003/1	राजस्थान	1335	राजस्थान	जैसलमेर-बाड़मेड
15.	आरजे-ओएनएन-2003/2	राजस्थान	13195	राजस्थान	जैसलमेर, बाड़मेड़, जोधपुर
16.	सीबी-ओएनएन-2003/1 भाग क व ख	कैम्बे	635	गुजरात	अहमदाबाद खेड़ा
17.	सीबी-ओएनएन-2003/2	कैम्बे	448	गुजरात	भड़ूच
18.	डीएस-ओएनएन-2003/1	दक्खन साइनीकलाइज	3155	महाराष्ट्र	धुले
19.	केजी-ओएनएन-2003/1	कृष्णा-गोदावरी	1697	आन्ध्र प्रदेश	कृष्णा, गुंटूर
20.	सीवाई-ओएनएन-2003/1	कावेरी	957	तमिलनाडु	तंजावूर

महाराष्ट्र में किसानों की भूमि का अधिग्रहण

5128. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र की विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा स्थापित परियोजनाओं/संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन कंपनियों ने अपनी परियोजनाओं/संयंत्र स्थापित करने के लिए कुछ शर्तों/आश्वासनों के आधार पर किसानों की भूमि अधिग्रहीत की है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन कंपनियों ने इन आश्वासनों को पूरा नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इससे लगभग कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं; और

(च) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

इंटरनेट के माध्यम से ऑन लाइन रेल बुकिंग

5129. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री कीर्तिवर्धन सिंह:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरनेट के माध्यम से रेलवे के आन लाइन रेल बुकिंग कार्यक्रम से बुकिंग में अत्यधिक वृद्धि हुई है जैसाकि दिनांक 28 मार्च, 2005 के ''बिजनेस स्टैण्डर्ड'' में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम से हुई वृद्धि का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे आकलन के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) रेलवे द्वारा इस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए और वृद्धि दर के अनुसार अपनी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। अप्रैल 2003 से मार्च 2004 तक और अप्रैल 2004 से मार्च 2005 तक इंटरनेट के माध्यम से बुक की गई रेलवे टिकटों की कुल संख्या क्रमश: 7,28,404 और 12,81,033 थी जो कि 76% के बढ़ते हुए रूख को दर्शाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय रेल इंटरनेट के माध्यम से रेलवे टिकटों की बुकिंग को लोकप्रिय बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और तदनुसार अवसंरचना को सुदृढ़ कर रही है। रेलवे टिकटों की बुकिंग की सुविधा को अब मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं के लिए भी बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में तीन मोबाइल आपरेटरों को भारतीय रेल खान पान और पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) के साथ पहले से ही संबद्ध किया गया है और अन्य मोबाइल आपरेटरों से भी बातचीत की जा रही है।

भुगतान करने के विकल्पों को भी उदारीकृत किया गया है। विगत में मास्टर और वीजा कार्डों के माध्यम से भुगतान करने के विकल्प के प्रति अब अमेरीकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 15 बैंकों के माध्यम से ग्राहकों के बैंक खातों से प्रत्यक्ष नामे डालकर भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा, भुगतान करने के लिए कैश कार्ड का भी उपयोग किया जा सकता है।

शुरुआत में इंटरनेट के माध्यम से बुक की गई टिकटों की सुपुर्दगी की सुविधा केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी आर) दिल्ली में ही उपलब्ध थी लेकिन अब इसे भारत में 133 शहरों तक बढ़ा दिया गया है।

आई आर सी टी सी ने तदनुसार हार्डवेयर और नेटवर्किंग अवसंरचनाओं दोनों को साफ्टवेयर सहायक अवसंरचना और इंटरनेट टिकटिंग प्रणाली के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ किया है। ताकि इंटरनेट टिकटिंग के लिए बढ़ती हुई मांग को संभालने में समर्थ हो सके।

रामगंज मंडी-भोपाल रेल लाइन का निर्माण

5130. श्री दुष्यंत सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रामगंज मंडी-भोपाल रेल लाइन निर्माण कार्य के लिए लक्षित तिथि में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो नई लक्षित तिथि क्या है;

(ग) क्या उक्त रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) परियोजना को पूरा करने की अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व विरासत स्थलों के आस-पास अतिक्रमण

5131. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विश्व विरासत स्थलों का ब्यौरा क्या है जिनका अतिक्रमण किये जाने का खतरा है; और

(ख) सरकार द्वारा विश्व विरासत स्थलों/स्मारकों के आसपास से ऐसे अतिक्रमणों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार में आने वाले विश्वदाय स्मारकों/स्थलों जिनका अतिक्रमण किए जाने का खतरा है और ऐसे अतिक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में आने वाले विश्वदाय स्मारकों/स्थलों जिनका अतिक्रमण किए जाने का खतरा है और ऐसे अतिक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम	अतिक्रमण का ब्यौरा	की गई कार्रवाई
1.	प्रागैतिहासिक शैलाश्रय भीम बैठका, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश	संरक्षित स्थल के अन्दर एक प्राकृतिक शैलाश्रय का अतिक्रमण किया गया है।	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अतिक्रमण गिराने का आदेश जारी किया गया है और जिला कलेक्टर, रायसेन से इस आदेश को क्रियान्वित करने का अनुरोध किया गया है। अतिक्रमणकर्ता ने निर्णय के वास्ते जिला न्यायालय में अनुरोध किया है, अतः मामला न्यायाधीन है।
2.	हम्पी स्मारक समूह, हम्पी (कर्नाटक)	हम्पी स्थित विरुपाक्ष मन्दिर के सामने संरक्षित बाजार में अवैध अतिक्रमण की सूचना मिली है	उपायुक्त, बेलारी की अध्यक्षता में हम्पी विश्वदाय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है जिन्हें अतिक्रमण हटाने सहित विश्वदाय क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रित करने की शक्तियां हैं। पर्यटन के मंत्रालय में कर्नाटक सरकार के सहयोग उन दुकानदारों के पुनर्वास के लिए एक कार्यक्रम शुरु किया है जिन्होंने संरक्षित बाजार में अतिक्रमण किया है।

[हिन्दी]

छोटे शहरों से अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं

5132. **श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:**
योगी आदित्यनाथ:
श्री के. सुब्बारायण:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के छोटे शहरों के विमानपत्तनों से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं आरम्भ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में विदेशी विमान कंपनियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं से कौन-कौन से शहरों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) इस समय देश के 14 हवाईअड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों के रूप में नामित किया गया है। भारत में आउट ऑफ प्वाइंट अंतर्राष्ट्रीय संपर्कता को बढ़ावा देने के लिए विदेशों के साथ उदारतापूर्वक द्विपक्षीय अधिकारों का आदान-प्रदान किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत, अनेकों दूसरे देशों को छोटे शहरों के लिए भी यातायात अधिकार प्रदान किए गए हैं। जहां तक भारतीय वाहनों का संबंध है, वे भारत के किसी भी हवाईअड्डे से प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, वास्तविक प्रचालनों को एयरलाइनों के वाणिज्यिक विवेक तथा यातायात मांग पर छोड़ दिया गया है।

[अनुवाद]

तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि. का वित्तीय पुनर्गठन

5133. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आईडीबीआई ने सरकार से तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि. के वित्तीय पुनर्गठन और कंपनी के लिए संयुक्त उद्यम साझेदार ढूंढ़ने की भी सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) कंपनी के कामगारों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) आईडीबीआई कैप्स ने संयुक्त उद्यम के गठन के पूर्व दिनांक 5.6.2002 को मैं. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड (टीएसपीएल), तुंगभद्रा डै, हास्पेट, कर्नाटक की वित्तीय पुनसंरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। विनिवेश मंत्रालय (एमओडीआई) टीएसपीएल के संयुक्त उद्यम के गठन के लिए प्रयास कर रहा था। चूंकि, टीएसपीएल के संयुक्त उद्यम के गठन का प्रयास सफल नहीं हुआ इसलिए वित्तीय पुनसंरचना की मंजूरी का प्रश्न नहीं उठता। हालांकि, राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) में उल्लिखित अनुबंधों के अनुसार भारत सरकार टीएसपीएल के भविष्य पर उपयुक्त निर्णय लेगी।

मंदबुद्धि बच्चों हेतु प्रशिक्षण संस्थान

5134. डा. के.एस. मनोज: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंदबुद्धि बच्चों के प्रशिक्षण एवं पुनर्वास हेतु राज्यवार राष्ट्रीय स्तर के कितने संस्थान हैं और इनके द्वारा कौन-कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं;

(ख) क्या सरकार केरल और अन्य राज्यों में कोई ऐसा राष्ट्रीय स्तर का संस्थान खोलने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या इस संबंध में केरल और अन्य राज्य सरकारों से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) इस कार्यक्रम के विस्तार हेतु विस्तृत योजनाएं क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद और दिल्ली, मुम्बई तथा कोलकाता स्थित इसके तीन केन्द्र मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को प्रशिक्षण और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेयजल की उपलब्धता

5135. श्री संजय धोत्रे: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की इस बात की जानकारी है कि कई रेलवे स्टेशनों पर पेयजल उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल मंत्रालय ने देश में सभी रेलगाड़ियों तथा सभी रेलवे स्टेशनों पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) भारतीय रेल पर 8000 से अधिक रेलवे स्टेशन हैं। रेलवे सभी

स्टेशनों पर यात्रियों को पानी के पानी मुहैया कराने का प्रयास करती है। कुछ छोटे स्टेशनों पर या तो निगम से पानी की आपूर्ति ने होने या खारा पानी उपलब्ध होने, हैंड पम्प से अपर्याप्त भूमिगत पानी निकालने के कारण पानी के पर्याप्त साधन नहीं है इसके अतिरिक्त ऐसे कुछ स्टेशनों पर जहां पानी की पाइपों/हैंडपंपों से आपूर्ति का जीत है, निगम द्वारा पानी की कम आपूर्ति होने के कारण, भूमिगत पानी के स्तर में गिरावट आने और मांग में वृद्धि होने के कारण गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है। ऐसे मामलों में स्टेशनों पर पानी के निजी टैंकरों से पानी की व्यवस्था करके पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है। भारी कमी वाले क्षेत्रों के लिए पानी हेतु विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाती है। यात्रियों हेतु पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था करने के लिए पानी के कूलर, पानी की चल ट्रालियां, मटकों को प्रबंध किया जाता है। बहुत से गैर सरकारी संगठन भी यात्रियों को पानी की आपूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त स्थिर और चल खान-पान/वैडिंग यूनिटों के माध्यम से पीने का पैकेज्ड पानी/प्राकृतिक मिनरल वाटर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाता है। सवारी डिब्बों में पानी सिर्फ धुलाई के उद्देश्यों के लिए उपलब्ध होता है। सवारी डिब्बों में स्थित टैंकों में पीने का पानी मुहैया नहीं कराया जाता है।

[अनुवाद]

रेल नीर संयंत्र

5136. डा. के. धनराजू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल नीर संयंत्रों की शुरुआत से अब तक इनका प्रति माह उत्पादन और विभिन्न स्थानों पर इसके वितरण का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त संयंत्रों की शुरुआत से अब तक इन संयंत्रों को संयंत्र-वार कितना लाभ/घाटा हुआ है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लि. को भारतीय रेल की ओर से विभिन्न स्थलों पर चरणबद्ध तरीके से रेल नीर नाम से पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर संयंत्र स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है। शुरुआती दौर में नांगलोई, नई दिल्ली और दानापुर बिहार में एक-एक संयंत्र लगाया गया है। नांगलोई संयंत्र का उद्घाटन 6.5.2003 को और दानापुर संयंत्र का उद्घाटन 27.2.2004 को किया गया था।

दोनों रेल नीर संयंत्रों में इनके शुरुआत से फरवरी 2005 तक 12 बोतलों के कार्टनों की संख्या में माह-वार उत्पादन और वितरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

नांगलोई संयंत्र से रेल नीर की सप्लाई उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल, लखनऊ मंडलके कुछ भागों, मुरादाबाद मंडल, फिरोजपुर मंडल, पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर मंडल, लखनऊ मंडल के कुछ भागों, उत्तर मध्य रेल के इलाहाबाद मंडल, झांसी मंडल और आगरा मंडल, उत्तर पश्चिम रेल का अजमेर मंडल, दक्षिण मध्य रेल के ए.पी. एक्सप्रेस गाड़ी, दक्षिण रेल की ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस, तमिलनाडु एक्सप्रेस और केरल एक्सप्रेस गाड़ियों, पश्चिम रेल की नई दिल्ली-मुम्बई राजधानी एक्सप्रेस और निजामुद्दीन-मुम्बई अगस्त क्रांति एक्सप्रेस गाड़ियां और पूर्व रेल की नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी को की जा रही है।

दानापुर संयंत्र से रेल नीर को सप्लाई पूर्व रेलवे के हावड़ा मंडल, आसनसोल मंडल, मालदा मंडल और सियालदह मंडल, पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल, मुगलसराय मंडल और समस्तीपुर मंडल, दक्षिणपूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडल, रांची मंडल और चक्रधरपुर मंडल, पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर मंडल के कुछ भागों और लखनऊ मंडल के कुछ भागों को की जा रही है।

(ख) शुरुआत से फरवरी, 2005 तक नांगलोई संयंत्र को 131.01 लाख रु. की शुद्ध हानि और दानापुर संयंत्र को 119.92 लाख रु. की शुद्ध हानि हुई है।

विवरण

शुरुआत से फरवरी, 2005 तक नांगलोई और दानापुर संयंत्रों में रेल नीर को 12 बोतलों के कार्टनों की संख्या का माहवार उत्पादन और वितरण

महीना	नांगलोई संयंत्र		दानापुर संयंत्र	
	उत्पादन	वितरण	उत्पादन	वितरण
1	2	3	4	5
मई 2003	25450	9892	-	-
जून 2003	106156	92059	-	-

1	2	3	4	5
जुलाई 2003	37968	46506	-	-
अगस्त	2003	67062	75434	- -
सितंबर 2003	87234	82761	-	-
अक्टूबर 2003	106423	105336	-	-
नवंबर 2003	107976	106060	-	-
दिसंबर 2003	88012	90194	-	-
जनवरी 2004	92236	93851	-	-
फरवरी 2004	104099	105392	-	-
मार्च 2004	122086	123927	34621	10920
जोड़-2003-04	944702	931412	34621	10920
अप्रैल 2004	146414	144678	43994	51195
मई 2004	140332	142211	57689	61445
जून 2004	152192	150578	97491	94416
जुलाई 2004	125026	124514	100644	94921
अगस्त 2004	81873	84012	35573	47787
सितंबर 2004	120883	118893	81253	77300
अक्टूबर 2004	112610	112741	78283	79916
नवंबर 2004	107567	109022	86970	78606
दिसंबर 2004	122044	118964	108085	106790
जनवरी 2005	120398	115201	107550	97495
फरवरी 2005	108819	113567	51048	60918
जोड़ 2004-05 (फरवरी 05 तक)	1338148	1334381	848580	850789
कुल जोड़	2282850	2265793	883201	861709

भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्यात

5137. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड ने वर्ष 2004-05 के दौरान रेडियो कम्युनिकेशन्स, सेट फ्लाई कैचर राडार और वैदर कंट्रोल सिस्टम का निर्यात किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 के दौरान भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा प्राप्त आदेशों और उन देशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त उपकरणों का निर्यात किया गया;

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान भारत इलेक्ट्रोनिक्स द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया; और

(घ) कंपनी में कार्यकुशलता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (बी ई एल) ने वर्ष 2004-05 के लिए 656 करोड़ रुपए का गैर-लेखापरीक्षित अनुमानित लाभ (कर-पूर्व) अर्जित किया है।

(घ) बी ई एल एक 'मिनी रत्न' कंपनी है जो अपनी कार्यप्रणाली में स्वायत्त है। कंपनी ने उत्पादकता तथा दक्षता में सुधार लाने के लिए कई मामलों में महत्वपूर्ण पहल की है जिनमें नियमित रूप से तथा सुव्यवस्थित आधार पर लागत-कटौती उपायों की शुरुआत करना शामिल है। इससे कंपनी-व्यापी उद्यम स्रोत योजना तैयार करना, छह सिगमा, टार्क, गुणता सर्किल आदि जैसी गुणता संबंधी पहल करना तथा सभी इकाइयों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों की बेंच मार्किंग करना जैसे उपाय कार्यान्वित कर दिए हैं। कंपनी दक्षता लाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा आधुनिकीकरण की दिशा में निरंतर उपाय करती रहती है।

स्वदेशी (एयर बोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम) (आवाक्स) का विकास

5138. श्री तथागत सत्पथी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वायु सेवा के लिए स्वदेशी एयर बोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम के विकास के लिए आवश्यक विमान खरीद के लिए कुछ विदेशी विमान निर्माता कंपनियों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने पारदर्शी और उचित सौदे के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) भारतीय वायुसेना के साथ परामर्श करके एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम प्लेटफार्म के लिए संक्रियात्मक अपेक्षाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। उक्त प्लेटफार्म के लिए निविदा-सूचना अभी जारी नहीं की गई है।

(ग) सभी अधिप्राप्तियों में, केन्द्रीय सतर्कता आयोग की अधिप्राप्ति संबंधी सुस्थापित प्रक्रियाओं और दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाता है ताकि पारदर्शिता तथा उचित सौदा सुनिश्चित किया जा सके।

[हिन्दी]

दाभोल में एल.एन.जी. टर्मिनल का निर्माण

5139. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में दाभोल में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) के टर्मिनल निर्माण में कोई बाधा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त टर्मिनल के निर्माण के बाद महाराष्ट्र को गैस की कितनी मात्रा प्राप्त होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) दाभोल विद्युत परियोजना में एम.एम.टी.पी.ए. एल एन जी टर्मिनल का प्रावधान है। परियोजना में संविदात्मक समस्या के चलते जब इस परियोजना को वर्ष 2001 में छोड़ दिया गया था, उस समय यह समापन के अग्रिम स्तर पर थी। सरकार द्वारा वित्तीय और परियोजना की पुनर्संरचना करते हुए एलएनजी टर्मिनल सहित इस परियोजना को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) दाभोल एल एन जी टर्मिनल की क्षमता 5 एम एम टी पी ए है जिसमें से 2.1 एम एम टी पी ए एकीकृत विद्युत संयंत्र के लिए अपेक्षित होगी। शेष एल एन जी की 2.9 एम एम टी पी ए मात्रा अन्य गैस बाजारों के लिए उपलब्ध होगी।

[अनुवाद]

सरकारी विभागों पर बकाया राशि

5140. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऋण सुविधाओं एवं विनिमय आदेश के कारण विभिन्न सरकारी विभागों/ट्रैवल एजेंसियों पर एअर इंडिया की भारी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय बकाया राशि का विभाग-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) एअर इंडिया द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) अद्यतन सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

तेल कंपनियों पर बकाया राशि

5141. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रेलवे द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई से कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के ढुलाई हेतु भुगतान विभिन्न तेल कंपनियों के पास लंबित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तेल कंपनियों के पास बकाया पड़ी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनसे बकाया राशि वसूलने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष रेलवे द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के माध्यम से अर्जित राजस्व नीचे दिए गए अनुसार हैं:

वर्ष	करोड़ रु. में
2002-2003	2754.61
2003-2004	2428.30
2004-2005	2760.73

(ख) जी हां।

(ग) 28.2.2005 तक तेल कंपनियों से 7.51 करोड़ रु. की राशि बकाया है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	कंपनी का नाम	राशि (करोड़ रु. में)
1.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	3.56
2.	बोंगाईगांव रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल लि.	0.08
3.	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि.	0.90
4.	भारतीय तेल निगम	2.50
5.	इंडो-बर्मा पेट्रोलियम	0.11
6.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.	0.33
7.	ऑयल इंडिया लि.	0.03
	कुल	7.51

(घ) तेल कंपनियों से बकाया देयों को वसूल करने हेतु किए गए उपाय नीचे दिए गए हैं:

बकायों का इकट्ठा होना और उनका भुगतान करना एक सतत् प्रक्रिया है। बहरहाल, बकायों की वसूली के मामले का कारगर ढंग से अनुसरण किया जाता है और विभिन्न तेल कंपनियों के साथ मंडल और मुख्यालय स्तर पर समन्वय बैठकें आयोजित की जाती है। जहां कहीं संभव हो, बकाया राशि का तेल कंपनियों द्वारा किए गए दावों से समायोजन किया जाता है। कर्मचारी और वरिष्ठ स्तर के अधिकारी इस संबंध में बड़ी दोषी पार्टियों से आवधिक रूप में संपर्क करते रहते हैं। माननीय रेल मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में सभी बड़े ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रानिक भुगतान की सुविधा के विस्तार की घोषणा की थी जिससे रेलवे के बकायों का शीघ्रता से भुगतान किया जा सकेगा।

रेलवे के पास बकाया पड़ी राशि

5142. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री मुनव्वर हसन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा रेलवे पुलिस पर खर्च की गयी भारी धन राशि रेलवे की ओर बकाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार प्रत्येक राज्य की रेलवे की ओर कितनी-कितनी धनराशि बकाया है; और

(घ) रेलवे द्वारा संबंधित राज्य सरकारों को बकाया धनराशि का भुगतान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां। रेलवे पुलिस के कारण विभिन्न राज्य सरकारों को 130.28 करोड़ रु. की राशि देय है।

(ख) यह बकाया राशि मुख्यत: राज्य सरकार द्वारा रेल प्रशासन के अनुमोदन के बिना राजकीय रेलवे पुलिस पदों के अधिक परिचालन और राज्य प्राधिकारियों द्वारा महालेखाकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने के कारण है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) स्पष्ट रूप से अनुमेय सभी बिलों का भुगतान करने के लिए रेलों को स्थायी आदेश है।

विवरण

रेलवे पुलिस के कारण विभिन्न राज्य सरकारों को 130.28 करोड़ रु. की राशि देय है। जिसका विवरण इस प्रकार है

क्र.सं.	राज्य का नाम	बकाया राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.20
2.	बिहार	10.61
3.	छत्तीसगढ़	2.23
4.	गुजरात	8.28
5.	हरियाणा	0.07
6.	झारखंड	3.16
7.	कर्नाटक	6.15
8.	केरल	1.44
9.	महाराष्ट्र	52.34
10.	मध्य प्रदेश	10.51
11.	राजस्थान	5.84
12.	तमिलनाडु	3.32
13.	उत्तर प्रदेश	4.08
14.	प. बंगाल	20.05
	कुल	130.28

प्रसार भारती के कार्यकरण की समीक्षा

5143. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री गुरूदास कामत:
श्री निखिल कुमार:
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रसार भारती के कार्यकरण पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है जैसाकि दिनांक 4 अप्रैल, 2005 के "हिन्दुस्तान टाइम्स' में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रसार भारती के वित्तीय पुनर्गठन के लिए कोई समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(घ) इस समिति द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) सरकार ने प्रसार भारती के कार्यकरण को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उसके लिए एक व्यवहार्य पूंजीगत और वित्तीय ढांचे के बारे में सुझाव देने के लिए दिनांक 30 मार्च, 2005 को एक समिति का गठन किया है। दस सदस्यों वाली इस समिति के अध्यक्ष सचिव (सू. एवं प्र.) हैं तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ-साथ प्रसार भारती के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी, सलाहकार (सी एंड आई), योजना आयोग एवं संयुत सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय इसके सदस्य हैं। समिति अपनी विचार-विमर्श प्रक्रिया में भाग लेने और इसकी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में सहयोग करने के लिए सरकार के भीतर और बाहर से विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकती है।

समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन माह की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

चेतक हेलीकाप्टरों का उन्नयन

5144. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चेतक हेलीकाप्टर के संपूर्ण बेडे के उन्नयन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्नयन कब तक पूरा होने की संभावना है;

(घ) क्या उन्नत हेलीकाप्टरों की क्षमता पर कुछ संदेह है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) 1 फरवरी, 2005 को उन्नत चेतक हेलिकॉप्टर की उद्घाटन उड़ान के बाद हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड ने उन्नयन कार्यक्रम के लिए तकनीकी प्रस्ताव तैयार किए हैं।

(ख) से (ङ) इस प्रस्ताव में चेतक हेलिकॉप्टरों में और अधिक शक्तिशाली आधुनिक इंजन लगाकर और समसामयिक कॉकपिट उपकरण/उपस्कर लगाकर उनका उन्नयन करने पर विचार किया गया है और इसका मूल्यांकन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

माल का परिवहन

5145. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को भारतीय रेल द्वारा माल के परिवहन में सुधार लाने के लिए विश्व बैंक से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मुम्बई-दिल्ली-कंटेनर फ्रेट रेल कॉरिडोर

5146. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई तथा दिल्ली के बीच केवल इसी कार्य हेतु कंटेनर फ्रेट रेल कॉरिडोर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) रेल मंत्रालय ने स्वर्णिम चतुर्भुज और इसके विकर्णों पर समर्पित माल यातायात गलियारों के लिए एक प्रस्ताव चलाया है जिसमें मुम्बई-दिल्ली मार्ग शामिल होगा। लागत के ब्यौरे अभी आकलित किए जाने है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कंपनी के स्वामित्व वाले और कंपनी द्वारा प्रचालित बिक्री केन्द्र

5147. श्री सनत कुमार मंडल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की कंपनियां देश के विभिन्न हिस्सों में ''कंपनी के स्वामित्व वाले और कंपनी द्वारा प्रचालित'' आधार पर अपने उत्पादों के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र चला रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार इनकी संख्या कितनी है; और

(ग) इन कंपनियों द्वारा इन बिक्री केन्द्रों को डीलरों को आबंटित किए जाने की बजाए स्वयं चलाए जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां नामत: इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच पी सी), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी) और आई बी पी कंपनी लिमिटेड (आई बी पी) देश के विभिन्न भागों में अपने कुछ खुदरा बिक्री केन्द्र कंपनी-स्वामित्व-कंपनी-प्रचालन (कोको) आधार पर प्रचालित कर रही हैं।

(ख) 1 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार इन तेल विपणन कंपनियों के देश के विभिन्न भागों में कोको आधार पर 1,298 खुदरा बिक्री केन्द्र प्रचालनरत थे। तेल विपणन कंपनीवार ब्यौरा निम्नानुसार था।

आई ओ सी	–	297 नग
एच पी सी	–	357 नग
बी पी सी	–	215 नग
आई बी पी	–	429 नग
योग	–	1,298 नग

(ग) खुदरा बिक्री केन्द्रों को निम्नलिखित श्रेणियां कोको आधार पर प्रचालित की जाती हैं।

(1) जुबिली खुदरा बिक्री केन्द्र/फ्लैगशिप खुदरा बिक्री जो तेल विपणन कंपनियां स्थायी रूप से कोको आधार पर प्रचालित करती हैं।

(2) कंपनी के स्वामित्व वाले ("क" स्थल) खुदरा बिक्री केन्द्र जहां मूल डीलरशिप समाप्त की जा चुकी है और नया डीलर अभी नियुक्त किया जाना है या जहां सुविधाएं स्थापित की गई हैं पर नियमित डीलर अभी नियुक्त किया जाना है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन

5148. श्री तथागत सत्पथी:
श्री आनंदराव विठोबा अडसुल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विकलांग यात्रियों के लिए विशेष कोच

5149. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने विकलांग यात्रियों के लिए द्वितीय श्रेणी के नई डिजाइन के गार्ड-सह-सामान प्रकार के कोच शामिल किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्षेत्र-वार ऐसी रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है जिनमें ऐसे डिब्बे जोड़े जाते हैं अथवा जोड़े जाने की संभावना है; और

(घ) रेलवे विभिन्न गाड़ियों में ऐसे डिब्बों के बारे में विकलांग यात्रियों को किस प्रकार सूचित करता है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। विकलांग यात्रियों की आवश्यकता के अनुसार चुने गए स्थान सहित द्वितीय श्रेणी के डिजाइन के गार्ड सह सामान के सवारी डिब्बे (एस एल आर) के नए डिजाइन का अप्रैल 2001 से बनाए जाने वाले नए सवारी डिब्बों में शामिल किया है। इन सवारी डिब्बों में विशेष सुविधाएं जैसे दरवाजे का अधिक चौड़ा रास्ता, गलियारा और घुटनों के लिए स्थान ताकि व्हील चेयर आसानी से घूम सके। विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप शौचालय भी मुहैया कराए गए हैं।

(ग) डिब्बों के साथ-साथ विकलांगों के अनुरूप पुराने किस्म के डिब्बों को तब तक सेवा में लगाये रखा जाएगा जब तक कि इनको सामान्य रूप से हटाया नहीं जाता है। फिलहाल गाड़ियों में दोनों किस्मों के डिब्बों को अदल बदल कर लगाया जा रहा है।

(घ) विकलांग व्यक्तियों को अतिरिक्त सुविधाओं से सुसज्जित सवारी डिब्बों के बाहर इस संबंध में नोटिस लगा दिया जाता है जिसे यात्रियों द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

व्यय की प्रतिपूर्ति

5150. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे, रेलवे के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा सृजित पदों पर व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति नहीं करता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस मद पर सरकार की और बकाया राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या आपत्तियां की गई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) राजकीय रेलवे पुलिस के पदों के सृजन के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति अनुमेय हैं बशर्ते कि नए सृजित पदों के संबंध में रेलवे प्रशासन से पहले अनुमति ली गई हो। इस मामले में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पदों के सृजन के लिए रेलवे प्रशासन की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी।

(ख) अब महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पहले से सृजित पदों के लिए रेलवे बोर्ड की कार्योत्तर स्वीकृति की मांग की है जिसके लिए कार्योत्तर स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई है कि बोर्ड के अनुमोदन के बाद बकायों को जारी किया जाए जो कि प्रक्रियाधीन है।

(ग) महाराष्ट्र राज्य का प्रतिपूर्ति के लिए दावा किए गए 52.34 करोड़रु. का बकाया है।

(घ) हालांकि रेलों को सभी स्पष्ट रूप से अनुमेय बिलों का भुगतान करने के स्थायी निर्देश हैं, लेकिन यह बकाया मुख्यत: रेलवे प्रशासन की बिना अनुमति के और राज्य प्राधिकारियों द्वारा लेखा महानिदेशक के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना राज्य सरकार द्वारा पदों का अधिक परिचालन करने के कारण है।

[हिन्दी]

हवाई निगरानी

5151. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलादेश सीमा से घुसपैठ में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का भारत-बंगलादेश सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए हेलीकॉप्टर से हवाई निगरानी शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) भारत-बंगलादेश सीमा पर, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन, सीमा सुरक्षा बल तैनात है। सीमा सुरक्षा बल से प्राप्त सूचना के अनुसार, बंगलादेश सीमा की ओर से घुसपैठ में कोई वृद्धि नहीं हुई है तथा वर्तमान में, भारत-बंगलादेश सीमा पर हेलीकॉप्टरों द्वारा हवाई निगरानी शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विमान दुर्घटना को रोकने हेतु परियोजना

5152. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वायुसेना के हवाई अड्डे के नजदीक शहरों में पक्षियों के टकराने से विमान दुर्घटना की घटनाओं को रोकने के लिए कोई योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना खर्च होने की संभावना है;

(घ) क्या पक्षियों से टकराने के कारण वायुसेना के विमानों की दुर्घटना को रोकने हेतु सुझाव देने के लिए अंतर-मंत्रालय समूह के अधीन गठित उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(च) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (च) पक्षी टकराने के कारण होने वाली विमान दुर्घटनाओं/घटनाओं के मामलों को कम करने के लिए सरकार ने 1989 में एक अंतर-मंत्रालयी संयुक्त उप-समिति का गठन किया था। इस उप-समिति की मुख्य सिफारिशें, प्रभावित हवाई क्षेत्रों (एयर फील्ड्स) के आस-पास निम्नलिखित सुविधाएं स्थापित करने के लिए थीं:

(1) आधुनिक पशुवधगृहों की स्थापना

(2) पशु-कंकाल उपयोग केन्द्र की स्थापना

(3) जल आपूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन, और

(4) जल-मल-व्ययन/सफाई और सोलिड वेस्टर मैनेजमेंट स्कीम्स

भारतीय वायुसेना के हवाई क्षेत्रों के चारों ओर के परिवेश की सफाई एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पहले चरण में, इस परियोजना के लिए भारतीय वायुसेना के दस हवाई क्षेत्रों का चयन किया गया है, जिस पर 99.35 करोड़ रुपए की लागत आएगी। शेष हवाई क्षेत्रों का कार्य चरणवार शुरु किया जाएगा। अंतर-मंत्रालयी संयुक्त उप-समिति की सिफारिशें कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने राज्य सरकारों और स्थानीय सिविल प्राधिकरणों/निकायों के साथ परामर्श करके परियोजनाएं बनाई हैं। इनके कार्यान्वयन का कार्य विभिन्न चरणों में है। तथापि, कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती क्योंकि इन्हें कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय किया जाना है।

डिजिटल लाइब्रेरी

5153. **श्री राजनरायन बुधौलिया:**
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में एक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त लाइब्रेरी की स्थापना के उद्देश्य क्या हैं;

(घ) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां। इस प्रकार का एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) यह प्रस्ताव है कि सांस्कृतिक अंतर्वस्तुओं जैसे-पुस्तकें, संगीत, चित्रों आदि को डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध कराया जाए। यह पुस्तकालय के वृहत् स्तर पर प्रसार और बेहतर सुलभता में सहायक होगा।

संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अधिकांश संस्थानों के पास अपनी सामग्रियों का डिजिटीकरण करने का अपना ही अनवरत कार्यक्रम है।

(घ) और (ङ) इन प्रयासों को समेकित करने का प्रारंभिक कार्य, इस वर्ष के दौरान शुरू होने की संभावना है। इस पहल के लिए होने वाले व्यय को संबंधित संस्थाओं को आबंटित निधियों से पूरा किया जाएगा।

[अनुवाद]

कलाकृतियों की खरीद

5154. **श्री फ्रान्सिस फैन्थम:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संग्रहालयों के लिए कलाकृतियों की खरीद में किसी अनियमितता की सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान सरकार की जानकारी में कितने मामले आए;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) सरकार द्वारा देश के संग्रहालयों के लिए कलाकृतियों की खरीद की प्रक्रिया को सुचारु बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार

5155. **श्री संतोष गंगवार:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी, दिल्ली से क्षेत्रीय भाषाओं में समाचारों के प्रसारण को रोकने और इसे संबंधित राज्यों की राजधानियों से आरंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कदम को कब तक प्रभावी बनाये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उन्होंने दिल्ली में योग्य स्टाफ के अभाव के कारण दिल्ली से प्रसारित होने वाले पांच क्षेत्रीय भाषाओं के राष्ट्रीय समाचार

बुलेटिनों को संबंधित राज्यों की राजधानियों को अन्तरित करने का निर्णय लिया है। तेलुगु कन्नड़ और सिंधी भाषा के समाचार बुलेटिनों को संबंधित राज्यों की राजधानियों को पहले ही अन्तरित कर दिया गया है।

तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि क्षेत्रीय भाषाओं के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों की सामग्री पूर्ववत् दिल्ली में ही तैयार की जाएगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इन क्षेत्रीय भाषाओं के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों का प्रसारण-क्षेत्र यथावत् है।

ताज महल महोत्सव हेतु उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता

5156. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को ताज महल के 350 वर्ष पूरा होने के अवसर पर किये जाने वाले महोत्सव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

संस्कृति संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड

5157. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संस्कृति संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं और उसके विचारार्थ विषय क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) बोर्ड की संरचना इस प्रकार है:

संस्कृति मंत्री-अध्यक्ष

डा. कपिला वात्सयायन-उपाध्यक्ष

प्रो. यशपाल

प्रो. मृणाल मीरी

श्री अदूर गोपालाकृष्णन

श्री श्याम बेनेगल

श्री रामचन्द्र गुहा

श्री अय्यपा पणिक्कर

श्री रानेश रे

प्रो. मोहम्मद अमीन

सचिव (संस्कृति)-सदस्य सचिव

(1) संस्कृति मंत्रालय को ऐसे कार्यक्रम तैयार करने के लिए नीतिगत स्तर पर संस्कति मंत्रालय को सलाह देना जो भारतीय समाज के विभिन्न स्तरों तथा विभिन्न क्षेत्रों में उस सृजनात्मकता, जो अब तक या तो उपेक्षित रही है या फिर मौजूदा संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से जिसका संपोषण नहीं हुआ है, पर केन्द्रीकृत ध्यान दिया जाएगा।

(2) विविध उपक्षेत्रों में मानव भंडारों का पता लगाना तथा संचारण की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए और सरकार को ऐसे कार्यक्रमों की सिफारिश करने, जो विकास की प्रक्रिया के साथ इन प्राचीन परंपराओं की सृजनात्मकता को संघटित करेंगे, की कार्यनीतियों के संबंध में परामर्श देना।

(3) इस मंत्रालय के तहत प्रत्येक निकाय के कार्यों का समन्वय करना ताकि संसक्तिशील नीति का अधिकाधिक उपयोग हो सके।

(4) उस सीमा और तरीके की जांच करना, जिसके अनुसार संबंधित एजेंसियों द्वारा भारतीय संस्कृति के विभिन्न रूपों पर कार्य किया जा रहा है।

(5) संस्कृति के क्षेत्र में नये और आवश्यकता आधारित कार्यक्रम तैयार करने के लिए जानकारियां प्रदान करने में सहायता करना।

(6) संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मिशनों के कार्यों के संबंध में सलाह देना।

[हिन्दी]

ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का विकास

5158. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में ऐतिहासिक और धार्मिक संस्कृति को बढ़ावा देने और इसे विकसित करने हेतु कोई विशेष योजना कार्यान्वित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में गैर सरकारी संगठनों से सहायता ली जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) तथापि, महाराष्ट्र में संस्कृति के परिरक्षण और संवर्धन के लिए नियमित स्कीमों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

डी.टी.एच. कंपनियों द्वारा वचन पत्र दिया जाना

5159. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि:

(क) क्या डी.टी.एच. कंपनियों को यह सुनिश्चित करने हेतु वचन पत्र देने के लिए कहा गया है कि इन्टरनेट स्वा प्रदाता (आई.एस.पी.) को स्वीकृति देने के पूर्व राष्ट्र विरोधी संदेश "ए डाऊट कन्टेन्ट" को रोक दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या डी.टी.एच. कंपनियों ने अपने निर्णय की समीक्षा करने हेतु सरकार को अभ्यावेदन दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) डी.टी.एच. के एकमात्र लाइसेंसधारक मैं. ए.एस.सी. इंटरप्राइजेज लि. से प्रस्तावित इंटरनेट सेवा के जरिए अश्लील विषय-वस्तु और राष्ट्र-विरोधी संदेशों के प्रसारण को रोकने के लिए उसके द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया तथा रिट याचिका संख्या 17351/2004 और रिट याचिका एम.पी. संख्या 22740/2004 में दिनांक 30.9.2004 के आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में ऐसी आपत्तिजनक विषय-वस्तु के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए निगरानी व्यवस्था के बारे में स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था। कंपनी ने उत्तर दिया है कि इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई.एस.पी.) की लाइसेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

(ङ) सरकार किसी तन्त्र के दुरुपयोग से निपटने के लिए पर्याप्त शक्तियों से लैस है। इसके अतिरिक्त, विषय-वस्तु को विनियमित करने के लिए एक प्राधिकरण के गठन पर विचार किया जा रहा है।

उत्सर्जनरहित बस

5160. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक वर्षों के अनुसंधान के बाद तेल उद्योग विकास बोर्ड द्वारा वित्तपोषित किये जाने के पश्चात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने उत्सर्जनरहित बस बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये बसें सड़कों पर कब तक दौड़ेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां। आई आई टी, दिल्ली के उपस्कर डिजाइन विकास केन्द्र ने रिपोर्ट दी है कि 25 से 150 यात्रियों की क्षमता वाले वाहनों के लिए शून्य उत्सर्जन प्रौद्योगिकी तैयार है।

(ख) आई आई टी, दिल्ली ने क्राम्पटन ग्रीब्ज, आइशर मोटर्स, टाटा मोटर्स और दिल्ली ऊर्जा विकास एजेंसी के सहयोग से यह प्रौद्योगिकी विकसित की है। परियोजना के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) द्वारा धनराशि प्रदान की गई है। रिपोर्ट दी गई है कि इस समय दो परीक्षण वाहन चालू हालत में हैं। ये वाहन एक दिन में 65 कि.मी. प्रति घंटे की अधिकतम गति से लगभग 250 कि.मी. तक चल सकते हैं।

(ग) आई आई टी दिल्ली ने यह सूचित किया है कि यदि कोई प्रयोक्ता एजेंसी इस प्रौद्योगिकी की वाणिज्यिकरण में वित्तीय सहायता प्रदान करे तो 12 महीनों में प्रोटोटाइप्स/परीक्षण फ्लीटस का संयोजन किया जा सकता है।

विरासती स्मारकों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

5161. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विरासती स्मारकों में आयोजित किये जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये मार्गदर्शी सिद्धांत देश के सभी संरक्षित स्मारकों के लिए मान्य होंगे;

(घ) यदि हां, तो हैदराबाद सहित देश के विभिन्न स्मारकों में कार्यक्रमों के आयोजन हेतु कितना शुल्क और जमानत राशि जमा करानी होगी;

(ङ) क्या सरकारी विभागों को राज्य के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कोई शुल्क अदा नहीं करना पड़ता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं। उन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों की सूची, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अनुमति दी जा सकती संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) कार्यक्रमों के आयोजन पर लिए जाने वाले शुल्क और ली जाने वाली जमानत राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

(1) संरक्षित स्मारक से लगी भूमि में (बाहर की ओर) कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए 25,000/- रु. प्रतिदिन और जहां भूमि के साथ-साथ निर्मित स्मारकों (भीतर) का भी उपयोग किया जाना है, प्रतिदिन 50000/- रुपए प्रभार लिया जाएगा (दिल्ली स्थित चुनिंदा स्मारकों में)।

(2) अन्य मंडलों में, संरक्षित स्मारक से लगी भूमि में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए 10,000/- रु. प्रतिदिन (केवल एक दिन के लिए) प्रभार लिया जाएगा और जहां संरक्षित स्मारकों के एक भाग का भी उपयोग किया जाना है, 25,000/- रु. प्रतिदिन प्रभार लिया जाएगा।

(3) उपर्युक्त के अलावा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, दिल्ली में सभी स्मारकों में 50,000/- रु. प्रतिदिन की लौटाई जाने योग्य जमानत राशि जमा कराने की मांग करेगा। अन्य मंडलों में, यह लौटाई जाने वाली जमानत जमा राशि 30,000/- रु. होगी।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु संरक्षित स्मारकों/स्थलों के विशिष्ट क्षेत्रों/संरक्षित क्षेत्रों का उपयोग करने के संबंध में निर्धारित दिशानिर्देशों का ब्यौरा

1. साधारण रूप से, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भा.पु.स.) स्मारकों तथा ऐसे स्मारकों से जुड़ी भूमि को समारोहों/कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रयोग में लेने की अनुमति नहीं देना चाहेगा। तथापि, मंडलों द्वारा, अपवाद के रूप में, इस प्रकार के प्रयोग की अनुमति तभी दी जा सकती है जब महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण/अधीक्षण पुरातत्वविद, मंडल कार्यालय पूर्णतया संतुष्ट हों कि समारोह/कार्यक्रम से स्मारक, इसकी भूमि तथा उस पर स्थित अन्य निर्मित संरचनाओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचेगी।

2. मंडल, केवल उन्हीं स्मारकों के लिए अनुमति प्रदान करेंगे जिनकी पहचान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए की गई है। वे उन स्मारकों के क्षेत्र/हिस्सों को रेखांकित भी करेंगे जहां इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

3. महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण/अधीक्षण पुरातत्वविद् मंडल कार्यालय, पहचाने गए स्मारक/स्थल में समारोह आयोजित करने की अनुमति देने से मना कर सकते हैं यदि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में जीर्णोद्धार/सौन्दर्यकरण कार्य किए गए हैं तथा इस प्रकार के आयोजन से जीर्णोद्धार के कार्य में बाधा/क्षति पहुंच सकती है।

4. यदि कोई स्मारक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजना के लिए अनुमति देने हेतु सूची में नहीं है, तो महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संबंधित अधीक्षण पुरातत्वविद् से रिपोर्ट मांगने के पश्चात्, इस प्रकार की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। तथापि, महानिदेशक, भारतीय पुराततत्व सर्वेक्षण के पास इस प्रकार के किसी अनुरोध को रद्द कर देने का अधिकार भी सुरक्षित हैं। उनका निर्णय अंतिम होगा।

5. उच्च दर्जे के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को वरीयता: शास्त्रीय, के आयोजन के लिए अनुमति दी जा सकती है। इस

उद्देश्य के लिए, शास्त्रीय अवसरों का आशय शास्त्रीय संगीत, नृत्य तथा नाटक होगा। यह निर्धारित करने के लिए कि कोई अवसर सांस्कृतिक अवसर है या नहीं, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का निर्णय अंतिम होगा।

6. ऐसे किसी समारोह/कार्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी जहां प्रवेश का विनियमन टिकटों की बिक्री या प्रवेश शुल्क लगा कर किया जाएगा।

7. किसी ऐसे कार्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी जो वाणिज्यिक/धार्मिक गतिविधि जैसे बिक्री, प्रदर्शनी तथा बिक्री आदि से संबंधित होगा।

8. केवल सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक निकायों को कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। निजी व्यक्तियों, निजी निकायों या अन्य व्यावसायिक संगठनों को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। यह निर्णय लेने के लिए कि क्या कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुरोध सार्वजनिक निकाय से प्राप्त हुआ है या नहीं, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का निर्णय अंतिम होगा। सार्वजनिक निकायों से प्राप्त अनुरोध पर विचार करते समय, महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण/अधीक्षण पुरातत्वविद्, मंडल कार्यालय संबंधित संगठन के पूर्व इतिहास तथा कार्य कलापों, कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के स्वरूप तथा अवधि पर विचार करेगा।

9. कुछ मामलों को छोड़कर जहां रिकार्ड किए गए कारणों के कारण अनुमति एक दिन से अधिक दी जा सकती है, जारी की गई अनुमति केवल एक दिन के लिए वैध होगी। सभी अस्थायी संरचनाएं उसी दिन रात्रि 11.00 बजे तक बनाई व हटाई जानी चाहिए। सभी कार्यक्रम रात्रि 10.00 बजे तक सम्पन्न हो जाने चाहिए। इसके बाद किसी प्रकार के संगीत या लाउडस्पीकर आदि की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी प्रकार के उल्लंघन किए जाने पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी।

10. एक अस्थाई मंच या स्टेज बनाने के अलावा जिसे हटाया जा सकता है किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस प्रकार की अस्थायी संरचनाओं को बनाने में किसी प्रकार की चिनाई का कार्य नहीं किया जाएगा।

11. चूंकि स्मारक या इसकी सीमा के भीतर किसी कार्यक्रम के आयोजन से निर्मित अवसंरचना तथा इसके परिवेश को क्षति पहुंच सकती है अत: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसके प्रयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क लगाएगा:

(क) किसी संरक्षित स्मारक से जुड़ी भूमि (बाहरी) में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 25,000/- रुपए प्रति दिन तथा यदि भूमि के साथ-साथ निर्मित स्मारक (आंतरिक) के किसी भाग का भी प्रयोग किया जाना हो तो 50,000/- रुपए प्रति दिन प्रभार लिया जाएगा (दिल्ली के चुने हुए स्मारकों में)

(ख) अन्य मंडलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किसी संरक्षित स्मारक से जुड़ा क्षेत्र (बाहरी) के प्रयोग के लिए 10,000/- प्रति दिन प्रभार लिया जाएगा तथा जहां संरक्षित स्मारक का एक भाग भी प्रयोग किया जाना है तो 25,000/- रुपए प्रतिदिन प्रभार लगाया जाएगा। अन्य अन्तर किए जाने की आवश्यकता होने पर उसे महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निर्धारित करेंगे।

उपर्युक्त के साथ-साथ दिल्ली के सभी स्मारकों के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 50,000/- रु. प्रतिदिन की प्रतिदाय प्रतिभूति जमा की मांग भी करेगा। अन्य मंडलों में यह प्रतिदाय प्रतिभूति जमा 30,000/- रुपए होगी। यह प्रतिभूति जमा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा घास-फूस/कूड़ा कचरा आदि या क्षति की मरम्मत, यदि कोई होती है तो, उस पर किए गए व्यय के पश्चात् आयोजन के एक सप्ताह के पश्चात् वापिस कर दी जाएगी।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभिन्न पहलुओं जैसे पार्किंग, आगन्तुकों की अधिकतम संख्या, शोर तथा प्रकाश स्तर आदि पर अपनी उचित शर्तें लगा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्मारक तथा इसका परिवेश सुरक्षित तथा संरक्षित रहे तथा कार्यक्रम के संचालन से स्मारक (बाहरी रूप में) या इसकी सांस्कृतिक सद्भावना को कोई नुकसान न पहुंचे।

मंडल कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अनुमति प्रदान की जा सकती है उन स्मारकों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। यह सूची संपूर्ण नहीं है तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस सूची को, जब कभी अपेक्षित हो, संशोधित कर सकता है।

उपर्युक्त दिशानिर्देश तुरन्त प्रभावी होगे तथा अगले आदेश जारी होने तक वैध रहेंगे।

विवरण II

सूची उन स्मारकों/स्थलों की जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति दी जा सकती है

1. आगरा मंडल
   (1) राम बाग
   (2) अकबर का मकबरा (बाहर)
   (3) दीवान-ए आम (आगरा) किला
   (4) कंकाली टीला मथुरा
   (5) बादशाही दरवाजा के बाहर खुला क्षेत्र, फतेहपुर सीकरी
2. औरंगाबाद मंडल
   (1) बीबी का मकबरा के मैदान औरंगाबाद
   (2) शैलाकृत गुफाओं के सामने खुला क्षेत्र एलोरा
   (3) खुला क्षेत्र, किला, दौलताबाद
3. बंगलौर मंडल
   (1) खुला क्षेत्र, एलिफैंटा स्टेबल, हम्पी
   (2) खुला क्षेत्र, विट्ठल मंदिर परिसर, हम्पी
   (3) खुला क्षेत्र, केशव मंदिर के पूर्व में, सोमनाथपुर
   (4) खुला क्षेत्र, होयसेलेश्वर मंदिर, हालेविदु
   (5) खुला प्रांगण, चेन्ना केशवा मंदिर बेलूर
   (6) बाहुवली मूर्ति, श्रवणवेल गोला का खुला क्षेत्र तथा विहार
   (7) बाहुवली की प्रतिमा के आस-पास का क्षेत्र कर कला
   (8) चित्रदुर्ग किला का खुला क्षेत्र
   (9) टीपू का महल, बंगलौर के खुले मैदान
   (10) टीपू का मकबरा, श्रीरंगपट्नम के आस-पास का खुला क्षेत्र
   (11) दौलताबाद महल, श्रीरंगपट्नम का खुला क्षेत्र
   (12) श्री हरिहरेश्वरा मंदिर, हरिहरा
   (13) ईश्वरा मंदिर, अरासीकेरे
   (14) देवनाहल्ली किला
   (15) सोमेश्वर मंदिर, कोलार
   (16) मंदिर समूह का खुला क्षेत्र नंदी
   (17) अनंतपद्मनाभा मंदिर, परिसर, करकाला
   (18) किला बेल्लारी
   (19) स्मारकों के आस-पास खुला क्षेत्र, हम्पी
4. भोपाल मंडल
   (1) चित्रगुप्त मंदिर, खजुराहो को उत्तर
   (2) तानसेन का मकबरा, ग्वालियर
   (3) सास बहू मंदिर, ग्वालियर के आस-पास का खुला क्षेत्र
   (4) शिव मंदिर भोजपुर के पश्चिम में खुला क्षेत्र
   (5) जहाज महल का खुला क्षेत्र, मांडू
5. भुवनेश्वर मंडल
   (1) राजा रानी के आस-पास का खुला क्षेत्र, भुवनेश्वर
   (2) मुक्तेश्वर मंदिर का खुला क्षेत्र
   (3) परशु रामेश्वरा मंदिर
   (4) सूर्य मंदिर, कोणार्क का खुला क्षेत्र
   (5) सीता भांजा
   (6) हरिपुर गढ़
   (7) रत्नागिरी स्थित स्थल
6. चंडीगढ़ मंडल
   (1) बृहदेश्वरा मंदिर, तंजावूर
   (2) बृहदेश्वरा मंदिर, गंगई कोंडा चोलापुरम्
   (3) अरामवतेश्वरा मंदिर, दारासुरम
   (4) मंदिर समूह, शैलकृत गुफाएं, महाबलीपुरम्
   (5) खुला क्षेत्र, मंदिर समूह, मूवर कोइल
   (6) किला क्षेत्र सदरस
7. चेन्नई मंडल
   (1) बृहदेश्वरा मंदिर, तंजावूर
   (2) बृहदेश्वरा मंदिर, गंगई कोंडा चोलापुरम्
   (3) अरावतेश्वरा मंदिर, दारासुरम
   (4) मंदिर समूह, शैलकृत गुफाएं, महाबलीपुरम्
   (5) खुला क्षेत्र, मंदिर समूह, मूवर कोइल
   (6) किला क्षेत्र सदरस
8. दिल्ली मंडल
   (1) अरब की सराय (हुमायूं का मकबरा परिसर)
   (2) इस्खान मकबरा (हुमायूं का मकबरा परिसर)
   (3) तालाब महल
   (4) रोशनारा गार्डन
   (5) कुतुब मीनार परिसर का खुला क्षेत्र
   (6) पुराना किला का लॉन तथा बाहरी खुला क्षेत्र
   (7) किला रायपिथैड़ा का खुला क्षेत्र
   (8) लाल किला का खुला क्षेत्र (रामलीला तथा अन्दर का क्षेत्र)
9. देहरादून मंडल
   (1) रुद्रनाथ मंदिर परिसर, गोपेश्वर, जिला चामोली
10. धारवाड़ मंडल
   (1) दुर्गा मंदिर परिसर एहोल का खुला क्षेत्र
   (2) ज्योतिर्लिंग मंदिर समूह, एहोल का खुला क्षेत्र

(3) मंदिर, पट्टाकल का उत्तरी खुला क्षेत्र
(4) मंदिर समूह, अष्तुर के बीच खुला क्षेत्र
(5) गुलबर्गा किला के भीतर खुला क्षेत्र
(6) महमूद गवनस मदरसा, बीदर का खुला क्षेत्र
(7) गोल गुम्बज, बीजापुर के आस-पास का खुला क्षेत्र
(8) इमब्राहिम रौजा, बीजापुर के मैदान
(9) खुला क्षेत्र नवारसपुर
(10) स्मारक समूह, लक्कुडी का खुला क्षेत्र
(11) महादेवी मंदिर, इट्टागी के आस-पास खुला क्षेत्र
(12) सिद्धेश्वर मंदिर, हावेरी के पश्चिम में खुला क्षेत्र
(13) मधुकेशवरा मंदिर परिसर वन वासी
(14) मुक्तेश्वरा मंदिर, चंदादानपुर
(15) खुला क्षेत्र किला, सौदा

11. गोवा लघु मंडल
(1) किला के भीतर का खुला क्षेत्र, अगुदा
(2) महादेव मंदिर परिसर, तम्बदी सुरला
(3) साफा मस्जिद, पोंडा का खुला क्षेत्र

12. हैदराबाद मंडल
(1) गोल कोंडा किला के भीतर का क्षेत्र
(2) सिद्धौत किला, कुडप्पा
(3) शंकरम, विशाखापट्टनम
(4) रामाप्पा मंदिर, पालमपेट
(5) किला के भीतर का क्षेत्र, वारंगल
(6) प्रति रोपित स्मारक नागार्जुनकोंडा तथा अनूपु के आस-पास खुला क्षेत्र (केवल दिन में)
(7) अमरावती, स्तूप स्थल के आस-पास का क्षेत्र

13. जयपुर मंडल
(1) अन्ना सागर, बारादरी
(2) भानगढ़ स्थित प्राचीन स्थल
(3) डीप पैलेस, डीग, जिला भरतपुर
(4) किला बयाना
(5) मंदिर समूह, बदोली
(6) महानाल मंदिर मेनल
(7) मंदिर समूह, बिजोलिया
(8) किला चितौड़गढ़
(9) किला कुम्भलगढ़
(10) किला रणथम्भौर
(11) किला जैसलमेर
(12) पुरातात्विक स्थल, लुद्रवा
(13) घाट/जहांगीरी महल, पुष्कर

14. कोलकाता मंडल
(1) कूच विहार महल के सामने खुला क्षेत्र
(2) विष्णुपुर मंदिर समूह के आस-पास खुला क्षेत्र, विष्णुपुर

15. लखनऊ मंडल
(1) रेजीडेंसी लखनऊ
(2) खुला क्षेत्र किला झांसी

16. मुम्बई लघु मंडल
(1) खुला क्षेत्र ऐलीफेंटा
(2) रायगढ़ किला
(3) महल परिसर शनिवारवाड़ा, पुणे

17. पटना मंडल
(1) पुरातात्विक स्थल, सारनाथ
(2) पुरातात्विक स्थल, नालन्दा
(3) खुला क्षेत्र शेर शाह मकबरा, सासाराम

18. रायपुर मंडल
(1) स्मारक समूह, सिरपुर

19. रांची मंडल
कोई नहीं

20. शिमला लघु मंडल
(1) खुला क्षेत्र, वाइस रीगल लॉज, शिमला

21. श्रीनगर मंडल
(1) महल रामनगर
(2) रामनगर, किला का खुला क्षेत्र

22. त्रिसुर मंडल
(1) किले के भीतर खुला क्षेत्र, बेकल
(2) सैंट ऐंजेलो किला के भीतर क्षेत्र, कन्नूर
(3) पक्कड़ स्थित किला

23. बड़ोदरा मंडल
(1) सूर्य मंदिर के आस-पास खुला क्षेत्र/बागीचा, मोधेरा
(2) किला के भीतर खुला क्षेत्र, पावागढ़
(3) किला, दीव
(4) किला क्षेत्र, मोती दमन
(5) किला क्षेत्र, नानी दमन
(6) सीढ़ीदार कुआं के आस-पास क्षेत्र, पाटन

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) मिश्र धातु निगम लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1978/2005]

(2) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1979/2005]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): महोदय, मैं हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1980/2005]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): महोदया, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 1981/2005]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) मुम्बई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुम्बई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये संख्या** एल.टी. 1982/2005]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार द आर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार द आर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये संख्या** एल.टी. 1983/2005]

अपराह्न 12.02 बजे

लोक लेखा समिति

दसवां, ग्यारहवां और तेरहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. आर. सेंथिल (धरमपुरी): महोदया, मैं लोक लेखा समिति (2004-2005) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) "स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय (2002-2003)" के बारे में दसवां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

(2) "पैन का आबंटन" के बारे में लोक लेखा समिति (13वीं लोक सभा) के 51वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

(3) "लोक कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद (कापार्ट)" के बारे में लोक लेखा समिति (13वीं लोक सभा) के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)।

अपराह्न $12.02^1/_2$ बजे

रेल अभिसमय समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): 'वर्ष 2005-06 के लिए लाभांश की दर तथा अन्य आनुषंगिक मामले' के बारे में रेल अभिसमय समिति (2004) का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

अपराह्न 12.03 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

एक सौ बासठवां प्रतिवेदन

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर): महोदया, मैं "केन्द्रीय विद्यालयों के कार्यकरण" के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के एक सौ बासठवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मुख्यतः बड़े कर्जदारों द्वारा ऋणों की अदायगी में चूक के कारण बैंकों में विशाल गैर-निष्पादक आस्तियों से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदया, मैं मंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य* दें।

"मुख्यतः बड़े कर्जदारों द्वारा ऋणों की अदायगी में चूक के कारण बैंकों में विशाल गैर-निष्पादक आस्तियों से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): अध्यक्ष महोदय, सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियों तथा इसमें बड़े-बड़े लेनदारों के घटक के बारे में जानकारी है। यह लगातार सरकार की चिंता के कारण रहे हैं क्योंकि गैर-निष्पादक आस्तियों की बढ़ती हुई घटनाओं के कारण लाभकारी कार्यों में लगाने हेतु बैंकों के पास धन की उपलब्धता कम होगी। वर्तमान में मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियों का स्तर उनके समग्र अग्रिम का 7.8 प्रतिशत है। वर्तमान में निवल गैर-निष्पादक आस्तियां 3 प्रतिशत से कम हैं।

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1984/2005।

[श्री पी. चिदम्बरम]

बैंकों के अंदर तथा बाहर कई ऐसे कारक हैं जो किसी आस्ति को गैर-निष्पादक बना देता है। बैंक के आंतरिक कारक मूलरूप से ऋण आकलन और पर्यवेक्षण ऋणी द्वारा निधियों का विपथन तथा भुगतान में जानबूझकर किया विलम्ब, तथा वित्तपोषित इकाई का अकुशल प्रबंधन से संबंधित हैं। दूसरी ओर बाह्य कारकों में प्रौद्योगिकी, मांग पद्धति तथा अन्य नीतियों में परिवर्तन के कारण यूनिट की अव्यवहार्यता या रुग्णता, लागत तथा समय बढ़ जाने के कारण परियोजना का पूरा न होना, तथा अन्य कारक जैसे कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता, श्रम की समस्या, प्राकृतिक आपदा, पर्यावरणीय कारक जैसे प्रदूषण नियंत्रण, पारिस्थितिक क्षरण तथा वसूली के लिए बैंकों द्वारा दायर मुकदमों का न्यायालयों/डी.आर.टी. निष्पादन में विलम्ब शामिल है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निष्पादन में कुल मिलाकर सुधार दिख रहा है, विशेषकर आय, लाभ तथा अनुपयोज्य आस्तियों के स्तर के क्षेत्र में। सकल अनुपयोज्य राशि जो मार्च, 2002 में 56473 करोड़ रुपये थी घटकर मार्च, 2004 में 51,538 करोड़ रुपये हो गई। निवल अनुपयोज्य राशि में भी इसी प्रकार की कमी आई है। इसी अवधि के दौरान निवल अनुपयोज्य आस्तियां 27,958 करोड़ रुपये से घटकर 18,860 करोड़ रुपये हो गई। तदनुसार उक्त अवधि के दौरान निवल अग्रिम की तुलना में निवल अनुपयोज्य आस्तियां 5.82 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत हो गई। इसलिए अनुपयोज्य आस्तियों में लगातार कमी होती रही है। यह सरकार तथा संबंधित बैंकों की सहायता से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए कड़े कदमों के कारण संभव हुआ है। इसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं।

'लोक अदालतों के माध्यम से बैंक बड़ी संख्या में समझौतों द्वारा निपटारा कर रहे हैं। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002' को अधिनियमित करके बकाया ऋणों की शीघ्र वसूली के लिए बैंकों को सक्षम बनवाया गया है। इसके आगे मैं यह भी कह दूं कि इस सभा द्वारा हाल ही में इसका संशोधन किया गया था। निगम ऋणों के पुनर्गठन के लिए निगम ऋण पुनर्गठन योजना लागू की गई है।

प्रबंधन समिति तथा निदेशक मंडल शीर्ष 300 अनुपयोज्य खातों तथा 1 करोड़ रुपये के अनुपयोज्य खातों और इससे ऊपर के खातों को क्रमशः अवधिक समीक्षा कर रहे हैं।

उधार जोखिम की पहचान, निगरानी और प्रबंधन के लिए एक संस्थागत रुपरेखा तैयार करके बैंकों ने जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मजबूत किया है। हजारों करोड़ की अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली के लिए बैंक प्रबंधन की गंभीरता और सफलता को निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है:

हजारों करोड़ रुपए एनपीए की वसूली के लिए बैंक प्रबंधन की गंभीरता एवं सफलता निम्नांकित तथ्यों में देखी जा सकती है: सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा की गई कुल वसूली (बट्टे खाते डाली गई सहित) में वृद्धि हुई है। यह 31 मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार 18730 करोड़ रुपए थी जो 31.3.2004 तक की स्थिति के अनुसार 20704 करोड़ रुपए हो गई है; 31.3.2003 तक की स्थिति के अनुसार 5 करोड़ रुपए तक के एनपीए के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की एकबारगी निपटान योजना के तहत सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 8.87 लाख एनपीए खातों का निपटान किया है जिसमें 4,649 करोड़ रुपए अंतर्ग्रस्त थे; 30 सितम्बर, 2004 तक सरकारी क्षेत्र के 27 बैकों ने 21988.74 करोड़ रुपए की बकाया राशि के लिए 70254 नोटिस जारी किए हैं तथा उन्होंने प्रतिभूतिकरण अधिनियम के तहत दायर 29301 मामलों से 2237.95 करोड़ रुपए की राशि वसूल की है; और वाणिज्य बैंकों द्वारा दायर 63,131 मामलों (90852.01 करोड़ रुपए की राशि की अंतर्ग्रस्तता) में से डीआरटी ने 27373 मामलों में (25402.74 करोड़ रुपए राशि की अंतर्ग्रस्तता) फैसला दिया है जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2004 तक 7592.98 करोड़ रुपए की वसूली हुई।

उपर्युक्त उपायों के बावजूद वसूली की प्रक्रिया में इस तथ्य से कुछ कमी आई है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक के शीर्ष चूककर्ता बड़ी औद्योगिक कंपनियां/उधारकर्ता हैं। शीर्ष दस कंपनियों के विरुद्ध 3908 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। सरकार को इस पर चिंता है तथा जानबूझकर चूक करने वालों से निपटने के लिए स्पष्ट उपाय किए हैं। कुछ संशोधन के बाद वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 को मजबूत किए जाने से इन चूककर्ताओं पर और अधिक सख्ती की गई है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगले कुछ महीनों में हम इस कानून के सहारे से हमारे बकाया एनपीए की अधिक वसूली कर पाएंगे।

श्री गुरुदास दासगुप्त: अध्यक्ष महोदय, मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण की स्वीकृति दिए जाने का दिल से स्वागत करता हूं।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए किसी भी आंकड़े के संबंध में कोई भी बयान, सामान्य बयान या सामान्य टिप्पणी नहीं करना चाहता।

यदि मैं स्पष्ट रूप से कहूं तो यह बहुत ही घातक होगा। यदि मैं बढ़ा चढ़ा कर कहूं तो यह मेरे अंतरात्मा के विरुद्ध होगा।

सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री इन बातों पर अवश्य ध्यान दें, इन्हें अवश्य सुनें और अपना फैसला दें।

अध्यक्ष महोदय: विषय पर बात कीजिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त: हम यह मानकर चले कि माननीय मंत्री जी अधिकारियों के अनुसार ही बोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय: स्वाभाविक रूप से उन्हें ऐसा करना पड़ता है। आप मुद्दे पर बात कीजिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मेरे पास चूककर्ताओं के नाम और उनके पास बकाया राशि की सूची की एक प्रति है और जिसका प्रकाशन आल इंडिया बैंक इम्प्लाइज एसोसियेशन की ओर हुआ है। मैं इसे सभा पटल पर रखने के लिए आपकी अनुमति चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: पहले मुझे इसे देखना पड़ेगा।

श्री गुरूदास दासगुप्त: यह आप फैसला करें। मेरी जानकारी के अनुसार माननीय मंत्री जी विश्वास के पात्र नहीं रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: इस शब्द के बदले आपको कहना चाहिए कि वे तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: वे सही नहीं रहे हैं या वस्तु स्थिति से अवगत नहीं हैं। मैं और संसदीय शब्दों में व्यक्त कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब हम एक अच्छे माहौल में इस पर चर्चा करें।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मेरे आकलन के अनुसार मार्च, 1997 में कुल एन.पी.ए. 47000 करोड़ रुपये था। मेरे आज के आकलन के अनुसार, 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार एन.पी.ए. 96,000 करोड़ रुपये था। इसलिए, यह कहना सही नहीं है कि एन.पी.ए. में कमी आई है। बल्कि यह बढ़ा है। 31 मार्च को राष्ट्रीयकृत बैंकों का कुल लाभ 39,458 करोड़ रुपये था और बैंक ने 14353 करोड़ रुपये में एन.पी.ए. की देयता को पूरा करने के लिए प्रावधान किया था। उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान नहीं करने से उत्पन्न देयता के अंतर्गत लाभ का लगभग 36 प्रतिशत का प्रावधान करना होगा। मेरी जानकारी के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 10,000 करोड़ रुपये बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले जा रहे हैं। वित्त मंत्री जी दस्तावेजों को देखें और पता करें कि मेरा बयान सही है या नहीं। मेरा कहना है कि विगत 10 वर्षों के दौरान लिखित आंकड़े भयावह हैं न कि बयान में भयावहता है। पिछले 10 वर्षों के दौरान 1,00,000 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाले गए हैं। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि कार्पोरेट क्षेत्र की अपचार को बैंकों के लाभ में से प्रति सब्सिडी देकर पूरा किया जाए। निश्चित रूप से यह भारत सरकार की बैंकिंग नीति में अच्छे संकेत नहीं हैं। चूककर्ता कौन लोग हैं? देश को बताए कि चूककर्ता कौन लोग हैं? 75 प्रतिशत गरीब किसान अपना भुगतान करते हैं या ऋण वापस कर देते हैं। 97 प्रतिशत खुदरा व्यापारी ऋण लौटा देते हैं। अगर मैं कहूं कि 50 प्रतिशत कार्पोरेट ऋण वापस नहीं करते तो भेद खुल जाएगा। यही मूल प्रश्न है। वे ऋण वापस नहीं करते। यही कार्पोरेट क्षेत्र का अपचार है जिसे वित्त मंत्रालय तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सब्सिडी दिए जाने की अनुमति दी जाती है।

माननीय मंत्री जी प्रतिभूतिकरण की बात कर रहे हैं। क्या मैं विनम्रता के साथ यह कह सकता हूं कि यह अधिनियम सरकार को केवल कम्पनी की स्वामित्व को कुर्क करने का अधिकार देता है लेकिन अपचारी उधारकर्ता वित्त मंत्री से भी ज्यादा चालाक हैं। वे पैसे का विपथन करते हैं और सम्पत्तियों को अपने नाम या अपनी पत्नियों के नाम करा लेते हैं।

चूंकि यह एक कम्पनी के नाम पर होता है इसलिए यह अधिनियम चूककर्ता उधारकर्ताओं की सम्पत्ति को छूने का अधिकार सरकार को नहीं देता। मैंने आपकी सराहना की थी क्योंकि मैं यह मुद्दा दशकों से उठाता रहा हूं। मैं दशकों से भुगतान में चूक के इस मुद्दे को उठाता रहा था। दूसरी सरकार के समय मैंने इसी सभा में इस मुद्दे को उठाया था। मैं ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि यह सार्वजनिक सम्पत्ति की खुली लूट है। एक के बाद एक सरकारें कार्पोरेट क्षेत्र के इस अपचार को रोकने में असफल रही है जिसके कारण ऋणों का भुगतान नहीं हो रहा है। मेरा दावा है कि वसूली नाममात्र की रही है, दंड भी कुछ चुने हुए लोगों को दिया गया है, कानून प्रवर्तन कमजोर है, ऋण वसूली के लिए स्थापित न्यायालयों की संख्या कम है। बड़े पैमाने पर रिक्तियां हैं। इसलिए, मेरा निष्कर्ष है, ठोस निष्कर्ष है कि बड़े उधारकर्ताओं द्वारा चूक के पैसे को वसूल करने हेतु राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बड़े उधारकर्ताओं के अच्छे संपर्क होते हैं तथा अक्सर इन्हें संरक्षण भी प्राप्त होता है।

अध्यक्ष महोदय: आप बताएं कि इस पैसे को कैसे वसूल किया जाए।

श्री गुरूदास दासगुप्त: वे ऋण लेते हैं, पैसे को दूसरे कामों में लगाते हैं तथा कम्पनी को बीमार बना देते हैं। कम्पनी बीमार बनायी जाती है लेकिन कम्पनी के मालिक धनी बन जाते हैं। वे बैंक के पास जाते हैं और कहते है कि कम्पनी बीमार हो गई

[श्री गुरूदास दासगुप्त]

है और वे कुछ और समय की मांग करते हैं। वे रियायती दर पर ब्याज की मांग करते हैं। वे भुगतान समय को लम्बा खींचना चाहते हैं। ऐसा करदे वे अच्छे वकील को पैरवी में लगाते हैं और एक बाद दूसरे स्थगन आदेश प्राप्त करते हैं। लम्बा समय तक चलने वाला मुकदमा अपचारी उधारकर्ताओं के लिए बहुत लाभकारी रहा है। इसे रोकने के लिये कहां कानून है?

माननीय मंत्री जी नए कानून की बात करते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि वे कौन से प्रावधान हैं जो लम्बे समय तक चलने वाले मुकदमे, जो चूककर्ता के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, को तथा सार्वजनिक सम्पत्ति की लूट को रोके। बात बहुत स्पष्ट है। मेरी पुस्तक के अनुसार कुल एन.पी.ए. 96084.14 करोड़ रुपये का है। यह भी दूसरा विवरण है। यह इस पुस्तक के अनुसार है। कृपया 1.00 लाख करोड़ रुपये इसमें जोड़ दीजिए जो पिछले 10 वर्षों के दौरान बट्टे खाते में डाले गये हैं।

तीसरी बात, दो अन्य घटक हैं। बैंकिंग नार्म के अनुसार एक खाते को बीमार के रूप में चिह्नित किए जाने के बाद, उसी दिन से, दंडस्वरूप ब्याज दर की बात तो दूर, ब्याज दर की गणना नहीं की जाती। इसलिए राशि स्थिर बनी रहती है। यदि खाता के रुग्ण घोषित किए जाने की तिथि से दंडस्वरूप ब्याज सहित ब्याज की गणना की जाती है तो बैंक को हुई क्षति बहुत अधिक होती है।

इसके बाद, वह एकमुश्त रियायत देने की बात कर रहे हैं। बड़े उधार लेने वालों को न कि किसानों को पर्याप्त रियायत दी जाती है। यदि आप बैंकों को पर्याप्त रियायत देने से होने वाली हानि का हिसाब लगाएं और उसे इन तीनों कारकों के साथ जोड़ें —राशि को बट्टे खाते में डाल देने, चूक अवधि के दौरान बैंकों के राशि का हिसाब और ब्याज लगाने में असफल होने और रियायतें देने के कारण—तो बैंकिंग उद्योग को मेरे अनुसार काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक रूप से लगभग 3 लाख करोड़ रुपये की हानि हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त: अब, मैं प्रश्न पर आता हूं। सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप इस स्वेच्छाकृत चूक को दाण्डिक अपराध के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते हैं?

महोदय वह कह रहे है ''स्वेच्छाकृत चूक''। हमें विधि में एक उपबन्ध बनाना चाहिए ताकि सरकार स्वेच्छाकृत चूक को दाण्डिक अपराध के रूप में लेकर कार्यवाही कर सके ...*(व्यवधान)* मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात का समर्थन करें। मैं उसी पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि आप मात्र खुशी के लिए यह नहीं कह रहे हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: जी नहीं। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि मैं कई लोगों की ओर से बोल रहा हूं मैं केवल अपनी बात नहीं कह रहा हूं। मैं कई लोगों की ओर से बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप को अधिक समय मिलेगा।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं नहीं जानता कि मैं माननीय वित्त मंत्री की ओर से भी बोल रहा हूं।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): वह दर्शकों के लिए दिखावा कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: मेरे देखने वाले तो सभा में भी हैं।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं आपका आभारी हूं।

दूसरा, सरकार ने चूककर्ताओं की सूची प्रकाशित क्यों नहीं की है? जब मैं बता रहा हूं तो सरकार उसे प्रकाशित क्यों नहीं करती? प्रश्न यह है कि सरकार ''ऐसा खाता जिस पर मुकदमा चलाया गया है'' और ऐसा खाता जिस पर मुकदमा चलाया गया है'' और ऐसा खाता जिस पर मुकदमा नहीं चलाया गया है'' में विभेद करती है। इसका तात्पर्य है कि लेखा जिस पर मुकदमा चलता है, प्रकाशित किया जाता है और लेखा जिस पर मुकदमा नहीं चलता है उसे प्रकाशित नहीं किया जाता है। मैं मांग करता हूं कि इसे प्रकाशित किया जाए।

मैं चाहता हूं कि सरकार यहां पर अभी वक्तव्य दे कि देश का धन लूटने वाले लोगों को दण्ड दिया जाएगा। मैं नहीं जानता कि वे लोग कभी जेल की हवा खाएंगे या नहीं क्योंकि हमारी न्यायिक व्यवस्था की अपनी सीमाएं हैं। लेकिन हमारे देश को उनके नाम प्रकाशित करके उन्हें शर्मिन्दा करना चाहिए कि ये लोग सरकार का धन लूट रहे हैं।

तीसरा, क्या वित्त मंत्री चुननाव आयोग को यह सिफारिश करने के लिए सहमत होंगे कि बैंक की राशि का भुगतान न करने वाले चूककर्ताओं को चुनाव लड़ने से बेदखल कर दिया जाना चाहिए?

अध्यक्ष महोदय: इसका अन्य तरीका होना चाहिए। वे तो कानून नहीं बना सकते। सरकार तो कानून बना सकती है यह विधानपालिका का काम है कि यह कानून बनाये।

श्री गुरूदास दासगुप्तः महोदय, आपकी उदारता से, मैं कहता हूं कि दूसरे सदन में मैं वित्त राज्य मंत्री से मिला था और उनसे चूककर्ताओं (धन न देने वालों) के सम्बन्ध में बात भी की थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप दूसरे सदन की बात नहीं कर सकते हैं। हम लोक सभा के सदस्य हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्तः मैं दूसरे सदन की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि सूची प्रकाशित की जाए।

चौथा, मैं चाहता हूं कि इन सफेदपोश अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया जाए और ये विशेष न्यायालय निर्धारित समय के भीतर ''स्वेच्छाकृत चूककर्ता'' पर मुकदमा चलाएं।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है।

श्री गुरूदास दासगुप्तः इसके बाद महोदय....

अध्यक्ष महोदयः नहीं, अब आपको अपनी बात समाप्त करनी होगी। आप पहले ही 20 मिनट से अधिक समय ले चुके हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्तः मैं कह रहा हूं कि चूककर्ताओं की निजी सम्पत्ति की कुर्की की जानी चाहिए और समूह कम्पनियों और परिवार के सदस्यों द्वारा बैंक ऋण लेने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। मैं विक्षुब्ध होकर कहता हूं—मैं समाप्त कर रहा हूं—और मेरा रोष यह है कि हमारे 40 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। हमारे यहां गरीबी की स्थिति काफी अधिक है। हमारे पास नौकरियों का सृजन करने के अवसर नहीं हैं और इसका कारण धन का अभाव है। जब देश गरीबी और बेरोजगारी के कठिन दौर से गुजर रहा है तो क्या सरकार को बैंकों का धन लूटने की स्वीकृति देनी चाहिए और कर अपवंचन को मंजूरी देनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः उन्हें कभी भी ऐसा करने नहीं देना चाहिए।

श्री गुरूदास दासगुप्तः इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं। यह मेरी अन्तिम अपील है। मैं अपने मित्र से अपील करता हूं कि वह हमें शब्दजाल में न फंसाए और अपनी कार्य योजना का वर्णन करे। हम चाहते हैं कि स्वेच्छाकृत चूककर्ताओं, जिनमें से अधिक बड़े ऋण लेने वाले वे लोग हैं जिनके तार दिल्ली और राज्यों में शासन पक्ष के साथ जुड़े हुए हैं, के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कार्य योजना लागू की जाए।

अध्यक्ष महोदयः मैं समझता हूं कि मंत्री जी पर शब्द बाण बरसाए गए हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः अब श्री हन्नान मोल्लाह बोलेंगे। कृपया बिना किसी भूमिका के एक प्रश्न ही पूछिए।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, इसकी अधिक भूमिका नहीं है। हमारे दल ने भारत की सरकार की विशेषताएं परिभाषित की हैं कि यह मध्यमवर्गीय है, सरकार बड़े मध्यमवर्गीयों द्वारा चलाई जाने वाली जमीदारों की सरकार है और वह कमजोरों पर शासन कर रहे हैं जैसाकि इस मामले में भी दर्शाया गया है।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है अब आप प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाहः महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री से इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। कितनी राशि को बट्टे खाते में डाला गया है?

अध्यक्ष महोदयः उन्होंने बता दिया है।

श्री हन्नान मोल्लाहः मंत्री जी को बताना चाहिए।

दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि हमें मंत्री जी के उत्तर से शुरू के मुख्य दस चूककर्ताओं के नाम पता चल गए हैं। उनमें से हम एक कम्पनी का नाम जानते हैं।

अध्यक्ष महोदयः नहीं नहीं। नाम मत लीजिए।

श्री हन्नान मोल्लाहः उनके नाम सभी जगहों-सभी बैंकों में और वित्तीय संस्थाओं में चूककर्ताओं के रूप में जाने जाते है। वे इधर-उधर फिर रहे हैं ताकि धन इकट्ठा किया जा सके और फिर चुनाव लड़ा जाए। वे जनता के नेता बन जाते हैं वे लोग कौन हैं जो यह सब कर रहे हैं? वे लूट रहे हैं?

अध्यक्ष महोदयः आपका प्रश्न क्या है?

श्री हन्नान मोल्लाहः मैं यह जानना चाहता हूं क्या इन लोगों को बक्शा जाएगा क्योंकि इन लोगों की ऊंची राजनीतिक पहुंच हैं?

अध्यक्ष महोदयः ठीक है, अब श्री चन्द्रप्पन बोलेंगे। कृपया एक ही प्रश्न पूछिए। हमने इस मद पर काफी समय लगा दिया है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या इन बड़े चूककर्ताओं के नाम जिनका उल्लेख श्री दासगुप्त ने किया है, प्रकाशित करने में कोई कानूनी अड़चन है? उन्होंने कई बड़े चूककर्ताओं के बारे में जिक्र किया है? क्या मैं पूछ सकता हूं कि उनके नाम प्रकाशित करने और उसे सभापटल पर रखने में कोई कानूनी अड़चन है?

अध्यक्ष महोदय: आपने प्रश्न पूछ लिया है अब श्री शैलेन्द्र कुमार बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर एक गरीब आदमी ऋण नहीं चुका पाता है तो उसे आरसी इश्यू हो जाती है लेकिन देश में बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, जिन्होंने बैंकों से ऋण लेकर दूसरा उद्योग लगा लिया है लेकिन ऋण नहीं दिया है। सरकार उनके ऊपर सख्ती बरते और उनकी चल-अचल सम्पत्ति बेचकर पैसे की अदायगी होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब माननीय मंत्री जी बोलेंगे अब मैं आपको और समय नहीं दे सकता हूं। मुझे खेद है। आप वही बात दोहरा रहे है यह उचित नहीं है। यह सही तरीका भी नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको जो अवसर दिया गया है कृपया उसका दुरुपयोग मत कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: लगता है कि बैंकों का जो भी धन है वह देश के बड़े लोगों के लिए है छोटे लोगों के लिए नहीं है। जिन बड़े लोगों ने बकाया नहीं दिया है, उन बकायादारों की सम्पत्ति से उसकी अदायगी की जाए और ऐसे लोगों की सूची भी जारी की जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा। आप उसी बात को दोहरा रहे हैं। श्री रुपचन्द पाल, कृपया स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछिए।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): मुझे एक स्पष्ट प्रश्न पूछना है। हाल ही में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने सरकार का ध्यान एक असंगत परिस्थिति की ओर आकर्षित किया है और वह है डी.आर.टी. और हाल ही में किए गए संशोधन के अनुसार बैंक एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम और डी.आर.टी.ए. के अंतर्गत साथ-साथ कार्यवाही नहीं कर सकते। यदि वे दूसरे अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हैं तो उन्हें डी.आर.टी.ए. से पीछे हटना पड़ेगा। इस अधिनियम की धारा 19 में किया गया नवीनतम संशोधन इसके आड़े आता है और इस प्रक्रिया में समय लगता है। आरम्भ से ही डी.आर.टी. ने सूचित किया है कि उनके पास न्यायधीशों और अवसंरचना की कमी है। अत: नवीनतम संशोधन इसके आड़े आता है और सरकार को गैर-निष्पादनकारी आस्तियों तथा ऋणों की वसूली हेतु आई.बी.ए. की सहायता के लिए कुछ करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: यह एक अच्छा प्रश्न है। अब माननीय मंत्री जी बोलेंगे।

श्री पी. चिदंबरम: मेरे विचार से मैंने बहुत सरल भाषा में अपनी बात कही थी। मैं अपनी भाषा को और अधिक सरल बनाने का प्रयास करूंगा और मैं श्री जयपाल रेड्डी गारू से अधिक सरल भाषा सीख रहा हूं।

मेरे विचार से प्रत्येक व्यक्ति को गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के संबंध में की गई प्रगति की प्रशंसा करनी पड़ेगी। मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय सदस्य हमारे बैंकों की प्रशंसा में कुछ शब्द कहें और जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि सकल गैर-निष्पादनकारी आस्तियां वर्ष 2000 के 13.98 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2004 में घटकर 7.8 प्रतिशत रह गई हैं जो कि पूर्ववर्ती स्थिति का लगभग आधा है।

इसी प्रकार, सकल गैर-निष्पादनकारी आस्तियां मार्च 2000 के 7.42 प्रतिशत से घटकर मार्च 2004 में 3 प्रतिशत से भी नीचे आ गई हैं, इसमें लगभग 60 प्रतिशत की कमी आई है। यहां तक कि वास्तविक अंकों में भी बैंकिंग प्रणाली में सकल गैर-निष्पादनकारी आस्तियां, जो कि मार्च 2000 में 26,187 करोड़ रुपये थीं, मार्च 2004 तक घटकर 18,860 करोड़ रुपये रह गई हैं। मेरे विचार से बैंकिंग प्रणाली में ऋणों की वसूली में बेहतर स्थिति को स्वीकार करते हुए हमें कठिनाइयों को भी हल करते रहना चाहिए। हमें उन रुकावटों को दूर करते रहना चाहिए जिनसे वसूली की गति धीमी होती है।

महोदय, आप धारणा यह है कि कुछ क्षेत्र गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के मामले में अधिक जोखिम भरे हैं और कुछ अन्य क्षेत्र

कम जोखिम वाले हैं। खैर, यह समग्र रुप से ठीक हो सकता है। मेरे विचार से रिकार्डों को ठीक रखना आवश्यक है। मार्च 2004 के अंत तक कृषि क्षेत्र में कुल गैर-निष्पादनकारी आस्तियां 8.4 प्रतिशत थीं, मैंने हमेशा यह कहा है कि कृषि क्षेत्र ऋण प्रदान करने की दृष्टि से एक अच्छा क्षेत्र है। यही इन कारणों में से एक है जिसके कारण, जैसे ही इस सरकार ने सत्ता संभाली, इसकी पहली मुख्य नीतिगत घोषणा यह थी कि वह कृषि क्षेत्र में दिए जा रहे ऋण को दोगुना कर देगी। हम अधिक ऋण देंगे क्योंकि मेरे अनुसार किसान सबसे अच्छे ऋण लेने वालों और चुकाने वालों में से एक हैं।

एस.एस.आई. की निवल गैर-निष्पादनकारी आस्तियां इनमें सबसे अधिक हैं जो कि 15.16 प्रतिशत हैं। अन्य व्यक्तियों, जिनमें बड़े ऋण लेने वाले सम्मिलित हैं, का गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों का प्रतिशत 8.17 है। गैर-वरीयता प्राप्त क्षेत्र, जिनमें बड़े ऋण लेने वाले भी सम्मिलित हैं, में गैर-निष्पादनकारी आस्तियां 8.4 प्रतिशत हैं। इसलिए, समग्र रूप से हम तीन अलग-अलग प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यद्यपि, जो लोग बड़े-बड़े ऋण लेते हैं, उनका हिस्सा कम होता लगता है क्योंकि उन्होंने जो राशि ऋण के रूप में ली है वह बड़ी है, उनके ऋण की राशि अधिक होने के कारण उनके नाम पर लिया गया बकाया ऋण भी अधिक है।

इसके बाद किसान आते हैं जो अच्छे ऋण लेने वाले हैं तथापि उन्हें पर्याप्त ऋण नहीं दिया जाता। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को उसी स्तर पर रखते हुए हम उन्हें अधिक ऋण प्रदान करें।

यहां एक तीसरा वर्ग है और वह है लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) का, जो कि मेरी आशंका के अनुसार अधिक चूक करते हैं क्योंकि जिस वातावरण में वे कार्य करते हैं वह बहुत प्रतियोगी है। अत: मुझे नहीं लगता कि इन सभी समस्याओं का कोई एक उत्तर हो सकता है। बड़े ऋणियों और बड़े उद्योगों के लिए अलग हल खोजना होगा; छोटे और मझोले उद्योगों के लिए एक अलग हल चाहिए और किसानों के लिए एक अलग उत्तर देना होगा।

मेरे विचार से आज मेरे सामने जो प्रश्न रखा गया है उसका जोर उन बड़े ऋणियों के बारे में है जिन्होंने बड़ी धनराशि उधार ली है और वह उनके नाम पर बकाया है। मैंने कहा है कि इस क्षेत्र में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का प्रतिशत 8.4-8.5 है और हमें उन समस्याओं का हल खोजना है। हमने प्रतिभूतिकरण अधिनियम में संशोधन किया है। जब यहां उस विधेयक पर चर्चा हुई थी तो मैंने इसे इंगित किया था क्योंकि उस विधेयक को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी और प्रभावी रूप से दस महीनों तक वह उपाय हम लागू नहीं कर सके। अब वह उपाय हमारे पास है। आपने उस संशोधन को पारित करने की उदारता दिखाई थी। उस विधेयक में संशोधन कर दिया गया है। अब अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि अब प्रतिभूतिकरण अधिनियम के कार्यान्वयन की गति तीव्र होगी।

कुछ औद्योगिक घरानों को प्रदान की गई उदार रियायतों और ऋण पुनर्गठन तंत्र के बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए थे और उन पर कुछ टिप्पणियां की गई थीं। यहां मैं ऋण के पुनर्गठन के उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए एक मिनट का समय लूंगा। बैंकिंग एक व्यवसाय है। यह भी किसी अन्य व्यवसाय की भांति ही है। प्रत्येक व्यवसाय में एक चक्र होता है जिसके अनुसार कुछ वर्षों में हानि होती है और कुछ अन्य वर्षों में लाभ होता है।

आशा की जाती है कि लाभदायक वर्ष हानिकारक वर्षों से अधिक होंगे। यहां तक कि एक व्यवसाय में भी, व्यवसाय के एक हिस्से में हानि हो सकती है और दूसरे में लाभ हो सकता है। यह माना जा सकता है—जैसा कि मैं सोच रहा हूं कि कुछ माननीय सदस्य मानकर चल रहे होंगे—कि जितना भी धन ऋण के रूप में दिया गया है उसका प्रत्येक रुपया वसूल किया ही जाना चाहिए तो मुझे आशंका है कि यह एक बहुत सरलीकृत अनुमान है। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि एक व्यवसाय में कुछ ऐसे बाहरी कारक भी हो सकते हैं जिनके कारण हानि होती है। उदाहरण के लिए विगत दो वर्षों में, पिछले वर्ष नहीं अपितु तीन वर्ष पहले, सभी इस्पात कम्पनियां हानि उठा रही थीं। अत: इस्पात उद्योग डूब सा गया। 'टाटा' को घाटा हुआ था; 'एस्सार' को घाटा हुआ था और 'सेल' को घाटा हुआ था, मुझे विश्वास है और मुझे ज्ञात है कि उनमें से कुछ कम्पनियां या बहुत सी कम्पनियां अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर रही थीं। अब, ऐसे मामले में, यदि बैंक सहानुभूतिपूर्ण रुख न अपनाकर इस्पात कम्पनियों के पीछे पड़ जाते कि आपने अपना ऋण नहीं चुकाया है अत: हम आपकी परिसम्पत्तियों की कुर्की कर देंगे तो और हम आपकी परिसम्पत्तियों की बिक्री करने जा रहे हैं तो रोजगार का क्या होता? इस्पात के उत्पादन का क्या होता? अब, क्योंकि बैंकों ने उन अवधि के दौरान इस्पात कम्पनियों का साथ नहीं छोड़ा तो गत वर्ष से सभी इस्पात कम्पनियां अच्छे परिणाम दे रही हैं। वे अच्छा लाभ कमा रही हैं और अब वे लाभांश दे रही हैं। वे करों का भुगतान कर रही हैं। अत: यह मानकर चलना कि ऋण के रूप में दिया गया प्रत्येक रुपया वापस आएगा ही और एक भी रुपये की हानि नहीं होगी तो मैं पूर्ण आदर सहित यह बता दूं कि यह बैंकिंग की एक अच्छी समझ नहीं है जो कि बैंकिंग भी एक व्यवसाय है और बैंकिंग के भी कुछ हिस्से या व्यवसाय के कुछ हिस्से या ऋणों के कुछ भाग एक प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था में डूब जाएंगे।

[श्री पी. चिदम्बरम]

यहां तक कि ऐसा एक गैर-प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था में भी होता है। ऐसा एक प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था में होगा।

इसलिए, सी.डी.आर. नामक एक औपचारिक अभिलेख बनाया गया है जो कि उनके लिए है जो ऋण अदा तो करना चाहते हैं परंतु कर नहीं पाते। सी.डी.आर. एक ऐसा उपकरण है जो उद्योग को संकट के समय उत्पादन जारी रखने, रोजगार बनाए रखने, पुनः लाभ कमाने की स्थिति में आने और एक पुनः निर्धारित समय-सूची के अनुसार अपने ऋणों को चुकाने में सहायता करता है। अब हम सी.डी.आर. के विभिन्न पहलुओं को देख सकते हैं लेकिन सी.डी.आर. की पूर्ण रूप से निंदा करना, मैं माननीय सदस्यों से पूर्ण आदर सहित कहना चाहूंगा कि, यह गलत है। बैंकिंग किसी भी अन्य व्यवसाय की भांति ही एक व्यवसाय है।

मैं प्रश्न विशेष पर आता हूं। प्रश्न विशेष यह था कि प्रतिवर्ष 10,0C0 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाल दिए जाते हैं। अब, मुझे यह नहीं पता कि माननीय सदस्य को वे आंकड़े कहां से मिले हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्तः मैं आपको वह बताने के लिए तैयार हूं।

श्री पी. चिदंबरमः मैं आपको अपने आंकड़े बता देता हूं। जहां तक भारतीय स्टेट बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संबंध है तो वित्त वर्ष 2004 में कुल वसूली की धनराशि 20,704 करोड़ रुपये है जिसमें से—और मैं अभी इसे स्पष्ट करूंगा-समझौते के माध्यम से की गई वसूली और बट्टे खाते में डाली गई राशि 11308 करोड़ रुपये है अर्थात् नकद वसूली 9396 करोड़ रुपये थी। यह पहला पक्ष है जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं। नकद वसूली 9396 करोड़ रुपये है। अब, सम्भवतया माननीय सदस्यों की नजर इस 11308 करोड़ रुपये के आंकड़े पर है और वे कहेंगे कि इसे बट्टे खाते में डाल दिया गया है। यह समझौता और बट्टे खाते में डालना दोनों ही है। मैं स्वीकार करता हूं कि इस बकाया धनराशि का एक भाग बट्टे खाते में डाल दिया गया है। यह सामान्यतया जुर्माने के रुप में लगाया गया व्याज और निधिबद्ध ब्याज होता है, इसके बाद दूसरा भाग आता है जो कि मुख्यतः समझौते का भाग होता है और 'समझौता' शब्द का अर्थ है कि आप उसे पुनः एक अवधि के लिए सूचीबद्ध कर रहे हैं और एक बार जब उद्योग पुनः लाभ अर्जित करने लगेगा तो इस 11,308 करोड़ रुपये की राशि का एक भाग निश्चित रूप से आगामी कुछ वर्षों में वसूल किया जा सकेगा।

श्री गुरुदास दासगुप्तः मैं एकबारगी समझौता के बारे में बात कर रहा हूं।

श्री पी. चिदम्बरमः एकबारगी समझौता में भी एक हिस्से को बट्टे खाते में डाला जाता है और एक हिस्से को पुनः निर्धारित किया जाता है। दोनों को एक साथ एकबारकी समझौता कहा जाता है। अधिकांश एकबारगी समझौता उन छोटे उधारकर्ताओं के लिए होता है जिन्होंने 20 लाख रुपये या 15 लाख रुपये या 18 लाख रुपये ले रखे हैं। जब व्यापार में उनको घाटा हो जाता है और वे व्यापार को आगे जारी नहीं रख पाते हैं तब वे आते हैं और कहते हैं कि हम राशि का 60 प्रतिशत भुगतान करेंगे और इसलिए कृपया इसे बट्टे खाते में डाला जाए। तत्पश्चात् बैंकों को निर्णय लेने का अधिकार मिल जाता है।

अध्यक्ष महोदयः मैंने डब्ल्यू.बी.आई.डी.सी. के अध्यक्ष के रूप में इसे किया है।

श्री पी. चिदम्बरमः यह बिल्कुल सही है। महोदय, आपको याद होगा कि 1996-97 में संयुक्त मोर्चा सरकार ने यह निर्णय करने के लिए कि क्या ओ.टी.एस. किसी मामले में दिया जाना चाहिए। न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का सुझाव दिया था। मैं समझता हूं कि अधिकांश बैंकों ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में ऐसी समिति गठित की थी।

एक या दो मामलों में ऐसा हो सकता है किसी के विचारों में मतभेद हो सकते हैं। कोई यह कह सकता है कि इस मामले में आपको ओ.टी.एस. करना चाहिए था और इस मामले में नहीं करना चाहिए था। लेकिन कृपया यह याद कीजिए कि एक सरकार के रूप में मैं प्रत्येक बैंक निर्णय पर दूसरी बार अनुमान नहीं लगा सकता। यदि किसी भी बैंक प्रबंधन द्वारा या बैंक समिति द्वारा कोई गलत कार्रवाई की जानी है तो कृपया इसे मेरे संज्ञान में लाएं। लेकिन बैंक प्रबंधन तथा बैंक समितियों के फैसले पर हमें अवश्य विश्वास करना पड़ेगा। जिन्होंने बैंक प्रबंधनों को सुझाव दिया हो तथा जिसकी अध्यक्षता अवश्य ही उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने की हो।

महोदय, दूसरा प्रश्न प्रवर्तकों या निर्देशकों या उनकी सम्पत्ति के विरुद्ध की गई कार्रवाई के बारे में है। कई मामलों में प्रवर्तक या निदेशक व्यक्तिगत गारंटी देते हैं। यदि व्यक्तिगत गारंटी दी जाती है तो निश्चित रूप से प्रवर्तकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यदि वे अपनी व्यक्तिगत सम्पति को बंधक रखते हैं, सामान्यतः वह अपने हिस्सों का बंधक रखते है तो उन हिस्सों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। लेकिन कम्पनी का विधिक अस्तित्व होता है। यदि कोई व्यक्तिगत गारंटी नहीं होता है या उनकी व्यक्तिगत सम्पति की कोई प्रतिभूति नहीं दी होती है तो न तो उनकी निजी सम्पति या न हो उनके व्यक्तिगत सम्पति के विरुद्ध

कोई कार्रवाई की जा सकती है। निश्चित रूप से इन मामलों में से अधिकांश में शेयरों के बारे में न तो कोई अलग न होने के संबंध में समझौता है न ही शेयरों को बंधक रखा गया है। जब इस प्रकार की प्रतिभूति उपलब्ध है तो इन प्रतिभूतियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है।

एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या कोई ऐसी धारा है जिसके तहत गोपनीयता का प्रावधान हो। यह धारा भा. रि. बैंक अधिनियम में मौजूद है और यह धारा है धारा 45(ङ)। मैं इस धारा को पढ़ता हूं।

> "ऐसे किसी कथन में, जो बैंककारी कम्पनी द्वारा धारा 45ङ के अधीन दिया गया है, अन्तर्विष्ट अथवा रिजर्व बैंक द्वारा किसी बैंककारी कम्पनी को धारा 45घ के अधीन दी गई प्रत्यय विषयक जानकारी गोपनीय स्वरूप की मानी जाएगी, तथा इस अध्याय के प्रयोजनों के सिवाय न तो प्रकाशित की जाएगी और न अन्यथा प्रकट की जाएगी।"

कई अपवाद भी हैं। यह धारा 1962 के अधिनियम 35 में अध्याय तीन(क) के भाग के रूप में लाई गई थी। यह धारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में थी। अधिकांश केन्द्रीय बैंक के कानूनों में इसी प्रकार की धाराएं हैं। दर्ज मुकदमा की कार्रवाई के मामले में अपवाद है—जिसमें मुकदमा वसूली के लिए दायर किया गया हो। वह सूची प्रकाशित की जाती है और वह सूची वास्तव में उपलब्ध होती है, और जैसा कि मुझे पूरा विश्वास है, यह हर किसी को उपलब्ध है और यह वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

श्री गुरूदास दासगुप्तः यही स्पष्ट मुद्दा है। इस अधिनियम में संशोधन क्यों नहीं हो सकता? यहीं कारण है कि यह पुस्तक प्रकाशित की गई है।

श्री पी. चिदम्बरमः हम इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्तः हम दशकों से इस विषय पर चर्चा करते आ रहे हैं। आप पूर्व में भी वित्त मंत्री रह चुके हैं। सरकार इस मुद्दे से अपना पल्ला झाड़ रही है कि इस विशेष उपबंध में संशोधन होना चाहिए...*(व्यवधान)* जानबूझकर की गई चूकों के मामले में ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): पारदर्शिता होनी चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरमः मेरे विचार से जानबूझकर की गई चूकों के मामले में कोई परेशानी नहीं है। एक बार कार्रवाई किए जाने के बाद उसे बताने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जबतक कार्रवाई नहीं हो जाती है, और मामला जब तक उधारकर्ता और बैंक के बीच चर्चा के दौर न हों, तब तक, मेरा मानना है कि, नाम बताने में विनम्रता और परहेज की काफी गुंजाइस है। इसका कारण है कि इससे किसी कम्पनी बाजार संबंधी अवधारणा प्रभावित हो सकती है। यह कम्पनी के बाजार मूल्यों को प्रभावित कर सकता है, यह शेयर होल्डरों के विश्वास को प्रभावित कर सकता है तथा यह कंपनी की अन्य कई बातों को प्रभावित कर सकता है। एक बार जब कार्यवाही की जाती है, दावा दाखिल किया जाता है उनके नाम प्रकाशित किए जाते हैं। इस सभी समस्याओं से निपटने के लिए वसूली प्रक्रिया को तीव्र किया जाना चाहिए तथा दावा दाखिल किए जाने की प्रक्रिया में तेजी लायी जानी चाहिए। इसी कारणवश 'सारAFेसी' अधिनियम में संशोधन किया गया। हमने अब इस अधिनियम में संशोधन कर दिया है। हर मामले में कार्रवाई की गयी है तथा उनके नाम प्रकाशित किए जाएंगे और वास्तव में उनके नाम प्रकाशित किए जा रहे हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्तः इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार नाम प्रकाशित करना नहीं चाहती।

श्री पी. चिदम्बरमः महोदय, मेरे मित्र अपना ही निष्कर्ष निकाल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः निष्कर्ष प्रश्न नहीं है। आपको इससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरमः मैं यही कहने का प्रयास कर रहा हूं कि 1962 से यह खंड संविदा पुस्तक में है।

महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि एक व्यक्ति एक अधिनियम के अनुसार कार्रवाई कर सकता है तथा वह दूसरे अधिनियम के अनुसार कार्रवाई नहीं कर सकता। मैंने अपने खंड में ऐसा नहीं पढ़ा है। वास्तव में मैंने ऐसा पढ़ा है कि संशोधन के पश्चात यदि यह पाते हैं कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण की प्रक्रिया सुस्त है तो वे सारफेसी अधिनियम के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। मैं अन्तर स्पष्ट करूंगा। बैंक द्वारा ऋण वसूली न्यायाधिकरण जाना एक व्यक्तिगत कार्रवाई है।

सारफेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 75 प्रतिशत उधारदाता सामूहिक रूप से कार्रवाई का निर्णय लेते हैं। यदि कोई बैंक स्वयं कार्रवाई के संबंध में ऋण वसूली न्यायाधिकरण में आवेदन करता है और उसके पश्चात 75 प्रतिशत उधारदाता सामूहिक रूप से कार्रवाई के संबंध में निर्णय लेते हैं ऐसी स्थिति में निसंदेह आप किसी बैंक को अलग से अकेले ही कार्रवाई की अनुमति नहीं दे सकते क्योंकि इससे बैंकों की सामूहिक कार्रवाई प्रभावित होगी। यदि बैंक 75 प्रतिशत उधारदाताओं द्वारा सामूहिक रूप से सारफेसी

[श्री पी. चिदम्बरम]

के संबंध में लिए गए निर्णय का हिस्सा है तो ऐसी स्थिति में निसंदेह वह बैंक जिसने ऋण वसूली न्यायाधिकरण से सम्पर्क किया है उसे अपना आवेदन वापस लेना होगा। अन्यथा इससे बैंकों द्वारा सामूहिक वसूली निसंदेह प्रभावित होगी। परन्तु बैंक यह कह सकता है कि वे उनके साथ शामिल होना नहीं चाहते और यदि 75 प्रतिशत उधारदाताओं द्वारा निर्णय नहीं दिया जाता आप सराफेसी के अनुसार कार्य नहीं कर सकते। यही कारण है कि यदि आप 75 प्रतिशत नियम के अनुसार सराफेसी में आवेदन कर रहे हैं ऐसी स्थिति में उस बैंक को आवेदन वापस लेना होगा।

श्री रूपचन्द पाल: मैं आपका अनुग्रह चाहता हूं। संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो एक सार्वजनिक दस्तावेज है और हमनें भारतीय बैंक संघ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के संबंध में वित्त मंत्री द्वारा कही गयी बात को उद्धृत किया है। भारतीय बैंक संघ ने लिखा है कि इस विशेष परिस्थिति में दोनों कार्रवाई एक साथ नहीं की जा सकती क्योंकि उन्हें ऋण वसूली न्यायाधिकरण से मामला वापस लेना होता है जिसके कारण प्रक्रिया में देरी हो रही है। यद्यपि समय सीमा तय है, यह दृष्टिकोण अपनाया गया है। स्थायी समिति के समक्ष साक्ष्यों को ध्यान में लाया गया है और हमने इसे सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में शामिल कर लिया है।

अध्यक्ष महोदय: उनके द्वारा ऐसा ही कहा गया है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैंने स्पष्ट रूप से विशेष न्यायालय के संबंध में पूछा है? उसके बारे में क्या हुआ?

श्री पी. चिदम्बरम: मैं इसके बारे में बाद में बोलूंगा। महोदय, आप एक प्रख्यात वकील हैं और आप इसकी सराहना करेंगे।

श्री गुरूदास दासगुप्त: अब वे लोक सभा अध्यक्ष हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं जानता हूं। मैंने कहा कि वे इसकी सराहना करेंगे। यदि कोई उधारदाता ऋण वसूली न्यायाधिकरण जाता है तो यह उस उधारदाता का अधिकार है। सराफेसी अधिनियम किसी एक उधारदाता द्वारा कार्रवाई को मान्यता नहीं देता है। यह उसी परिस्थिति में कार्य करता है जब 75 प्रतिशत उधारदाता सामूहिक रूप से यह निर्णय लें कि वे सामूहिक रूप से कार्य करेंगे, सामूहिक रूप से वसूली करेंगे तथा वसूली को सामूहिक रूप से बाटेंगे। अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था तथा 75 प्रतिशत उधारदाताओं द्वारा लिए गए निर्णय सभी उधारदाताओं को स्वीकार है। इसलिए जब 75 प्रतिशत उधारदाता अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए कार्रवाई हेतु निर्णय लेते हैं। एक उधारदाता जब अन्य उधारदाताओं से सम्पर्क किए बिना वहां जाता है उसे कार्रवाई के लिए आवेदन को वापस लेना चाहिए। अन्यथा उधारदाताओं द्वारा वसूली कि स्थिति में उधारदाताओं की सामूहिक सुरक्षा तथा सामूहिक कार्रवाई को संकट में डाल सकती है। इसीलिए हम यह कहते हैं कि यदि आप सामूहिक रूप से निर्णय के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको ऋण वसूली न्यायाधिकरण से अपनी कार्रवाई वापस लेनी होगी। परन्तु यदि आप सामूहिक रूप से निर्णय नहीं चाहते तो आप सामूहिक कार्रवाई में शामिल होने से इन्कार कर सकते हैं यदि आप 75 प्रतिशत बहुसंख्यक उधारदाताओं में शामिल नहीं होते हैं तब ऐसी स्थिति में आप सराफेसी के अंतर्गत कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। निसंदेह एक व्यक्ति की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए इस संबंध में आपको निर्णय लेना है यदि आप सामूहिक कार्रवाई के पक्ष में हैं तब ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत कार्रवाई अलग से नहीं चल सकती है।

श्री रूपचन्द पाल: सरकार के दृष्टिकोण को भारतीय बैंक संघ द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है।

श्री पी. चिदम्बरम: यह मेरा समझना है। मैं भारतीय बैंक संघ को कानून के संबंध में अपनी जानकारी के आधार पर सलाह दूंगा जिससे कि उनकी शंकाओं का निवारण हो सके।

दूसरा प्रश्न निर्वाचन अयोग्यता तथा विशेष न्यायालयों के संबंध में है। मैं निश्चित रूप से इन दोनों सुझावों पर विचार करूंगा। परन्तु निसंदेह मैं संबंधित मंत्रियों से विचार-विमर्श के पश्चात ही विचार कर सकता हूं तथा निसंदेह मैं इन सुझावों पर विचार करूंगा।

जहां तक राजनीतिक संबंधों के आधार पर किसी को बचाने का प्रश्न है पिछले पांच वर्षों में जो हुआ उस संबंध में मैं कुछ नहीं बोल सकता। पिछले दस महीनों से जो कुछ हो रहा है मैं केवल उसी संबंध में बोल सकता हूं। मैंने राजनीतिक संबंधों के आधार पर किसी को नहीं बचाया है। मेरे विचार से प्रत्येक ऋणी तथा प्रत्येक बैंक यह जानता है कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता अथवा किसी और के पास जा भी नहीं सकता है तथा राजनीतिक रिश्तों के आधार पर संरक्षण की मांग कर सकता है। वास्ताव में हमारी यह आलोचना होती है कि हमें किसी के प्रति सहानुभूति नहीं है। हमने ऋण वसूली न्यायाधिकरण तथा सराफेसी के कानूनी पक्षों को स्पष्ट किया है। मेरे विचार से हमें इसे जारी रखना चाहिए।

माननीय सदस्य ने वसूली के संबंध में कटु शब्दों का प्रयोग किया है। मैं सहमत हूं कि वसूली को और बेहतर किया जा सकता है तथा दंड को और अधिक निवारक बनाया जा सकता

है। परन्तु अब हमने सराफेसी अधिनियम में संशोधन कर दिया है जिस कारणवश गैर-निष्पादनकारी अस्तियों में कमी आ रही है। मैं आपको यह आश्वस्त कर दूं कि हम वसूली को और बेहतर तथा दंड को और अधिक निवारक बनाएंगे।

श्री गुरूदास दासगुप्त: क्या आप मेरे दिए गए आकड़ों से सहमत नहीं हैं? मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। मैं कहता हूं कि गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में वृद्धि हो रही है, यह कम नही हो रही है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: गुरूदास दासगुप्त जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कुछ आकड़े दे रहे हैं तथा मंत्री महोदय दूसरे आकड़े दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं उनकी मुख्य बात का विरोध कर रहा हूं। गैर-निष्पादनकारी अस्तियां बढ़ रही हैं घट नहीं रही हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे यहां कैसे हल किया जाए?

श्री पी. चिदम्बरम: *...(व्यवधान)* यदि मेरे द्वारा दिए गए आकड़े गलत हैं तो वे मुझे इस बारे में बता सकते हैं। परन्तु मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो आंकड़े मुझे मिले हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे यहां हल नहीं किया जा सकता। यदि आपको लगता है कि दिये गए आकड़े सही नहीं हैं तो इसे हल करने के लिए विभिन्न विधियां हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: क्या मैं इस पुस्तक को सभा पटल पर रख सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय: मुझे इस पर विचार करना होगा।

श्री पी. चिदम्बरम: आपको कानून की दृष्टि से इस पर विचार करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय: हां। मैं निश्चित रूप से इस पर विचार करूंगा। मैं उनको तुरन्त ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं इस पर विचार करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: अब हम विशेष उल्लेख के मामले लेंगे।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा का ध्यान उस एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आकर्षित करता हूं जिसे भारत के लोग गत कुछ वर्षों से पूछते आ रहे हैं। यह रा.ज.ग. सरकार के कार्यकाल में हुआ था। दुर्भाग्यवश दूसरे पक्ष में बैठे मेरे मित्र आज उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों को ऐसे ही समझा और उन्हें निजी उद्यमियों को बहुत सस्ते में बेच दिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि, यद्यपि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को पहले ही माडर्न फूड, बाल्को, हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स के संबंध में अपनी आरंभिक निरीक्षण रिपोर्ट पर विनिवेश मंत्रालय की टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं तथापि उन्हें अभी तक सभा पटल पर नहीं रखा गया है। इसी प्रकार नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने पारादीय फास्फेट लिमिटेड, आई.टी.सी. होटल्स, होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया, बी.एस.एन.एल., जेसप, आई.बी.पी. लिमिटेड के मामलों में हुई कार्रवाई की जांच आरम्भ कर दी है। लेकिन देश को अभी इसके परिणामों की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय: आपका मुद्दा क्या है?

श्री सुनील खां: मुझे इस पूर्ववर्ती कार्रवाई को राजनैतिक दबाव बनाने के लिए नियंत्रक और महालेखापरीक्षक पर हमला किया जाना कहने के लिए क्षमा किया जाए। मैं नहीं जानता कि क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक अभी भी राजनैतिक दबाव में हैं। मैं इस सभा के माध्यम से सरकार से इस बात की जांच कराने का अनुरोध करूंगा कि इन उपक्रमों की मूल्यवान सम्पत्तियों को निजी उद्यमी किस प्रकार विखंडित कर रहे हैं। मैं यह मांग करता हूं कि इन इकाइयों की महत्वपूर्ण बिक्री के ब्यौरों की जांच किए जाने हेतु एक जांच आयोग गठित किया जाना चाहिए। निजी उद्यमियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि इन इकाईयों के कर्मचारी उन्हीं में बने रहेंगे। लेकिन उन्होंने कर्मचारियों को निकाल फेंका है।

अध्यक्ष महोदय: अधिक समय नहीं बचा है।

श्री सुनील खां: वे पहले ही माडर्न फूड की चार इकाइयों को बंद कर चुके हैं। उन कर्मचारियों का क्या होगा? मंत्री जी को आगे आकर इस पर वक्तव्य देना चाहिए। माननीय वित्त मंत्रीजी यहां उपस्थित हैं।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रुगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे मुद्दे पर प्रकाश डाल रहा हूं जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह असम और नागालैंड के बीच अन्तर-राज्यीय सीमा की समस्या के बारे में है।

[श्री सर्वानन्द सोनोवाल]

हम भारत सरकार और एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के बीच शांति प्रक्रिया का स्वागत करते हैं और गंभीरतापूर्वक यह चाहते हैं कि नागाओं की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान हो। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) ने नागालिम के गठन का प्रस्ताव रखा है जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के बड़े हिस्से सम्मिलित हैं। यह प्रस्ताव ही स्वयं असंतोष और गलतफहमी पैदा करता है। इन राज्यों के लोगों का यह संकल्प है कि वे प्रस्तावित नागालिम के लिए कोई भूमि नहीं देंगे।

मैं भारत सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा कि वह इन राज्यों के उनकी भूमि पर सम्प्रभु अधिकार को ध्यान में रखते हुए शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। इस संबंध में क्षेत्रीय अखंडता को कड़ाई से बनाए रखा जाना चाहिए। एक क्षेत्र में शांति स्थापित करने से दूसरे क्षेत्र में राजनैतिक असंतोष पैदा नहीं होना चाहिए। असम और नागालैंड के बीच सीमा विवाद अभी भी लंबित है। भारत सरकार ने 7 अगस्त, 1971 को असम-नागालैंड सीमा समस्या के संबंध में श्री के.वी.के. सुन्दरम, विधि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष, को गृह मंत्रालय में परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया था।

असम-नागालैंड सीमा पर शांति बनाए रखने और असम-नागालैंड सीमा की स्थिति के बारे में दोनों राज्यों के दावों के संबंध में बिना किन्हीं पूर्वाग्रहों के, परामर्शदाता, श्री के.वी.के. सुन्दरम के सुझावों के अनुसार, इस प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण को लंबित रखते हुए, दोनों राज्यों की सरकारों के बीच चार समझौते हुए परन्तु उनका कोई भी सकारात्मक हल नहीं निकला। केन्द्रीय सुरक्षा बल अक्सर सीमा पर, विशेषकर सेक्टर 'ए', सेक्टर 'बी', सेक्टर 'सी', और सेक्टर 'डी' पर निष्पक्षता बनाए रखने में असफल रहे। भारत सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के बीच लंबित सीमा विवादों को हल करने हेतु तत्काल कदम उठाने चाहिएं।

अंततः, मैं यह कहना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की, समग्र रूप से, एक अलग पहचान है और हमें उस पर गर्व है। हम बातचीत और सद्भावना के माध्यम से बिना एक-दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाए अपनी समस्याओं को हल करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के इस बहुत महत्वपूर्ण पहलू से स्वयं को सम्बद्ध करना चाहूंगा। मैं आपसे और सरकार से इस मामले में विशेष हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप इसके साथ सम्बद्ध हो सकते हैं। इससे सम्बद्ध होते हुए आप इसमें अपनी और बातें नहीं जोड़ सकते।

श्री हन्नान मोल्लाह, आपको अपनी सूचना के दूसरे भाग, जो कि सी.बी.आई. जांच के बारे में है, पर ही बोलना पड़ेगा न कि किसी अन्य भाग पर बोलना है।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलुबेरिया): महोदय, आपको उस घटना के बारे में ज्ञात है।

अध्यक्ष महोदयः मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है।

श्री हन्नान मोल्लाहः महोदय, आप हमारे देश के पश्चिमी भाग के एक राज्य में हुए हत्याकांड से अवगत हैं जिसमें 6000 से अधिक लोग मारे गए और 61,000 लोग अभी भी बेघर हैं। आप जानते हैं कि बहुत से मामले और जांच चल रही हैं। लेकिन मेरा विशेष मुद्दा यह है। हाल ही में पुलिस के एक उच्चाधिकारी ने अपनी अर्ध-शासकीय डायरी, जिसमें 207 पृष्ठ हैं, के माध्यम से सी.ए.टी. के समक्ष एक रहस्योद्घाटन किया है। यह रहस्योद्घाटन गुजरात राज्य के अवर पुलिस महानिदेशक द्वारा किया गया है। यह रहस्योद्घाटन किया गया है कि वह एक ऐसा दस्तावेज है जिसे सरकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित करके उस पर मुहर लगाई गई है और जिसे पुलिस आयुक्त ने प्रतिहस्ताक्षरित किया है। अतः यह एक वैधानिक और सरकारी दस्तावेज है। इसमें यह दर्शाया गया है कि उसे अधिकारी से अनुदेश मिले हैं और उसने उन्हें अपनी डायरी में लिखा है। वहां एक अनुदेश यह था ...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः नहीं। किसी एक चीज का उल्लेख न करें।

श्री हन्नान मोल्लाहः वहां कोई एक चीज नहीं है। वहां एक निदेश है। मैं सी.बी.आई. जांच की मांग करता हूं। वह अनुदेश यह था* ... विशेषकर मेरे गांव से।''

अध्यक्ष महोदयः नहीं। यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आपने उसकी सी.बी.आई. जांच कराने को कहा है।

श्री हन्नान मोल्लाहः इस सारे मामले और नए रहस्योद्घाटनों की सी.बी.आई. द्वारा जांच की जानी चाहिए।

मैं उन अधिकारियों के टेलीफोन टेप किये जाने की जांच कराए जाने की मांग करता हूं, गुजरात आदि में क्या हुआ है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप अपनी बात कह चुके हैं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हन्नान मोल्लाह: मैं इन सभी बातों की सी.बी.आई. जांच कराने की मांग करता हूं ...*(व्यवधान)* गुजरात में जो हुआ उसकी जांच कराई जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैं इससे सम्बद्ध होना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात कह चुके हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इससे सम्बद्ध हैं। केवल नाम ही सम्बद्ध किये जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): मैं भी इससे सम्बद्ध होना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया मेरे साथ सहयोग कीजिए। आपके नाम सम्बद्ध किए जाएंगे। लेकिन आपके मामले, आपने जो सूचनाएं दी हैं वे समुचित नहीं थी। केवल श्री हन्नान मोल्लाह ने, उसके संबंध में, एक एजेंसी से जांच कराए जाने की मांग की है जो कि दिल्ली में स्थित है और केन्द्र सरकार के अधीन है।

श्री बसुदेव आचार्य: मैंने भी एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय: यह उसके बारे में नहीं है। मैंने उसे ध्यानपूर्वक देखा है। इसलिए, अब आप उसके साथ सम्बद्ध हो सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वही विषय आपको मनचाही बात कहने की अनुमति नहीं देता।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): सूचना कैसे दी जाएगी यह सीखने के लिए हम आपके पास आएंगे। तब हम उसे तैयार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: तब आप मेरे पास आएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: नहीं। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। इस अवसर का दुरुपयोग न करें।

अब, श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मुझे खेद है।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री मिस्त्री, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत अनुचित है। श्री मिस्त्री आप अध्यक्षपीठ पर आरोप लगा रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा (मिर्जापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्लीज बैठिए। किसी की बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)*

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा: अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठा रहा हूं। देश में राष्ट्रीय महत्व के अनेक मंदिरों और राष्ट्रीय स्मारकों की हालत बहुत खराब है। भारत सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

महोदय, भगवान गौतम बुद्ध का मंदिर बिहार की धरती पर है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध का मंदिर बोध गया एवं नालन्दा में है। केसरिया नामक स्थान जो मोतीहारी जनपद में पड़ता है,

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा]

वहां भगवान गौतम बुद्ध का विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप था, जिसकी लंबाई 170 फीट थी। वह 1834 के भूकम्प में गिर गया। पटना के पुरातत्व विभाग द्वारा उसकी खुदाई की कार्रवाई चल रही है, लेकिन भारत सरकार द्वारा उसके पुनरुद्धार एवं जीर्णोद्धार के लिए अभी तक कोई भी कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

मैं कहना चाहता हूं कि मानव मात्र जीवन के लिए जो मार्ग है, उस पर हिन्दुस्तान के लोग क्यों नहीं विचार करते हैं, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया के 44 देश के लोगों का समर्थन एक साथ प्राप्त हो सकता है। ऐसी दिशा में हमारे हिन्दुस्तान की वर्तमान सरकार पुरातत्व विभाग को सजेस्ट करे कि देश में जितने भी बौद्ध मंदिर हैं, उन पर जो अतिक्रमण किया गया है, उनके जो क्षेत्र हैं, उनके अंदर मस्जिद और मंदिर बना करके जो अतिक्रमण किया गया है, उसे हटाया जाए और बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया जाए तथा उसके विकास के लिए कोई कारगर कदम उठाया जाए।

डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य (शिमला): अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सभा का ध्यान समान रैंक समान पेंशन जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो इस सरकार के समक्ष काफी समय से लंबित है। इसमें मुख्य बात यह है कि जो व्यक्ति अप्रैल 1979 से पहले सेवानिवृत्त हो गये और जो अब सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनकी पेंशन में काफी असमानता है और इसके कारण हमारे उन भूतपूर्व सैनिकों में काफी रोष है जिन्होंने मातृभूमि के लिए की सेवा में अपनी जवानी कुर्बान कर दी। एक के बाद एक सरकारें आयीं और उन्होंने इस बारे में वायदे भी किये लेकिन इसका परिणाम कुछ नहीं निकला। अब, भूतपूर्व सैनिकों ने इस मुद्दे को बड़े जोर-जोर से उठाया है। इनका कहना है कि सेवानिवृत्ति की तारीख को महत्व दिये बिना रक्षा बल के पेंशनभोगियों की समान सेवावधि मानी जानी चाहिए और जब कभी पेंशन में संशोधन हो तो यह अपने आप वर्तमान पेंशन में भूतलक्षी प्रभाव से प्रयोज्य हो जानी चाहिए।

इसी तरह, सभी तरह की पेंशन, चाहे पारिवारिक पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, जब कभी इसमें बढ़ोत्तरी हो, इसे अपने आप उसी तरह लागू कर दिया जाना चाहिए जिस तरह इसे उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा माननीय संसद सदस्यों के मामले में लागू किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग तथा अल्पसंख्यक आयोग की तर्ज पर इस प्रयोजनार्थ एक सांविधिक आयोग होना चाहिए जो प्रत्येक वर्ष इससे संबंधित रिपोर्ट को संसद में पेश करे। स्वयं एक सेवानिवृत्त रक्षाकर्मी होने के नाते मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से जो यहां उपस्थित हैं, रक्षा मंत्री जी से और केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस पहलू की ओर कृपया विशेष रूप से ध्यान दें। यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमने इस दिशा में कार्य किया है। मैं समझता हूं कि इसमें केवल 300 करोड़ रुपये की राशि बैठती है जो उन्हें दी जानी है। इससे हमारे रक्षाकर्मियों का आत्मबल बढ़ेगा। जो लोग रक्षा बलों में भर्ती होने से बच रहे हैं वे काफी उत्साह के साथ रक्षा बलों में भर्ती होंगे और यह हमारे देश के हित में होगा।

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा उठाना चाहता हूं। हमारे देश में यहां तक कि स्वतंत्रता के 58 वर्षों बाद भी शिशु मृत्यु दर बहुत ऊंची है। मरने वाले शिशुओं में नवजात शिशुओं की संख्या बहुत अधिक है। जन्म के बाद एक महीने तक ये नवजात शिशु चिकित्सीय और शल्य समस्याओं के कारण संक्रमण के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं और उन्हें तुरन्त आपात तथा विशिष्ट देखरेख की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे देश में ऐसे बहुत कम अस्पताल हैं जो इन नवजात शिशुओं की देखरेख के लिए आवश्यक सुविधाओं से सज्जित हैं। इसलिए, मेरा सरकार से अनुरोध है अब यह समय आ गया है जब नवजात शिशुओं की देखरेख के लिए जिला स्तर पर कम से कम न्यूनतम वैज्ञानिक बुनियादी ढांचा स्थापित किया जाये। इसके अलावा हमारे इतने बड़े देश में विशेष प्रशिक्षण, शिक्षण और अनुसंधान के लिए आगे और विलम्ब किये बिना सभी क्षेत्रों में तुरन्त नव-प्रसूति संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए धन्यवाद।

मान्यवर, वैसे पूरी दुनिया में और खास तौर से हमारे देश में आने वाले दिनों में अगर थर्ड वर्ल्ड वार होगी तो पानी को लेकर होगी। भारत में स्थिति बड़ी विस्फोटक है। जल-स्तर लगातार नीचे चला जा रहा है, जिससे कि आज बड़ी गम्भीर समस्या पूरे देश में पैदा हो गई है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः सभा में इस पर चर्चा हो चुकी है। आप केवल इसका उल्लेख भर करें।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: मैं उसकी थोड़ी सी डिटेल तो बता दूं। आज देश के 23 प्रदेशों और यूनियन टैरीटरीज में 362-363 जिले ऐसे हैं, जिनमें जल-स्तर नीचे चला गया है और आज इतनी गम्भीर समस्या हो गई है कि अकेले उत्तर प्रदेश में 40 जिलों में पानी का संकट गम्भीर हो गया है। खास तौर से इलाहाबाद में यमुना पार के मेजा, खरछना, बारा और कोरांव तहसीलों में 150 गांव ऐसे हैं कि अगर जल्दी कोई व्यवस्था नहीं की गई तो पानी के अभाव में जानवर और आदमी मर जाएंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर सभा में पूर्णकालिक चर्चा हो चुकी है।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। सरकार ने 1995 से लेकर 2004 तक एक सर्वे करवाया था, उसकी जो रिपोर्ट सरकार के पास आई है, उसमें 20 सेंटीमीटर जल-स्तर हर साल कम होता जा रहा है, यह बहुत गम्भीर समस्या है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार इस पर तत्काल कार्रवाई करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रघुराज सिंह शाक्य अपने को इससे संबद्ध कर सकते हैं। वह यहां उपस्थित नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री फुरकान अंसारी (गोड्डा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हमारी फौज पर तथा बी.एस.एफ. के जवानों पर बिना किसी वजह के बंगलादेश राइफल्स द्वारा की गई गोलीबारी की ओर दिलाना चाहता हूं। बंगलादेश राइफल्स जब भी चाहे, भारत की फोर्स पर गोलीबारी कर देती है। हमारे जवान तथा अधिकारी, जो कि बहुत ही बहादुर हैं, अुशासन के कारण कोई भी कार्रवाई जवाब के तौर पर नहीं कर सकते। वे केवल बड़े अधिकारियों के आर्डर का ही इन्तजार करते हैं। हमारी फौज तथा बी.एस.एफ. के जवान किसी से कम नहीं हैं। सरकार को बंगलादेश से इस बारे में बात करनी चाहिए और उसे गम्भीर परिणामों की चेतावनी देनी चाहिए, केवल प्रोटैस्ट नोट ही नहीं भेजना चाहिए। पहले भी बंगलादेश राइफल्स की गोलीबारी से भारतीय जवान काफी संख्या में हताहत हो चुके हैं, मगर भारत की फौजों ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। मैं चाहता हूं कि भारतीय फौजों को फ्री हैंड दे देना चाहिए, ताकि आगे से कोई उन पर बिना किसी वजह कोई गोलीबारी न कर सके।

बराबर इस तरह की घटनाएं बोर्डर पर हो रही हैं और जब भी सरकार का जवाब आता है तो कहते हैं कि मैंने एक प्रोटैस्ट नोट भेजा है। इस नोट से यह गोलीबारी रुकने वाली नहीं है, इसलिए यह प्रोटैस्ट नोट नहीं, जवानों को फ्री हैंड देना चाहिए, वे सीमा पर अपना फैसला कर लेंगे। मैं यही आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री राहत कोष से उन निर्धनों की सहायता की जाती है जो कैंसर, हृदय रोग जैसी विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं। आमतौर से ऐसे मरीजों के लिए 30 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की जाती हैं जो विभिन्न अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। इसी तरह इलाज करा रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोगियों के लिए अम्बेडकर फाउंडेशन की ओर से भी सहायता दी जाती है। लेकिन यह अजीब बात है कि इस प्रयोजनार्थ अभी तक केवल दस अस्पतालों को सम्मिलित किया गया है। ये अस्पताल हैं: 1. एम्स (अ.भा.आ.सं.), नई दिल्ली, 2. संजय गांधी अस्पताल, उ.प्र., 3. पटना मेडिकल हॉस्पिटल, पटना, 4. जबलपुर हॉस्पिटल, जबलपुर, 5. बी. बरुआ कैंसर इंस्टिट्यूट गुवाहाटी, 6 बिड़ला हार्ट फाउंडेशन, 7. कलिंग हास्पिटल, भुवनेश्वर, 8. टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टिट्यूट, मुंबई, 9. इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साइंस, हैदराबाद, तथा 10. वन हेल्थ सर्विसेस, चेन्नई।

महोदय, इस सूची में बंगलौर से एक भी अस्पताल को शामिल नहीं किया गया है। जैसाकि इस माननीय सभा को पता है कि बंगलौर में कई ऐसे अच्छे अस्पताल हैं जो विदेश से आये मरीजों का भी इलाज करते हैं। इनमें से कुछ अस्पतालों के नाम हैं: 1. निमहान्स, 2. किदवई कैंसर इंस्टिट्यूट, 3. नारायण हृदयालय, 4. मणिपाल हास्पिटल, 5. मल्लाया हास्पिटल, 6. विक्टोरिया हॉस्पिटल, तथा 7. बौरिंग अस्पताल।

महोदय, इसलिए मैं आपके माध्य से माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह अस्पतालों की इस सूची में कम से कम बंगलौर के दो अस्पतालों को शामिल करने की मेरी सच्ची मांग पर विचार करें और इन अस्पतालों में भर्ती होने वाले अनुसूचति जाति/अनुसूचित जनजाति के मरीजों को अंबेडकर फाउंडेशन से भी वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस अनुरोध पर सकारात्मक ढंग से विचार

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एम. शिवन्ना]

होगा और बंगलौर में इलाज कराने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी मरीजों के वित्तीय सहायता दी जायेगी।

महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, कल के घटनाक्रम में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री को कम से कम नेपाल की छह दूसरी मशहूर राजनीतिक हस्तियों के साथ पुन: गिरफ्तार कर लिया गया। वहां लोकतंत्र की बहाली के बजाय, जैसाकि राजा ज्ञानेन्द्र ने जकार्ता के समतुल्य आश्वासन दिया था, और भारत के प्रधानमंत्री ने इसका उल्लेख भी किया था, ऐसा लगता है कि नेपाल में ठीक इसके उलट काम हो रहा है। हम भारतवासी विशेषकर यह सभा इस तरह के घटनाक्रम को मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती। हम सभी लोग अपनी ओर से मांग करते रहे हैं कि नेपाल को हथियार आपूर्ति की बहाली नहीं की जानी चाहिए। लेकिन, हमें आश्वासन दिया गया था कि जकार्ता में हुए विचार-विमर्श के बाद राजा ज्ञानेन्द्र ने यह आश्वासन दिया था कि वह लोकतंत्र की बहाली की दिशा में कार्य कर रहे हैं। लेकिन कल की घटनाओं से इस तरह के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि वहां स्थिति उत्तरोत्तर खराब होती जा रही है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस सभा को वहां के अद्यतन घटनाक्रम से और वहां हो रही घटनाओं तथा कल की घटना की पृष्ठभूमि में हथियारों की आपूर्ति बहाल करने के बारे में सरकार अपने द्वारा उठाये कदमों से अवगत कराये।

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्ण स्वयं को संबद्ध कर सकते हैं। आपने इस हफ्ते दो मामलों की सूचना दी है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): नहीं, इसमें मुझे एक मामला और जोड़ना है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप स्वयं को संबद्ध कर ऐसा कर सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: सैन्य सहायता का प्रस्ताव ऐसे समय में दिया गया जब जकार्ता में एफ्रो-एशियन सम्मेलन चल रहा था। अब, प्रश्न यह है कि नेपाल के पूर्व प्रधान मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया और *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप जानते हैं कि पूर्व वक्ता ने इसका उल्लेख कर चुके हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मेरा प्रश्न यह है कि भारत सरकार नेपाल में माओवादी विध्वंसक गतिविधियों का सामना करने के लिए उन्हें हथियारों की आपूर्ति कर रही है, लेकिन इस समस्या का समाधान सैन्य सहायता के आधार पर नहीं हो सकता। इसका राजनीतिक समाधान निकाला जाना चाहिए। इसलिए जब तक न *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्ण, आपका धन्यवाद। श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी। कृपया एक मिनट में अपनी बात कहें।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: इसलिए जब तक यह सरकार अपना कोई रुख तय नहीं करती, यह सब ऐसे ही होता रहेगा। इसलिए मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि यह देखे कि वहां स्थिति सामान्य हो और नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हो और एक निर्वाचित सरकार सत्ता संभाले। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। केवल श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी का भाषण ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाये। कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

...(व्यवधान) *

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित विषय पर इस सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। वित्त मंत्रालय (आर्थिक प्रभाग) ने निजी उद्यमियों से दस रुपये मूल्य के सिक्के बनाने के लिए द्विधात्विक सिक्कों की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। निविदा जमा करने की अंतिम तारीख 29 अप्रैल है। यह एक हतप्रभ करने वाली और अत्यधिक आपत्तिजनक बात है क्योंकि इससे हमारे देश की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

महोदय, राजग के कुछ लोगों पर निजीकरण का भूत सवार था। अब दुर्भाग्य से मौजूदा सरकार भी निजीकरण की उसी नीति पर कार्य कर रहा है। पूर्व में, हमने यह देखा है। यहां तक कि आज सुबह भी, प्रश्न काल के दौरान हमने विमानपत्तनों और बैंकों के निजीकरण की खबरें सुनी हैं। लेकिन अब टकसाल का भी निजीकरण हो रहा है। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद सिक्योरिटी प्रेस का भी निजीकरण कर दिया जाये। हमारे देश में चार टकसालें बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की हैं और आधुनिकीकृत हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री विकास चौधरी, अपने आपको संबद्ध कर सकते हैं। इस मामले का उल्लेख किया जा चुका है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सुवरवरम सुधाकर रेड्डी: हमारे पास आवश्यकतानुरूप सिक्कों को ढालने की क्षमता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह टकसाल, सिक्कों के विनिर्माण के क्षेत्र में निजी उद्यमियों के प्रवेश को रोकना चाहिए और अपने टकसालों को भरपूर अवसर उपलब्ध कराना चाहिए।

हमारी टकसालों में काम नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रेस के सामने कहा है कि सिक्कों की मांग ही नहीं है। यदि ऐसा है तो ये निविदाएं क्यों आमंत्रित की जा रही हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। श्री विकास चौधरी आप स्वयं को संबद्ध करें।

[हिन्दी]

श्री विकास चौधरी (आसनसोल): अध्यक्ष महोदय, कोल इंडिया के साढ़े छः लाख मजदूर आज लड़ाई के कगार पर आ गए हैं क्योंकि उनका पहला वाला वेज बोर्ड जून, 2001 को समाप्त हो गया, लेकिन अगले वेज बोर्ड के लिए अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं हुआ है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री विकास चौधरी: मैं कहना चाहता हूं कि कोल इंडिया हमेशा विलंब की नीति अपनाता है, जिसके चलते कोयला खदान के मजदूरों में काफी असंतोष है। इस पर भी कोल इंडिया के मजदूरों के जो कुछ अधिकार हैं, उनको भी वे करटेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मजदूर लगातार हड़ताल पर जा रहे हैं। यदि ऐसा ही होता रहा, तो उसके लिए कोल मंत्रालय जिम्मेदार होगा। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि उनके वेज बोर्ड का एग्रीमेंट जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो वे लड़ाई के कगार पर आ जाएंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.16 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.08 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.08 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए***]**

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 11 लेंगे—नियम 377 के अधीन मामले।

[हिन्दी]

(एक) गंगा कार्य योजना के त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन और उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट गंगा नदी के प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता

डा. राजेश मिश्रा (वाराणसी): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में मेरा संसदीय क्षेत्र वाराणसी एक पवित्र धार्मिक शहर है। गंगा तट पर होने से इसका महत्व और भी अधिक है। लेकिन वाराणसी में गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी जी ने गंगा एक्शन प्लान का वाराणसी में उद्घाटन किया था। जब तक वे प्रधानमंत्री रहे, तब तक यह योजना क्रियान्वित होती रही लेकिन उनके प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद से अब तक यह योजना अधूरी पड़ी है।

मेरी भारत सरकार से मांग है कि गंगा एक्शन प्लान को तीव्र गति से क्रियान्वित किया जाए ताकि गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त किया जा सके और वाराणसी जैसे धार्मिक शहर में आने वाले तीर्थ यात्रियों को गंगा नदी का पवित्र जल उपलब्ध हो सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री जे.एम. आरून रशीद—उपस्थित नहीं।

(दो) हिमाचल प्रदेश के शिमला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ऊंचाई वाले दूरस्थ क्षेत्रों में हाई पावर टी वी ट्रांसमीटर लगाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य (शिमला): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान हिमाचल प्रदेश में शिमला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के दूर-दराज के क्षेत्रों की दूरदर्शन सुविधाओं से संबंधित समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, इस क्षेत्र की भौगोलिक व प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण आम जीवन कठिन है। दूसरी ओर इस क्षेत्र के कर्मठ, भोले-भाले, कृषि व फल उत्पादन से जुड़े किसान वर्ग को आधुनिक कृषि के कार्यक्रमों का दूरदर्शन द्वारा लाभान्वित न हो पाना, अपने आप में एक विसंगति है और एक प्रकार की विकट समस्या बन गई है।

महोदय, शिमला दूरदर्शन केन्द्र से जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है, उसका अवलोकन भी संतोषजनक नहीं है। इन सारी समस्याओं का समाधान तभी संभव होगा यदि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और दूरदर्शन की व्यवस्था को सक्षम बनाने हेतु आधुनिक प्रणाली के शक्तिशाली ट्रांसमीटर डिश एंटीना व 'टावर' लगाए जाएं ताकि इन दुर्गम क्षेत्रों में दूरदर्शन का अवलोकन हो सके। आपके माध्यम से मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करूंगा कि शिमला क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाके जैसे खड़ा पत्थर, सोलन के बाड़ी धार व सिरमौर में चूड़धार जैसे क्षेत्रों पर शक्तिशाली ट्रांसमीटर व डिश एंटीना शीघ्रातिशीघ्र लगा दिये जाएं।

(तीन) चंडीगढ़ में विधिवत पंजीकृत सेल डीड्स के अंतर्गत जिन लोगों ने विभिन्न गांवों की राजस्व संपदा में अपने मकानों का निर्माण किया है, उनके मकानों को ढहाए जाने के पहले उन्हें पुनर्वासित किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विगत कई वर्षों से केन्द्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में निम्न मध्यम वर्ग के लोगों ने विक्रय विलेख के अंतर्गत उचित ढंग से रजिस्ट्री कराकर वहां के विभिन्न गांवों की राजस्व संपदाओं में कुछ छोटी-छोटी जमीनें खरीदी हैं और उन पर अपने मकान बनाये हैं जिनमें उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई लगा दी है। ये मकान अनधिकृत कब्जा करके नहीं बनाये गये हैं। जमीनों की खरीद-फरोख्त की बाकायदा रजिस्ट्री के बाद अब प्रशासन वहां किये गये निर्माणों को ढहाने का मन बना रहा है। इस तरह की कार्रवाई से बेचारे गरीब लोग बेघर हो जायेंगे, जो कि इस सरकार की नीतियों के खिलाफ है।

यदि वहां किसी सुनियोजित विकास के लिए जमीन की आवश्यकता है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन्हें उनके वर्तमान आवासों से हटाने के पहले अच्छी गुणवत्ता वाले मकानों के निर्माण हेतु योजना बनायी जानी चाहिए।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह अपनी शहरी पुनर्नवीनीकरण योजना के अंतर्गत इस कार्य को अपने हाथ में ले ताकि लोगों को विगत में रजिस्ट्री अधिकारियों की गलती के कारण नुकसान न उठाना पड़े। जब तक वहां नये आवासों/फ्लैटों/प्लाटों का आवंटन नहीं हो जाता वहां निर्माणों को गिराने की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

(चार) तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और तुतुकुडी जिलों में बीड़ी कामगारों की कल्याण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्री धनुषकोडी आर. अतिथन (तिरुनेलवेली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली तथा तुतुकुडी जिलों में लाखों बीड़ी श्रमिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। यद्यपि, श्रम मंत्रालय बीड़ी श्रमिकों के लिए छात्रवृत्ति, मुफ्त इलाज, आवास योजना जैसी विभिन्न लाभकारी योजनाएं चलाने का इच्छुक है, फिर भी इनके कार्यान्वयन में कई बाधाएं हैं। पूर्व में बीड़ी श्रमिकों के स्कूल जाने वाले सभी बच्चों को नियमित रूप से और समय पर छात्रवृत्तियां दी गयी हैं। लेकिन वर्ष 2003 और 2004 में दक्षिण जिला के विद्यार्थियों को कोई छात्रवृत्ति नहीं दी गयी जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई। वर्ष 2004-05 के शैक्षणिक सत्र में भी छात्रवृत्ति आंशिक रूप से ही वितरित की गई। मुझे सूचित किया गया है कि मंत्रालय ने कुल 11.5 करोड़ रुपये की अनुमान राशि में से 7 करोड़ रुपये की धनराशि ही आवंटित की है। चूंकि बीड़ी श्रमिक विपन्न आर्थिक स्थिति में रहते हैं, मेरा श्रम मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस शैक्षणिक वर्ष के लिए 4.5 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2003-2004 के लिए 7 करोड़ रुपये मंजूर करें ताकि इन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की राशि प्रदान की जा सके।

बीड़ी श्रमिकों के लिए जो वर्तमान आवास योजना बनायी गयी हैं उसके कार्यान्वयन में भी देरी हो रही है। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित जिला निगरानी और सतर्कता समिति जो उस जिला के किसी वरिष्ठ सांसद के नेतृत्व में कार्य करती हैं, को आवासों की स्वीकृति देने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए और मंत्रालय इस मद के लिए राशि सीधे लाभार्थियों को दे जिससे इस योजना के कार्यान्वयन में तेजी लायी जा सके। कुछ स्थानों पर बीड़ी श्रमिकों को योजना में यथानिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वांछित भूमि नहीं दी जा रही है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि मंत्रालय बीड़ी श्रमिकों के लिए बहुमंजिला इमारतें बनवाये और उनमें पार्क, खेल का मैदान, लाइब्रेरी इत्यादि जैसी सुविधाएं प्रदान करे तथा राशि में 40 हजार से 60 हजार रुपये तक की वृद्धि की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पंकज चौधरी—अनुपस्थित

श्री किशन सिंह संगवान—अनुपस्थित

श्री सुरेश चन्देल—अनुपस्थित

श्री कैलाश मेघवाल—अनुपस्थित

श्री रघुवीर सिंह कौशल—अनुपस्थित

श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी—अनुपस्थित

श्रीमती पी. सतीदेवी

(पांच) केरल में क्षेत्र प्रचार निदेशालय की कालीकट इकाई को समाप्त करने के प्रस्ताव को रोके जाने की आवश्यकता

श्रीमती पी. सतीदेवी (बड़ागरा): महोदय, विश्वस्त सूत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार के कालीकट स्थित क्षेत्र प्रचार निदेशालय को समाप्त करने के प्रयास हो रहे हैं।

कालीकट जिले के पिछड़ेपन को देखते हुए क्षेत्र प्रचार निदेशालय और इसकी वर्तमान गतिविधियों को जारी रखना जरूरी है क्योंकि यह जिला अब भी केरल राज्य में साक्षरता और स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी पिछड़ा है। यहां पर यह महप्वपूर्ण है कि कालीकट स्थित क्षेत्र प्रचार निदेशालय एकमात्र ऐसा केन्द्र है जो कालीकट और वायानाड जिलों सहित यहां उस जनजातीय क्षेत्र में स्थित है जहां शिक्षा और स्वास्थय संबंधी कार्यक्रमों का बहुत अधिक आवश्यकता है। यहां हाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा और उसके परिणामस्वरूप इस जिला में फैले सांप्रदायिक तनाव के कारण भी क्षेत्र प्रचार निदेशालय की आवश्यकता रेखांकित होती है। क्षेत्र प्रचार निदेशालय के माध्यम से सघन जनजागरूकता कार्यक्रम चलाकर इन समस्याओं का निदान किया जा सकता है। इस जिला में एड्स ग्रस्त रोगियों की संख्या भी सबसे अधिक है और इस बीमारी को लेकर एक तरह के जिस सामाजिक कलंक की बात की जाती है उसको दूर करने के लिए भी क्षेत्र प्रचार निदेशालय की भूमिका आवश्यक दीख पड़ती है।

उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि कालीकट स्थित क्षेत्र प्रचार निदेशालय को समाप्त करने के प्रयासों पर अविलम्ब रोक लगानी चाहिए। साथ ही इस क्षेत्र प्रचार निदेशालय को सुदृढ़ करने हेतु केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में यथाशीघ्र सभी आवश्यक उपाय किये जाने चाहिए।

(छह) उत्तरांचल के हरिद्वार में सिंचाई अनुसंधान संस्थान को केन्द्र सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार (हरिद्वार): मेरे संसदीय क्षेत्र हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सिंचाई अनुसंधान संस्थान है, जिसका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1954 से (उत्तरांचल गठन से पूर्व) सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है। परन्तु उत्तरांचल शासन द्वारा इस संस्थान का स्वरूप बदलकर स्वायत्तशासी संस्था बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

महोदय, सिंचाई अनुसंधान संस्थान तथा इसके साथ फील्ड रिसर्च स्टेशन, बहाराबाद में कार्यरत विभिन्न संवर्गों के लगभग 500 कर्मचारी इस संस्थान को स्वायत्तशासी संस्थान बनाए जाने के विरोध में लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जो उनकी मांग जनहित में सही है। जबकि हरिद्वार जनपद को उत्तर प्रदेश राज्य में लाए जाने हेतु याचिका न्यायालय में विचाराधीन है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस संस्थान को स्वायत्तशासी संस्थान बनाकर इसका स्वरूप किसी भी दशा में न बदला जाए, अपितु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इस संस्थान को केन्द्र सरकार अपने नियंत्रण में लेने संबंधी संस्तुति करे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राजेश कुमार मांझी—अनुपस्थित

श्री लालमुनि प्रसाद—अनुपस्थित

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल—अनुपस्थित

श्री सुग्रीव सिंह—अनुपस्थित

श्री श्रीनिवास पाटील—अनुपस्थित

श्री रामदास बंडु आठवले—अनुपस्थित

अपराह्न 2.19 बजे

वित्त विधेयक, 2005

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा आज की पुनरीक्षित कार्यसूची की मद संख्या 12 पर विचार करेगी।

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी 20 अप्रैल, 2005 की बैठक में यह निश्चय किया कि वित्त विधेयक, 2005 पर तीन दिनों अर्थात्

[उपाध्यक्ष महोदय]

28 अप्रैल, 2005, 29 अप्रैल, 2005 तथा 2 मई, 2005 को चर्चा की जायेगी। इन तीन दिनों में वित्त विधेयक पर चर्चा हेतु कुल 9 घंटे 30 मिनट का समय मिल सकेगा। यदि सभा सहमति व्यक्त करती है तो हम सामान्य चर्चा के लिए 8 घंटे का समय, खंडवार विचार के लिए एक घंटे का समय तथा विधेयक के तृतीय वाचन के लिए आधे घंटे का समय आवंटित कर सकते हैं।

अब मैं, माननीय मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम से अनुरोध करूंगा कि वह विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाएगा"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

'कि वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।'

श्री संदीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। तथापि, महोदय, वित्त विधेयक पर बोलने के पहले मैं सभा के समक्ष अपने उस गहन दुःख को व्यक्त करना चाहता हूं जो इस अत्यधिक महत्वपूर्ण वाद-विवाद पर विपक्ष के बहिष्कार को देखकर पैदा हुआ है। लोकतंत्र में विपक्ष को विभिन्न मुद्दों पर अपना असंतोष व्यक्त करने का पूरा अधिकार होता है लेकिन जिस तरह से विपक्ष इतनी महत्वपूर्ण चर्चा का कम से कम इस सम्माननीय सभी में यदि मेरे जैसे नये सांसद के नजरिये से कहा जाये, बहिष्कार कर रहे हैं तो वह अत्यधिक दुःख की बात है।

अब मैं वित्त विधेयक पर अपनी टिप्पणी करता हूं। सबसे पहले तो मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया, विशेषकर बजट में उनके द्वारा जिन कर प्रावधानों का प्रस्ताव किया गया है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। इस वित्त विधेयक की विशेष तौर पर इसलिए सराहना की जानी चाहिए कि यह एक व्यापक दृष्टि वाला और साहसिक बजट है और यह दर्शाता है कि वित्त मंत्री जी का अर्थ व्यवस्था के बारे में क्या आकलन है। इससे यह बात भी स्पष्ट होती है कि विभिन्न करों में भारी बढ़ोत्तरी करके इस वर्ष कितने राजस्व संग्रह का अनुमान है। वास्तव में वित्त मंत्री जी ने इस बजट में अर्थव्यवस्था के बारे में एक बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाया है।

अब मैं कुछ ऐसी महत्पूर्ण बातों पर आता हूं। जिनका सभी को स्वागत करना चाहिए। इस वर्ष जो कुल अनुमानित कर राजस्व प्राप्त होगा वह गत वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है, और वित्त मंत्री इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। गत वर्ष के 3,06,000 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष राजस्व संग्रह 3,70,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह वास्तव में बहुत ही साहसिक कदम है और मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री के प्रयासों से और हम सबके प्रयासों से हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। वित्त मंत्री जी ने एक और महत्वपूर्ण वृद्धि राज्यों को दी जाने वाली धनराशि में की है। इसमें लगभग 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो गत वर्ष के, 83,000 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़ाकर इस वर्ष 2,54,000 करोड़ रुपए कर दी गयी है। इसमें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत कुछ प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा अप्रत्याशित वृद्धि का लाभ अधिकतर उन राज्यो को मिलेगा जो वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहे हैं। केन्द्र सरकार राज्यों को जो व्यापक वित्तीय साहयता देना चाहती है उससे राज्य सरकारों के सामने पिछले वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण आ रही समस्याओं में से काफी समस्याएं हल हो सकेंगी। मैं वित्त मंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूं।

प्रत्यक्ष करों के संबंध में वित्त मंत्री जी द्वारा श्रेणीवार दरों में वृद्धि का व्यापक स्वागत हुआ है। श्रेणीवार दरों में वृद्धि की मांग काफी समय से की जा रही थी, मैं समझता हूं कि बहुत से वित्त मंत्रियों ने इससे परहेज किया परन्तु संसद सदस्यों और करदाताओं के दबाव के कारण वित्त मंत्री जी ने श्रेणीवार दरों में वृद्धि करने का निर्णय लिया और मैं इसका स्वागत करता हूं। कुछ अन्य दी जा रही रियायतों को समाप्त करने का भी स्वागत योग्य कदम उठाया गया। श्रेणीवार दरों में वृद्धि के बाद इन रियायतों को समाप्त करने से बहुत फर्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी का यह आकलन कि इस वर्ष आयकर वसूली में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि होगी शायद इस तथ्य पर आधारित है कि कुछ कर नियमों का सरलीकरण किया जाएगा। उन्होंने और उनके मंत्रालय ने कर आधार के विस्तार पर ध्यान दिया है।

कर आधार के विस्तार के मुद्दे पर आते हुए मैं बताना चाहूंगा कि कुछ नए प्रावधानों से लोगों द्वारा कर देने को और सरल बनाया गया है। कुछ इसके लिए कुछ प्रावधान बताये गए हैं उदाहरण के लिए पिछला करदाता एकक छोटे करदाताओं की सहायता करेगा यह अंतर्राष्ट्रीय तरीके के अनुरूप है। इसकी वास्तव में प्रशंसा की जानी चाहिए। वित्त मंत्री जी ने लोगों द्वारा आयकर

रिटर्न करने की अनिवार्यता की शर्तों की छह मूल चीजों में एक छोटा सा परिवर्तन किया है। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि सेलफोन रखने वाले के स्थान पर कोई भी व्यक्ति, जो एक महीने में 50,000 रुपए से अधिक राशि का बिजली का वित्त भरता है आयकर के दायरे में आएगा। शायद इसे घटाकर 35,000 से 40,000 रुपए किया जाना चाहिए मैं समझता हूं कि 50,000 काफी बड़ी राशि है। कोई भी व्यक्ति जो औसत 4,000 से 4,500 रुपए प्रतिमाह बिजली का बिल भरता है, वह 16,000 से 20,000 रुपए से अधिक आय अर्जित करता है। यदि हम उस तथ्य को ध्यान में रखें कि हममें से बहुत से लोग जितना भुगतान करते हैं उससे कही अधिक बिजली लेते हैं तो एस धनराशि को घटाने की मांग की जाएगी। मैं जानता हूं कि साधारणतया इस तरह के परिवर्तन की मांग विवाद का विषय है परन्तु माननीय वित्त मंत्री मेरी इस मांग पर ध्यान देंगे।

यदि आप विधेयक के विवरण तथा वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत पत्रों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने एक रूचिकर क्षेत्र के बारे में बात की है अर्थात् बचत की ई ई ई प्रणाली की परिवर्तित करके ई ई टी प्रणाली का प्रचलन। इसको तर्कसम्मत बनाकर लोगों द्वारा निवेश को सरल बनाया गया है। इससे निवेश अर्थव्यवस्था के साथ-साथ लोगों के लिए भी लाभदायक हो गया है। इससे उन लोगों जो कि मुख्य रूप से बचत पर ही निर्भर हैं को अधिक फायदा होगा। वित्त मंत्री जी द्वारा ई ई टी प्रणाली शुरू करने के प्रस्ताव हेतु बधाई के पात्र हैं।

सेवा निवृत्त, वरिष्ठ तथा शारीरिक रूप से अशक्त लोगों के लिए श्रेणीवार दरों में कुछ प्रावधान किये गए हैं। वर्तमान के 15 लाख रुपए की श्रेणी को 2 लाख रुपए करने की मांग हो सकती है। इन लोगों को सरकार तथा हम लोगों की संवेदनशीलता की आवश्यकता है। इसमें कुछ और वृद्धि किये जाने के बारे में वित्त मंत्री जी विचार करेंगे।

नियमित कर के मुद्दे पर आते हुए मैं कहना चाहूंगा कि इसका तर्कसम्मत बनाने और उच्च व्यक्तिगत आयकर दर के अनुरूप बनाया जाना एक स्वागत योग्य कदम है। वित्त मंत्री जी ने नियमित कर की वसूली में 33 प्रतिशत की व्यापक वृद्धि का अनुमान लगाया है। मैं समझता हूं कि इस मन्दी के दौर में इस तरह के परिवर्तनों से यह वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। मेरी राय में यह प्रगतिशील बजट है। कर आधार में विस्तार के प्रयासों से इस उपलब्धि को प्राप्त भी किया जा सकता है।

वित्त मंत्री जी के प्रस्तावों के एक भाग अर्थात् सीमान्त लाभकर पर कुछ विवाद भी है। मैं समझता हूं कि इस तरह के निर्भीक कदम उठाने के लिए वित्त मंत्रीजी को वास्तव में बधाई दी जानी चाहिए भारत में कारपोरेट क्षेत्र लगभग सभी चीजों में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं की बात करता है। उन्हें यह भी महसूस करना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर्वोत्तम व्यवस्था है कि अधिकांश देश कर प्राप्ति में कारपोरेट क्षेत्र को लगभग 30 प्रतिशत के अंशदान का अनुमान लगाते हैं, वे इसमें 2 या 3 प्रतिशत कम हो सकती है। पर भारत में हम इससे 10 से 12 प्रतिशत कम के स्तर पर है। मेरी राय में यह वित्त मंत्रीजी द्वारा इस अंतर अर्थात् कारपोरेट कर के अनुमान तथा वस्तुतः भुगतान किये गए कर के अंतर को कम करने के प्रयास में उठाया गया कदम है। मैं समझता हूं कि कारपोरेट जगत ने देश के विकास में व्यापक योगदान दिया है। मैं समझता हूं कि यह उन्हें इस कार्य में वित्त मंत्री जी का सहयोग करना चाहिए।

आपके माध्यम से मैं एक प्रावधान के बारे में वित्त मंत्रीजी से एक निवेदन करता चाहूंगा। कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सीमान्त लाभ कर (एफ.बी.टी.) से मुक्त रखा गया है और इसके लिए तर्क दिया गया है कि आप अपनी सेवाओं पर कर कैसे लगा सकते हैं और यह तो एक जेब से पैसार लेकर दूसरी जेब में रखने जैसा ही है। परन्तु यदि सीमान्त लाभ कर को सरकार के भीतर भी कार्यान्वित किया जाता तो यह वातावरण को और अधिक परदर्शी व खुला बनाता हम सभी यह जान पाते कि सरकार के भीतर तथा सरकारी क्षेत्र के एक क ों में लोगों को किस तरह के सीमान्त लाभ प्राप्त होते है। यह इस समग्र अवधारणा का ही एक भाग होता और हमें लोगों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाता तथा व्यवस्था में परदर्शिता लाता।

इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रीजी के प्रस्तावों के एक अन्य भाग अर्थात् नकदी वापसी कर के प्रति भी लोगों की चिन्ता बढ़ी है। ऐसा समाचार भी प्राप्त हुआ कि बहुत से लोगों की सिफारिशों और अपील पर माननीय वित्त मंत्री इस कर को वापिस ले लेंगे। ऐसा हो सकता है, वे हमें इस बारे में बतायेंगे। परन्तु महोदय, यह एक स्वागत योग्य कदम है कि काफी समय के बाद सरकार और वित्त मंत्री ने काले धन पर रोक लगाने के लिए गम्भीरता से कुछ कदम उठाने का पर विचार किया है। यह सर्वोत्तम साधन है या नहीं यह वित्त मंत्रालय के लिए विचारणीयविषय हो सकता है। परन्तु तथ्य यह है कि सरकार ने काले धन के सृजन पर रोक लगाने का प्रयास किया है और यह वास्तव में सराहनीय है। व्यक्तिगत तौर पर मैं यह नहीं समझता हूं कि नकदी आहरण कर एक बहुत ही बुरा विचार है परन्त शायद इसकी सीमा को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 35,000 या 40,000 रुपए करना इसे उपयुक्त बना पायेगा। यदि ऐसा किया जाता है तो मुझे खुशी होगी। अन्यथा हम देश में काले धन के सृजन को धीरे-धीरे समाप्त किये जाने का सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्रीजी के नए प्रस्तावों की प्रतीक्षा करेंगे। कर संबंधी प्रस्तावित नियमों के कड़ाई से अनुपालन का

[श्री संदीप दीक्षित]

बात की जा रही है। मूल्यह्रास मतों में कटौती एक सकारात्मक कदम है।

वित्त मंत्री जी ने विशिष्ट निर्यात जोनों के साथ-साथ जिन क्षेत्रों में छूट दी जाती है उनके लिए छूट समाप्ति का खंड (सन सेट क्लॉज) लगाने की बात कही है। मैं समझता हूं कि यह विवेचना का विषय है। एक निश्चित अवधि के प्रश्चात् पिछड़े क्षेत्रों तथा विशिष्ट निर्यात जोनों (एस ई जेड) में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए दी गइ छूट की समाप्ति (सनसेट क्लॉज) खण्ड की आवश्यकता है। कुछ समयोपरान्त राष्ट्र के समग्र कर में बढ़ोत्तरी के लिए कर अदा किया जाना शुरू करने की आवश्यकता है। असीमिति छूट देने को रोके जाने हेतु पहले ही कुछ उपाय किये गये हैं, और मैं समझता हूं कि यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है।

वित्त मंत्री जी ने लघु क्षेत्र के उद्योगों को भी पर्याप्त लाभ प्रदान किये है ताकि वे वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास हेतु कार्य कर सकें। मैं समझता हूं कि इसके साथ-साथ खेल कूद और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश कर रहे उद्योगों व निगमों को अधिक प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता थी वह अभी नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में थोड़ी वृद्धि किया जाना एक स्वागत योग्य कदम होगा।

सीमाशुल्क के संबंध में वितमंत्री जी ने बताया है कि हमारे दक्षिण-एशियाई पड़ोसी देशों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सीमा शुल्क में कमी किये जाने के प्रयास किये जा हे हैं।

इस मामले में, अभी अधिकतम सीमा 15 से 20 प्रतिशत है। कुछ मामलों में इससे भी कम है। वस्त्र उद्योग को सराहनीय बढ़ावा दिया गया है, वैट प्रणाली को अपनाने वाले राज्यों को अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होगी और इसके लिए आई टी मदों पर 4 प्रतिशत अतिरिक्त कर है। मैं समझता हूं कि यह एक स्वागत योग्य कदम है। एक क्षेत्र है जहां यह अतिरिक्त राशि लगाई जा सकती है। मैं समझता हूं कि किसी को भी इसका अनुपालन करने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

उत्पाद शुल्क के संबंध में अधिकतर उत्पाद शुल्क अनिश्चित है फिर भी उत्पाद शुल्क में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है इसका मुख्य कारण निर्माण क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि है जिसे देखा जा सकता है और इसका बेहतर अनुपालन होगा।

पान और तम्बाकू पर अधिभार एक स्वागत योग्य कदम है जिसे सरकार नई स्वास्थ्य योजना में निवेश करने जा रही है। आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री से अनुरोध भी करना चाहता हूं कि वे कुछ ऐसा करें कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले और न केवल स्वास्थ्य खराब करने वाले सामानों जैसे तम्बाकू आदि पर अधिभार लगा सके। साथ ही साथ प्राप्त धन से हम पर्यावरण संबंधित विशेष परियोजनाओं पर खर्च कर सकें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों पर और कर लगाना जाना चाहिए। एक ओर तो हम इसकी खपत को कम करने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी और हमें पर्यावरण का विकास करने के लिए धन मिल रहा है ताकि हम इसमें निवेश कर सकें।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाले कार्य में लगने वाले डीजल और पेट्रोल पर 50 पैसे की वृद्धि की गई जोकि स्वागत योग्य कदम है। एक अन्य स्वागत योग्य कदम यह है कि 16 प्रतिशत की दर पर सेन वेट लगा कर अधिक अधिक लोगों को इसके अंतर्गत लाया जा सकता है।

सेवा कर के माध्यम में वित्त मंत्री ने अपने पिछले बजट में 10 प्रतिशत की वृद्धि की थी और मैं समझता हूं कि इससे देश को काफी राजस्व प्राप्त होगा। अब सेवा कर में 24 प्रतिशत की प्राप्ति होने का अनुमान लगाया गया है वित्त मंत्री ने 4 लाख के कारोबार वाले सभी लोगों को इसमें छूट दी है। लेकिन कुछ सेवाएं अभी भी शेष हैं जिन्हें हम करने में ला सकते है। मेरी सामान्य धारणा है कि किन-किन सेवाओं पर कर लगाए जाए यह अस्पष्ट है अथवा अनिश्चित है लेकिन उद्योग क्षेत्र में लगे अधिकतर लोगों का मानना है कि ऐसी अनेक सेवाएं हैं जिन्हें कर के दायरे में लाया जा सकता है।

कुछ प्रस्तावों पर चिन्ता व्यक्त की जा सकती है और सबसे बड़ी चिन्ता समग्र कर पर व्यक्त की गई है। जिसमें पर्याप्त वृद्धि हुई है। लेकिन मैं जानता हूं कि कर अनुपालन में बढ़ोतरी और कर दर को कम करके ही अधिक से अधिक लोगों को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है जैसा कि आजकल हो रहा है ऐसा करने से ही वित्त मंत्री अपने लक्ष्य और उस प्रकार के कराधान प्राप्त कर लेंगे जिससे राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम की वचनबद्धताओं को प्राप्त किया जा सकेगा।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा पहला राज्यों को ऋण देना है जाकि केन्द्र में सीधी सहायता होती है जिसे समाप्त किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि ऐसा उपलब्ध भी है जहां भारत सरकार इसको हल करने के लिए राज्यों को मदद करती है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि राज्य अपने संसाधन खो न दे। उन्हें इस बात की भी चिन्ता है कि बैंको को जब कुछ राज्यों की एम एल आर सीमा के बारे में बताया गया तो उन्होंने उन राज्यों की

प्रतिभूतियां स्वीकार नहीं की जिसकी वित्तीय स्थिति कमजोर थी। मैं समझता हूं कि भारत सरकार इस पर नजर रखेगी और यह सुनिश्चित कर पाएगी कि सभी राज्य सरकारें वित्तीय क्षेत्र के बैंकों द्वारा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लाभों को प्राप्त करना जारी रख सकें।

प्रतिभूति लेनदेन कर को 0-15 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.20 प्रतिशत कर दिया गया है मैं समझता हूं कि इसे और बढ़ाया जा सकता है मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री इस क्षेत्र के लोगों में सम्पर्क बनाए हुए हैं। अत: थोड़ी बहुत चिन्ता व्यक्त की गई है कि हम धन के प्रवाह को नियंत्रित कर सकें गे कि नहीं यहां इस संबंध में मेरे कुछ वामपंथी बहुत चिन्तित हैं। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इस सुझाव पर विचार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि धन का प्रवाह अधिक न घटाया जाए। वित्त विधेयक यह मेरे यही विचार हैं एक बार पुन: मैं वित्त मंत्री जी को उत्कृष्ट बजट प्रस्तुत करने के लिए और इस देश में कर ढांचे को दुरुस्त करने के लिए उनको बधाई देता हूं।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): महोदय बजट और वित्त विधेयक 2005-2006 पर चर्चा के दौरान हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था में व्याप्त कुछ चिन्ताओं के प्रति भी सजग होना पड़ेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक हम विकासशील देश की अर्थव्यवस्था की श्रेणी में पहुंचे हैं जो कि विकसित अर्थव्यवस्था से काफी पीछे है। कोई भी आंकड़ा लोगों के विशाल बहुमत की दरिद्रता और मेहनत करने वाले जनसमूह को सुधार नहीं सकता है। हमारे आर्थिक विकास के अधिकतर सुधार भारतीय लोगों ने सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष और कुछ प्रत्यक्ष करों के रूप में सृजित और संकलित किए गए धन, सार्वजनिक निवेशों और उधार लेकर किए हैं।

आधुनिकीकरण नहीं किया गया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? उत्तरोत्तर सरकारें, योजना आयोग और समाज के धनी वर्ग इसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने आधुनिकीकरण नहीं किया है और न ही उनके पास इसके लिए कोई कार्यक्रम है। तों लोगों और कर्मकारों को इसके लिए दोषी क्यों ठहराया जाए कि उनमें कोई काम करने की समझ नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि खेतीहर और श्रमिक वर्ग अत्यन्त आज्ञाकारी हैं। पंडित नेहरू के समय से ही सरकार ने जो भी नीति अपनाई उन्हों उसका भरपूर अनुपालन किया है। वे अत्यन्त विनम्र हैं यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण चीज है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था ने आत्मनिर्भरता की विशेषता को विकसित किया है। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जिसे हम समझने में असमर्थ रहे हैं और इस समय भी हम भूल गए हैं कि श्रमिक वर्ग और कृषकों ने हमेशा देश की आवाज (मांग) पर कार्य किया है। आधुनिक वैश्वीकरण की इस स्थिति में हमारे विकासशील अर्थव्यवस्था के अग्रणी व्यक्तियों को दृढ़तापूर्वक वैश्वीकरण के बदलाव के अनुरूप काम करना होगा ताकि हमारा देश शक्तिशाली देशों द्वारा दबाया व धमकाया न जाए या वह उनका पिछलग्गू न हो जाए।

असंगत, अक्षम और दृढ़ ने रहने वाला पूंजीवादी वर्ग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सरकारी परिसम्पति को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक ओर देश का थोड़ा भला कर रहे हैं तो दूसरी ओर अपनी संगठनों में गड़बड़ी कर रहे हैं। वे अपने संगठनों का आधुनिकीकरण नहीं करते हैं वे लागत सार्थक नहीं है। वे काफी पीछे हैं। इसके अलावा एनडीए ने हमारी प्रभुसत्ता और आत्मनिर्भरता पर प्रहार किया है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के सरकारी अनुदान को रोकने के सिद्धांत का प्रचार व अनुकरण किया है इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मानदंडों के आधार पर एक और हमारे देश में वृद्धि हुई है जबकि दूसरी ओर इससे बेरोजगारी और कुपोषण में वृद्धि हुई है। विभिन्न क्षेत्रों से सरकार की सहायता को समाप्त करने वाले सिद्धांत ने कोर (आन्तरिक) और सामरिक क्षेत्रों और लोक उपयोगिताओं संबंधी सेवाओं को नष्ट कर दिया है।

एक सिद्धांत मामले का उल्लेख करना चाहूंगा जोकि इसके लिए मैं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मूल्य वरीयता देने संबंधी सिद्धांत के बारे में है जिसे समाप्त किया गया है। व्यापारिक घरानों और विदेशी शासकों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को रद्द करने की वकालत की और गरीबों को दी जाने वाली सहायता और अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को बन्द किया। यूपीए सरकार का रूख इस पक्ष पर स्पष्ट होना चाहिए।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के एकीकरण के नाम पर, जो कि नई नहीं है बल्कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के इतिहास में सबसे पुरानी है, निजीकरण और आयात शुल्कों में सरकार द्वारा कटौती नहीं की जानी चाहिए, प्रत्येक मामले को हमारे देश के सामाजिक, राजनीतिक और आत्मनिर्भरता के व्यावहारिक अभिमत के अनुरूप और लोगों तथा काम करने वाले जनसाधारण में व्याप्त स्थिति के अनुरूप जांची जानी चाहिए।

विश्व अर्थव्यवस्था की शुल्क संरचना के अनुरूप बनाने के लिए देश के शुल्कों को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए ताकि शुल्क राशि में कटौती का सबको लाभ मिले और सरकार रोजगार सृजन करके, उत्पादकता उन्नयन कर और खाद्य सुरक्षा और देश की संप्रभुतां की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के संदर्भ में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। यह ही सरकार का कार्य है और इसके लिए धन की आवश्यकता होती है।

[श्री तरित बरण तोपदार]

उदाहरण के तौर पर मैं कह सकता हूं कि धनराशि एकत्रित करने के लिए कुलक को कर सीमा से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। कुलक को कर सीमा में लाने के लिए कड़े कदम उठाये जाने चाहिए, सुदृढ़ प्रयास करना चाहिए, एक क्रांतिकारी कदम उठाना चाहिए। कारपोरेशन कर में संशोधन कर उसे बढ़ा दिया जाना चाहिए। कारपोरेट और बड़े व्यापारिक घरानों को देय करों को अदा करना चाहिए। ये लोग इस बारे में उपदेश तो बहुत देते हैं पर स्वयं शायद ही करों का भुगतान करते हों। सरकार को अपनी ताकत दिखानी चाहिए और अपनी इस इच्छाशक्ति और दृढ़ निश्चय को व्यक्त करना चाहिए कि राजग ने जिस कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को ध्वस्त कर दिया था यह सरकार उसे पुन: प्राप्त करके सबके हित रक्षण का कार्य करेगी।

बजट के मूल्यांकन अथवा वास्तविक स्थिति से तो यही पता चलता है कि इसमें अप्रत्यक्ष कर को लक्ष्य बनाकर ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए, मैं पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाले करों का उल्लेख करना चाहूंगा। महोदय, यह देश उस धोखाधड़ी से त्रस्त है जो यहां के लोगों के साथ तेल पूल घाटा के नाम से की जा रही है। पेट्रोलियम क्षेत्र पर इस बात को लेकर पूरा ध्यान केन्द्रित रहा है कि यह करों, शुल्कों और उपकरों के रूप में धन एकत्रित करने का सबसे सुलभ साधन है। खाड़ी युद्ध के दौरान पेट्रोलियम क्षेत्र में जो घाटा हुआ था उसकी भरपाई के लिए पूरा देश दशकों तक उपकर का भुगतान करता रहा। यह सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बनकर रह गया है। इस पर और कर लगाने से स्थिति बड़ी विकट हो गयी है और सरकार भी संकट की स्थिति में आ गयी है।

इस विकट स्थिति से उबरने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों पर करों को नये सिरे से तय किया जाना चाहिए। महोदय, उदाहरण के लिए हम कच्चे तेल की कीमतों को ही लेते हैं। इसमें वैट के साथ-साथ आयात कर और उत्पाद शुल्क जोड़ते है और इन सबको जोड़कर इसका बाजार मूल्य तय होता है। यदि ऐसा हो सके, तो मैं समझता हूं कि लंबे समय तक पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों को बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन यदि इन उपायों के बावजूद, यदि इसके मूल्यों में बढ़ोत्तरी की जाती है तो ऐसे मामलों में कीमतें बढ़ाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। एकमात्र रास्ता यही होता है।

कुल मिलाकर माननीय वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक में बहुत ही तर्कसंगत प्रस्ताव पेश किये हैं। लेकिन मेरी चिन्ता घाटा पूरा न कर पाने को लेकर है। यदि घाटा पूरा हो जाता तो यह बहुत ही प्रशंसनीय बात होती और तब पूरा बजट ही प्रशंसा का पात्र होता। लेकिन मैं घाटा पूरा न हो पाने को लेकर चिन्तित हूं। तथापि, मेरा अब भी यही कहना है कि कर राजस्व अनुमान से कहीं कम है। जीवन की सच्चाई यह नहीं है कि यदि अमीरों पर कर लगाये जायेंगे तो उनका अनुपालन अधिक होगा। सच्चाई यह नहीं है। यदि आप अमीरों पर करों में कटौती करते हैं, तो इससे करों का अनुपालन बढ़ेगा, व्यावहारिक रूप से यह बात सच नहीं है। इस सिद्धांत के पक्षधरों का मानना है कि इसके परिणामस्वरूप करदाताओं की संख्या बढ़ेगी और एक सर्वोच्च बिन्दु पर पहुंच जायेगी और उसके बाद यह एकदम विपरीत दिशा में चल पड़ेगी। एक सीमा तक इसका बहुत अधिक अनुपालन होगा और उसके बाद एक निश्चित बिन्दु पर ठहरने के बाद यह विपरीत दिशा की ओर चल पड़ेगी। अमरीकी अर्थशात्रियों द्वारा प्रख्यापित सिद्धांतों में से एक सिद्धांत यह है। लेकिन हमें अपनी स्पष्ट सोच तथा बजट प्रस्तावों और आगामी नीतियों की एक निश्चित दिशा के मद्देनजर इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि अमीरों पर करों में कमी और गरीबों पर करों में बढ़ोत्तरी कहां तक उचित होगी।

इसलिए, हमें लाफर कर्व जैसे अर्थशास्त्रियों के इन पुराने आर्थिक विचारों पर आंख मूद कर चलने की प्रवृत्ति को त्याग देना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री जी ने विभिन्न कर सुधारों के माध्यम से अधिकाधिक कर वसूली की जो उम्मीद बांधी है, वह उसमें सफल होंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि कुछ लोगों की राय यह भी है कि प्रस्तावित कर सुधारों से उनके अनुपालन पर आने वाले खर्चे में भी वृद्धि होगी। यदि विभाग अधिक से अधिक छोटे करदाताओं के माध्यम से कर संग्रहण के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, तो इसके अनुपालन पर आने वाले खर्चे में भी वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से तो यही पता चलता है कि संगठन के बिना केवल स्वचालन पर निर्भर रहने और कर अधिकारियों की प्रोत्साहन अवसंरचना से संबंधित इक्के-दुक्के सुधारों से इसमें सफलता मिलने की अधिक संभावना नहीं रहती है। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री जी इन बातों से अवगत होंगे।

हमने अधिकाधिक समता सुनिश्चित करने के लिए अब तक कर उपायों पर ही अमल किया है। मेरा वित्त मंत्री जी से हार्दिक अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करें कि कार्यकुशलता की बलिवेदी पर कहीं समता की भेंट न चढ़ा दी जाये। यदि, अमीरों को दिये गये विभिन्न कर लाभों के बावजूद कर राजस्व अनुमानित सीमा तक संग्रहीत नहीं हो पाता है, तो सरकार को इसका उत्तर देना होगा। अपेक्षित कर राजस्व के संग्रहीत ने होने पर सरकार सामाजिक क्षेत्र और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के कार्यक्रमों को कार्यान्वित नहीं कर पायेगी। इसलिए हमें कारपोरेट जगत और समाज के संपन्न वर्गों पर करों का और अधिक भार डालने के लिए तैयार रहना चाहिए।

मैं कर्मचारियों से प्रस्तावित सीमान्त लाभ कर वसूल किये जाने का समर्थन करता हूं। लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि इससे कहीं ऐसा न हो कि कर निर्धारती लोगों की संख्या में तो बहुत अधिक वृद्धि हो जाये जबकि उन पर कर दायित्व बहुत कम हो और इस तरह कर अनुपालन की लागत में बहुत अधिक बढ़ोत्तरी हो जाये। इसके साथ ही, सरकार के इस कदम से कहीं इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा ने मिले क्योंकि हम इस इंस्पेक्टर राज को पूरी तरह समाप्त करने के पक्ष में हैं।

यह बात मेरी समक्ष में नहीं आयी है कि आवासीय परिसरों पर सेवा कर क्यों लगाया गया है। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी है। यदि कोई मुझे इसके कारणों से अवगत करा देता है तो मैं इसे मानने को तैयार हूं। मैं आशा करता हूं कि सरकार ने हाल में निर्माण क्षेत्र तथा फुटकर विपणन क्षेत्र में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जो नीतिगत घोषणा की है, वह उसका परित्याग कर देगी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कम से कम वर्तमान स्थिति में इसलिए वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह इस विचार को फिलहाल छोड़ दें।

हमने शिक्षा पर उपकर लगाये जाने का समर्थन किया है। फिर भी मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि क्या शिक्षा उपकर के रूप में संग्रहीत की जाने वाली धनराशि के लिए किसी समुचित कोष का गठन किया गया है। देश के लोगों के साथ यह बहुत बड़ा अन्याय होगा यदि शिक्षा उपकर लगाने के बाद किसी कोष का गठन और संचालन नहीं होता। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस शिक्षा उपकर कार्यक्रम या प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। इससे इस बात का संकेत मिलता है कि यह सरकार कल्याणकारी राज्य के उस मार्ग पर पुन: चलना चाहती है जिसे पूर्ववर्ती सरकार ने ध्वस्त कर दिया था और आज बतौर विपक्ष वे यहां से अनुपस्थित हैं।

वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को समाप्त करना आवश्यक नहीं था। मंत्री जी को इस पर पुन: विचार करना चाहिए। सरकार के इस कदम का समर्थन हमारे लिए मुश्किल बात होगी। मानक कटौती के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। मानक कटौती का प्रावधान सर्वथा उचित था। मैं इसमें और विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा। वेतन ढांचे में इतनी अधिक बढ़ोत्तरी हो गयी है कि माननीय मंत्री जी ने आयकर श्रेणी (स्लैब) में वृद्धि कर कर्मचारियों को जो लाभ देने का प्रयास किया है वह सरकारी कर्मचारियों के वेतन में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। यदि कोई इसकी तुलना 1991 की स्थिति से करे तो स्पष्ट हो जाता है कि वेतनभोगी लोगों को कोई बहुत अधिक राहत नहीं दी गयी है। वेतनभागी लोग कर अदायगी के मामले में सबसे अधिक अनुपालनकर्ता हैं। देश में मध्यम वर्गीय और वेतनभोगी लोग ही सबसे अधिक ईमानदार करदाता हैं। इसलिए, कर अनुपालनकर्ता होने के नाते उन्हें प्रतिष्ठा और सम्मान दिया जाना चाहिए। मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि यह इस मामले पर एक बार फिर से विचार करें और आने वाले दिनों में वेतनभोगी वर्ग के लिए मानक कटौती का प्रावधान अवश्य करें। मैं नकदी आहरण कर के बारे में एक और सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

नकदी आहरण पर लगने वाले कर को लेकर दक्षिणपंथी और वामपंथी दलों सहित सभी दलों द्वारा आलोचना की गई है। दक्षिणपंथी दलों ने इसकी सर्वाधिक आलोचना की है। वामदलों और दूसरे दलों ने इसकी सबसे कम आलोचना की है। लेकिन उन्होंने भी सरकार के इस कदम की अलोचना की है। विपक्ष ने इसकी सबसे अधिक आलोचना की है। वे सरकार के इस प्रस्ताव से बिलकुल सहमत नहीं है। पर मैं पूरी तरह से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हमारे देश में आत्म आदमी अथवा मध्यम वर्ग का कोई व्यक्ति या उच्च आय वर्ग का कोई व्यक्ति एक दिन में दस हजार रुपए नकद खर्च नहीं करता। मैं एक विवरण के माध्यम से बैंकों से यह जानना चाहूंगा कि एक. दिन में कितने लोग दस हजार रुपए नकद खर्च करते हैं। यदि ऐसे लोगों की संख्या अधिक है तो मैं समझता हूं कि काफी बड़ी संख्या में लोग काले धन की कमाई कर रहे हैं। हो सकता हैं। कुछ लोग मेरे इस रुख को लेकर मेरी आलोचना करें। लेकिन इसके बावजूद मैं निर्भीकता से कहना चाहूंगा कि सरकार को अपने इस प्रस्ताव पर अडिग रहना चाहिए। हमें इस वर्ष इस पर अमल करके देखना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी को इसमें किसी परिवर्तन को करने की आवश्यकता नहीं है।

अंत में, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि राजग शासन के दौरान सैद्धान्तिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, व्यावहारिक स्तर पर तथा प्रशासन में गलत तत्वों को तरजीह देकर जो नुकसान पहुंचाया गया है, वह प्रशासन को उस सबसे मुक्ति दिलाए। फासीवाद तत्वों को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति को नकारना होगा। इन सब स्थितियों के मद्देनजर आप की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है।

आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मोटे तौर पर वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गये प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपध्याक्ष महोदय, यह सम्मानित सदन वित्त विधयेक, 2005-2006 पर चर्चा कर रहा है।

[श्री रामजीलाल सुमन]

बजट एक ऐसा दस्तावेज है, जो हमारी आज की आवश्यकता को पूरा करता है तथा कल के भविष्य को उज्ज्वल बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है।

वर्ष 2005-2006 का जो बजट था, वह 5,14,344 करोड़ रुपए का था। इसमें योजना व्यय 1,43,497 करोड़ रुपये और गैर योजना व्यय 3,70,842 करोड़ रुपये था। वित्त मंत्री जी, जब आपने बजट भाषण प्रस्तुत किया, उस समय जो चर्चा हुई थी, उस समय भी हमने विनम्र आग्रह किया था और हम फिर आपसे विनम्र आग्रह करना चाहते हैं कि यह जो मोटी रकम गैर-योजना व्यय की है, विकास के लिए अगर एक रुपया किसी के पास पहुंचाना है तो उस दौलत को पहुंचाने में ढाई रुपया खर्च होता है, अगर इस गैर-योजना व्यय में कमी करने का आपने प्रयास नहीं किया तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कोई सुखद परिणाम नहीं निकलने वाले हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि जब आप अन्त में भाषण करें तो क्या समीावनाएं तलाश की गई हैं, वे कौन से ऐसे प्रयास किये गये हैं, जिनकी वजह से आप गैर-योजना व्यय में कमी करने का प्रयास कर रहे हैं, यह जरूर बताने की कृपा करें?

अपराह्न 2.59 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन* हुए]

सभापति जी, जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं के मुताबिक हमारी आमदनी करों तथा दूसरे स्रोतों से अनुमानत: 3,70,025 करोड़ रुपए होगी। इसका मतलब यह हुआ कि 1,51,000 करोड़ रुपया आपको बाजार से उधार लेना पड़ेगा, इतनी आपको आवश्यकता पड़ेगी।

अपराह्न 3.00 बजे

यह देश पहले ही तमाम तरह के देशी-विदेशी कर्जों के बोझ से दबा पड़ा है। इतनी बड़ी राशि आपको बाजार से फिर उधार लेनी पड़ेगी, फिर ब्याज देना पड़ेगा। यह एक विचारणीय सवाल है। आप दौलत कैसे इकट्ठी करेंगे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ती कैसे करेंगे, अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाएंगे। मैं समझता हूं कि इस पर भी सरकार को जवाब देने की आवश्यकता है।

देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में निरंतर बढ़ोत्तरी हुई। उसका परिणाम यह हुआ कि न तो कृशि ही पनप रही है और न उद्योग पनप रहे हैं। यह बात अपनी जगह दुरुस्त है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं, कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं, उसी को आधार मानकर सरकार पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोत्तरी कर देती है। किन्तु इस कीमतों का असर भारत में कम किया जा सकता है। प्रधान मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, दोनों अर्थशास्त्री जरा अपने कौशल दिखाएं, अपनी कला का प्रदर्शन करें। आज की स्थिति यह है कि वित्त मंत्री जी ने बजट में बजाए कम करने के कर बढ़ा दिए हैं। मैं क्या कह रहा हूं, वह अलग सवाल है; लेकिन उन्हीं की सरकार के पेट्रोलियम मंत्री इससे काफी विचलित हैं। उन्हों एक नहीं, अनेक बार आग्रह किया है कि इन करों में कमी की जाए जिससे देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके।

सभापति महोदय, जब वित्त मंत्री जी ने भाषण दिया तो कहा कि हमारे यहां जो नेशनल हाइवेज बनेंगे, उनके निर्माण के लिए 50 पैसे प्रति लीटर उपकर लगाया जाएगा। लेकिन पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने कहा और वह नीतिगत निर्णय था, जिसमें कहा गया कि अब जितने भी हाइवेज बनेंगे, सड़कें बनेंगी, उनको बनानेका काम निजी कंपनियां करेंगी और उनका आधार बीओटी होगा। निजी कंपनियां सड़कें बनाएंगी, सड़कें चलाएंगी, अपना धन वापिस लेंगी, मुनाफा कमाएंगी और मुनाफा कमाने के बाद सड़कें भारत सरकार के सुपुर्द कर दी जाएंगी। मैं जानता चाहूंगा कि आपने 50 पैसे जो उपकर लगाया है, उनका क्या औचित्य है? जब सड़कें बनाने का काम निजी क्षेत्र को दिया जा रहा है, निजी क्षेत्र के लोग उस पर टोल टैक्स लगाएंगे, मुनाफा कमाएंगे, अपनी दौलत निकालेंगे और उसके बाद सड़कों को आपके हवाले कर देंगे तो सरकार की तरफ से लगाया गया उपकर मेरी समझ से परे है। मैंने पहले कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बज क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाते हैं तब सरकार दाम बढ़ा देती है। लेकिन मजेदार बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने से सरकार और तेल कंपनियों, दोनों को लाभ हो रहा है। ओएनजीसी का मुख्य काम क्रूड ऑयल का उत्पादन करना है। लेकिन पिछले तीन वर्षों में इस कंपनी ने उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं की। इसके बावजूद भी ओएनजीसी को प्रति वर्ष 50 प्रतिशत मुनाफा हो रहा है। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या आपने कभी इन संभावनाओं की तलाश की, पता लगाया कि हम कच्चा तेल विदेशों से लेते हैं और ओएनजीसी, जिसका प्रमुख काम क्रूड ऑयल का उत्पादन करना है, उसके उत्पाद में बढ़ोत्तरी की जाए? क्या आपने इस संभावना का पता लगाया कि दुनिया के तमाम देश पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर न रहकर वैकल्पिक ईंधन की तलाश खुद कर रहे हैं? चीन ने कह दिया कि हम आने वाले दो वर्षों में हाइड्रोजन से चलने वाले तिपहिया वाहन अपनी सड़कों पर ले आएंगे।

वैकल्पिक ईंधन की तलाश और ओएनजीसी अपने उत्पाद को बढ़ाये। इस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। एक ही रट लगाई जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ गया है इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम पेट्रोल उत्पादों के दाम बढ़ा

रहे हैं। हम आत्मनिर्भर कैसे बने, हम अपने पैरों पर कैसे खड़े हों, वित्त मंत्री जी, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, सही मायनों में हमने एक बार नहीं अनेकों बार इस सदन में यही बुनियादी सवाल उठाया कि कृषि की हालत सुधारे बिना इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। कृषि पर आधारित बजट और श्रम प्रधान उद्योग, ये दो आधार ऐसे हैं जिससे इस देश को बचाया जा सकता है। कृषि की स्थिति सुधारने के लिए हमने क्या किया? वर्ष 1999-2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना उस सरकार ने लागू की जा आज हमारे मित्र यहां नहीं हैं। इसमें कुछ खामियां थीं और इन खामियों को दूर करने के लिए एक संयुक्त दल का गठन किया गया जिसकी सिफारिशें इस सरकार के पास आयीं। लेकिन वित्त मंत्री द्वारा उस पुराने बीमा योजना को लागू कर दिया गया और उन खामियों को दूर करने का प्रयास नहीं किया गया।

मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए के लोग सरकार में रहे। उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया मैं समझता हूं कि उस पर ज्यादा कहने-सुनने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह नकारात्मक प्रयास है। हमारा सकारात्मक प्रयास यह होना चाहिए कि उनसे कुछ काम करके हम दिखायें जिससे जनता को एक तुलनात्मक फर्क इस सरकार और उस सरकार के आचरण में दिखाई दे। आज यही करने की आवश्यकता है।

हमारे देश में उपज दर बढ़ायी जा सकती है। विशेषज्ञों ने कहा है कि गंगा के बेसिन से हम 100 प्रतिशत से लेकर 300 प्रतिशत तक उपज दर बढ़ा सकते हैं। हमारे पास कृषि क्षेत्र के शोध का बहुत बड़ा नेटवर्क है लेकिन हम उसका भरपूर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब कहां शोध हो रहे हैं और कैसे शोध हो रहे हैं, यह देखने की बात है। अगर किसानों के नाम पर शोध हो रहे हैं, तो दूर-दराज अंचल में जो किसान रहते हैं, उन तक वे शोध नहीं पहुंच पाते। फिर इन शोधों का क्या फायदा है? ये शोध प्रयोगशालाओं से निकलकर उन लोगों के बीच में जाने चाहिए जो वर्ग उनसे लाभान्वित होने वाले हैं।

मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा तवज्जोह देने की आवश्यकता है। हमारी जो नयी तकनीक है, विशेषज्ञों की राय है, उनकी जो खोज है, उस खोज का लाभा आम जनता को मिलना चाहिए, किसाना को मिलना चाहिए।

सरकार ने कृषि के विविधीकरण के बार में कहना शुरू किया है। इसका मोटा-मोटा मतलब है कि हम जो गेहूं और चावल पैदा करते हैं, उनके स्थान पर वैकल्पिक फसलें होनी चाहिए जैसे सब्जी फल-फूल वगैरह। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता में कमी आ गयी है। चावल गेहूं की जगह आपने सब्जी फल और फूल उगाना शुरू कर दिया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि व्यक्ति की जा खाद्य सामग्रियां हैं, उसमें कमी आयेगी। उसका परिणाम यह होगा कि हम अन्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं रह पायेंगे। दूसरे देशों पर हमें निर्भर करना पड़ेगा। जब आप वैकल्पिक कृषि की बात करते हैं तो आपको यह भी समझना चाहिए कि हिन्दुस्तान की प्राथमिकता क्या है? आपने बगैर सोचे-समझे कह दिया कि लोग सब्जी, फल और फूल उगाएं। उसका परिणाम क्या होगा? उसका दूरगामी परिणाम अच्छा होने वाला नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि की स्थिति में अगर सुधार लाना है तो हमें अपनी सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाना पड़ेगा। हमारे देश में सिंचाई का हाल यह है कि जब यह देश आजाद हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में जो सिंचाई की परियोनाएं थीं, पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर दसवीं पंचवर्षीय योजना तक तमाम सिंचाई की परियोजनाएं ऐसी हैं जो अभी तक लम्बित हैं। हम उनको पूरा करने का काम नहीं कर पाए हैं। नयी योजनाओं की बात हम कह देते हैं लेकिन पुराना काम कितना पूरा हुआ है, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। आज स्थिति क्या है, इस सरकार ने सिंचाई के क्षेत्र में लक्ष्य घोषित किया है कि हम 4 वर्षों में 1 करोड़ हेक्टेअर भूमि को सिंचित बना देंगे। 4 वर्षों का लक्ष्य है यानी 25 लाख हेक्टेअर भूमि हम प्रतिवर्ष सिंचित बनाने का काम करेंगे।

[अनुवाद]

मंत्री महोदय, आप हिन्दी समझ सकते हैं अथवा नहीं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): मैं अनुवाद सुन रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): वित्त राज्य मंत्री जी, इस देश में 136 मिलियन हेक्टेअर भूमि को सिंचित करने की आवश्यकता है। हमारा जो लक्ष्य है और जो भूमि हमें सिंचित करनी है, उसमें परस्पर तालमेल नहीं है। यदि यही गति रही तो आगामी कितने वर्षों में हम जमीन को सिंचित कर पाएंगे इस पर विचार करने की आवश्यकता है। पिछली जुलाई में वित्त मंत्री जी ने फर्मार्या कि हमारे देश में जो जल निकाय हैं, तालाब, बाबड़ी वगैरह इत्यादि हैं, इनकी मरम्मत, नवीनीकरण और पुर:स्थापना की बात वित्त मंत्री जी ने कही है और सन् 2005-06 का जो बजट

[श्री रामजीलाल सुमन]

है, यह ाजट में कहा गया कि 9 जिलों में इन जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुर:स्थापना का काम शुरू हो जाएगा। लगभग 700 तालाबों को ठीक करने का काम हम करेंगे और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का आबंटन हुआ है। वित्त राज्य मंत्री जो, पिछले दस वर्षों में लगभग 2 लाख 90 हजार तालाब बंद हुए। क्या आपकी योजना जो 100 करोड़ रुपये की है, क्या जल संचय की आवश्यकता को पूरा कर पाएगी? यह अव्यावहारिक कदम है। यह दौलत नहीं के बराबर है।

मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस देश में पानी का संकट नहीं है। सबसे बड़ा संकट इस देश में है कि हम पानी इकट्ठा कैसे करें? जितना पानी हमारे देश को मिलना चाहिए, उतना पानी उपलब्ध है लेकिन दिक्कत यह है कि हम पानी को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। जिस काम को आपको प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए, उसके लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि का आपने आबंटन किया और लक्ष्य आपने 700 तालाबों का बनाया और पिछले 10 वर्षों में 2 लाख 90 हजार तालाब बंद हुए। यह अव्यावहारिक निर्णय मत करिए। निर्णय ऐसे करिए जो व्यवहारिक हों। प्राथमिकता के आधार पर दौलत खर्च करने का काम वहां करिए जिसका संबंध आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है।

सरकार ने ड्रिप इरीगेशन से अभी 12 मिलियन हेक्टेअर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य रखा है और दसवीं योजना में इसे बढ़ाकर 3 मिलियम हेक्टेअर करने का सरकार का लक्ष्य है तथा 11 वीं योजना में इसे 14 मिलियन हेक्टेअर करने का है। दसवीं योजना में सिर्फ 2 वर्ष बचे हैं और इन 2 वर्षों में 1.1 मिलियन हेक्टेअर जमीन ड्रिप इरीगेशन से सिंचित होगी। दो साल में 1.1 मिलियन हेक्टेअर भूमि और आगे आने वाले 5 वर्षों में 1.1 मिलियन हेक्टेअर भूमि ड्रिप इरीगेशन के दायरे में लाना चाहते हैं आपको लगता है कि क्या यह काम पूरा कर पाएंगे? आप ऐसी बात मत करिए कि जो लोगों के गले से न उतरे। आप ऐसी बात करे जो व्यावहारिक हें, आप ऐसी बात करें जो चीज आप कर सकें जिसका सच्चाई से संबंध हो। इसलिए इस ड्रिप-इरीगेशन के बारे में आपको पुन: विचार करने की आवश्यकता है। कृषि के बाद लोगों को इससे रोजगार मिलने की संभावना हो सकती है। यह लघु उद्योग है।

लघु क्षेत्र का विस्तारीकरण करने के स्थान पर उसकी शक्ल बदलने का काम किया जा रहा है। लघु उद्योगों में इसलिए अधिक लोगों को काम मिलता है, क्योंकि उनमें श्रम तकनीक का इस्तेमाल होता है। सरकार ने लघु उद्योगों को और मध्यम उद्योगों को एक साथ जोड़ कर पूंजी निवेश बढ़ा दिया है। पूंजी बढने का परिणाम यह होगा कि लघु उद्योग के क्षेत्र में पूंजी की प्रधानता हो जाएगी, श्रम की प्रधानता गौण हो जाएगी। इस बात आपने बजट में लघु उद्योग के संरक्षण के लिए सिर्फ 173 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो नहीं के बराबर है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि देश में लगभग तीन लाख लघु उद्योग की इकाईया पंजीकृत हैं। लेकिन उससे कहीं ज्यादा इकाईयां ऐसी हैं, जो पंजीकृत नहीं हैं। आप जब बजट का आबंटन करते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहती हैं, कौन से क्षेत्र आपने चिन्हित किए हैं, किन लोगों के पास पहले दौलत पहुंचनी चाहिए, उस दौलत का कौन पात्र है, जब तक उन क्षेत्रों को आप प्राथमिकता के साथ चिन्हित नहीं करेंगे, आप गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं और परिणाम भी अच्छा आने वाला नहीं है। लघु उद्योग क्षेत्र को जो संरक्षण और संवर्धन मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है।

सभापति जी, मैं एक-दो बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह तय किया गया था कि हमारी राष्ट्रीय आय का छ: प्रतिशत शिक्षा पर व्यय होगा। शिक्षा की आज हालत बहुत खाराब है। सिथति यहा तक बदतर है कि प्राइमरी स्कूल में एक ही कमरे में पांचों कक्षाएं लगती हैं। कहीं अध्यापक हैं तो छात्र नहीं हैं, छात्र हैं तो अध्यापक नहीं हैं और अगर दोनों हैं, तो कमरे नहीं हैं। लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। कुल मिलाकर हमारे देश की शिक्षा का हाल यह हो गया है कि लोग निजी शिक्षा क्षेत्र के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। सरकारी शिक्षा के ऊपर से लोगों का विश्वास हट रहा है। मुझे माफ करेंगे यह कहने के लिए कि शिक्षा आज व्यवसाय हो गई है। गरीब आदमी के बच्चे में कितनी प्रतिभा है, कितनी योग्यता है, इसका कोई मापदंड नहीं है। जहां 40 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए एमबीबीएस में दाखिले के लिए खर्च होते हों, वहां गरीब आदमी के बस की बात नहीं कि वह अपने बेटे को डाक्टर या इंजीनियर बना सके। शिक्षा का व्यावसायिकरण हो गया है। यह बात सही है कि इस बात के बजट में शिक्षा के मद में पहले से ज्यादा दौलत आबंटित हुई है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है।

केन्द्र सरकार से राज्यों के पास विभिन्न कार्यक्रमों के लिए जो दौलत पहुंचती है, उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, यह देखना आपका ही काम है। हमने इस संबंध में कई बार कहा है कि दौलत देना ही पर्याप्त नहीं है। दौलत का सही इस्तेमाल हो, उसके लिए एक तंत्र विकसित करना जरूरी है। लेकिन वह आप नहीं कर रहे हैं। आप देखें कि क्या हालत सर्व शिक्षा अभियान की हुई है। उसमें जो पैसार राज्यों के पास भेजा गया, दिल्ली में आपकी सरकार है, वहां केवल 25 प्रतिशत ही वह पैसा खर्च हुआ है। इसी तरह बिहार में 62 प्रतिशत पैसा ही खर्च हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने 98 प्रतिशत पैसा खर्च किया है। इसलिए जो दौलत निश्चित कार्यक्रमों के लिए प्रांतों को भेजी जाती है, उसका सही इस्तेमाल हो और खर्च हो, उसके लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि कृषि, सिंचाई, लघु उद्योग और मोटे तौर पर आम आदमी से जुड़े हुए जो सवाल हैं, जहां रोजगार उपलब्ध हो सकता है, उन क्षेत्रों को ज्यादा सशक्त बनाने की आवश्यकता है, उन्हें संरक्षण देने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि यह सरकार इस दिशा में सोचने का काम करेगी। बार-बार पिछली सरकार को दोष देना ठीक नहीं है। अभी हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के मित्र बोल रहे थे कि पिछली सरकार ने क्या किया। लेकिन आप बेहतर करने का काम करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। पहले केन्द्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी।

सभापति महोदय, आप भी पिछली लोक सभा के सदस्य थे। दो प्रतिशत शिक्षा पर उपकर लगाया गया था। लेकिन जो मेरी जानकारी है वह यह है कि 5500 करोड़ रुपए उसके लिए इकट्ठा हुआ। वह पैसा कहां गया? शिक्षा के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया गया वह क्या बजट का घाटा पूरा करने पर खर्च हुआ। इस बात को भी देखने की जरूरत है। अगर वह दौलत शिक्षा पर लग जाती तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो सकता था।

अंत में, मेरा आग्रह सरकार से यह है कि मेहरबानी करके गांव, गरीब और उपेक्षित लोगों को आधार मानकर उनके कल्याण के लिए सकारात्मक दिशा में सरकार द्वारा पहल हो, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे प्रस्तावित वित्त विधेयक, 2005 पर बोलने का मौका दिया, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, देश की आबादी दिनोदिन बढ़ती जा रही है और शायद एक अरब से अधिक की आबादी हमारे देश की हो गयी है। लेकिन आबादी से अधिक देश में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ रही है और यह बड़े चिंता का विषय है। मैं समझता हूं कि आगर सरकार गरीबी, बेरोजगारी और जनसंख्या को कंट्रोल करने की ओर ध्यान नहीं देगी तो देश का भविष्य अंधकारमय होगा। लेकिन हमरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी, दोनों ही विद्वान आदमी हैं और उन्हें आर्थिक मामलों का बहुत ज्ञान है। देश को उनसे आशा भी है कि इन दोनों विद्वानों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था नियंत्रित हो पाएगी। गरीबी, बेरोजगारी और मंहगाई कम होगी तथा खेत और खलिहानों में काम करने वाले लोग खुशहाल होंगे। यूपीए सरकार का एक वर्ष पूरा होने जा रहा है और माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर काम करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा है, आशा के अनुकूल नतीजे नहीं निकल पा रहे हैं। हम माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि वे इस पर विचार करें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसमें महंगाई और बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है और ऐसी कौन सी नीति या सोच होगी जिससे इस पर नियंत्रण किया जा सके।

मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इतने सक्षम हैं कि कोई न कोई उपाए ढूंढने का काम करेंगे। दिनोंदिन मंहगाई बढ़ रही है। आज से दस वर्ष पहले जितने रुपए में हम अपने परिवार को चला पाते थे उससे कई गुना अधिक राशि उपलब्ध होने के बाद भी घर का खर्च चला नहीं पाते हैं। देश की आधे से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रही है। कई ऐसे प्रदेश हैं जहां की स्थिति बहुत नाजुक है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और दूसरे कई ऐसे प्रदेश हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था अगर दुरुस्त करनी है तो खेतों और खलिहानों की तरफ जाना होगा, किसानों, मजदूरों की तरफ देखना होगा। देश की अर्थव्यवस्था खेतों और खलिहानों पर निर्भर करती है। देश की 75 परसेंट आबादी गांवों पर निर्भर करती है। जब तक देश के किसान खुशहाल नहीं होंगे तब तक देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं हो पाएगी चाहे हम जो भी कर लें। हमें इस बारे में ईमानदारी से सोचना पड़ेगा।

हम यहां चुन कर आए हैं। गांवों में लोग रहते हैं और हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। आजादी के 57 वर्ष हो गए हैं। हमें अपने दिल पर हाथ रख कर सोचना चाहिए। सभापति महोदय, आप स्वयं एक किसान हैं और किसान के बेटें हैं। क्या हमने देश के किसानों के बारे में सही ढंग से सोचने का काम किया है? हमने खेतों और खलिहानों में काम करने वाले लोगों के ऊपर इनवैस्टमैंट किया। अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तम्भ गांव हैं। हमने उस पर इनवैस्टमैंट करने का काम किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और यूपीए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने निश्चित तौर पर किसानों के प्रति सोचने का काम किया। इन चीजों पर इनवैस्टमैंट पिछली सरकारों की तुलना में कई गुना बढ़ा है लेकिन वह नाकाफी। उससे काम चलने वाला नहीं है। हमने सिंचाई के क्षेत्र में कितना इनवैस्टमैंट किया, गांवों की सड़कों पर कितना इनवैस्टमैंट किया, गांवों की बिजली पर कितना खर्च किया, गांवों में पानी की उपलब्धता पर कितना किया है? आपको यह जानकर तकलीफ होगी कि हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है। हम कहते हैं कि भारतवर्ष गांवों का देश है लेकिन प्रोडक्शन कम हो रहा है जो शुभ संकेत नहीं है। अगर प्रोडक्शन कम होगा जो अर्थव्यवस्था की चोट लगेगी। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। आर्थिक सर्वे जिसे सरकार ने तैयार किया है, मैं उसके आधार पर बोल रहा हूं। क्या हमने कभी सोचा कि हमने किसानों

[श्री रामकृपाल यादव]

का जो अनाज खरीदने का काम किया, क्या उनके अच्छे सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं, क्या इनसे किसान खुश हैं और क्या किसानों का उनसे काम चल रहा है? हम क्रय केन्द्रों के माध्यम से किसानों को अनाज के बदले पैसा दे रहे हैं चाहे उसके माध्यम से गेहूं, चावल खरीद रहे हों या दूसरी चीजें खरीद रहे हों लेकिन किसानों को घाटा हो रहा है जिससे उसका मनोबल गिर है।

पिछले दिनों इसी सदन में बड़ी चर्चा हुई कि कई प्रदेशों के किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। वे कर्ज लेते हैं लेकिन उनका भुगतान नहीं करते हैं। वे बैंकों से कर्ज ले रहे हैं, प्राइवेट मनी लैंडर्स से कर्ज लेने का काम कर रहे हैं मगर सूद की राशि क्या मूल राशि देने की स्थिति में भी नहीं हैं।

खाद, बीज, डीजल, कैरोसीन तेल, सब कुछ महंगा होता जा रहा है, इनका उपयोग किसान करते हैं। क्या इन पर हम नियंत्रण नहीं कर पाएंगे? माननीय कृषि मंत्री जी ने पिछले दिनों कृषि मंत्रालय के संबंध में चर्चा में कहा था कि भारत का किसान इतना सक्षम हो गया है और सक्षम है कि वह दूसरे देशों को अपने बल पर उपज पैदा करके खिलाने का काम करेगा। यह मेहनत की बात है। हमारी भूमि दतनी उपजाऊ है कि निश्चित तौर पर अगर किसानों को पूरी तरह से सपोर्ट मिल जाए तो आनी कमाई से अपने देश के लोगों को भी खिला सकते हैं और साथ में विदेश में कई देशों को भी खिला सकते हैं, उनमें इतनी क्षमता है। वे इसका व्यापार भी कर सकते हैं। मगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि किसान अपने देश में ही फटेहाली में है।

सभापति महोदय, आप किसी भी किसान के घर चले जाएं, रोज खाने-कमाने वाला किसान खून-पसीना बहाता है लेकिन शाम को अपने घर जाता है तो अपने बच्चों को रोटी मुहैया नहीं करा पा रहा है। यह बहुत ही चिंता का विषय है। अगर हमने किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो संभव नहीं है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो पाएगी। हम बेरोजगारी इसी माध्यम से दूर कर सते हैं, इसका यही एकमात्र उपाय है। माननीय सदस्य श्री रामजीलाल सुमन जी छोटे उद्योगों के संबंध में कह रहे थे। छोटे उद्योग धीरे-धीरे बंद हो रहे हैं, कम्प्यूटराइजेशन का जमाना आ गया है, साइंस डेवलपमेंट कर रही है, यह अच्छी बात है लेकिन रोजगार के स्रोत खत्म हो रहे हैं। पिछले कई सालों से कई विभागों में वैकेंसी बंद हो गई है, वैकेंसी तो है मगर भरी नहीं जा रही है क्योंकि उनके पास साधन और अर्थव्यवस्था की कमी हो गई है। कंप्यूटर का जमाना आ गया है, जो काम दस आदमी करते थे, दो आदमी कंप्यूटर पर दस आदमियों की जगह काम कर रहे हैं। हमें इस पर भी ध्यान देना होगा। आज बेरोजगार नौजवानों में अपराध बढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण बेरोजगारी है। महोदय, वित्त विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके पास पूरी पूंजी है। विभिन्न विभगों में नीतियों बनती हैं लेकिन विभिन्न विभागों में नीतियों बंद होकर फाइलों तक सीमित रहती हैं। जब तक विभाग अपनी पूंजी को खोलने का काम नहीं करेगा, विभागों के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त नहीं करेगा, राशि नहीं देगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए यह आधार आप पर निर्भर करता है। आप कुछ सोचिए क्योंकि सब कुछ आपको देखना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान बिहार प्रदेश की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। बिहार की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है। मेरे पास एक आंकड़ा है, मैं जानता हूं कि विस्तार के लिए समय आपके पास नहीं है, आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं इसे डिटेल में पढ़ूंगा। इकोनोमिस्ट ने इस पुस्तक में चार साल पहले और वर्तमान बिहार के बारे में जो दिया है, उसे देखकर आपको आश्चर्य होगा कि कितना सेंट्रल असिस्टेंस बिहार को मिला रहा है और दूसरे राज्यों को कितना मिल रहा है। हमारी पर-कैपिटा आमदनी कितनी है और दूसरे राज्यों की कितनी है। हमारे लिए कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सबसे कम बिहार को प्राप्त हो रहा है, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। इस समय विपक्ष के साथी यहां नहीं बैठे हैं।

एन.डी.ए. की कृपा से बिहार को बांट दिया गया और झारखंड बना दिया गया। इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था खराब हो गई। हमारी आमदनी का जरिया मिनरल एंड माइन्स थे, वे सारे इलाके झारखंड में चले गये। बिहार के पास तो केवल गंगा, बालू और सुखाड़ है। बिहार हमेशा दोनों तरह की आपदाओं से ग्रसित रहता है। सभापति जी, आप उस इलाके से आते हैं। केन्द्र सरकार ने अब जो फार्मूला अडाप्ट किया है, उसके तहत बिहार को पैसा नहीं मिलेगा। केन्द्र सरकार आंतरिक संसाधनों के आधार पर पैसा देती है। हमारे बिहार के पास ऐसे आंतरिक संसाधन नहीं हैं। इसलिये बिहार पर विशेष कृपा करनी पड़ेगी। गॉडगिल फार्मूले के अनुसार यह डी.पी. बनाई गई है और हमारे पास आवश्यकताओं के अलावा कुछ नहीं है। बिहार के पास गरीबी फटेहाली, बदहाली तथा बेरोजगारी है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक बिहार के साथ बेईमानी ही की गई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन्स के अनुसार राज्यों के बैंकों में जितना पैसा जमा होगा, उसका 35-40 प्रतिशत पैसा उसी प्रदेश में खर्च होगा, लेकिन हमारे यहां यह अनुपात 15-20 प्रतिशत ही है। क्य यह बिहार के साथ न्याय किया जा रहा है? इसलिये मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि वे बिहार की ओर देखें। हमारे प्रदेश पर विशेष कृपा करनी होगी।

सभापति महोदय, केन्द्र ने दूसरे राज्यों का कर्जा माफ कर दिया है और ब्याज की राशि भी छोड़ दी गई है लेकिन हमारे प्रदेश बिहार की स्थिति इतनी खराब है कि वह कर्जे का पैसा नहीं

लौटा पा रहा है। बिहार पर कर्जे पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। हमारा जितना पैसा है, वह सब इंटरैस्ट के रूप में चला जाता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि हमारा कर्जा भी माफ किया जाये। जब देश के प्रधानमंत्री श्री गुजराल थे, उस समय उन्होंने पंजाब राज्य का सारा कर्जा और यहां तक कि सारा ब्याज भी माफ कर दिया था। हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन हम भी देश के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम पर विशेष कृपा की जानी चाहिए। हम नहीं समझते कि कितने सालों तक हमारा शोषण किया जाता रहेगा, हमें कब तक आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जायेगा? संयुक्त बिहार के समय भी माइन्स के सारे अधिकार केन्द्र सरकार के पास थे और बिहार उनसे पूछे बिना कुछ भी नहीं कर सकता था। देश की आजादी के बाद से बिहार के साथ भेदभाव किया जाता रहा है, इसलिये बिहार पिछड़ा रह गया।

सभापति महोदय, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां नेपाल से आने वाली नदियों का पानी आता है। बिहार के सालभर के जितने इनफ्रास्ट्रक्चर्स हैं—सड़कें, पुल-पुलिया, मकान-सब उससे नष्ट हो जाते हैं। बिहार में जल-जमाव की बहुत बड़ी समस्या है। नेपाल से किसी प्रकार की ट्रीटी न होने के कारण हम कैसे सरवाइव करेंगे? हमारे प्रदेश के लिए विशेष पैकेज दिये जाने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार की नीति है कि जो पिछड़े प्रदेश हैं, उनके विकास के लिये विशेष पैकेज दिया जायेगा। यह सही है कि सम विकास योजना के अंतर्गत 300 करोड़ रुपया बिहार को दिया गया है लेकिन यह काफी नहीं है। यह पैकेज नहीं है। पूर्व की एन.डी.ए. सरकार ने पैसा बांट दिया। यह कोई पैकेज नहीं था। हम चाहते हैं कि सरकार हमें बाढ़ से छुटकारा दिलवा दें तो हम समझते हैं कि सरकार से पैसा नहीं मांगा जायेगा।

आप नेपाल से ट्रीटी करवाकर नदियों में पानी आना बंद करवा दीजिए और बाढ़ का स्थायी निदान कीजिए। जो वाटर लॉगिंग उत्तर बिहार के बहुत बड़े भूभाग में हो जाती है, उस पानी को निकालने की व्यवस्था करवा दीजिए, तो मैं रिकार्ड पर कहना चाहता हूं कि हम आपसे भीख मांगने नहीं आएंगे। हम बिहार के लोगों में इतनी क्षमता और कूवत है कि हम अपनी जमीन पर फसल उपजाकर स्वयं सक्षम बन सकते हैं। हमारे पास कल-कारखाने नहीं हैं और उनका कोई स्कोप भी नजर नहीं आता है। हमारे पास अगर कुछ है तो खेती है और मजदूर हैं।...*(व्यवधान)* दिल भी है। उसे हम आप जैसे लोगों पर और दूसरे लोगों पर प्यार न्यौछावर करते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया टो-टाकी न करें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस ओर विशेष कृपा करें। मैं हाथ जोड़कर प्रर्थना करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। हर बार हम लोग निवेदन करते आए हैं मगर हमारे निवेदन को आपने स्वीकारने का काम नहीं किया। हम आपके मजबूत साथी हैं, सहयोगी हैं। बिहार की जनता ने आपके सहयोग के लिए, देश में सैक्यूलर सरकार चलाने के लिए तथा गरीबों को उन्नति के लिए हमें यहां भेजा है। हम भी तो गरीब हैं, आप हम पर क्यों कृपा नहीं कर रहे हैं? जरा इस ओर कुछ ध्यान देने का काम कीजिए। अगर आप आने नियमों के अनुसार हमें मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो उन नियमों में कुछ ढिलाई कीजिए। किसानों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, वह मैं बताना चाहता हूं। जो पैसा हमें ब्याज पर देते हैं उसमें डबल स्टैन्डर्ड है। किसानों को दिये हुए पैसे पर 12 से 14 प्रतिशत तक ब्याज ले रहे हैं और बड़े लोगों को कार, मकान और मौज-मस्ती करने के लिए दिये हुए पैसे पर 6 से 7 प्रतिशत ब्याज ले रहे हैं। जो किसान बेचारा हमें आपको खिलाता है, यदि वह नहीं रहे तो हम भूखे ही समाप्त हो जाएंगे और देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो जाएगी। इसके लिए क्या आप नियमों में परिवर्तन नहीं करेंगे? क्या आपको किसानों से मोह नहीं है? मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी भी अच्छे किसान हैं।

[अनुवाद]

मैं समझता हूं कि आप भी एक अच्छे किसान हैं, क्यों मैं सही बोल रहा हूं या नहीं?

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: हां ...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: मैं सही हूं। ठीक है।

[हिन्दी]

इसलिए मैं समझता हूं कि आप निश्चित तौर से इस पर विचार करेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी के बारे में मैं नहीं कह सकता, मगर मुझे विश्वास है कि उनके मन में किसानों के प्रति दर्द है, इसलिए इसका वह कुछ निदान निकालने का काम करेंगे। मंत्री जी का बहुत बड़ा दिल है।

अभी गुरुदास दासगुप्ता जी कह रहे थे कि इस देश में बड़े-बड़े उद्योगपति और बड़े-बड़े लोग देश का अरबों-खरबों रुपया

[श्री राम कृपाल यादव]

बैंकों से लेकर हजम कर गए, मगर उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है जबकि किसान बेचारा जब 10000 रुपये कर्ज लेता है और अपनी मजबूरी और बेबसी के कारण नहीं चुका पाता है तो जाकर उसके बैल खोल लेते हैं, उसकी कुर्की कर देते हैं, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, यह कहां का न्याय है? क्या यह देश गरीबों का नहीं है? क्या इस देश में गरीबों के रहने की गुंजाइस नहीं है? यह अन्याय ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं होगा।

सभापति महोदय: आप कितना समय लेंगे? आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री राम कृपाल यादव: मुझे विश्वास है कि मैं अपनी पार्टी का पहला व्यक्ति बोल रहा हूं। उस तरफ तो कोई बैठा भी नहीं है।

सभापति महोदय: आपकी पाटी का समय समाप्त हो रहा है।

श्री राम कृपाल यादव: मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, अच्छे किसान हैं और किसानों के नेता भी हैं। थोड़ा समय दे दीजिए।...*(व्यवधान)*वे सब तो समाप्त हो गए, अब परमानैंट समाप्त हो जाएंगे। उन लोगों की वजह से देश में उपद्रव हो रहा था, यहां भी सदन में उपद्रव हो रहा था। अब शांति है। महोदय, मैं बता रहा था कि किसानों की तरफ आप ध्यान दीजिए और इस बारे में कोई ठोस निर्णय लेने का काम कीजिए।

महोदय, छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। आप कैसे इन उद्योगों को बंद करके बेरोजगारी को दूर करेंगे? आप बजट में पैसे को बढ़ाने का प्रावधान कीजिए। गांधी जी का सपना क्या था? हम सब गांधी जी की नीतियों पर चलने वाले लोग हैं।* हम गांधी जी के चाहने वाले लोग हैं। गांधी जी ने कहा था कि अगर देश की तरक्की करनी है, देश की बेरोजगारी, गरीबी, फटहाली दूर करनी है तो छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों को बढ़ाना होगा। आज सारे छोटे-छोटे उद्योग बंद हो चुके हैं। बड़े उद्योग शुरू होते जा रहे हैं। आज कंप्यूटर का जमाना आ गया है। पहले मजदूरों को काम मिलता था, अब मजदूरों की छंटनी शुरू हो गई है। हमारे झारखंड में जो कि पहले बिहार राज्य में था, जितनी फैक्ट्रियां थी, खाद बनाने वाले कारखाने थे, वे सब बंद हो चुके हैं। माननीय मंत्री जी उन्हें क्यों नहीं पुनर्जीवित करने का काम रहे हैं। सब कर्मचारी बेरोजगारी होते जा रहे हैं। बहुत से किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं, उनके पास आज खाने के लिए भी पैसा नहीं है। आप कोई नीति बनाइए। मैं समझता हूं कि यूपीए सरकार इस पर विचार कर रही है। ये जो लोग चले गए हैं, ये मुनाफा देने वाले कारखानों को बेच रहे थे। इससे सभी मजदूर प्रभावित हो रहे थे। जितने लाभ कमाने वाले होटल थे उनको भी बेच दिया गया।

श्री इलियास आजमी (शाहबाद): उन्होंने सब बेच खाया।

सभापति महोदय: आपस में बातचीत मत कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: श्री आजमी साहब ने मेरे शब्दों को संशोधित किया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। यूपीए सरकार अपनी नई नीतियों के अनुसार कम से कम उन्हें बेचने तो नहीं जा रही है। आप छोटे उद्योगों को बढ़ावा दीजिए। छोटे उद्योग धंधों में बहुत से लोग लगे हुए हैं।

सभापति महोदय: अपनी स्पीच समाप्त कीजिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदय, इन्होंने अभी तो शुरूआत की है।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, आप कह रहे हैं तो मैं अपनी स्पीच समाप्त करने जा रहा हूं। आपकी इजाजत नहीं है और मैं आपके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता हूं।

लेकिन महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि गांव की दशा को सुधारना पड़ेगा। श्री रामजी लाल सुमन ने ठीक कहा है कि गांवों की दशा को सुधारना होगा। आज भी गांवों के अंदर स्कूल भवन नहीं हैं। बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। किस युग में हम लोग जा रहे हैं। पढ़ाई के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम कैसे विकसित हो पाएंगे। आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। भारत में मेधा की कभी कमी नहीं रही है। भारत मेधा से दूसरे देशों को सीख और सबक देता रहा है। जो मेधा गांव में बसती है, शहरों की बड़ी-बड़ी आलीशान कालोनियों में नहीं है। आप स्कूल भवनों के लिए पैसा उपलब्ध करवाइए। आप सर्व शिक्षा अभियान चला रहे हैं, किन्तु शिक्षकों की कमी है। यह अभियान कारगर ढंग से कार्यान्वित नहीं हो पा रहा है।

आज भी बिहार में ऐसी सड़कें हैं, जिन पर हम चल नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत काम शुरू नहीं हुआ है। आप इस मद में और धनराशि बढ़ाइए। जब तक गांव खुशहाल नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं होगा। जब तक छोटे उद्योग नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारी बेरोजगारी, गरीबी दूर नहीं होगी। मैं समझता हूं कि इन बातों पर माननीय मंत्री जी जरूर ध्यान देंगे। आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि आप बिहार के प्रति विशेष ध्यान देकर, विशेष पैकेज देकर बिहार की फटेहाली को दूर करने का काम करेंगे और बिहार की समृद्धि में अहम भूमिका अदा करेंगे। बिहार की आठ से नौ करोड़ जनता बदहाली

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

में है और आपको आरे आशा से देख रही है। माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी को आशा और अभिलाषा से देख रही है। उन बिहारवासियों को निश्चित रूप से आप न्याय देकर खेत और खलिहान देकर, ब्याज में कमी करके उनको आगे बढ़ाएंगे। डीजल, पेट्रोल, खाद और बीज इनकी कीमतें कम करने का काम करेंगे।

सभापति महोदय, इन चन्द शब्दों के साथ, अन्त में एक बात कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। हमारे देश में शौचालय की ठीक व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर महिलाएं आज भी शौच के लिए परेशान रहती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश भर में शौचालय निर्माण के लिए अपनी ओर से एक योजना बनाई है जिसके तहत प्रति शौचालय 507 रुपए की सहायता दी जाती है। यह सहायता बहुत कम है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से मांग है कि इस धन को और बढ़ाया जाए।

महोदय, सरकार ने गांवों के गरीबों को इंदिरा आवास योजना के तहत मकान देने का सपना दिखाया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि बिहार जैसे राज्य में एक पंचायत में मुश्किल से 10 मकान ही बनाए जाते हैं। जबकि पंचायत में सैकड़ों और हजारों की संख्या में गरीब होते हैं। इस प्रकार से आप कितने गरीबों को मकान दे पाएंगे। इस तरफ भी ध्यान दीजिए और गरीबों को इंदिरा आवास योजना में अधिक मकान बनाकर दीजिए ताकि गरीबों को मकान देने का जो सपना आपने दिखाया, वह पूरा हो सके।

महोदय, सरकार ने गरीबों को स्वास्थ्य, शिक्षा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को सुलभ कराने का वायदा किया और सपना दिखाया, लेकिन इन सबके लिए धनराशि का बजट में पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है। जब तक आप गरीब को ये सुविधाएं नहीं देंगे तब तक कामन मिनिमम प्रोग्राम को आप पूरा नहीं कर सकेंगे और जब तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पूरा नहीं होगा, तब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के माध्यम से जो वायदा सरकार ने देश के गरीबों के साथ किया है, उसे शीघ्र पूरा किया जाए।

महोदय, अन्त में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जितने भी सुझाव दिए हैं और मेरे साथ अन्य माननीय सदस्यों ने भी सुझाव दिए हैं, उनके अनुसार सरकार कार्य करे और आपने मुझे बोलने का जो अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय सदस्यों ने मुझे सुना, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

सभापति महोदय: आप बजट का समर्थन कर रहे हैं या विरोध, इस बारे में तो आपने कुछ नहीं कहा।

श्री राम कृपाल यादव: हुजूर मैंने बजट का तो अपना भाषण प्रारम्भ करते ही समर्थन कर दिया था। अब मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि मैं इस बजट का एक बार नहीं बल्कि लाख बार समर्थन करता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी: महोदय, आप चेयर से क्यों समर्थन करने के लिए कह रहे हैं?

सभापति महोदय: आसन का इस बारे में कोई निदेश नहीं होता है। सदस्य को पूरी आजादी है, वह चाहे समर्थन करे अथवा विरोध।

[अनुवाद]

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा): सभापति महोदय, इस वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर प्रदान के लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

युगों से मानव के अस्तित्व में आने के समय से लेकर पाषाण युग से आधुनिक युग तक हम विकास के पक्ष की ओर अग्रसर हो रहे हैं। परन्तु विकास की गति अथवा परिवर्तन की गति ही केवल मायने रखती है। संयुकत प्रगतिशील गठबंधन की यह सरकार जो कि गरीबों दलितों तथा समाज के कमजोर वर्गों कि हितकारी है न केवल मानवीय रूप सेकार्य कर रही है बल्कि दिल से भी कार्य कर रही है। यही करण है कि हम मूलभूत सुविधाओं में सुधार हेतु विभिन्न प्रणालियों अथवा विभिन्न प्रकार से संसाधन जुटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में हमारे वित्त मंत्री ने संत तिरुवल्लुवर के कथन का सही उल्लेख किया है:

''पिनि इनमई सेलवम विलइवू इनबम एमाम
एनि इनबा प्रनित्तरक्कू लव लिनधु''

उन्होंने इसका अर्थ स्पष्ट किया, जो इस प्रकार है, ''स्वास्थ्य, संपति, उत्पादन परिणामस्वरूप प्रसन्नता तथा सुरक्षा ये पांच चीजें विद्वानों के अनुसार राज्यतंत्र का गहन हैं।'' किसी मनुष्य को बेहतर जीवन जीने के लिए ये सभी अत्यंत आवश्यक चीजें हैं। इन सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें संसाधनों की आवश्यकता है। वित्त ही केवल एक ऐसा यंत्र अथवा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने प्रयासों और परिणाम के सापेक्ष मूल्य का आंकलन कर सकते है। इसके माध्यम से हम आर्थिक सुधार की रफ्तार को

[श्री एल. राजगोपाल]

बढ़ाने का प्रयास कर रहें हैं, हम लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जिससे कि वे अधिक प्रयास करे तथा अत्यंत प्रतियोगी विश्व में परिणामोन्मुखी बनने का प्रयास करें।

यदि हम संसाधनों की ओर देखें हमारे पास प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों कर हैं। पिछले कुछ समय से इन दोनों करों से राजस्व में वृद्धि हो रही है। इससे पूर्व अप्रत्यक्ष कर वस्तुतः प्रत्यक्ष करों से अधिक थे। यदि आप बजट पर एक दृष्टि डाले तो यह पायेंगे कि प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर दोनों ही लगभग बराबर दे रहे हैं। हम जांच अर्थव्यवस्था को लाने का प्रयास कर रहे है जिसमें लोग आगामी कर अदा करें। हम कर ढांचे में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उन लोगों द्वारा अपने कर तथा अप्रत्यक्ष कर को अदा करने के दायित्व को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए कर दरों में कमी करने का प्रयास कर रहें है जो अपनी उच्चतम सीमा पर हैं। यही कारण है कि उन्होंने आज बजट में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से 370,000 करोड़ रु. से अधिक के संग्रह का प्रस्ताव किया है।

यह पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हैं उसे पहले से बहुत अधिक है। पिछले कुछ महीनों में हमने करों में सुधार किया है। हमने निगम कर को 35 प्रतिशत से घटा कर 30 प्रतिशत कर दिया है। हमने व्यक्तिगत कर ढाचें का सरलीकरण किया है तथा साथ ही व्यक्तिगत करदाता को मिलने वाली कर छूट की सीमा में बढ़ोत्तरी की है। इन रियायतों के बावजूद पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में पिछले कुछ महीनों में राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

साथ ही जहां तक सीमा शुल्क तथ उत्पाद शुल्क का प्रश्न है हमने सीमा शुल्क की 20 प्रतिशत उच्चतम कर सीमा को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। हमने विभिन्न क्षेत्रों में चाहे वे वस्त्र हो अथवा स्टील, मैटीरियल, फारमस्युटिकल, बायोटैक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूरसंचार उपकरण, पीने के पानी संबंधी उपकरण अथवा अन्य वस्तुओं पर से उत्पाद शुल्क 20 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत, 5 प्रशितश तथा 10 प्रतिशत तक कर दिया है। हम दरें घटाते रहे हैं। इस बजट में सभी कर सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क दोनों में भारी कमी की गयी है तथा व्यक्तिगत और निगम क्षेत्र दोनों आयकर में मिलने वाली छुट की सीमाओं को भी बढ़ाया गया है।

इन सभी सुधारों के बाद भी, इन रियायतों के बावजूद राजस्व में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। अर्थात लगभग 60,000 करोड़ की वृद्धि हुई है। तथापि ये संसाधन सभी आवश्यकताओं जैसे देश के प्रत्येक गांवों के हर परिवार तथा व्यक्ति को पेयजल उपलब्ध कराना; प्रत्येक शिक्षित नौजवान को रोजगार उपलब्ध कराना, देश की प्रत्येक इंच भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करने; देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करने; तथा देश के प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। यह मनुष्य की पांच मूलभूत आवश्यकताएं हैं। यह सरकार बेहतर सुविधाएं तथा जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास कर रही है तथा शहरों में ही रहने वाली नहीं बल्कि गावों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर और जीवन दशा में सुधार लाने का प्रयास कर रही है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि भारत गरीब नहीं है बल्कि भारी संख्या में भारतीय गरीब हैं। इसका कारण है कि देश में गरीबों तथा अमीरों के बीच काफी असमानता है। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य काफी विषमता है। हमें इस अन्तर को कम करना चाहिए। हमें अपने संसाधनों में वृद्धि करनी चाहिए जिससे कि हम उसका प्रयोग लोगों की बेहतरी तथा देश में सबसे बढ़िया सुविधाओं के सृजन में कर सकें। ऐसा करने के लिए हमें यह देखने की आवश्यकता है कि हम अपने संसाधनों में किस प्रकार वृद्धि कर सकते है साथ ही अपने अपने प्रशासन में सुधार कर सकते हैं जिससे कि इसमें किसी प्रकार की त्रुटियां न रहें। साथ ही हमें यह देखने की आवश्यकता है कि इसे किस प्रकार से लागू किया जाए तथा समाज के जरूरतमंद लोगें तक किस प्रकार से पहुंचाया जाए।

जहां तक कर सुधार का संबंध है, राजस्व में भारी वृद्धि करने की आवश्यकता तथा सम्भावनाएं हैं। 370,000 करोड़ रु. की राशि बहुत बड़ी राशि नहीं हैं। सम्भावनाएं इससे भी तीन से चार गुना अधिक हैं। ऐसा नहीं है कि देश में धन नहीं है। हमें केवल इस बात का ध्यान रखना है कि लोग कर प्रणाली का पालन करें।

वास्तव में यदि आप आज स्थिति को देखें कर चोरी में भी 15 प्रतिशत लागत आती है। इसका अर्थ यह हुआ कि 15 प्रतिशत से अधिक मूल्य की चोरी करना लोगों की प्रवृत्ति है। यही कारण है कि हमने मूल्यों को 90 प्रतिशत से घटा कर 30 प्रतिशत कर दिया है। मुझे विश्वास है कि यदि आगामी दिनों में राजस्व में वृद्धि होती है हमारे वित्त मंत्री जी कर स्लैबों में कमी और छूट को सीमा में और वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि दी जाने वाली हर छूट प्रशासन को उपकरण तथा घरेलू वस्तुओं की खरीद के बदले में उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क के रूप में अप्रत्यक्ष कर राजस्व में वृद्धि होती है।

मैं वित्त मंत्री महोदय को कुछ सुझाव देना चाहूंगा। कृषि को आयकर दायरे से बाहर रखा गया है। परन्तु हमें यह समझना चाहिए कि देश में व्यवसायिक कृषि हो रही है। अनेक औद्योगिक घराने हैं उनके पास भूमि है और वे कृषि से भारी मात्रा में आय प्राप्त करते हैं उन पर 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत का कर लगाना

गलत नहीं है। क्योंकि कर चोरी की लागत 15 प्रतिशत हैं लोगों की 15 प्रतिशत से कम कर देने की प्रवृत्ति है। मेरा आकलन है कि यदि हम कृषि पर 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत आयकर लगाते हैं हम कितना राजस्व प्राप्त कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि हमें राज्य के राजकोष से कम से कम 10,000 करोड़ रु. अवश्य मिलेगें।

अपराह्न 4.00 बजे

ठीक उसी प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को देखें तो उस पर 3.5 प्रतिशत कर है। हम ऐसा कर रहे हैं कि हम आय पर 90 प्रतिशत की छूट दे रहे हैं तथा शेष 10 प्रतिशत पर अधिभार सहित 35 प्रतिशत कर लगा रहे हैं। मेरे विचार में इसे 10 प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि जैसा कि मैंने कहा यह 15 प्रतिशत से कम होना चाहिए, प्रवृत्ति अथवा आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए क्योंकि कर चोरी की लागत 15 प्रतिशत से कम नहीं है। ऐसा करके हम लगभग 10,000 करोड़ रु. का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त कर सकते हैं। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि उन्हें कर के बोझ तले दबाया जाए।

एक व्यवसायी, एक उद्योगपति होने के नाते में यह बता रहा हूं कि कोई भी व्यवसायी अपना व्यवसाय आरम्भ करने से पूर्व कर रियायतों पर ध्यान नहीं देता। केवल मुंनाफा होने के पश्चात ही वह आयकर, आयकर छूट तथा अन्य कर लाभों पर ध्यान देता है। व्यवसाय आरम्भ करने के लिए वह कोई प्रोत्साहन नहीं हैं। आयकर लाभ अथवा उत्पाद शुल्क लाभ अथवा अन्य लाभ व्यवसाय आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहन का कार्य नहीं करते। मैंने बीस वर्ष पूर्व जब अपना व्यवसाय आरम्भ किया था तब मैंने कभी भी कर रियायतों पर ध्यान नहीं दिया था।

साथ ही हमें शहरी क्षेत्रों में रिक्त पड़ी भूमि पर भी ध्यान देना चाहिए। अनेक लोगों के पास मकान बनाने के लिए संसाधन हैं परन्तु अनेक पास भूमि नहीं हैं क्योंकि भूमि की कीमत मकान बनाने की कीमत से 10 गुना अधिक है। वास्तव में विकास का अर्थ है स्टील तथा सीमेंट की खपत। चीन को देखें वहां स्टील की खपत 380 मिलियन टन है जबकि भारत में स्टील की खपत केवल 30 मिलियन टन है। जहां तक सीमेंट की बात है चीन में 1000 मिलियन अथवा एक बिलियन टन से अधिक सीमेंट की खपत होती है जबकि हमारे यहां भारत में सीमेंट की खपत केवल 120 मिलियन टन हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें यह देखना होगा कि हम विकास की गति को कैसे बढ़ाएं, निमार्ण आवास क्षेत्र में किस प्रकार गति लायी जाए। इन क्षेत्रों में किस प्रकार से पूंजी निवेश लाया जाए इसके लिए हमें विभिन्न तरीके तलाश करने होगें।

मैं एक प्रस्ताव करना चाहूंगा। क्यों न हम संपति कर लगाने पर विचार अथवा इसे लगाने का प्रयास करें। यह केवल एक प्रतिशत लगाया जाए। क्योंकि संपत्ति का कम मूल्य आकलन किये जाने की प्रवृत्ति है। मैं रित भूमि की बात कर रहा हूं। मैं उन भवनों की बात नहीं कर रहा हूं जहां पहले ही काफी विकास हो चुका है। मैं रिक्त भूमि की बात कर रहा हूं। यदि आप भूमि का वास्तविक मूल्य निर्धारित करें तथा शहरी और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में रिक्त पड़ी भूमि पर 10 प्रतिशत संपत्ति कर लगाते हैं, मेरा विश्वास है कि आपको करोड़ो रु. का राजस्व प्राप्त होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्ति आदेश का पालन करे आयकर विभाग के अधिकारी वहां जाएं और कहें कि यदि आप सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य से सहमत नहीं है तो आपकी संपति को नीलाम कर दिया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो घर बनाना चाहता है उसको भूमि उपलब्ध होगी।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश लोग समझते है कि अचल संपति वृद्धि अथवा अचल संपति का मूल्य ही विकास है। मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि अचल संपत्ति का मूल्य उत्पादक नहीं है। रिक्त पड़ी भूमि का वास्तविक विकास किया जाना चाहिए जिससे कि सीमेंट तथा स्टील की खपत में वृद्धि हो तथा सरकार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क के रूप में अप्रत्यक्ष कर तथा उद्योगपतियों से आयकर के रूप में अधिक राजस्व प्राप्त कर सके और इस धन का प्रयोग पेयजल, स्वास्थ्य शिक्षा इत्यादि उपलब्ध कराने में किया जा सके।

साथ ही यह बजट विनिवेश के विषय पर मौन दिखाई दे रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप इन ईकाइयों को किसी व्यक्ति को बेच दीजिए। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि आप इन्हें टाटा अथवा रिलांइस या भारत के किसी बड़े समूह की कंपनियों को बेच दीजिए। हम इन्हें आम जनता को क्यों नहीं बेच सकते जिसमें एक व्यक्ति को 1000 अथवा 500 से अधिक शेयर रखने की अनुमति न दी जाए। मैं समझता हूं कि मेरे मित्र इसका स्वागत करेंगे क्योंकि वित्तीय अर्थव्यवस्था का अर्थ है अग्रसर बनाम पिछड़ापन; वृद्धि बनाम मंद विकास। यह अतीत तथा भविष्य के मध्य स्थित है। यह वाम पंथ अथवा दक्षिण पंथ तक सीमित नहीं है। हमें अर्थव्यवस्था को लाभ तथा हानि, नकारात्मक तथा सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। संसाधनों में प्रभावी रूप से किस प्रकार वृद्धि की जाए यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। मैं पिछले कुछ समय से ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को चलाने में राजकोष का पैसा व्यर्थ जा रहा है क्योंकि इन कंपनियों में निर्णय लेने की क्षमता में कमी अकुशलता, अतिशिष्टता तथा प्रतियोगिता, जवाबदेही और पारदर्शिता

[श्री एल. राजगोपाल]

का अभाव है। धीरे-धीरे सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकांश कंपनियों रुग्ण होती जा रही हैं। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि इसका कारण प्रशासन अथवा अच्छे लोगों का अभाव नहीं है बल्कि इसका कारण है सरकार का हस्तक्षेप, सरकारी हिस्सेदारी तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया जिसमें अधिक समय लगाता है। उदाहरण के लिए यदि इंडियन एअरलाइंस को बेहतर जहाज खरीदते हैं तो इसमें अत्यधिकसमय लगता है और इसी बीच सी.बी.आई जांच अथवा अन्य सभी प्रकार की जांच होने लगती हैं। अन्ततः वे निजी विमान एअरलाइंस का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि या तो इसका आकार बढ़ा होना चाहिए या फिर इसकी गति तेज होनी चाहिए। मुझे यह कहते हुए यह खेद है कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के आकार तथा गति में कमी होती जा रहीं हैं तथा वे निजी क्षेत्र की कंपनियों की कार्य क्षमता का कभी मुकाबला नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र अक्षम है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कर्मचारी असक्षम हैं। इसका कारण है सरकारी हिस्सेदारी तथा इन पर नौकरीशाही का नियंत्रण जिसके कारण इन कंपनियों को दबाब में कार्य करना पड़ता है।

हम ऐसा विनिवेश क्यों नहीं कर सकते कि जिसमें हिस्सेदारी आम जनता में बटें? सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ सरकारी कंपनी नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ है ऐसी व्यवस्था जिसमें हिस्सेदारी आम जनता में निहित हो। सरकार को अपनी हिस्सेदारी पर नियंत्रण के लिए किसी मध्यस्थ माध्यम की आवश्यकता नहीं है। आम जनता तथा छोटे निवेशक ओ.एन.जी.सी. इंडियन ऑयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, भारत संचार निगम लि. जैसी कंपनियों में निवेश क्यों नहीं कर सकते? इन्हें वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बनाया जा सकता है। इस प्रकार से आम जनता इन कंपनियों को सीधे नियंत्रित करेगी तथा निर्णय लिए जाएंगे। कंपनी के मुख्य अधिकारियों को जब तक आम जनता तथा निवेशकों का उन पर विश्वास है कंपनी में रखा जाए। यदि वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो उन्हें हटाया जाए। हमें अनुपालन के विषय में पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए यदि हम इन सभी बातों का पालन करें तो हम अधिक संसाधन तथा धन प्राप्त कर सकते हैं जिसका प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां इसकी आवश्यकता है।

सरकार ने दो प्रशिक्षण शिक्षा उपकर लगाया है। वर्ष 2003 में शिक्षा के लिए 2002 करोड़ रु. का आवंटन किया गया था तथा इस वर्ष संप्रग सरकार ने इसे बढ़ाकर 7,150 करोड़ रु. कर दिया है यह 5000 करोड़ रु. की महत्वपूर्ण वृद्धि है। शिक्षा उपकर से प्राप्त संपूर्ण राशि का पूरे देश में आवंटन किया गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज प्रत्येक जिले में सर्व शिक्षा अभियान के लिए करोड़ों रु. उपलब्ध हैं जिसका उपयोग वे बेहतर अवसंरचना, बेहतर सुविधाओं तथा शिक्षकों की भर्ती में कर रहे हैं। धन उपलब्ध है और इसका उपयोग अच्छे कार्यों में किया जा रहा है।

जैसा कि श्री चिदम्बरम जी ने कहा कि परिव्यय नहीं परिणाम महप्वपूर्ण है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि केवल आश्वासन नहीं सुशासन महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। हम शासन पर ध्यान दे रहे है और यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आवंटन वास्तविक तथा जरुरतमंद लोगों को ही मिले। इन्हीं शब्दों के साथ में यह कहना चाहूंगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर के दायरे में लाना सुनिश्चित करना चाहिए, राजस्व वृद्धि के प्रयास करने चाहिए और इस धन का आवंटन जरूरतमंद लोगों तथा क्षेत्रों में करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुजन समाज पार्टी मौजूदा यूपीए गवर्नमेंअ को सपोर्ट करती है, तो जाहिर है कि हम बजअ पर हां ही बोलेंगे, न नहीं बोलेंगे। लेकिन बड़े दुख और अफसोस के साथ में कुछ बातों का इजहार करना जरूरी समझता हूं। पिछले साल भी बजट बिना किसी बहस के पास हुआ था। इन लोगों की अदम्य मौजूदगी से फायदा उठाकर कल सारे विभागों के बलट को एक साथ बिना बहस के पास करा लेना, क्या यूपीए सरकार को शोभा देता है? मैं मानता हूं कि पिछले साल मजबूरी थी क्योंकि आखिरी समय तक हंगामा होने की वजह से बजट पर बहस नहीं हो पाई, इसलिए बजट बिना बहस के ही पास कराया गया। अगर इस बार भी वैसी मजबूरी होती तो मैं मानता कि बजट का पास होना जरूरी है। अगर कुछ लोग जो बाहर भी दंगा करते हैं और अंदर भी वही रवैया अपनाये हुए हैं तो मजबूरी होती, लेकिन इस साल ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। कल जिस तरह सारे विभागों का बजट पास कराया गया, वह उचित नहीं था।

सभापति महोदय, मैं बजट के आंकड़ों पर एक शब्द नहीं बोलना चहता। मुझसे पहले कई लोग इस पर बोल चुके हैं। और मेरे बाद भी बोलेंगे। चूंकि सारा बजट, सारी योजनाएं आंकड़ों का खेल होती हैं। यहां से लेकर जिले तक, जिला योजना समिति की जो बैठक होती है, वह भी सिर्फ आंकड़ों का खेल बनकर रह गयी है। सरकार ने राष्ट्रपति के अभिभाषण से लेकर बार-बार जो ऐलान किये हैं, उससे लगता है कि कमीशनों की भरमार होगी। कमीशन वैसे भी बहुत ज्यादा हैं लेकिन कमीशनों की भरमार हो रही है। वित्त मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि जहां आप पचासों नये कमीशन बनाने वाले हैं वहां एक कमीशन और बना दीजिए।

जो इसकी जांच करे कि आप जो पैसा योजनाओं के लिए देते हैं, जिस उद्देश्य से देते हैं, क्या कुछ पैसा उस मकसद से भी खर्च हो रहा है? अगर सही ढंग से जांच हो जाएगी तो पता लगेगा कि हम लोक सभा के सदस्य जिन्हें बड़ी उम्मीदों से जनता सीधे-सीधे वोट देकर संसद में पहुंचाती है, अब हमें जनता को मजबूर होकर बताना पड़ेगा कि हम एक बेबस और बेजान हथियार की भांति है कि जो पॉवर में आता है,जनता का खून जितना चाहे, हमारे जरिए निचोड़ ले और हम राजनीतिक मजबूरी में रह जाते हैं और जनता का खून निचोड़कर बांटा जा रहा है तथा कहीं कोई विकास के नाम पर 10-20 प्रतिशत खर्च हो जाता है तथा बाकी सब लूट लिया जाता है।

अपराह्न 4.11 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन* हुए]

इसकी जांच के लिए आप एक कमीशन बनाइए। क्या हमारा काम सिर्फ यही रहा गया है कि आप जब चाहें 'वैट' लागू कर दें, जब चाहें तेल के दाम बढ़ा दें, जब चाहें सर्विस टैक्स लगा दें और जितना चाहें लगा दें, जनता का खून निचोड़कर समुद्र बना दें और उस समुद्र से नहरे निकालकर राज्य सरकारों और जिलों तक भेजें और उन नहरों का सारा खून *.........* लूटकर ले जाएं? क्या हमारा यही काम रह गया है? क्या उसके अलावा और कोई काम नहीं रह गया है कि आप जो योजनाएं बनाते हैं, क्या आपने मान लिया है कि यह 'कुरान' की आयात है कि उसमें कोई तबदीली नहीं हो सकती या 'गीता' का श्लोक है कि हजारों साल पहले जो लिखा गया था, उसमें कैसे तबदीली करें?

अभी इसी जगह, इसी हाउस में जो माननीय सभापति जी चेयर पर बैठे हुए थे, वह खाद्य मंत्री जी थे और यही चिदम्बरम साहब यहां के फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन्होंने बहुत अच्छी योजना बनाई, बहुत सोच-समझकर योजना बनाई कि गांवों में जो बहुत गरीब लोग हैं, जो अनाज नहीं खरीद पाते, उनको छूट दी जाए और सस्ता अनाज दिया जाए तथा 8000 करोड़ रुपये की उस जमाने में योजना बनाई गई थी। उसका यूनाइटेड फ्रंट के अंदर और बाहर विरोध किया गया था और मुझे मालूम है कि मुझे बुलाकर खाद्य मंत्री श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने कहा था कि आप कहीं क्षेत्र में नहीं जाएगा जब तक योजना पास न हो जाए क्योंकि आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। मैं भी खुश था कि जब इतनी बढ़िया योजना है कि गरीबों को सस्ता अनाज मिलेगा, भले ही देश पर 8000 करोड़ रु. का बोझ पड़ेगा, कोई बात नहीं है लेकिन कोई भूखा तो नहीं मरेगा। मैंने भी डटकर इसी सभा में 1997 में उसका समर्थन किया था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद बल्कि 2-3 सालों के अंदर मुझे अंदाजा हो गया था कि यह योजना सिर्फ के लिए बनी है। गरीबों के लिए नहीं बनी है या जब बनाई गई थी, उस समय नीयत तो सही थी लेकिन उसका अपहरण हो चुका है। लेकिन जैसे कोई भी सरकार हो चाहे पहले वाली सरकार रही हो या आज वाली सरकार हो, सबने मान लिया है कि जैसे यही 'कुरान' की आयत है कि 1400 साल पहले जो लिखा गया था, इसमें कैसे तबदील कर सकते हैं? इसमें तबदीली करने का हमें कोई अधिकार नहीं है।

राज्य मंत्री जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 26,000 करोड़ रुपया जो 'अन्त्योदय' योजना और बीपीएल के लिए आप बजट से देते हैं, एक तरफ गरीबों का खून निचोड़कर 26,000 करोड़ रुपया जमा करते हैं और दूसरी तरफ गरीबों के नाम पर इस रुपये को देते हैं लेकिन इसमें हजार, दो हजार रुपया ही, मैं दावे के साथ सकता कह सकता हूं कि कोई भी बड़े से बड़ा कमीशन और आयोग आप बिठा लीजिए, हजार और दो हजार करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा गरीबों तक नहीं पहुंचाता। सब बीच में ही राज्य सरकार के खाद्य विभाग, केन्द्र सरकार की एफीसीआई से लेकर डीआरडीए से लेकर ब्लॉकों तक और कोटेदारों से लेकर सब पूरा 26,000 करोड़ रुपये में से अगर 25,000 करोड़ नहीं तो 24,000 करोड़ रुपये लूट लेते हैं और आप हैं कि बहाए चले जा रहे हैं। क्या आप ऐसी कोई तरकीब नहीं सोच सकते कि 26,000 करोड़ रुपये की जो योजना है, वह योजना ही बंद कर दें और 26,000 करोड़ रुपया गरीबों को सीधे आप पहुंचा दें। बीच में न कोई अधिकारी, बिचौलिया, कोई नेता और ने.कोई तीसरा हो तथा यह पैसा सीधे आप गरीबों तक पहुंचा दीजिए। जब किसान की नई फसल आती है, राज्य व केन्द्र सरकार के खाद्य विभाग के अधिकारी ऐसी नीति बनाते हैं कि अनाज सस्ता हो जाए। अधिकारियों से मिला हुआ आदमी बाजार से अनाज खरीद लेगा, जो वहां का रेट होगा। एफसीआई केन्द्र सरकार का उपक्रम है। एफसीआई जब अनाज की खरीद करती है, तो उसके उच्चाधिकारी, आईएएस अधिकारी हर सूबे में चोरों और उचक्कों के माध्यम से ऐसी नीति बनाते हैं कि गेहूं और धान का जो सीजन है, उसका रेल सरकारी खरीद से बहुत कम हो। इस साल गेहूं की खरीद का रेट आपने 646 रुपए प्रति क्विंटल तय किया

*....*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया गया।

*....*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया गया।

[श्री इलियास आज़मी]

है। लेकिन जब किसान उसे बाजार में बेचने जाता है तो बिचौलिए उससे वही गेहूं 500 रुपए या 540 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद लेते हैं। मैंने संसद में इस बारे में कई बार आवाज उठाई इसलिए सरकार में थोड़ी सी चुस्ती आई है। उसका नतीजा यह हुआ कि वह गेहूं अब वे लोग 600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से किसान से ले रहे हैं। वे लोग उसी गेहूं को आपके द्वारा तय प्राइस पर एफसीआई को बेच देते हैं। हमने देखा है कि कई-कई ट्रक्स द्वारा एफसीआई को बेच देते हैं। हमने देखा है कि कई-कई ट्रक्स द्वारा एफसीआई में वह गेहूं जाता है। जो किसान बैलगाड़ी में या ट्रैक्टर-ट्रॉली में अपना गेहूं लाता है, उसे गेहूं बेचने में बाजार में चार-पांच दिन लग जाते हैं, इससे उसका बहुत नुकसान होता है। पिछले पांच साल में किसान ने मान लिया है कि हमारा गेहूं सीधे नहीं खरीदा जाएगा। इसीलिए वह अपना गेहूं बिचौलियों के हाथ बेचने पर मजबूर है। किस तरह से गरीबों को लूटा जाता है, देश में कैसे लूट का बाजार गर्म है, इसे देखने के लिए आप एक कमीशन बनाएं। आपने सैकड़ों कमीशन बनाए हैं, एक यह भी बना दें। हम गरीबों पर टैक्स लगाकर यहां बजट पास करते हैं। गरीबों का खून किस तरह से चूस कर हम लूटेरों में पैसा बांट रहे हैं, इसे देखने के लिए भी एक कमीशन होना चाहिए, जिससे पता चले कि कैसी-कैसी लूट हो रही है।

आपने बहुत दिन पहले राष्ट्रीय साक्षरता मिशन नाम से योजना चलाई। लेकिन आपने यह देखने का काम नहीं किया कि अरबों-खरबों रुपया इस योजना में खर्च करके भी ज्यादा उम्र के एक भी व्यक्ति को हम साक्षर नहीं कर पाए। मैंने 11वीं लोक सभा में बोलते हुए चुनौती दी थी कि हरदोई में तीन करोड़ रुपए इस योजना के लिए गए हैं। आप सीबीआई से या आईबी से जांच करा लें कि अगर तीन आदमी भी साक्षर हुए होंगे, उन्हें तलाश लेंगे तो मैं लोक सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। आपने जांच कराई थी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी: मैंने तो कुछ भी समय नहीं लिया है। पूर्व वक्ता तो एक-एक घंटा बोले हैं। मैं अपनी पार्टी से अकेला सदस्य बोलने वाला हूं। जब उस मामले की जांच की गई तो वहां के कलेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया और यह साबित हुआ कि पूरे तीन करोड़ रुपए की लूट वहां हुई है। वह लूट कैसे हुई, यह मैं बताना चाहता हूं। योजना का प्रचार करने के लिए वहां पोस्टर लगाए गए। जो पोस्टर तीन रुपए में छपता है। उसकी कीमत 12-14 रुपए लगाई गई। इसी तरह से सिर्फ 50 पोस्टर छापे गए और बताया गया कि 50,000 पोस्टर छापे गए हैं। आज भी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के नाम पर जो पैसा जिलों में जाता है, उससे एक भी आदम साक्षर नहीं हो रहा है। क्या आपने मान लिया है कि जो पहले से गलतियां होती चली जा रही हैं, उनमें सुधार नहीं करेंगे? आपको इस योजना को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें खूब लूट हो रही है।

जो जरूरी काम हैं, उनके लिए आपके पास पैसा नहीं है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए पैसा है, बीपीएल योजना में लूटने के लिए पैसा है। ग्राम विकास की छोटी-छोटी योजनाओं का सारा पैसा लुटा रहा है, उसके लिए धन की कमी नहीं है और आप चलाए जा रहे हैं। लेकिन आपने तय कर लिया है कि आप माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे। शिक्षा विभाग पर कल बहस होनी थी। लेकिन वह नहीं हो पाई। अगर बहस होती, तो मैं तफसील से बताता कि माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर आप पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक शिक्षा पर कर रहे हैं। संविधान ने आपको जिम्मेदारी दी है कि कुल बजट का दस प्रतिशत पैसा शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। बहुत सी बेकार योजनाएं हैं, जिनका पैसा सीडीओ से लेकर राज्य सरकार के मुख्यालय के सचिव और नीचे के कर्मचारी तक लूट लेते हैं। उसमें कुछ बेइमान नेता भी शामिल हो जाते हैं। ऐसी योजनाओं की छानबीन करके, उन्हें समाप्त कर दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। दोहरी शिक्षा नीति स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बनाई हुई है और आज वह परवार चढ़ गयी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपको दिया गया समय समाप्त हो चुका है। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी: सभापति जी, मैंने बहुत कम समय लिया है। आपसे पहले यहां पर एक-एक घंटे तक माननीय सदस्य

बोले हैं। मेरा कहना है कि आप एक कमीशन बनाइये, वह कमीशन अगर रिपोर्ट दे दे कि 50 प्रतिशत से अधिक इसमें लूट हो रही है तो उन योजनाओं को आप बंद कर दीजिए और जनता को फायदा पहुंचाने के लिए आप कोई और योजना सोचिये। अगर आपसे पहले वाली सरकार ने कोई योजना बनाकर चला दी और उसका सारा पैसा लूटा जा रहा है, तो आप भी उसे चलाते चले जाएं, यह कोई जरूरी नहीं है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने कहना चाहता हूं कि अगर हमारे माननीय वित्त मंत्री जी सिर्फ एक काम कर दें कि जो पाप हम लोग कर रहे हैं, गरीबों का खून निचोड़ने के लिए जो नये-नये टैक्सों पर हमें मुहर लगानी पड़ रही है, हमारा जमीर, हमारी अंतरात्मा हमें कचोटती है कि जिनके पेट में पूरा अनाज नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, इलाज के लिए पैसे नहीं, उनका खून चूसकर हजारो करोड़ रुपया हम सरकार को दे और सरकार वह पैसा ऐसी योजनाओं में लूटा दे जिनको कुछ लूटेरे, सरकारी कर्मचारी से लेकर अधिकारियों तक, सचिवालय से लेकर डीआरडीए और डीआरडीए से इलाके तक पहुंचते-पहुंचते लूट लें, हमारी अंतरात्मा हमें कचोटती हैं कि अपने जिस पैसे हेतु गरीबों के तन से खून निचोड़ा हैं, वहीं दूसरी ओर उसे ऐसे लूटवा रहे हैं। मेरी बदकिस्मती है कि आपसे पहले आसीन सभापति जी ने लम्बा-लम्बा भाषण करवाया। आज यहां ज्यादा बोलने वाले भी नहीं हैं लेकिन मेरा नम्बर आया तो आपने सातवें-आठवें मिनट में ही घंटी बजानी शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं माननीय सदस्यों को यह बता दूं कि यदि किसी असंसदीय शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएग।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी: सभापति जी, चोर को चोर कहना गैर-संसदीय नहीं है और मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। एचआरडी का बजट आपने कल पास कर दिया। दोहरी शिक्षा नीति कांग्रेस को देन है, हमारी देन नहीं है। स्व-वित्त-पोषित योजना के तहत जो डिग्री कालेज बनाये गये हैं वे भी आपकी ही देन है। यह मजबूरी है। सरकारी डिग्री कालेजों में इतनी जगह नहीं कि सारे लड़के वहां पढ़ लें। आपने उसको मान्यता दी है लेकिन केन्द्र का एक विभाग जो यूजीसी है उसने चंद मामलों में बहुत अव्यावहारिक नियम बनाए है, जिन पर अमल करना मुश्किल है। मैं केवल एक मिसाल दूंगा। बीएड क्लास में जो लोग पढ़ते हैं और बीएड की डिग्री लेते है तो उसके बाद प्राइमरी में पढ़ाते हैं या ज्यादा से ज्यादा इंटरमीडिएट में पढ़ाते हैं क्योंकि उससे ज्यादा वे पढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन बीएड में पढ़ाने के लिए यूजीसी ने यह नॉर्म बना दिया है कि जो बीएड क्लॉस पढ़ाएगा वह या तो नेट होगा या पीएचडी होगा और साथ-साथ एमएड भी होगा। मान्यवर, पूरे हिन्दुस्तान में आप तलाश कीजिए तो सौ आदमी भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो पीएचडी भी हो, नेट क्वालिफाइड हों और एमएड भी हों।

नतीजा यह है कि जिस कालेज को बीएड पढ़ाने की मान्यता मिली है, उनको यूजीसी के नॉर्म्स के मुताबिक क्वालिफाइड टीचर्स नहीं मिलते हैं। वे उसी एक धारा का सहारा लेकर कि अगर क्वालिफाइड टीचर्स न हों तो रिटायर्ड टीचर्स रख सकते हैं। ऐसे कॉलेज रिटायर्ड टीचर्स के नाम पर चल रहे हैं। मेरा मानना है कि यूजीसी के नॉर्म्स अव्यावहारिक हैं। इस तरह की और भी बातें हैं। मुझे उच्च शिक्षा पर कल बोलना था जिस की मैंने तैयारी भी की थी लेकिन आपने कल सभी मंत्रालय की अनुदान मांगें पास कर दीं। मैंने सोचा कि आज एक उदाहरण दे दूं। आप ऐसे नार्म्स न बनाएं जो अव्यावहारिक हों। जब अव्यावहारिक योजनाएं बनती हैं तो उसका पैसा लूटा जाता है।*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए। आप अनुदानों की मागों पर चर्चा नहीं कर सकते है। आप केवल वित्त विधेयक पर बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी: सरकार इस बात पर बहुत संजीदगी से विचार करे। जिन योजनाओं का पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है, आप उन सारी योजनाओं को बंद करके गरीबों को डायरैक्ट फायदा पहुंचाने की कोई योजना बनाने के बारे में सोचें।

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): अब यद्यपि राजग के घटक दलों ने वित्त विधेयक पर अत्यन्त महत्वपूर्ण चर्चा का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है पर हमें अपनी चर्चा जारी रखनी चाहिए और इस विधेयक को पारित करना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से वित्त विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछ बातों का उल्लेख करना चाहूंगा जिन पर वित्त मंत्रालय तथा भारत सरकार को विचार करना चाहिए जिससे कि महत्वपूर्ण विषयों को पटरी पर लाया जा सके।

सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहूंगा कि वित्त विधेयक तथा केन्द्रीय बजट राजग सरकार के बजट से भिन्न है। परन्तु इसमें अनेक समस्याएं हैं वित्त मंत्री के बजट भाषण में अनेक वायदे किये गये हैं। जहां तक आवंटन का प्रश्न है अधिकांश आवंटन बहुत कम है जो वायदों को पूरा नहीं कर पायेगा। हम बार-बार यह कहते हैं कि भारत गांवों में बसता है और कृषि हमारा मुख्य व्यवसाय है। बदकिस्मती से बजट भाषण में भूमि सुधारों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं न्यूनतम साझा कार्यक्रम और इसकी वचनबद्धता के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं कांग्रेस के नेताओं को 1936 के कराची प्रस्ताव का स्मरण कराना चाहूंगा जिसमें मूलभूत भूमि सुधार, ग्रामीण गरीबों के लिए घर, आम व्यक्ति के लिए अन्न तथा वस्त्र, पेयजल, ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना इत्यादि के वायदे किये गये थे। एक शताब्दी बीत चुकी है। हम 21वीं सदी में आ चुके हैं। लोगों ने परिवर्तन के पक्ष में मतदान दिया। मतदान केवल सरकार में परिवर्तन के लिए नहीं दिया गया बल्कि राजनीतिक तथा आर्थिक नीतियों में परिवर्तन के लिए मत दिया, जिससे कि देश के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। परन्तु दुर्भाग्यवश लोगों के आश्वासनों तथा आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया जा सका है। अभी भी समय है। यह अब भी सम्भव है। यदि महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाए इन वायदों को पूरा किया जा सकता है।

महोदय, जैसाकि मैंने आपको बताया ग्रामीण भारत में किसानों तथा कृषि श्रमिकों की दशा संतोषजनक नहीं है। मैं यह समझ सकता हूं कि उनकी दशा को एक वर्ष अथवा एक बजट में संतोषजनक नहीं बनाया जा सकता। परन्तु जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। क्या हम बजट में किये गये प्रस्तावों के माध्यम से ग्रामीण भारत की मांगों और आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते? क्या हम इसमें परिवर्तन की उम्मीद कर सकते हैं? मुझे इस संबंध में शंकाएं हैं। यह इस प्रकार से सम्भव नहीं है। वित्त मंत्री महोदय को मूलभूत भूमि सुधार लागू कराने के संबंध में गम्भीरता से विचार करना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। राज्यों पर इस सम्बन्ध में बार-बार दबाव डाला जाना चाहिए। कई राज्यों में भूमि सुधार अधिनियम हैं परन्तु उनका पालन नहीं किया जा रहा है। यदि इसे केरल तथा पश्चिम बंगाल में लागू किया जा सकता है तो इसे अन्य राज्यों में लागू क्यों नहीं किया जा सकता? इस कार्य को पूरा किये बिना तथा लाखों एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा दिए बिना हम भूख से होने वाली मौतों तथा आत्महत्याओं को नहीं रोक सकते।

जहां तक कृषि श्रमिकों का प्रश्न है, रोजगार गारंटी अधिनियम का वायदा किया गया है। दुर्भाग्यवश तकनीकी कारणों से इसमें विलम्ब हो रहा है। रोजगार गारंटी अधिनियम में 100 दिन के रोजगार का आश्वासन दिया गया है तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार का आश्वासन दिया गया है। यह पर्याप्त नहीं है। मेरा अनुमान है कि यह केवल 150 जिलों तक ही सीमित है। इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। न्यूनतम साझा कार्यक्रम से यही अपेक्षा की जाती है। इस संबंध में कई आकलन किए गए हैं। एक आकलन के अनुसार यदि इसे पूरे देश में लागू किया जाता है तो 150 दिन के कार्य के लिए 38,000 करोड़ रु. से 42,000 करोड़ रु. की लागत आ सकती है।

गत वर्ष और उससे पिछले वर्ष के दौरान चौदह राज्यों में लगातार अकाल पड़ा तथा कुछ राज्यों में तीसरे वर्ष भी अकाल पड़ा। कुछ राज्यों में पांचवें वर्ष भी अकाल पड़ा। यदि रोजगार गारंटी योजना न हो और यदि कृषि श्रमिकों के लिए अन्न न हो तो ग्रामीण भारत में इसके गम्भीर परिणाम होंगे। कृषि श्रमिकों के लिए एक व्यापक केन्द्रीय अधिनियम समय की मांग है। कई दशकों से इस पर बार-बार चर्चा की जा रही है।

पिछली बार कांग्रेस पार्टी के शासन काल में विधेयक का मसौदा तैयार किया था। परन्तु कई राज्यों ने इस पर आपत्ति की थी इसलिए इसे वापस ले लिया गया था। पुनः राजग शासन के दौरान भी इस पर चर्चा की गयी थी। देश में कृषि श्रमिकों की बहुत बड़ी संख्या में है। असंगठित क्षेत्र में यह सबसे बड़ी संख्या में है। यही लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं। वे अपने कार्य के अलावा किसी और कार्य पर निर्भर नहीं रह सकते। उन्हें पेंशन दी जानी चाहिए; उन्हें जीवन सुरक्षा दी जानी चाहिए; तथा उन्हें न्यूनतम सुविधाएं दी जानी चाहिए। ऐसा केवल केन्द्रीय अधिनियम के माध्यम से ही किया जा सकता है जो केरल अधिनियम की तर्ज पर होना चाहिए। उसके पश्चात ही कृषि श्रमिकों को कुछ न्यूनतम लाभ मिल सकते हैं। दुर्भाग्यवश वित्त मंत्री जी के बजट प्रस्तावों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में इस पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा तथा समस्या को दूर किया जाएगा।

अब मैं ग्रामीण भारत के किसानों तथा कृषि श्रमिकों की ऋण समस्या की ओर आता हूं। वित्त मंत्री जी ने वायदा किया है कि

अगले तीन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र में दिये जाने वाले ऋण राशि को दोगुना किया जाएगा।

यह एक अच्छा कदम है। यद्यपि माननीय वित्त मंत्री ने स्वयं कहा है "मैं बैंकों द्वारा किसानों को ऋण दिये जाने का आश्वासन देता हूं" परन्तु राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं की ओर से उदारता का प्रदर्शन नहीं किया गया है। वे अपनी गारंटी पर जोर दे रहे हैं। वे कहते हैं कि पहले पुराना ऋण चुकाया जाना चाहिए। यदि किसान पुराना ऋण चुकाने में सक्षम होते तो उन्हें नया ऋण लेने की आवश्यकता ही क्या है? ऐसी स्थिति में सरकार को सकारात्मक हस्तक्षेप करना चाहिए।

मैं यह कहना चाहूंगा कि सहकारी अधिनियम जिसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया है, देश के सहकारी क्षेत्र को क्षति पहुंचा सकता है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत के किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उन्हें साहूकारों के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए कुछ उपाय किये गये हैं। सहकारी आन्दोलन को नष्ट कर उन्हें पुनः साहूकारों के शिकंजे में धकेला जा रहा है ये साहूकार पुराने तरह के नहीं है बल्कि आधुनिक वित्तीय कंपनियां हैं जो किसानों का खून चूस रही हैं। प्रत्येक सौ रुपये पर प्रति माह दो रुपये से तीन रुपये, पांच रुपये तक का ब्याज वसूला जा रहा है। जो कि बहुत अधिक है। यही कारण है कि किसानों द्वारा आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है। इसलिए और अधिक ऋण दिया जाना ही काफी नहीं है। ग्रामीण सहकारिता आंदोलन, और ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है और केरल इसके सुदृढ़ीकरण से ही ग्रामीण कृषक समाज को ऋण के जाल से बचाया जा सकता है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में किये गये वायदों की जांच करने का आग्रह करूंगा। पूर्ववर्ती राजग सरकार ने देश के सार्वजनिक क्षेत्र को ध्वस्त करने की शपथ ली थी। उन्होंने विनिवेश और निजीकरण जारी रखा और यह सब वैश्वीकरण की आड़ में किया गया। यहां तक कि इस देश के महत्वपूर्ण अधिनियमों को भी महत्व नहीं दिया गया। श्रम कानूनों की परवाह नहीं की गयी। दुर्भाग्य से, नई सरकार के सत्ता में आने के बाद, यद्यपि निजीकरण की प्रक्रिया रुक गयी है परन्तु यह अभी पूरी तरह समाप्त नहीं की गयी है। मैने अभी-अभी कुछ कांग्रेसी सांसदों के भाषण सुने हैं। वित्त विधेयक का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए आर्थिक सुधारों के कार्यान्वयन के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा सरकार से आग्रह है कि वह सहृदय हों। बिना मानवीय हृदय केवल मानवीय चेहरा रखना तो "गौ-मुख व्याघ्र' होना हुआ, यह बहुत खतरनाक है। बिना मानवीय हृदय रखते हुए केवल मानवीय चेहरे के प्रदर्शन के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जैसे छोटे-छोटे लाभ प्रदान करके उन्हीं आर्थिक नीतियों को जारी रखने जा रहे हैं। यह मानवीय चेहरा नहीं है। सरकारी क्षेत्र को क्यों ध्वस्त किया जाना चाहिए। बहुत से बंद किये जा चुके सरकारी क्षेत्र के एककों का पुनः शुरू किया जाना चाहिए था। परन्तु उन्हें फिर से बी.आई.एफ.आर. के पास भेजा जा रहा है, क्यों। पूर्ववर्ती राजग सरकार ने यह दर्शाने का प्रयास किया कि इकाईयां घाटा उठा रही थी। वही पुरानी नीति क्यों अपनायी जा रही है। नई नीति पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। एच.एम.टी., एच.सी.एल. तथा सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया जैसी इकाईयों और इन कंपनियों को पुनः शुरू किया जा सकता है। यह बच सकती है, हम वामपंथी दलों के सदस्य केवल कुछ लोगों का रोजगार ही बचाना नहीं चाहते। राष्ट्र के जीवन में सरकारी क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले 50 सालों में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश की ओर देखने तथा इसकी परिसम्पत्तियों का हिसाब करने पर पता चलता है कि यह तब से अब तक सौ गुणा या हजार गुणा बढ़ गयी है।

सरकारी क्षेत्र की इकाइयां घाटा नहीं उठा रही है। यदि सरकारी क्षेत्र की किसी ईकाई को कहीं कोई घाटा हो रहा हो तो इससे बचने के तरीके ढूंढे जाने चाहिए। सरकारी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा लगातार घाटा उठाये जाने की स्थिति में उनको चालू रखना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। परन्तु प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाई को अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। उनका समुचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए तथा उन्हें पुनः कार्यशील बनाने के लिए और अधिक धन दिया जाना चाहिए।

महोदय, इस संदर्भ में, मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। यह केवल सरकारी क्षेत्र का समर्थन करने का प्रश्न नहीं है। विनिवेश अभी भी जारी है। कुछ पुरानी नीतियों का नवीकरण किया जाना चाहिए। तेल कम्पनियों का विनिवेश क्यों किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: आपका समय समाप्त हो गया है। मैं आपको अतिरिक्त समय दे रहा हूं। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: महोदय, राजग के यहां उपस्थित न होने के कारण मैं आपसे कुछ और समय दिये जाने का आग्रह करता हूं। कृपया हमें इस अवसर का लाभ उठाने की अनुमति दें। जब विपक्षी दल के सदस्य यहां होते हैं तो हमें बहुत कम समय मिलता है। जब वे यहां उपस्थित नहीं हैं तो हमें कुछ अधिक समय मिलना चाहिए।

महोदय, मैं निजीकरण के प्रश्न का उल्लेख करना चाहूंगा। हमारे देश में पिछले 10-15 वर्षों से यह नीति जारी है चाहे कोई

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]

भी पार्टी सत्ता में रही हो। निजीकरण का प्रसार अब शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में हो गया है।

आज प्रातः मैंने टकसाल का मुद्दा उठाया था। कम से कम सिक्के बनाने वाली टकसालों को तो बचाया जाना चाहिए। मैं बता रहा था कि वित्त मंत्रालय की आर्थिक शाखा ने निजी क्षेत्र द्वारा 10 रुपयों के द्विधातु, उन पर बिना कुछ छपे हुए खाली सिक्कों की आपूर्ति करने के लिए निविदा देने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल 2005 रखी है। पिछले वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा था कि 5 रु. और 10 रुपये के सिक्कों की कोई मांग नहीं है और हमारी टकसालें काम की कमी झेल रही है। हमारे देश में काफी कुशल टकसालें और इंजीनियर हैं। कल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदान मांगें पारित करते समय माननीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने ठीक ही दावा किया था कि भारत में दक्ष इंजीनियर प्रौद्योगिकीविद् हैं। यह सत्य भी है। परन्तु अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारी टकसालें क्यों बंद हो गयी? हमारे इंजीनियरों को काम क्यों नहीं मिलता? नये सिक्कों के डिजायन जर्मनी इटली और अन्य देशों से क्यों मंगाये जाने चाहिए और इसके लिए करोड़ों रुपये खर्च किये जाएं? ऐसी बातें समाप्त की जानी चाहिए। हमारे यहां नए सिक्कों के डिजायन बनाने वाले कुशल डिजायनर हैं। हमारी टकसालों में टनों धातु उपलब्ध हैं परन्तु हमें निजी कम्पनियों से सिक्के मंगवा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग): सभापति महोदय, इसकी जांच करायी जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: सिक्कों की आपूर्ति के लिए विदेश से निविदाएं किसने मांगी हैं?

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: वित्त मंत्रालय ने 10 रुपयों के सिक्कों की आपूर्ति के लिए निजी भारतीय कम्पनियों से निविदायें मांगी हैं और डिजायन जर्मनी कम्पनियों से मंगाये हैं?

श्री पी. चिदम्बरम: क्या सिक्कों की आपूर्ति के लिए या सिक्के के डिजायन के संबंध में निविदाएं मांगी गयी हैं?

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: ये दोनों अलग बाते हैं। डिजाइन आने के लिए जर्मनी से नई मशीनरी के आदेश दिये गये हैं। कृपया इसकी जांच कराये।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं इसे नोट कर रहा हूं। मुझे आश्चर्य है। मैं इसका पता लगाने का प्रयास करूंगा। इसलिए पहले मुझे आपकी शिकायत का पता चलना चाहिए। यह सिक्कों की आपूर्ति के लिए मंगायी गयी निविदा है या सिक्के के डिजायन के लिए मंगायी गयी निविदा है। यह क्या है?

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: मैंने बताया है कि यह दोनों अलग बातें हैं।

पहले, एक जर्मन कम्पनी से नए सिक्कों का डिजाइन बनाने के लिए 30 करोड़ रुपये के आदेश के बारे में बातचीत हुई।

दूसरे, नए सिक्कों को बनाने के लिए भारतीय कम्पनियों से निविदाएं मांगी गयी हैं और कल निविदा देने की अंतिम तारीख है। यह वित्त मंत्रालय की आर्थिक शाखा द्वारा किया गया है।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं इसका पता लगाऊंगा।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: हैदराबाद और कोलकाता सहित विभिन्न टकसालों में सैकड़ों टन धातु उसके लिए आरक्षित रखी जाती है।

श्री अनिल बसु: कुछ ऐसा हो रहा है जिसके विषय में माननीय मंत्री जी नहीं जानते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: नहीं, कृपया कोई निष्कर्ष न निकाले ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: महोदय, मैं निजीकरण के कारण आ रही समस्याओं का संदर्भ देना चाहूंगा। पूर्ववर्ती सरकार ने बी.एस.एन.एल. को बी.एस.एन.एल. और वी.एस.एन.एल. इन दो भागों में बांटने का प्रयास किया। वी.एस.एन.एल. को औने-पौने दामों पर बेच दिया गया। इसे टाटा कम्पनी को मात्र 1250 करोड़ रुपये में बेचा गया। नए चेयरमैन द्वारा कार्यभार सम्भालने के तुरन्त बाद, इसी राशि में 20 करोड़ रुपये मिलाकर वी.एस.एन.एल. से टाटा टेलीकाम कम्पनी, हैदराबाद में निवेश किया गया। इसका मतलब है कि बिना एक पैसा निवेश किये निजी कम्पनियां सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों पर अधिकार कर पा रही हैं। बी.एस.एन.एल. को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और बी.एस.एन.एल. इन दो भागों में बांटा गया। मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि इन्हें फिर से मिलाने का प्रस्ताव है। इसे बांटा ही क्यों गया? इसे क्यों मिलाया जाएगा? इसे क्यों बेचा जाना है। कोई नहीं समझता कि सरकारी क्षेत्र में यह किस तरह का तमाशा चल रहा है?

जहां तक निधियों के समुचित उपयोग का संबंध है, मैं नहीं जानता कि पूर्ववर्ती सरकार की क्या नीति थी। देश में भारतीय खाद्य निगम के बड़े-बड़े गोदाम हैं। अधिक संख्या में गोदाम भी बनाये जा सकते थे परन्तु राजग सरकार ने निजी गोदामों को बढ़ावा देने की नीति अपनायी और ये निजी गोदाम बैंकों से

सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम से प्रति गारंटी पर ऋण लेकर बनाये गये ...(व्यवधान)

सभापति महोदयः कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डीः महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

सभापति महोदयः आपने जो भी बातें कही हैं वे सभी महत्वपूर्ण हैं। आपके लिए कुछ भी महत्वहीन नहीं है।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डीः महोदय, भारतीय खाद्य निगम ने गारंटी दी है कि चाहे हम आपका गोदाम उपयोग करें या न करें हम उसका किराया देंगे। माननीय वित्त मंत्री जी को इसकी जांच करनी चाहिए। एक निजी कम्पनी को, चाहे उसके गोदामों का उपयोग किया जाए या नहीं, किराये का भुगतान क्यों किया जाए जबकि भारतीय खाद्य निगम के अपने गोदाम खाली पड़े हैं? यह सब कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के धन से निजी पूंजी सृजित करने के लिए है। ऐसा केवल आंध्र प्रदेश में ही नहीं अपितु अधिकांश दूसरे राज्यों में भी हो रहा है। वे इसे रोकते क्यों नहीं हैं? यदि इनके लिए भुगतान किया ही जाना है तो इनका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर दिया जाता। इन गोदामों का अधिग्रहण कर लीजिए। इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण चीजों को जारी नहीं रखना चाहिए।

पूर्व में, विद्युत क्षेत्र में भी ऐसा ही किया गया है। निजी विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं, चाहे आप विद्युत खरीदे या न खरीदें आप एक निर्धारित शुल्क अदा करेंगे ही, हमें निर्धारित शुल्क क्यों अदा करना चाहिए। सरकार बैंक को प्रति गारंटी देती है। वे जेनकोस को क्यों नहीं देते? सरकार स्वयं ऋण लेकर विद्युत का उत्पादन क्यों नहीं करती? वह एक निजी व्यक्ति को प्रति गारंटी क्यों देना चाहती है और फिर उसे, चाहे वह उससे विद्युत खरीदे या न खरीदे, भुगतान क्यों करना चाहती है?

एक ओर वे यह महसूस करते हैं कि उनके पास रोजगार गारंटी योजना के लिए धन नहीं है। इनके पास किसानों के ऋण माफ करने के लिए धन नहीं है। उनके पास इस देश के गरीब लोगों को देने के लिए धन नहीं है। यह कोई उचित नीति नहीं है।

मैं एनरॉन पॉवर परियोजना के बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। दाभोल विद्युत परियोजना बंद हो चुकी है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड ने धन का भुगतान करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। विद्युत परियोजना बंद हो जाती है। मूल कम्पनी, एनरॉन, स्वयं एक बेईमान कम्पनी पायी जाती है। अब, भारत सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक, आई.सी.आई.सी.आई. और भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से हजारों करोड़ रुपये के विदेशी ऋण का भुगतान करने का निर्णय लिया है। एक ऐसी कम्पनी में इतने अधिक धन का निवेश क्यों किया जाए जो बंद हो चुकी है, जो दोषी पाई गई है? एनरॉन कम्पनी और दाभोल विद्युत परियोजना के चारों ओर बहुत से घोटाले छाए हुए हैं। सरकार को इन परियोजनाओं पर पुनः विचार करना चाहिए ...(व्यवधान)

सभापति महोदयः श्री रूपचन्द पाल।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः श्री रेड्डी आप 25 मिनट तक बोल चुके हैं। मैं आपको और अधिक अनुमति नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डीः मैं आपके साथ झगड़ा नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं ...(व्यवधान)

सभापति महोदयः यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डीः सभापति महोदय, मैं केवल कुछ और बातों का उल्लेख करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

सभापति महोदयः माननीय सदस्य, आप 25 मिनट तक बोल चुके हैं। आपको केवल 5 मिनट का समय आवंटित किया गया था।

...(व्यवधान)

श्री अनिल बसुः सभापति महोदय, वे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदयः आप उनका समर्थन क्यों करते हैं? वे आपके समर्थन के बिना बोल सकते हैं। उनके लिए आपका समर्थन आवश्यक नहीं है। वे कितनी ही बार बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिए। आपके पास बहुत-बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आप उन्हें समाप्त करने के लिए घंटों ले सकते हैं; परन्तु हमारे पास समय बहुत सीमित है।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डीः एक साथ कई दिनों तक बोलते रहने की क्षमता मुझमें नहीं है लेकिन मुझे बोलने की अनुमति दी जाए; मैं कुछ और बातें कहकर इसे समाप्त कर रहा हूं।

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]

पहली बार वित्त मंत्री जी ने लैंगिक आधार पर बजट प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वह एक अच्छी बात है। बहुत से देशों में ऐसा प्रस्तावित किया जा रहा है। इसमें बहुत अधिक लाभ नहीं दिया गया है परन्तु लैंगिक आधार पर न्याय किया जाना चाहिए। हम गत 7 या 8 या 10 वर्षों से विधायिकाओं, संसद में, महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने पर चर्चा करते आ रहे हैं। इस विधान, महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण, से लैंगिक आधार पर न्याय किया जा सकेगा। यह विधेयक प्रतीक्षारत है। अब, दलों और संसद सदस्यों का बहुमत इसके पक्ष में है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी यह प्रस्तावित है। मेरे विचार से, यही वह समय है जब सरकार को साहसपूर्ण तरीके से इस विधान को लाने और लंबे समय से लंबित लैंगिक आधार पर न्याय करने की घोषणा करनी चाहिए।

महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के बारे में एक अपील करना चाहूंगा। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना स्वतंत्रता सेनानी विशेष जांच समिति की कुछ हजार लोगों को पेंशन देने के प्रस्तावों को स्वीकार करने का एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। लेकिन पुन्नापुरा, वयालार और कुछ अन्य स्थानों पर अभी भी कुछ लोग इस पेंशन के लिए प्रतीक्षारत है, वे सभी अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में हैं। दुर्भाग्यवश ये मामले कई महीनों से लंबित पड़े हैं। बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तो एक दिन का विलंब भी अन्यायपूर्ण हो सकता है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि स्वतंत्रता सेनानियों तथा अन्य पेंशनधारियों के साथ न्याय किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपकी अंतिम बात कभी समाप्त नहीं होगी।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: वित्त मंत्री जी द्वारा एक नया पेंशन अधिनियम प्रस्तावित किया जा रहा है। जिस विषय पर चर्चा की जा रही है वह बहुत गंभीर मुद्दा है। नया पेंशन अधिनियम और यहां तक कि बजट में नई श्रेणियां भी बहुत गंभीर समस्याएं खड़ी करने जा रही हैं। ऐसी भावना है कि पेंशनधारियों को न्याय नहीं मिल रहा है। पेंशनधारियों को पूर्व में प्रदान किये जा रहे लाभों को पुनः प्रदान किया जाना चाहिए। अन्यथा, वे लोग गंभीर कठिनाइयों में पड़ जाएंगे। आवश्यक वस्तुओं व खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि होती है और दूसरी ओर करों की दरें भी बढ़ाई जा रही हैं, इसका बहुत कठोर प्रभाव पड़ेगा।

अंत में, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सं.प्र.ग. सरकार आम आदमी के लिए भोजन और आश्रय, कपड़ा, जल, विद्युत, संचार आदि के प्रति प्रतिबद्ध है। पूरे संसार में वैश्वीकरण हो रहा है।

सभापति महोदय: माननीय श्री रूपचंद पाल।

श्री रेड्डी, मुझे पता है आप रुकेंगे नहीं।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत अरबपतियों के क्लब में सम्मिलित हो चुका है। इसी के साथ-साथ गरीबी भी बढ़ रही है। बड़ी संख्या में लोग कंगाल हो रहे हैं।

लगभग 40 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। इस स्थिति पर प्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है कि भारत अरबपतियों के क्लब में प्रवेश कर चुका है। गरीब और अमीर के बीच 9 मिलियन गुना का अंतर है। गरीब और अमीर के बीच के अंतर को कम किया जाना चाहिए। इसे जारी नहीं रहने देना चाहिए। अन्यथा इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। वाम की ओर से, जबकि हम वित्त विधेयक का समर्थन करते हैं, तो इसके साथ-साथ हम यह भी चाहते हैं कि वित्त मंत्री आम आदमी की समस्याओं की ओर ध्यान दें और न्यूनतम साझा कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: मेरे विचार से अब आप पूर्णतया संतुष्ट हैं।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: जी हां, महोदय।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। लेकिन जहां मैं इस विधेयक की ध्वनि, गति और दिशा का समर्थन करता हूं वहीं मुझे कुछ प्रस्तावों पर विशेष रूप से आपत्ति है।

मैं पहले प्रत्यक्ष करों के संबंध में प्रस्तावित परिवर्तनों को लूंगा। निश्चित रूप से यह सत्य है कि कुछ वर्षों के दौरान परिप्रेक्ष्य की बेहतरी के लिए परिवर्तन हुए हैं और अप्रत्यक्ष करों का बड़ा हिस्सा है परन्तु प्रत्यक्ष करों का ग्राफ भी ऊपर उठ रहा है। लेकिन यदि हम प्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रस्तावों को समग्र रूप से देखें तो मेरी इन पर तीन प्रतिक्रियाएं हैं। पहली, कुछ क्षेत्रों में ये प्रस्ताव बहुत अपर्याप्त हैं, विशेष रूप से अमीर वर्ग और निगम वर्ग में सरकार बहुत उदार दिखाई देती है। दूसरे कुछ अन्य क्षेत्रों में यह बहुत भ्रमित और कहना चाहिए कि प्रतिगामी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि जैसे सरकार ने सीधे हाथ से कुछ दिया है और उल्टे हाथ से उससे अधिक वापस ले लिया है। यह अधिक भ्रमित करने वाला है। अंत में, कुछ क्षेत्रों में ये प्रस्ताव राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुरूप दिखायी देते हैं। वे वाम दलों को स्वीकार्य हैं, और हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं होता।

आयकर प्रस्तावों के बारे में कहूं तो यदि हम उनको एक-एक करके लें तो यह दावा किया गया है कि कर दरों और कर

की श्रेणियों के अनुसार कर सुधार किये गये हैं और इसके ढांचे में भी परिवर्तन किया गया है सरकार यह दावा करती है कि वह दर्शन के संबंध में भी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि लोग जितने अधिक धनवान हैं उनकी उतनी अधिक आय है और कर सुधारों को सरलीकृत किये जाने के नाम पर उन्हें जो रियायतें दी गई हैं उनसे उन्हें उतना ही अधिक लाभ हुआ है। मैं उस पर बाद में आऊंगा।

यदि हम कर देने वाले लोगों को उनके समूहों के अनुसार श्रेणीबद्ध करें तो उदाहरण के लिए, एक कल्याणकारी राज्यों में उसके गंभीरतम उद्देश्य में वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण सर्वोपरि होता है, लेकिन यहां मैं यह टिप्पणी करने के लिए बाध्य हूं कि इन प्रस्तावों में वरिष्ठ नागरिकों की पूर्णतया उपेक्षा की गई है क्योंकि यह कहा गया है कि 1,50,000 रुपये तक कोई कर नहीं लगेगा जबकि अन्य सभी रियायतें वापस ले ली गई हैं। मानक कटौती को समाप्त कर दिया गया है। वरिष्ठ नागरिक अपना धन डाकघरों, छोटी बचतों अथवा ऐसी ही अन्य योजनाओं में लगाते हैं और वे पूर्णतया उसी आय पर निर्भर होते हैं। एक ओर ब्याज दरों को कम कर दिया गया है और दूसरी ओर, मुझे विश्वास है कि मुद्रास्फीति को नापने की इस गणना में कुछ कृत्रिमता है।

अपराह्न 5.00 बजे

मैंने बार-बार अपनी इस टिप्पणी को दोहराया है। एक बार मैंने यह नोट किया था कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने यह स्वीकार किया था कि डब्ल्यू.पी.आई. और सी.पी.आई. की गणना में भी कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। वे वास्तविकता को नहीं दर्शाते हैं सेवा क्षेत्र, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान है को डब्ल्यू.पी.आई.की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता जबकि मुद्रास्फीति की गणना डब्ल्यू.पी.आई. के आधार पर की जाती है। यह एक अलग मुद्दा है।

जमाओं पर ब्याज दरों में कमी करने से इस देश के वरिष्ठ नागरिकों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इससे भी अधिक, उन्हें रियायतों के रूप में जो छूट प्रदान की जा रही थीं वे भी वापस ले ली गई हैं। यह कहा जा रहा है कि 1,00,000 रु. की सीमा को बढ़ाकर 1,50,000 रुपये कर दिया गया है। मुझे इस पर कुछ गंभीर आपत्तियां हैं।

माननीय मंत्री जी का यह दावा सही है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां उन्होंने लैंगिंक आधार पर बजट बनाने का गंभीरतम प्रयास किया है लेकिन आयकर के क्षेत्र में हम यह पाते हैं कि उच्च आय वर्ग की महिलाओं को अधिक लाभ पहुंचा है जबकि आम कामकाजी महिलाओं को, जो निर्धारित मासिक आय पर निर्भर हैं, अधिक लाभ नहीं हुआ है। मेरे विचार से एन.सी.एम.पी. में जिस प्रकार की प्रतिबद्धताएं व्यक्त की गई हैं, सरकार को वरिष्ठ नागरिक और महिलाओं जैसे घटकों पर अधिक गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। मैं बाद में पुनः इसी बात पर आऊंगा।

देखें तर्कसंगत बनाए जाने के नाम पर क्या कुछ किया गया है। राजसहायताओं के बीच एकरूपता कायम किये जाने के नाम पर यह कहते हुए परिवर्तन किए गए हैं कि उनमें विसंगतियां थीं। ई.ई.ई. से ई.ई.टी. पर यह कहते हुए विस्थापन किया गया है कि ये वैश्विक मानक हैं। मैं अभी इस पर विवाद नहीं कर रहा हूं लेकिन भारत की वास्तविक परिस्थितियां स्कैन्डिनेवियन देशों या किसी पश्चिमी देश से भिन्न हैं।

एक दिन, फ्रांसीसी सीनेट के एक प्रतिनिधि मण्डल, जिसमें उनके वित्त आयोग, बजट नियंत्रण और राष्ट्रीय खातों (एकाउंट्स) के सदस्य सम्मिलित थे, ने हमारी वित्त संबंधी स्थायी समिति के साथ एक बैठक की थी। इस चर्चा के दौरान हमने यह पाया कि उनके सकल घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा के लिए दिया जाता है और उसका एक बड़ा भाग वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, उपेक्षित बच्चों और अनाथ बच्चों के लिए दिया जाता है। हमारे देश में चाहे वह कितना ही कम या अधिक क्यों न हो, आहरित किया जा रहा है लेकिन बड़े-बड़े दावे किये जा रहे हैं कि तंत्र में कुछ गड़बड़ियां हैं।

सरकार यह दावा करती है कि दसवीं योजना में औसत लक्ष्य 7 से 7.5 प्रतिशत तक के हैं। यह आठ प्रतिशत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि उस लक्ष्य तक पहुंचना कभी भी संभव नहीं है। उसके लिए आपको कितनी बचत की आवश्यकता है? विकास के उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको कितने प्रतिशत निवेश की आवश्यकता है? हमारी बचतें लगभग 20 प्रतिशत हैं और उनमें से अधिकांश घरेलू बचतें हैं। ऐसी परिस्थिति में आम आदमी, जिसे बचत करने की आदत है, को लाभ होना चाहिए क्योंकि यह भारत जैसे देश के लिए अच्छा है, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी उपभोक्तावाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। वे कहते हैं: मैं आपकी जेब में अधिक पैसा रखना चाहता हूं जिससे कि आप उसके एक भाग को व्यय कर सकें और एक भाग को बचा सकें।

मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। यह एक अच्छा दर्शन है। जब तक आप उपभोग नहीं करेंगे तब तक मांग कैसे सृजित होगी और उद्योग तथा विनिर्माण को बढ़ावा कैसे मिलेगा और कैसे ये सब चीजें आएंगी? मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन अभी भी भारतीय मानस में एक विशेष बात है। मैं इसे दूसरे तरीके से प्रस्तुत कर सकता हूं। यह उपभोक्तावादी समाज की संस्कृति से हटकर है।

[श्री रूपचन्द पाल]

यहां वे भी जो तीन कारें रख सकते हैं उनके पास एक कार है। लेकिन पश्चिमी देशों में तीन लोगों के लिए पांच कारें हैं। मैं दार्शनिक रूप से सामंतवादी मानसिकता, उपभोक्तावाद और इन सभी चीजों को एक साथ नहीं ले रहा हूं। यह देखना होगा कि यह मानसिकता कैसे बनी। यह मानसिकता बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से यह मानसिकता एक समुदाय से दूसरे समुदाय में तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न-भिन्न हैं। मेरे विचार से दक्षिणी भाग की मानसिकता पूर्वी भाग से भिन्न है। बंगाली मानसिकता तमिल मानसिकता से भिन्न है। मेरे विचार से ऐसा ही है, मैं उस भाग पर प्रकाश नहीं डाल रहा हूं।

मेरे विचार से भारतीय परिस्थितियों में बचत को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। माननीय मंत्रीजी भी कभी-कभी कहते हैं। कि-"हां, हम हमेशा बचतों को बढ़ावा देते रहेंगे।" हमने यह नोट किया है कि जमाओं पर ब्याज दरों में कमी किये जाने के बावजूद भी लोग शेयर बाजार की ओर अग्रसर नहीं हो रहे हैं क्योंकि वे पहले ही उसमें अपने हाथ जला चुके हैं। इसलिए, वे अपना धन बैंकों, विशेषकर राष्ट्रीयकृत बैंकों में रख रहे हैं। यहां तक कि हमने यह पाया है कि ब्याज दरों में कमी के बावजूद भी बैंकों की जमाओं में भारी वृद्धि हो रही है और बैंक यह नहीं जानते कि वे उसका क्या करें। उनके पास धन की बाढ़ आई हुई है। आलस्यपूर्ण बैंकिंग चल रही है। एस.एल.आर. को कम किये जाने के बावजूद भी वे अपना धन सुरक्षित जमाओं में रख रहे हैं। सरकार बहुत प्रसन्न है। ब्याज दरें कम हो गई हैं। उनके पास कम ब्याज दरों पर धन उपलब्ध है। मेरे विचार से सरकार के पास प्रसन्न होने के कारण हैं। लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के पास प्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है। यहां तक कि ऐसी परिस्थितियों में भी, हम यह पाते हैं कि जो लोग एन.सी.एम.पी. के प्रति प्रतिबद्ध हैं जो पूर्ववर्ती रा.ज.ग. सरकार के लोगों द्वारा किये जा रहे कार्यों से बेहतर तरीके से कार्य करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं, वे वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा कर रहे हैं। मेरे विचार से वरिष्ठ नागरिकों के साथ घोर अन्याय हुआ है।

मेरे विचार से माननीय वित्त मंत्रीजी इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करेंगे और इसका पुनः आंकलन करेंगे तथा इस देश के वरिष्ठ नागरिकों तथा महिलाओं के सम्मुख प्रस्तुत वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर इस स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे। यह कार्य माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा किये गये लैंगिक आधारित न्याय के दावे के अनुरूप होगा जो कि उन लोगों को प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।

अनुपालन के भाग पर माननीय मंत्री जी ने दावा किया है कि वे कर अपवंचन को लेकर बहुत चिंतित है। यह सत्य है। एक अरब लोगों की जनसंख्या वाले देश में केवल तीन करोड़ लोग ही आयकर निर्धारिती हैं और इन तीन करोड़ निर्धारितियों में से कितने लोग करों का भुगतान करते हैं?

अपराह्न 5.08 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

उत्तम स्थिति में एक तिहाई मात्र ही है। एक करोड़ से भी कम लोग, जोकि कुल जनसंख्या के एक प्रतिशत से भी कम है, ही करों का भुगतान कर रहे हैं। मैं शून्य आयकर विवरणी भरने वालों की बात नहीं कर रहा हूं। आश्चर्य से माननीय वित्त मंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पर इस मुद्दे पर टिप्पणी की है। मैं उनके द्वारा सार्वजनिक स्थिति पर की गयी इस टिप्पणी की प्रशंसा करता हूं। इतने बड़े देश में केवल 90,000 लोग यह घोषणा कर रहे हैं कि उनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपये से अधिक है। एक बिलियन से भी अधिक की जनसंख्या में से केवल 90,000 लोग वास्तव में करों का भुगतान करते हैं। यदि आप दक्षिण दिल्ली, नारीमन पाइंट या नोएडा को देखें तो पता चलेगा कि ऐसे कितने लोग यहां हैं। एक वर्ष में 5 लाख राजसी (लग्जरी) कारें बिकती हैं। 30 लाख से अधिक लोग सिंगापुर, थाईलैण्ड और ऐसे अन्य विलासितापूर्ण स्थानों पर जाते हैं। वर्ष में कुछ अवधि के दौरान काक्स एण्ड किंग्स से ही दूसरे ट्रैवल एजेन्टों के यहां आरक्षण उपलब्ध नहीं रहता। विवाह-समारोह बड़े भव्य तरीके से आयोजित किये जाते हैं। पांच सितारा होटलों को आरक्षित किया जा रहा है और कभी-कभी तो दिल्ली के सभी होटल आरक्षित कर लिये जाते हैं।

इस सबके बावजूद हमें पता चलता है कि केवल 90,000 लोग ही यह घोषणा करते हैं कि उनकी वार्षिक आय 10 लाख रुपये से अधिक है। जबकि 'फार्च्यून' अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका और अन्य कई आ रही रिपोर्टों के अनुसार भारतीयों को अधिकाधिक प्रतिशत और धनाढ्य बनता जा रहा है। मैं ब्रिटेन के सबसे अमीर व्यक्ति श्री एल.एन. मित्तल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं विप्रो के चेयरमैन श्री प्रेमजी और ऐसे कतिपय अन्य लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं नए अरबपतियों के बारे में कह रहा हूं।

आज ही मुझे पता लगा है कि मंत्री महोदय ने धन शोधन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया है। धन शोधन किया जा रहा है। अति धनाढ्य लोग भारतीय धन को अपनी ओर खींच रहे हैं। आजकल वे इस धन को स्विस बैंक में नहीं रख रहे हैं। मंत्रीजी जानते हैं कि उनका धन अब मारीशस रूट से वापिस आ रहा है। विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ.आई.आई.एस.), उप खाते और ऐसी अन्य बातों का ब्यौरा प्रतिभूति घोटाले पर संयुक्त

संसदीय समिति की रिपोर्ट में दिया गया है। परन्तु दुर्भाग्य से, काले धन का पता लगाने और एक चल रही समानान्तर अर्थव्यवस्था को जानने के लिए सरकार द्वारा अभी सकारात्मक कदम उठाये जाने हैं। यह तो उसे बड़े हिमखण्ड का एक छोटा सा टुकड़ा मात्र है। यह तो मूंगफली के बराबर भी नहीं है।

यदि 10,000 रुपये निकलवाये जाते तो हर धन निर्गम पर 10 रु. कर अदा करना पड़ेगा। क्या वे काला धन बैंकों में रखते हैं? कभी-कभार ऐसा हो सकता है। एक बार ऐसा हुआ था। अचानक एक विशिष्ट निजी बैंक, मैं उसका नाम भी बता सकता हूं अपने एटीएम के माध्यम से पैसा उपलब्ध नहीं करा पाया और अहमदाबाद तथा मुम्बई जैसे क्षेत्रों के स्टॉक एक्सचेंजों में उसके ए.टी.एम. काम नहीं कर रहे थे। तब काफी शोर शराबा हुआ। दूरदर्शन पर एक समाचार प्रसारित हुआ कि यह बैंक एटीएम के माध्यम से रुपया नहीं दे पा रहा है। यह उस समय की बात है जब 15,000 रुपये की सीमा निर्धारित की गयी थी और शेयर दलाल बार-बार ए.टी.एम. जा रहे थे क्योंकि शेयरों की कीमतों के बढ़ने की दौड़ में कुछ शेयरों की कीमतें लगातार बढ़ रही थीं। तब क्या हुआ? दोपहर के समय भारतीय रिजर्व बैंक को इस विशिष्ट निजी बैंक के बचाव में सामने आना पड़ा, 200 करोड़ रुपये दिये गये और एटीएम में नकद रुपये डाले गये। मुझे शेयर दलालों ड्रग्स के व्यापार और इन सब चीजों में नकद धन की भूमिका के बारे में जानकारी है। मुझे पता है कि शनिवार की शाम बैंकों में कुछ नकली खातों में धन जमा कराया जाता है और रविवार के बाद सोमवार को दस बजे से पहले यह वापिस आ जाता है। इस बीच की अवधि में इस नकदी का उपयोग कुछ लोगों द्वारा गलत, जघन्य और समाज विरोधी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। मुझे इसके बारे में जानकारी है।

यदि गृह मंत्रालय इस विषय में गम्भीर हैं तो वे इसका पता लगा सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए 10,000 रुपये के धन निर्गम पर 10 रुपये कर लगाना एक काफी बड़ा बोझ डालना है। आप इसे कर क्यों नहीं कहते हैं? प्रत्येक 10,000 रुपये की धन निकासी पर 10 रुपये का यह कर दूसरी तरह से आम आदमी पर कर लगाना है। काले धन का पता लगाने के लिए उन्हें बहुत से सुझाव प्राप्त हुए हैं। यदि काले धन का पता लगाने के मामले में वह वास्तव में गम्भीर हैं तो यह मेरा सुझाव नहीं है। मैं बहुत महत्वपूर्ण समितियों द्वारा दिये गये महत्वपूर्ण सुझावों का संदर्भ दे रहा हूं। पिछले कई दशकों में महत्वपूर्ण समितियों ने काफी संख्या में सुझाव दिये हैं और इस सबंध में नवीनतम सुझाव वित्त संबंधी स्थायी समिति से प्राप्त हुआ है। इसमें कहा गया है कि पासपोर्ट सहित सभी आर्थिक गतिविधियों जैसे सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद, बैंकों से लेन-देन, आयकर आदि के लिए एक जैसी पहचान संख्या जैसे स्थायी खाता संख्या (पी.ए.एन.) होना चाहिए। इन सभी साफ्टवेयरों के बीच कार्य करने के संबध में एक समान पहचान और समन्वय होना चाहिए। केवल इसी समय नहीं बल्कि वित्त संबंधी स्थायी समिति ने बार-बार यह महत्वपूर्ण सिफारिश की है। बहुत बार मैं भी इस सिफारिश का समर्थक रहा हूं। हम कहते रहे हैं कि उनके कम्प्यूटरीकृत कार्यक्रम या पी.ए.एन. (पेन) कार्यक्रम में बहुत विलम्ब हो रहा है। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क आदि का कम्प्यूटरीकरण, हवाई अड्डों, इलेक्ट्रानिक हस्तांतरण आदि का कम्प्यूटरीकरण करके इनके बीच समन्वय स्थापित करने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है।

माननीय मंत्री महोदय मुझसे बेहतर जानते हैं कि कम मात्रा का बीजक बनाने या अधिक मात्रा का बीजक बनाने के माध्यम से तथा विदेशी बैंकों के माध्यम से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। करोड़ों डालर देश में वापिस नहीं लाये जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप भारत को घाटा उठाना पड़ रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारा धन देश से बाहर जा रहा है और दूसरे रास्ते से वापिस आ रहा है और आम आदमी और छोटे निवेशकों आदि को लूटा जा रहा है। कृत्रिम रूप से धन उधार लिया जा रहा है और शेयर बाजार आम आदमी का धन उससे दूर ले जा रहा है।

क्या व्यवस्था में कोई पारदर्शिता है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हां व्यवस्था में पारदर्शिता है।" परन्तु मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। इस विषय पर मुझे गम्भीर आपत्तियां हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कारोबार में दोहरे भुगतान के संबंध में कर प्रणाली को तर्कसम्मत बनाने के उपायों के संदर्भ में बोलते हुए वे कहते हैं कि "प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाया गया है, इससे पर्याप्त पारदर्शिता आएगी।" वे कहते हैं कि:

> "शेयर बाजारों में हाल ही में शुरू किये गये व्यवस्थात्मक और प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के परिणामस्वरूप पर्याप्त पारदर्शिता आयी है ...."

इस उपाय के परिणामस्वरूप क्या होगा। अब शायद कतिपय गतिविधियों पर निवेश के संदर्भ में उतार-चढ़ाव के रूप में विचार नहीं किया जाएगा। अतः मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। यह कारोबार को बढ़ावा देने वाली बात है। शेयर दलाल असली और निष्ठावान निवेशकों को दाव पर लगाकर उन्हें लूट रहे हैं।

यह भी कहा गया है कि कर दरों को कम करने से आयकर संबंधी नियमों का अधिक अनुपालन होगा। मैं इस तर्क से सहमत होने का प्रयास कर रहा हूं। पर मुझे लगता है कि भारतीय मानस के लिए यह उपाय कारगर नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस मंत्रालय के कार्यकरण को महत्वपूर्ण बनाया जाए। क्या आप मानते हैं कि

[श्री रूपचन्द पाल]

भारतीय परिस्थितियों में कर की दरों को कम करके नियमों का बेहतर अनुपालन किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपना भाषण समाप्त करिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, आप मुझे बोलने का थोड़ा अधिक समय दीजिए। कृपया मुझे कुछ अधिक समय बोलने की अनुमति दीजिए। मैं कुछ और मुद्दे उठाने के बाद अपना भाषण समाप्त करूंगा।

श्री पी. चिदम्बरम: आप अपने मुद्दों का उल्लेख करने के बाद अपनी बात समाप्त करें।

श्री रूपचन्द पाल: हां मैं ऐसा करूंगा। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि एक सीमा तक अनुपालन बढ़ेगा। परन्तु हमारा अनुभव है कि बाद में इसमें स्थिरता आएगी। तदुपरान्त इसमें नकारात्मक और प्रतिवर्ती की प्रक्रिया भी आ सकती है। मैं इस सदंर्भ में प्रमाण भी दे सकता हूं क्योंकि मेरे पास प्रमाण उपलब्ध हैं। मैंने इन्हें अलग रखा है। मैं यहां से कुछ नहीं ले जाता। मेरी बात पूरी तरह से इस सरकार और मंत्रालय के महत्वपूर्ण लोगों द्वारा दिये गये प्रमाणों पर ही निर्भर है।

जैसाकि सभी जानते हैं कि समान पहचान कार्यक्रम के संबंध में अरबपति और अमीर लोग जो कर अदा नहीं करना चाहते हैं, काला धन, समानान्तर अर्थव्यवस्था से बचाना चाहते हैं, आदि जैसे मुद्दे हैं जो सभी जानते हैं परन्तु मुझे लगता है कि वह इस संबंध में गंभीर नहीं हैं। जब वे इन मुद्दों पर बात करते हैं तो तब कम से कम वे इस विषय पर गम्भीर होते हैं। काला धन का पता लगाने के मामले में मंत्री महोदय गम्भीर लगते हैं पर इन मुद्दों के प्रति भी उन्हें और अधिक गम्भीर होना चाहिए।

मैं आपको इसका एक ठोस उदाहरण दे सकता हूं। वर्ष 1997 में अपने स्वप्न बजट में उन्होंने वी.डी.आई.एस. नामक एक माफी की योजना शुरू की थी। परन्तु एक महत्वपूर्ण संसदीय समिति ने बताया है कि जिन लोगों ने वीडीआईएस का लाभ उठाया था उन्होंने एक पैसा भी कर के रूप में नहीं दिया। मैंने संबंधित लोगों से इसका कारण पूछा कि उन लोगों द्वारा जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया था, एक भी पैसा कर के रूप में क्यों नहीं दिया जा रहा है जब कि वह भी इस समझौते का ही एक भाग था। क्या सम्माननीय सभा को पता है कि मुझे क्या उत्तर दिया गया? यह कहा गया था: 'हम ब्यौरा नहीं दे सकते।' मैंने उन्हें बताया कि मैं इस मुद्दे पर सारा ब्यौरा जानता हूं। उन्होंने कहा कि: "यदि आपको ब्यौरा पता है तो क्या किया जा सकता है परन्तु फिर भी हम ब्यौरा नहीं दे सकते।" यह इस मुद्दे की त्रासदी है। ये वह जानकारी नहीं दे सकते जिसका सम्पूर्ण राष्ट्र अथवा हर व्यक्ति को पता है। यह इस मुद्दे की त्रासदी है। मैं मानता हूं कि यह मंत्रालय इसके बारे में बहुत गम्भीर है और माननीय मंत्री इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि यह इस संबंध में वास्तव में गम्भीर हैं और सभी प्रस्तावों और प्रावधानों सहित यह कानून इसके कुछ भागों को भी प्रतिबिम्बित करता है।

सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के बारे में मुझे दो बातें कहनी हैं। एक, विश्व व्यापार संगठन की वचनबद्धता है। मैं जानता हूं कि शुल्कों को कम करना पड़ेगा। मंत्रीजी एशियाई स्तरों आदि के बारे में बात करते हैं। इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है मुझे पता नहीं। तथापि, यह हमारे उद्योग, विशेषकर पूंजीगत वस्तु आयात तथा अन्य चीजों के संबंध में, पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। बल्कि यह रोजगार को समाप्त कर रहा है। जहां एक ओर यह सरकार नए रोजगार सृजित करने के प्रति वचनबद्ध है चूंकि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक रोजगार सृजन है, वहीं दूसरी ओर सीमा शुल्क के संबंध में इन्होंने जो प्रस्ताव किये हैं उससे हमारे घरेलू उद्योग की ओर हानि पहुंचेगी। सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क के बीच कोई संतुलन नहीं है। हमारे अपने उद्योग को नुकसान पहुंच रहा है। मैं यह नहीं कहता कि मंत्री जी की कोई विवशता नहीं है क्योंकि हम विश्व व्यापार संगठन के प्रति वचनबद्ध हैं। फिर भी वह और सृजनात्मक हो सकते थे। मैं समझता हूं कि भारतीय वास्तविकताओं तथा भारतीय घरेलू उद्योग की दशाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रस्तावों पर पुनर्विचार करना चाहिए और कुछ परिवर्तन करने चाहिएं ताकि हमारे अपने उद्योग की बेहतर सुरक्षा हो सके।

अब सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क के बारे में मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है। यह एक क्षेत्र है जिसके बारे में हमारे दल ने पहले ही सरकार को एक ज्ञापन दिया है। यह सरकार तेल क्षेत्र से राजस्व पर कब तक निर्भर रहेगी? जहां एक ओर सरकार विवशताओं अंतरराष्ट्रीय मूल्य वृद्धि जैसी बातें कर रही है अर्थात् 50 डालर प्रति बैरल, फिर 52 डालर प्रति बैरल और फिर मूल्य नीचे आता है और यह उतार-चढ़ाव की स्थिति है। बाजार में अस्थिरता है वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि 2003-04 के दौरान 50,732.79 करोड़ रुपये, जिसमें 10,582.21 करोड़ रुपये सीमा शुल्क के थे और 40,150.50 करोड़ रुपये उत्पाद शुल्क के

शामिल थे, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र का हिस्सा था। आप कब तक निर्भर रह सकते हैं।

आप प्रशासनिक मूल्य तंत्र को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। आपने मूल्य स्थिरता निधि के बारे में सिफारिश के आधार पर वचन दिया है। अब बार-बार आप कहते हैं कि इन सब चीजों की सुरक्षा के लिए आप सीमा-शुल्क में पांच प्रतिशत की कमी कर रहे हैं और उत्पाद शुल्क में इतनी कमी कर रहे हैं। अंततोगत्वा मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों कि यह राजस्व न्यूट्रल है, हम देखते हैं कि यह राजस्व पाजिटिव है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज से उद्धृत कर रहा हूं और यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति की प्रतिवेदन है जो हाल ही में प्रस्तुत किया गया था। ''वित्त मंत्रालय ने यह किया है।'' यह मेरा उद्धरण नहीं है; यह सरकार में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा दिये गये साक्ष्य का उद्धरण है। ''वित्त मंत्रालय ने यह किया है। इसने एक हाथ से जो भी दिया है दूसरे हाथ से उससे अधिक ले लिया है (सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में दी गई रियायतें)। वास्तव में वित्त मंत्रालय का प्रस्ताव राजस्व पाजिटिव है। सभा में मंत्री जी ने कहा है कि यह राजस्व न्यूट्रल है। इसलिए रसोई गैस तथा केरोसीन पर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क में कमी करके उन्हें जो घाटा हुआ है उन्होंने पेट्रोल और डीजल पर उससे अधिक शुल्क बढ़ा दिया है। हमारे सामने यह बहुत गम्भीर समस्या है। इस समय अंतरराष्ट्रीय मूल्य बहुत अधिक है और पेट्रोल और डीजल पर टैरिफ बहुत अधिक हो गया है। परिवर्तनों के प्रभाव के कारण ऐसा है। इससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। पूरी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। यहां एक और बात कही गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब समाप्त कीजिए। आपने पहले ही 30 मिनट से ज्यादा समय ले लिया है।

श्री रूपचन्द पाल: यहां एक और बात कही गई है वह है पेट्रो-उत्पादों अथवा कच्चे तेल पर शुल्क के बारे में। अंतरराष्ट्रीय परम्परा क्या है? मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि अंतरराष्ट्रीय परम्परा क्या है? सरकार ने पहले ही एक निश्चित राशि यानी 3,000 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में एकत्र कर लिए हैं। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ाने के बजाय इस धन का आम लोगों जो कि मूल्य वृद्धि के समग्र बोझ में दबकर संघर्ष कर रहे हैं, को राहत देने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। पेट्रोलियम उत्पादों, अनिवार्य उत्पादों यथा केरोसीन, रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतों को बढ़ने नहीं देना चाहिए। एकत्र किए गए राजस्व का प्रयोग राहत अथवा राजसहायता अथवा सहायता अथवा आप इसे जो भी कहें देने के लिए किया जाना चाहिए। आम लोगों का यह अधिकार है।

मैं अब दूसरी महत्वपूर्ण बात का जिक्र करता हूं। वित्त विधेयक, 2004 में आयकर अधिनियम की धारा 33 ए सी का लोप कर दिया गया था और उसके स्थान पर टनेज कर लगाया गया था। ड्रेजरों तथा अन्य चीजों पर इस वर्ष यह रियायत दी जा रही है। मैं समझता हूं कि आपका इरादा नेक था। अंततोगत्वा हमने देखा कि शिपिंग कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और प्रतिस्पर्धी बनने के लिए टनेज कर की लेवी की मांग की है। आयकर अधिनियम की संबंधित धारा 11 बीडी के अंतर्गत योग्यता की परिभाषा है न्यूनतम 15 टन के टनेज का पोत और जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। तद्नुसार, 15 अथवा उससे अधिक निवल पंजीकृत टनेज वाले पोत अथवा जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पंजीकृत हैं वही योग्य हैं। अन्य सभी क्राफ्ट जो धारा 33 ए सी का लाभ उठा रहे थे उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया। उनमें से लाखों पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इत्यादि में हैं ...*(व्यवधान)* गोवा, केरल, महाराष्ट्र, गजुरात, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार में किश्ती चालकों ने गत कुछ वर्षों में कारगो परिवहन में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। उन्हें भी यह राहत दी जानी चाहिए।

वित्त मंत्री के लिए लगाने के लिए सेवा कर का ही एकमात्र क्षेत्र बचा है क्योंकि अन्य क्षेत्रों में कोई संभावना नहीं है। उनका कहना है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एक सीमा से आगे नहीं जा सकता। कृषि के संबंध में उन्हें आश्चर्य होता है कि वह इसे कैसे स्पर्श कर सकते हैं। गैर-फार्म और गैर-कृषि आय भी है जिसे मंत्री स्पर्श कर सकते हैं। शायद उनमें ऐसा करने का राजनैतिक साहस नहीं है। मुझे सेवा कर के बारे में दो या तीन बातें कहनी हैं।

क्या सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं पर ही बोझ डालेंगे? अन्यथा, क्या मंत्री जी के पास उपभोक्ताओं की सेवा प्रदाताओं द्वारा चली जाने वाली शरारती चालों से सुरक्षा करने हेतु कोई तंत्र है। मेरा अगला बिंदु छोटे औजारों के बारे में है। मंत्री जी ने आम कारीगरों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले छोटे औजारों, हाथ के औजारों पर 12.5 प्रतिशत कर लगाया है। उन्हें छूट दी जानी चाहिए। कारीगरों, ट्रक संचालकों, छोटे मैकेनिकों और उन सभी लोगों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले हाथ के औजारों को छूट दी जानी चाहिए।

वित्त मंत्री को रत्नों और आभूषणों के बारे में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ होगा। इस विशेष क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। मंत्री जी को उनके हितों का ध्यान रखना चाहिए। लाखों लोग वहां हैं। उनका निर्यात लगभग 63000 करोड़ रुपए का है। बहुत से अन्य देश उनकी

[श्री रूपचन्द पाल]

सहायता कर रहे हैं। वित्त मंत्री को उस पर ध्यान देना चाहिए। मुख्य मंत्री का पत्र आज अवश्य उनके पास होना चाहिए।

जहां तक निर्यात सहायता का संबंध है तो आलू के निर्यात के लिए परिवहन सहायता दी जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल से सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, फिलीपींस, जापान, मध्य पूर्व इत्यादि को आलू के निर्यात के लिए गम्भीर पहल की गई है।

सहायता की जरूरत है। सहायक एजेंसी एपीईडीए तैयार है। वे एक 80 पैसे से एक रुपए तक सहायता प्रदान कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय इस पर सहमत है। आपके मंत्रालय को यह निर्यात शुरू करने की सहमति देनी चाहिए। इससे पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों को भी मदद मिलेगी।

महोदय, चूंकि आप जोर दे रहे हैं कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं इसलिए मैं एक टिप्पणी के साथ समाप्त करना चाहता हूं। इरादा नेक है। मैं आपके निर्देशों की प्रशंसा करता हूं परन्तु अभी आपको बहुत कुछ करना है। प्रधान मंत्री की भाषा उद्धृत करें तो—मीलों आगे जाना है। यदि आप राजनैतिक इच्छा कायम रखते हैं तो आप काले धन का पता लगा सकते हैं, आप धन कमाने वालों पर कर लगा सकते हैं और वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और अन्य श्रेणियों को छूट दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार): उपाध्यक्ष जी, मैं वित्त विधेयक 2005-2006 के पक्ष में खड़ा हुआ हूं। वित्त मंत्री महोदय ने अपना बजट भाषण दिया था। एक वर्ष पहले यानि 2004-2005 का भी बजट उन्होंने पढ़ा था। उससे पहले पांच वर्ष तक एनडीए सरकार के समय भी बजट पेश किए गए। हर सरकार यही कहती है कि हमने किसान को यह दिया, वह दिया।

मैं वित्त मंत्री की निगाह में दो-तीन मामले रखना चाहूंगा, जो खासकर किसानों पर आधारित हैं। हर दल कहता है कि हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश है। यह बात सही भी है। सरकार के सामने इस देश में बेरोजगारी की समस्या के निदान का एक ही तरीका है कि खेती को लाभप्रद बनाया जाए। खेती एक ऐसा धंधा है, जो ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार दे सकता है। दूसरा है लघु उद्योग, लेकिन बदकिस्मती है इस देश के किसान की कि जो उसे मिलना चाहिए; वह पूर्णरूप से नहीं मिला।

वित्त मंत्री महोदय ने पिछले वर्ष किसान क्रेडिट कार्ड की बात कही। मैं हरियाणा से संबंध रखता हूं। जब हम गांव जाते हैं, तो वहां किसान कहते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड तो आपने बना दिए। लेकिन उसके लिए जो शर्तें रखी हैं, उनमें और पूंजीपतियों की जो लिमिट बनाते हैं, उसमें बड़ा भारी अन्तर है। एक कारखानेदार, एक पूंजीपति किसी बैंक से या वित्त निगम से ऋण ले, तो उसकी केवल वही चीज गिरवी रखी जाती है, जहां उसका कारखाना है। आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनाए, चार लाख रुपये की सीमा रखी है। उसे हर तीसरे वर्ष रिनुअल कराना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि फिर वही प्रोसीजर यानि पटवारी, तहसीलदार और कानूनगो के पास उसे जाना पड़ेगा। उसके बाद बैंक जाएगा।

मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान क्रेडिट कार्ड के मामले को ठीक किया जाए। उस पर जो ब्याज है, खासकर सहकारी बैंकों का, वह बहुत ज्यादा है। आप विश्व बैंक से और आईएमएफ से सस्ती दर पर लोन लेते हैं और प्रदेश सरकारें किसान को महंगी दर पर लोन देती हैं। आपकी तरफ से इस बजट के माध्यम से प्रदेश सरकारों को निदेश दिया जाए कि जो क्रॉप लोन देते हैं, उसे कम किया जाए। अभी किसान की फसल पर जो लोन दिया जाता है, उस पर 12-13 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। किसान ने अगर जमीन खरीदनी है तो उसे 14 प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन दिया जाता है, जबकि बैंक हमें सिर्फ चार-पांच प्रतिशत ही ब्याज देता है। इसलिए जो मार्जिन है, उसे कम किया जाए। ज्यादा से ज्यादा छः प्रतिशत ब्याज किसानों से लिया जाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लिया जाना चाहिए।

किसान ट्रैक्टर लेता है, तो वह उसके लिए किसी भी बैंक से लोन ले, उसे 12-14 प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन मिलता है। इसके विपरीत कार के लिए प्राइवेट फाइनेंसर भी छः प्रतिशत से ज्यादा ब्याज दर पर लोन नहीं देते। कई कम्पनीज तो जीरो परसेंट इंटरेस्ट पर लोन देती हैं। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जो किसान के फायदे के लिए हो, क्योंकि आज खेती घाटे का सौदा बन चुकी है।

पिछले वर्ष नर्मा कॉटन की फसल थी तो नर्मा मंदा बिका, किसान को नुकसान हुआ। इस वर्ष सरसों की फसल मंडियों में आ रही है, सरसों बहुत सस्ती बिकी। लेकिन मैं यूपीए सरकार का धन्यवाद करता हूं कि कम से कम इस बार 1700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कृषि मंत्रालय ने वह सरसों खरीदने का प्रबंध किया, वरना किसान की हालत बहुत बुरी होती। अगर चौदह सौ रुपये से लेकर चौदह सौ पचास रुपये से ज्यादा किसान की फसल नहीं बिके तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम देश के किसान को कोई ऐसा फार्मूला दे दीजिए कि किसान की अगले वर्ष की फसल इतने रुपये के भाव पर बिक सकती है, जिससे वह उसी के अनुसार बुवाई करे।

बिजली और डीजल दोनों महंगे हैं। किसान के लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि किसानों के ट्रेक्टर में जो डीजल लगता है उसके कार्ड बनाएं जाएं जैसे कि मिट्टी के तेल के लिए कार्ड होता है और उस डीजल कार्ड पर उनको सब्सिडी दी जाए। किसान ट्रेक्टर का प्रयोग अपनी खेती के लिए करता है, अपनी उपज के लिए करता है और दूसरी ओर जो आदमी कमर्शियल गाड़ी यूज करता है, दोनों में फर्क है लेकिन दोनों के लिए रेट एक ही है। इसलिए किसान को कम से कम बिजली, डीजल और कीटनाशक दवाओं पर सब्सिडी मिले, तब जाकर किसान को अपनी फसल पर कुछ लाभ हो सकता है। इस वक्त किसान की माली हालत दिन-पर-दिन कमजोर होती जा रही है और जिस देश का किसान गरीब होगा, उस देश में बेरोजगारी फैलती जाएगी और देश का मजदूर परेशान रहेगा। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी जो कृषि नीति है, उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। किसान की जमीन दिन पर दिन कम होती जा रही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। किसान के लिए शोध करके अच्छे बीज मुहैया करवाए जाएं, उसको ट्रेनिंग दी जाए, जिससे उसे पता लग सके कि कौन सी फसल बोने पर उसे फायदा होगा और कौन सी फसल बोने पर उसे नुकसान होगा। हिंदुस्तान का चाहे कोई भी प्रदेश हो, प्राकृतिक आपदा से उसे दो-चार होना पड़ रहा है। बिहार में बाढ़ के साथ-साथ सुखाड़ पड़ा। हरियाणा में सूखा पड़ा और देश के किसानों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ। एनडीए की सरकार कहती रही कि उसने फसल बीमा योजना लागू कर दी लेकिन उसको उसने कैसे संकीर्ण कर दिया। गेहूं उसमें नहीं लिया जाएगा गन्ना उसमें नहीं लिया जाएगा, धान उसमें नहीं लिया जाएगा तो और कौन सी फसल उसके अंतर्गत ली जाएगी? जब मोटर गाड़ी का बीमा है तो प्राकृतिक आपदा से जब किसान की फसल तबाह हो जाती है, चाहे फिर कोई भी फसल क्यों न हो, उसके लिए फसल बीमा योजना लागू होनी चाहिए और उसके लिए निर्धारित पैसा भी किसान को देना चाहिए। यह क्या हुआ कि पटवारी गिरदावरी करेगा। इसलिए पटवारी के पीछे किसान पड़ा रहता है। फसल का नुकसान 70 प्रतिशत होता है जबकि पटवारी दिखाता है 20 प्रतिशत का नुकसान। मेरा कहना यह है कि बिना किसी भेदभाव के किसान को फसल बीमा योजना का फायदा मिलना चाहिए।

जहां तक शिक्षा का सवाल है तो शिक्षा के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। मेरा एक सुझाव है कि सर्व-शिक्षा अभियान के नाम पर प्रदेशों में सरकार पैसा भेजती है लेकिन आज वह एक बीमारी हो गयी है। वह लोग केवल दीवारों और पोस्टरों पर पैसा खर्च करते हैं, एडवरटाइजमेंट पर पैसा लगाते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर हरियाणा में इससे एक भी आदमी को फायदा हुआ हो तो इस बात की भी आप जांच करवा लें।

इससे अच्छा सुझाव है कि देहात में प्राइमरी शिक्षा के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च किया जाए। गरीब लोगों, किसानों और मजदूरों के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। वे देहरादून के दून स्कूल और डलहौजी के स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, चंडीगढ़, दिल्ली में नहीं पढ़ सकते इसलिए उस पैसे का ज्यादा पैसा देहात के सरकारी स्कूलों में खर्च किया जाए ताकि गरीब किसानों, मजदूरों के बच्चे, बड़े लोगों के बच्चों के साथ कम्पीटिशन में बैठ सकें और आईएएस, आईपीएस की परीक्षाओं में बैठने के काबिल हो सकें। सर्व शिक्षा अभियान ड्रामा बन कर रह गया है। केन्द्र सरकार प्रदेशों को इस काम के लिए पैसा देती है लेकिन उस पैसे का 90 परसैंट दुरुपयोग हो रहा है। इस मामले की जांच करवायी जाए और इस पैसे को प्राइमरी शिक्षा में कनवर्ट करके खर्च करने का काम किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: इसमें पंजाब को भी शामिल कर लें।

श्री जय प्रकाश: इसमें पंजाब को भी शामिल कर लिया जाए वरना आप मुझे जल्दी बैठा देंगे। आप मेरे बड़े भाई हैं और पंजाब एक बड़ी स्टेट भी है।

उपाध्यक्ष महोदय: पंजाब में प्राइमरी एजुकेशन का बुरा हाल है।

श्री जय प्रकाश: अब वहां ऐसी हालत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब ज्यादा है।

श्री जय प्रकाश: अब उसमें सुधार आया है।

हरियाणा प्रदेश जिस में पंजाब भी आता है, लेकिन वहां और उत्तर भारत में मेडिकल कॉलेज बहुत कम हैं। वहां मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए जाएं। उनके लिए जो शर्तें निर्धारित की गई हैं वे सरल होनी चाहिए। दिल्ली में एक मेडिकल काउंसिल बनी है लेकिन वहां के लोग न राजनीतिक हैं और न ही सरकार के नियंत्रण में हैं। वे मनमर्जी से काम करते हैं। ऐसी संस्थाओं को भी कंट्रोल करके पूरे देश में जिला स्तर पर एक-एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाना चाहिए ताकि बच्चे अच्छी तकनीकी शिक्षा हासिल करके देश और प्रदेश में जाकर लोगों की सेवा कर सकें।

[श्री जय प्रकाश]

मिड डे मील एक अच्छी योजना है। इसके माध्यम से बच्चों को स्कूल में भोजन मिलता है लेकिन कई जगह ऐसा सुनने और देखने में आया है कि मिड डे मील योजना का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। हमारे यहां कई ऐसे स्कूल हैं जहां टीचर्स सारा दिन खाना बनाते हैं। बच्चे खाकर घर चले जाते हैं। वे उनको पढ़ाते नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि मिड डे मील की बजाय गरीबों के बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाए ताकि बच्चे उससे अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें। कहीं बच्चे जल जाते हैं। जैसे पिछले दिनों तमिलनाडु में स्कूल में आग लग गई। कहीं अच्छा भोजन नहीं मिलता है, सामान अच्छा नहीं होता है, उनमें फफूंदी लगी रहती है जिससे बीमारी फैल जाती है।

एनडीए सरकार ने हरियाणा के साथ ठीक नहीं किया। उनके सदस्य यहां नहीं हैं। हमारे यहां आकर कह दिया कि शिक्षा का स्तर ऊंचा करेंगे। उमा जी हरियाणा गई। उन्होने एक खेल विश्वविद्यालय की घोषणा कर दी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब वे इस सभा की सदस्या नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश: जॉर्ज साहब यहां नहीं हैं। वह एक डिफेंस विद्यालय की घोषणा करके आ गए। इसे लेकर लोगों में बड़ी वाह-वाही हुई। जो भी घोषणा सरकार करें अगर पहली सरकार वह घोषणा पूरी नहीं कर सकी तो नई सरकार को उसे पूरा करना चाहिए। मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि वह इस वित्त वर्ष में इस घोषणा को पूरा करें। यह यूनिवर्सिटी का मामला है। यह प्रदेश सरकार का नहीं, केन्द्र सरकार की एचआरडी मिनिस्ट्री का मामला है। हरियाणा में ऐसी यूनिवर्सिटी जरूर बनायी जाए। अगर कोई सरकार गलत काम कर गई तो उसमें सुधार करके यूनिवर्सिटी को बनाया जाना चाहिए।

हरियाणा दिल्ली के तीन तरफ से लगता है। वहां केवल तीन यूनिवर्सिटीज हैं। हरियाणा दिल्ली के नजदीक है। इससे दिल्ली पर पड़ने वाला लोड भी कम हो जाएगा और दिल्ली में दाखिले की जो मारा-मारी है, वह भी कम हो जाएगी। इस काम के लिए हरियाणा को ग्रान्ट दी जाए जिससे यूनिवर्सिटी बन सके। हम गांवों के विकास की बात करते हैं। यूपीए सरकार ने एक अच्छी व्यवस्था की है। स्वजल धारा योजना पर पैसा खर्च किया। पूर्व सरकार ने योजना बनायी लेकिन पूरा पैसा प्रदेशों में नहीं पहुंचा। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का जितना पैसा बनता है वह वहां भेजा जाए ताकि वहां सड़कें समय पर रिपेयर हो सके और उनका रख-रखाव ठीक ढंग से किया जा सके। अभी एक साथी कह रहे थे और मेरा भी यही सुझाव है कि जितना पैसा जिस स्टेट से डीजल पर उपकर लगाने से आता है, उस स्टेट में उतना भिजवा दें। अगर एक स्टेट ज्यादा डीजल खर्च करता है और उस स्टेट को उसका पूरा हिस्सा नहीं मिलता है तो उस स्टेट के साथ यह बहुत अन्याय होगा। उस प्रदेश में, जहां प्रगतिशील लोग हैं, मेहनती लोग हैं, जो इनकम टैक्स में पैसा जमा करते हैं या उपकर में पैसा जमा करते हैं, उस प्रदेश को पैसा भिजवा दिया जाना चाहिए ताकि उस प्रदेश की प्रगति में केन्द्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र सरकार का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने प्रदेश सरकारों को पैकेज दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश दिल्ली के तीनों तरफ हैं। अगर आप सड़क उपकर का पैसा भिजवा देंगे तो दिल्ली पर जनसंख्या, बिजली और पानी का लोड कम हो जाएगा। इसी प्रकार जितना भी एनसीआर का क्षेत्र है, उसका विकास होगा और उस विकास से देश को बहुत लाभ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शिक्षा की बात तो कही, लेकिन चिकित्सा की बात कहनी रह गई। आज पूरे हिंदुस्तान में जो सरकारी अस्पताल हैं, वे प्रदेश सरकार के नियंत्रण में हैं, वहां ग्रांट्स सेंटर से जानी चाहिए। गांव के प्राइवेट अस्पताल में ठीक तरह से डॉक्टरों का प्रबंध नहीं हो पाता है और न ही ठीक तरह से दवाओं का प्रबंध हो पाता है। आज हिन्दुस्तान के गांव के किसान और मजदूर दवा-दारू के अभाव से बीमारी में मर जाते हैं, गरीब आदमी को दवाएं नहीं मिलतीं, इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्रदेश सरकारों को निदेश दिया जाए कि जहां भी सरकारी अस्पताल या सरकारी डिस्पेंसरी है, वहां केन्द्र सरकार द्वारा एड दिया जाए और वहां डॉक्टरों का प्रबंध किया जाए। इसके लिए अच्छा यह होगा कि वहां मुफ्त में चिकित्सा हो। जिस देश में चिकित्सा और शिक्षा मुफ्त होगी, उस देश की तरक्की में कोई भी शक्ति रुकावट नहीं डाल सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से एक निवेदन पानी के बारे में और करना चाहता हूं। पानी का बहुत झगड़ा है चाहे वह तमिलनाडु, आंध्र या कर्नाटक का झगड़ा हो या पंजाब और हरियाणा का झगड़ा हो। हमारे साथ बहुत अन्याय किया गया है। पंजाब हमें पानी नहीं देता। अब मैं इस बात को अलग से कहता हूं कि पंजाब में जितनी सरकारें आईं उन्होंने कहा-पंजाब रिपेरियन स्टेट है। जब हिमाचल के लोग ऊपर से बांध लगायेंगे तो न पंजाब को, न हरियाणा को, न राजस्थान को और न ही दिल्ली को पानी

मिलेगा, वे यूपी की तरफ कर देंगे और हम सब को ऐसे ही मारेंगे। मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि सारे काम को छोड़कर नहरों की बारिश का पानी या पहाड़ों का पानी, जो बेकार चला जाता है, उसका प्रबंध किया जाए। उस प्रबंध में प्रदेशों के झगड़ों को मिटाने के लिए एक सेंट्रल ट्रिब्यूनल बनाया जाए और पानी पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण हो न कि प्रदेश सरकार का, इससे आपस के झगड़े सदा के लिए खत्म किये जा सकते हैं। आप हरियाणा प्रदेश से भलीभांति परिचित हैं, वहां एसवाईएल नहर में सतलुज नदी का पानी कम है तो हरियाणा को गंगा की तरफ से पानी दिलवा सकते हैं। यदि केन्द्र सरकार यह फैसला करती है कि हरियाणा प्रदेश को गंगा से पानी दिलवा देंगे तो हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के झगड़े खत्म हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा खेती की सिंचाई के लिए खर्च करना चाहिए। जिस दिन से देश की बंजर जमीन में खेती शुरू हो जाएगी, इस देश के लाखों बेरोजगार नौजवानों को ही नहीं करोड़ों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के साधन मुहैया कराए जाएंगे। जिस देश में बेरोजगारी खत्म हो जाती है उस देश का मुकाबला दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सकता है। सिंचाई को केन्द्र सरकार के अधीन किया जाए, जब तक सिंचाई केन्द्र सरकार के अधीन नहीं आएगी, सेंट्रल वाटर ट्रिब्यूनल नहीं बनाया जाएगा तब तक स्टेट के झगड़े बढ़ते रहेंगे। इन झगड़ों से देश का नुकसान होता है। अब अगर पंजाब सरकार हमें पानी दे दे तो हरियाणा प्रदेश में जितना भी ऐसा इलाका है जो बंजर पड़ा है वहां अच्छी पैदावार हो सकती है।

इन मामलों से निपटने के लिए सैंट्रल वॉटर ट्राइब्यूनल बनाया जाये और जिन राज्यों का पानी पर आधिपत्य है, वह खत्म किया जाये ताकि देश के किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी मिल सके। हम लोग ट्यूबवैल से भी पानी निकालते हैं लेकिन नहरों का पानी उससे सस्ता पड़ता है। आज डीजल, बिजली के दाम बढ़ गये हैं। सारे देश में बिजली की प्राब्लम है, नहर का पानी मिलने से वह प्राब्लम भी दूर हो जाएगी। आज देश में बिजली के लिए 5 ग्रिड बने हुए हैं। मेरा सुझाव है कि इन पांचों को खत्म करके केवल एक ही नेशनल ग्रिड बनाया जाये। इसी प्रकार नहरों का सिस्टम ऐसा किया जाए कि जहां बाढ़ आ जाये, उसका पानी सुखाड़ की तरफ कर दिया जाये और जहां पानी की आवश्यकता नहीं है, उसे दूसरी तरफ भेज दिया जाये। प्रति वर्ष इस देश की हजारों-करोड़ रुपयों की सम्पत्ति बाढ़ से नष्ट होती है। मेरे ख्याल से पूरा जन-मानस और सदन इस बात के लिए तैयार होगा कि देश की पैदावार बढ़ाने के लिए और कामों को छोड़कर सिंचाई के डेवलपमेंट पर खर्चा करेंगे तो आने वाले समय में यू.पी.ए. सरकार का मुकाबला कोई दूसरी पार्टी नहीं कर पायेगी।

उपाध्यक्ष जी, आशा है कि वित्त मंत्री जी मेरे सुझावों को मान लेंगे। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार।

श्री पी. चिदम्बरमः श्री वीरेन्द्र कुमार जी, कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

आपको याद होगा कि माननीय सदस्य ने एक बयान दिया था कि हम सिक्के के डिजाइन के लिए एक विश्वस्तरीय निविदा आमंत्रित कर रहे हैं और हमने ब्लैंक सिक्के की आपूर्ति के लिए विश्व स्तर पर निविदा दी है। उन्होंने जब ऐसा बयान दिया तो मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया।

मुझे बताने दीजिए कि दस रुपये के सिक्के के लिए कोई भी निविदा जारी नहीं की गई है। यह डिजाइन नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद द्वारा तैयार किया गया है। यह डिजाइन अनुमोदित हो चुका है और दस रुपये के सिक्के इसी डिजाइन के अनुरूप ढाले जाएंगे।

जहां तक ब्लैंक सिक्कों का संबंध है, मुझे खेद है कि माननीय सदस्य महोदय की सूचना बिल्कुल गलत है। नोयडा टकसाल ने ब्लैंक सिक्कों के लिए एक निविदा जारी की है। यह निविदा भारत में स्थित केवल भारतीय विनिर्माताओं के लिए है। इस निविदा का मूल्य मात्र सात से आठ करोड़ रुपये का है। भारत में अवस्थित तीन विनिर्माता कम्पनियों ने अभी तक निविदा फार्म ही खरीदा है। मुझे नाम की जानकारी है लेकिन मैं नाम बताना नहीं चाहता। ब्लैंक सिक्कों की आपूर्ति के लिए कोई भी विश्वस्तरीय निविदा जारी नहीं की गई है। इसलिए, मैं समझता हूं कि जानकारी गलत है और मैंने सोचा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित होने से पूर्व इस जानकारी को ठीक किया जाना चाहिए न कि उत्तर को ठीक किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदयः श्री वीरेन्द्र कुमार, आपको बोलने के लिए केवल आठ से दस मिनट का समय दिया गया है।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। मुझे सिर्फ एक या दो मुद्दों पर बोलना है। मैं सिर्फ किसानों, कृषकों से संबंधित विषय पर बोलना चाहूंगा।

यह सत्य है कि इस बजट में कृषि के लिए काफी पैसा दिया गया है। यह अप्रत्याशित हो सकता है लेकिन क्या इस प्रकार पैसा देने से किसानों को लाभ होगा। इस ऋण नीति से जो लाभ वित्त

[श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार]

मंत्री जी पाना चाहते हैं। अन्य नीतियों के कारण वह प्रभाव समाप्त हो जाता है। मैं जानना चाहूंगा कि यदि किसानों को ज्यादा ऋण दिया जाता है तो वे इसे वापस कैसे करेंगे। हर जगह कृषि उत्पादों के दाम घट रहे हैं। मैं केरल के उस क्षेत्र से आता हूं इसलिए मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि क्या हुआ था। बैंक किसानों को ज्यादा ऋण दे रहे हैं लेकिन वे इसे वापस चुका नहीं पा रहे हैं। काली मिर्च का मामला लें, इसी सभा में एक उत्तर के दौरान, यदि मुझे आंकड़े सही-सही याद हैं, यह बताया गया था कि सार्क और गैर-सार्क देशों से 14,700-15000 टन काली मिर्च का आयात हो रहा है जब कि 16000-17000 टन कालीमिर्च का निर्यात हो रहा है। इस आयात और निर्यात में 2000 टन का अंतर है। यह क्या हो रहा है, हम मालाबार में उत्पादित विश्व की सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली कालीमिर्च में वियतनाम में उत्पादित सबसे घटिया किस्म की कालीमिर्च की मिलावट करके उसका निर्यात कर रहे हैं। इससे किसानों को कैसे लाभ मिलेगा। जो कुछ थोड़ा उन्हें मिल पाता है उससे किसान अपना ऋण कैसे चुकता कर पाएंगे। यही कारण है कि आत्महत्याएं हो रही हैं। यह सरकार की नीतियों के कारण हो रहा है। आप पॉम ऑयल का उदाहरण ले लीजिए। शुल्क में कमी कर दी गई है। हर जगह नारियल का भाव गिर गया है। आप मछली के संबंध में थाइलैंड के साथ किये गये समझौते को लें। आप जानते हैं कि उसके कारण क्या हो रहा है।

एक बात और है। हम श्रीलंका से काली मिर्च का आयात कर रहे हैं। वे जितना उत्पादन कर रहे हैं उससे ज्यादा मात्रा में निर्यात कर रहे हैं। मैंने एक बार या दो बार इस सभा में यह बात बताई थी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए वास्तव में आयात और समझौतों की यह नीति जिस पर हमने अन्य देशों के साथ हस्ताक्षर किए हैं, हमारे देश के किसानों के भविष्य को बर्बाद कर रही है। कीमतें बहुत तेजी से गिर रही हैं। इस संदर्भ में मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या किसी नौकरशाह द्वारा तैयार किया गया कोई समझौता बिना संसद से परामर्श किए लागू किया जा सकता है। क्या कोई भी जाकर किसी समझौता पर हस्ताक्षर कर सकता है क्योंकि वह समझौता पहले हो चुका है। इस सभा में जब कभी कृषि संबंधी मुद्दे उठाये जाते हैं तो उत्तर क्या मिलता है। उत्तर में कहा जाता है कि यह राज्य का विषय है। क्या किसी देश के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर करते समय राज्यों से परामर्श किया जाता है? किसी ने मुझे बताया था कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री थी तो वह किसी देश में गईं। जब किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने की बात तो उन्होंने कहा कि उन्हें परामर्श के लिए अपने देश में जाना पड़ेगा। मुझे पता नहीं कि यह सत्य है या असत्य। लेकिन किसी ने मुझसे कहा था। क्या यहां किसी प्रकार का परामर्श किया जाता है। कोई नौकरशाह कभी भी किसी देश में जाता है और समझौते पर हस्ताक्षर कर देता है। इन वर्षों के दौरान यही हमारा अनुभव रहा है। मैं उन घटनाओं का उद्धरण पेश करना नहीं चाहता। आप सीधे यहां आते हैं और कहते हैं कि यह पहले हो चुका है क्योंकि हमने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आपको यह अधिकार किसने दिया है? क्या नौकरशाहों को पता है कि इस देश में क्या हो रहा है?

मैं गंभीरता से यह सलाह देना चाहूंगा कि एक संवैधानिक संशोधन अवश्य होना चाहिए। लोगों के अनिवार्य रूप से जिम्मेदारी पूर्व पेश आना चाहिए। किसी समझौते पर हस्ताक्षर से पूर्व इसे सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए। सरकार को सभा से परामर्श अवश्य करना चाहिए और तब इसे लागू किया जाना चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति किसी समझौते पर हस्ताक्षर करता है तो पूरे 110 करोड़ लोगों की अत्यधिक कीमत पर ऐसा नहीं किया जा सकता। मेरे राज्य में या किसी भी राज्य में क्या हो रहा है इसका अध्ययन कौन करता है? कोई भी किसी प्रकार का अध्ययन नहीं कर रहा है। वित्त मंत्री से मेरा यही अनुरोध है। इस पर गंभीरता से अवश्य विचार करें और सरकार से संविधान में संशोधन करने का अनुरोध करे तथा इस बात का ध्यान रखे कि ऐसी घटनाएं न हों।

जहां तक कीमतों का संबंध है तो इसमें विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन और ऐसी कई अन्य एजेंसियों के निर्देश हैं कि हम किसानों को सब्सिडी नहीं दे सकते। हम आदानों पर सब्सिडी नहीं दे सकते। हमें यह बात समझ में नहीं आती। क्या हमें समान अवसर दिया जा रहा है? क्या विश्व के सभी देशों को समान अवसर मिल रहा है, तभी हम इसे स्वीकार कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू क्षेत्र में सब्सिडी की मात्रा कितनी है? यदि मुझे सही-सही याद है तो यह प्रतिवर्ष 375 बिलियन डालर है। विकसित देश इतनी अधिक सब्सिडी देते हैं लेकिन वे हमारे किसानों को सब्सिडी देने से मना कर रहे हैं। हम पहले से ही हासिये पर चले गये हैं। हमारे किसान इन देशों के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? क्या हम अमेरिका या यूरोप के किसानों की बराबरी कर सकते हैं? जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो क्या हमें समान अवसर मुहैया कराया जाता है। हम उन्हें उन लोगों से लड़ने को नहीं कह सकते जो पहले से ही बहुत अधिक शस्त्रों से सुसज्जित हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए, यही सच्चाई है। वस्तुतः, मैं समझता हूं कि श्री चिदम्बरम इस पर बहुत ही प्रभावी तर्क देंगे। चूंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं इसलिए मैं केवल उनके समक्ष सच्चाई पेश करना चाहता हूं।

जहां तक आदानों की बात है आप कहते हैं कि विद्युत पर सब्सिडी नहीं दी जा सकती। पानी की कीमत अवश्य वसूली जाएगी। यह सब ठीक है। मेरे पास सायनाथ की एक रिपोर्ट है जो 27 अप्रैल, 2005 के 'दि हिन्दू' में प्रकाशित हुई थी। पानी

के संबंध में समझौता कैसे हुआ यह इसी संबंध में है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र जल नियामक प्राधिकार विधेयक कैसे पारित हुआ। मैं 'हिन्दू' में प्रकाशित रिपोर्ट के एक या दो बातों का ही उल्लेख करूंगा। विधेयक के अनुसार, कुछ क्षेत्रों में किसानों को डोप या स्प्रींकलर इरिगेशन के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि जिनके दो से अधिक बच्चे हैं उन्हें नई दरों का डेढ़ गुणा भुगतान करना होगा। यदि किसी गरीब किसान के दो से अधिक बच्चे हैं तो उसे उन लोगों की तुलना में डेढ़ गुणा राशि अधिक अदा करनी होगी जिनके दो से अधिक बच्चे नहीं हैं।

सायं 6.00 बजे

कैसा विचित्र तर्क है यह। विधेयक में पानी के प्रभारों में भारी वृद्धि का संकेत है। नई दर में सिंचाई, प्रबंधन, प्रशासन, संचालन और रख-रखाव पर पूरी लागत की वसूली परिलक्षित होगी।

उपाध्यक्ष महोदय: आज अभी तीन से चार सदस्य और बोलने वाले हैं। यदि सभा के माननीय सदस्य सहमत हैं तो हम सभा का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा सकते हैं।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: महोदय, अब क्या हो रहा है? छोटे किसान पूरी लागत का भुगतान कैसे कर सकते हैं? औरंगाबाद के एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिनका नाम श्री एच.एन. देशराज है ने कहा था कि एक एकड़ जमीन पर 8000 रुपये और अधिक लागत आएगी। इस देश में ऐसी कोई फसल नहीं है जो प्रति एकड़ इस लागत को झेल सके। क्या होने वाला है? वास्तव में सभी सीमांत किसान तथा वे किसान जिनके लिए कृषि जीविकापार्जन का साधन है समाप्त हो जाएंगे और उस जमीन को बड़े उद्योगपति तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियां ले लेंगी। हम पहले से ही ठेकेदारी पर खेती कराने की बात कर रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन तथा विश्व बैंक का सुझाव है कि भूमि सुधार खत्म कर दिया जाना चाहिए। कोई भूमि सुधार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के सुझाव हैं। वस्तुत:, दो राज्यों, केरल और पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में भूमि सुधार क्रियान्वित नहीं किया गया है। ठेकेदारी पर खेती कराने के बाद क्या होगा। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का पूरे देश पर अधिकार होने जा रहा है। पूरा कृषक समुदाय हासिये पर चला जाएगा और वे किसान जिनकी आजीविका कृषि ही है, बर्बाद हो जाएंगे।

महोदय, इस संबंध में मैं राज्य सभा में पेश किये गये बीज विधेयक के बारे में बताना चाहता हूं। 1962 का एक बीज विधेयक है। इस विधेयक का उद्देश्य नकली बीजों को रोकना था। और मैंने इस वर्तमान विधेयक को पढ़ा है। मौजूदा विधेयक में ऐसे प्रावधान है जिससे किसानों का यह अधिकार छिन जाएगा कि उन्हें किस तरह के बीज बोने चाहिए। वह अपने बीज नहीं बो सकता, वह अपने बीज बदल नहीं सकता वह अपने बीज बेच नहीं सकता। उसे अपने पूरे भंडार के बारे में केन्द्रीय बीज समिति को सूचित करना होगा जिसने किसानों का केवल एक प्रतिनिधि होगा। अंतत:, बीजों का पंजीकरण आवश्यक बना दिया गया है। यदि कोई किसान इन विनियम का पालन नहीं करता है तो उसे 50,000 रुपये के दंड के साथ कारावास भुगतना होगा। क्या हमारे किसान पंजीकरण के नियम का पालन कर पायेंगे। कई प्रकार के बीज होते हैं और हमारे किसानों को अब पंजीकरण करना होगा और बीज समिति को सूचित करना होगा। बीज समिति के अन्य सदस्य कौन लोग हैं। वे सभी पांच राज्यों के नौकरशाह हैं।

महोदय, सब्सिडी के प्रति हमारा दृष्टिकोण, आयात के संबंध में हमारी नीति और अन्य देशों के साथ हर बार समझौतों पर हस्ताक्षर करवाना और अब बीजों के पंजीकरण की यह अवधारणा, ये सारी बातें हमें किस ओर ले जा रही है? इसका एक मात्र उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र को समाप्त करना है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा पारित कानून की शर्तानुसार व्यक्ति तथा निगम एक समान हैं। परन्तु क्या वे एक समान हैं? माननीय वित्त मंत्री जी एक अधिवक्ता हैं और वे इस महीने की 20 तारीख को उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिये गये निर्णय से अवगत होंगे। पलछहीमारा केरल के पालखंड जिले में एक छोटा सा स्थान है। स्थानीय लोग पीने के पानी की मांग कर रहे थे। कोका कोला कंपनी का उस क्षेत्र में एक बड़ा संयंत्र है। उच्च न्यायालय के दिये गये निर्णय के अनुसार एक व्यक्ति जिसे पीने का पानी चाहिए तथा एक कंपनी जो पानी की बिक्री करती है दोनों के समान अधिकार हैं। कोका कोला कंपनी भू-जल का प्रयोग बिक्री के लिए करती है परन्तु यहां के लोगों को पीने के पानी की आवश्यकता है। मैं सरकार से यह मांग करता हूं और सरकार यह कर सकती है, उसे इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करनी चाहिए! स्थानीय पंचायत ने एक अपील दायर की है, परन्तु इतनी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के विरुद्ध वह अकेले नहीं लड़ सकती।

महोदय, आखिर मैं यह जानना चाहूंगा कि देश किस ओर अग्रसर हो रहा है? हम बड़ी औद्योगिक इकाइयों के समक्ष अपने सभी संसाधनों तथा अपने किसानों की आजीविका के सभी साधनों का समर्पण कर रहे हैं। इस प्रकार की नीति से हम अपने ग्रामीण क्षेत्र की रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं? इस प्रकार के ऋण संबंधी कानून बनाने से क्या हम किसानों की रक्षा कर सकते हैं? मुझे आशंका है कि अधिक ऋण होने पर अधिक आत्महत्याएं होंगी। हमें कृषि संबंधी सभी नीतियों का पुन: आकलन करना चाहिए। परन्तु भारत संयुक्त राज्य अमरीका नहीं है तथा हम

[श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार]

पश्चिमी देशों के सिद्धांतों को भारत में लागू नहीं कर सकते। जिस क्षण इस देश से कृषि वर्ग समाप्त हो जाएगा, भारत का भी अस्त हो जाएगा।

आंध्र प्रदेश में अशांति है, देश के अनेक राज्यों में अशांति है। क्या यह मात्र कानून और व्यवस्था की समस्या है? समस्या भूमि, किसान तथा बीज से संबंधित है और किसी अन्य से संबंधित नहीं है। आप वहां जाए और स्थिति का जायजा लें।

महोदय, हाल ही में मेरे घर के समीप एक व्यक्ति ने मछलियों को पकड़ने में प्रयोग किये जाने वाले पटाखों को शरीर पर बांध कर विस्फोट के माध्यम से आत्महत्या कर ली। वहां कितने समय से आतंकवाद है? धीरे-धीरे समस्त समाज अपराधी बनता जा रहा है और आप कहते हैं कि यह कानून और व्यवस्था की समस्या है। यदि किसानों के प्रति इस प्रकार का दृष्टिकोण है, तो मैं नहीं समझता कि आप कृषि क्षेत्र की रक्षा कर सकते हैं।

मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह आग्रह करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि ग्रामीण क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है उसमें और अधिक पारदर्शिता हो तथा किसानों की चिंताओं को समझा जाए, यदि हम दृढ़ संकल्प नहीं करते तो मेरे विचार से भारत में किसान वर्ग तथा कृषि का विनाश हो जाएगा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे फायनेंस विधेयक पर बोलने का मौका दिया, मैं आपके प्रति आभारी हूं। माननीय वित्त मंत्री जी हमारे बीच बैठे हैं। आमतौर पर जनमानस में कहा जाता है कि कोई भी बजट जब प्रस्तुत होता है, तो वह राजनीति से प्रेरित होता है। आज हमें सोचना होगा कि जो गरीब, किसान और मजदूर हैं उन्हें हम कैसे राहत दें। इसके लिए जो भी सरकारें आती हैं, वे सोचती भी हैं और करती भी हैं। समय-समय पर हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और वहां की स्थिति आर्थिक तौर पर बहुत दयनीय है। इसलिए हमने मांग की थी कि उत्तर प्रदेश की रु. 18,230 करोड़ की जो योजनाएं लम्बित हैं, उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाए। यदि आप उन्हें स्वीकृति प्रदान कर देंगे, तो जिस मंशा के साथ हम यहां चुनकर आए हैं, वह पूरी होगी।

महोदय, स्वर्गीय राजीव गांधी, उत्तर प्रदेश से चुनकर आते थे। जब वे प्रधान मंत्री बने, तो उन्होंने एक जनसभा में कहा था कि केन्द्र सरकार की ओर से जो धनराशि हम विकास हेतु देते हैं उसमें से केवल 15 प्रतिशत धन ही विकास कार्यों में लगता है *और शेष 85 प्रतिशत धन बिचौलियों द्वारा खा लिया जाता है।* यदि देश के प्रधान मंत्री किसी जनसभा में यह उद्बोधन करें, तो यह शोचनीय और निन्दनीय है। इस पर हमें गौर करना पड़ेगा।

महोदय, कामन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत माननीय वित्त मंत्री जी ने टैक्स सुधारने वाला बजट प्रस्तुत किया था। एक ओर आपने महिलाओं और सीनियर सिटीजन का, यानी डबल आशीर्वाद प्राप्त करने का काम किया था, जिसके अंतर्गत उन्हें 50 हजार रुपए से बढ़ाकर सवा या डेढ़ लाख रुपये तक की आय पर राहत प्रदान की थी, यह अच्छी बात है। दूसरी तरफ आपने सभी स्रोतों से कुल आय, यानी सकल आय यदि एक लाख रुपये से अधिक होती है, तो उसके लिए रिटर्न भरने के लिए कहा है। यदि देखा जाए, तो यह प्रावधान एक हाथ से देने और दूसरे हाथ से लेने वाला साबित होगा। इसी प्रकार मैं कहना चाहूंगा कि आपने 10 हजार रुपये या उससे अधिक निकालने पर 0.1 प्रतिशत की दर से जो टैक्स लगाया है, वह मेरे ख्याल से ध्यान बांटने वाली बात है और वास्तविकता कुछ और है। आप जानते ही हैं कि एक व्यक्ति केवल एक ही बैंक में खाता नहीं रखता है। वह दो-तीन बैंकों में खाता रखता है। यदि इस प्रकार का टैक्स लगाने का प्रयास किया जाएगा, तो वह एक साथ एक बैंक से 10 हजार रुपये नहीं निकलेगा, बल्कि वह दो बैंकों से 5-5 हजार रुपये निकालेगा। जब ए.टी.एम. से रुपये निकालने जाते हैं, तो आमतौर पर जो दरबान वहां खड़ा रहता है, आदमी 10-20 रुपये उसे वैसे ही इनाम के तौर पर दे देते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस टैक्स को वापस ले लिया जाए।

महोदय, वित्त मंत्री जी ने सुहाने बजट, ड्रीम बजट की बात कही है, लेकिन यह वास्तव में तभी कारगर होगा जब हम लोगों को राहत दिलाने का काम करें। मैं और राज्यों की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में यदि हम वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) प्रणाली की तरफ गौर करें, तो हम देखेंगे कि वहां बड़ी ऊहापोह की स्थिति है। इस संबंध में, वित्त मंत्री महोदय ने हमारे यहां के मुख्य मंत्री जी से भी वार्ता की। आपने मिठाई, रिफाइंड आयल आदि पर चार परसेंट टैक्स लगा दिया, लेकिन दूसरी तरफ दूध उत्पादकों को नहीं बख्शा है। इस देश में 70 प्रतिशत कृषक हैं और प्राय: सभी दूध का उत्पादन करते हैं। आपने उस पर 12.5 प्रतिशत टैक्स लगाया है, मेरे ख्याल से आम उपभोक्ता इसका उपभोग करता है। मैं चाहूंगा कि इसे आप

कम करें ताकि किसानों पर इसका डायरेक्ट बोझ न पड़े। हमारे देश की सेवा में सीमा पर जो लोग रहते हैं, जो रक्षा विभाग से जुड़े हैं, हमारे पास तमाम कैंटिनों से लोग आए और कहा कि कैंटिनों पर ज्यादा टैक्स लगे हैं। वहां से मुनासिब दाम पर जो डेली यूज की वस्तुएं मिलती थीं, उन पर टैक्स बढ़ा दिया है, उसे वापस लेना चाहिए। आपने अपने बजट में, शिक्षा विभाग से जुड़े बजट में दुगुनी राशि की है। मिड-डे मील स्कीम की जो बात है इसमें कई जगह शिकायत मिलती है कि सही मायने में कभी मिलता है और कभी उन बच्चों को भोजन नहीं मिलता है इसलिए इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। जहां पर वास्तविक रूप से हमारा धन का सही रूप में सदुपयोग हो वहां दुगुना आबंटन, दुगुनी राशि करने की जरूरत है। आपने एक लाख अट्ठासी हजार नए आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की बात की है और बजट में एक्स्ट्रा प्रावधान किया है। आज आंगनवाड़ी केन्द्र जो हैं, यहां जो भी सहकर्मी हैं, उनका मानदेय बहुत कम है। वे बराबर मांग करते रहते हैं, हड़ताल होती रहती है कि हमें सरकारी नौकरी दी जाए और उनके बराबर वेतन दिया जाए, उनका मानदेय बहुत कम होता है। अगर मानदेय कम मिलेगा तो वे सही मायने में बच्चों की सेवा नहीं कर सकते हैं। गरीब बच्चों को बुलाकर पढ़ाने का जो काम करते हैं, वे नहीं कर पाएंगे। उसमें तमाम पंजीरी, ब्रेड या और कुछ जो उसमें आता है, वे सब बेच लेते हैं। यहां तक भी शिकायत मिली है कि वहां जो कर्मचारी हैं, वे भी हर जगह से मेहनताना लेते हैं इसलिए हर जगह जो करप्शन है उसे दूर करना चाहिए। मेरे ख्याल से जहां सही सदुपयोग हो, वहां धन लगाने की जरूरत है। अन्त्योदय अन्न योजना के बारे में आपने राशि को दो करोड़ से बढ़ाकर ढाई करोड़ किया है, लेकिन आज ज्यादातर माननीय सदस्यों ने उसी बात की शिकायत की है कि सही मायने में अन्त्योदय अन्न योजना का कार्यक्रम सफल नहीं हो पा रहा है। इसकी भी जांच करने की जरूरत है कि वास्तविक रूप में हमारे गरीब मजदूरों को फायदा मिल सके। इसी प्रकार से आपकी तमाम योजनाएं हैं-जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना अगले वित्तीय वर्ष में लागू करने की बात है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि आज गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बंद पड़े हैं। वहां स्वास्थ्य केन्द्र हैं, मशीनें हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर गांव में नहीं रहना चाहता, वह शहर में रहता है। अगर गांव में डॉक्टर रहेगा तो सही मायने में हम गरीबों के लिए स्वास्थ्य के बारे में कुछ कर सकते हैं, अन्यथा शहर से डॉक्टर दस-पन्द्रह दिन या एक हफ्ते के बाद जाता है, इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होता है। इस स्कीम को दुरुस्त करने की जरूरत है।

महोदय, आपने सर्वशिक्षा अभियान में करीब 7,156 करोड़ रुपये बजट में दिये हैं। इसमें हमारा मकसद केवल यह नहीं है कि आदमी नाम लिखे, 65 प्रतिशत आदमी केवल नाम लिखने पर साक्षर नहीं हो जाते। इसलिए इस पर भी विशेष ध्यान देना होगा। साक्षरता अभियान में, मेरे ख्याल से सर्वशिक्षा अभियान में कोई उपलब्धि गांवों की तरफ नहीं है। इसके लिए आपने जो बजट दिया है, मेरे ख्याल में वह ठीक नहीं है।

महोदय, इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, राष्ट्रीय शहरी नवीकरण का बजट बढ़ाया है और आपने आवंटन भी सही किया है। इसकी गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए तभी हमारा मकसद पूरा हो पाएगा। आपने 50,000 से अधिक सालाना बिजली का बिल भरने वाले लोगों को भी रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा है। ऐसे बहुत से सीमांत, अच्छे किसान हैं जिनका बिजली का बिल, ट्यूब वैल का और उनके घरों का बिल देखा जाए, तो मेरे ख्याल से सालाना हो ही जाता है। यह भी एक तरह से बोझ के रूप में है। आपने नोटों की बात कही कि दस रुपए का सिक्का चलाने जा रहे हैं, यह ठीक है लेकिन आज भी बैंकों में जाएं तो एक रुपये का नोट दिखाई नहीं पड़ता। तमाम ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें लोग दस-दस रुपए की गड्डी लेकर बैंकों में जाते हैं तो कैशियर झल्ला जाता है कि इन्हें हम कैसे गिनें, हम इन्हें गिन नहीं सकते, हमें बड़े नोट चाहिए। इसमें दिक्कत यह है कि जो हमारा गरीब मजदूर किसान है उनके लिए एक रुपए, दो रुपए, पांच रुपए और दस रुपए ही बहुत होते हैं, इन नोटों का प्रचलन आप करें। बैंकों को भी हिदायत करें कि अगर इस प्रकार के नोट आएं तो उन्हें लें। आप काउण्टर बढ़ा दीजिए, आप कर्मचारी डिप्यूट कर दीजिए, एक्स्ट्रा कर्मचारी आप रख लीजिए। ये सारी बातें हैं।

चूंकि उपाध्यक्ष महोदय बार-बार घंटी बजा रहे हैं, इसलिए मैं एक शब्द कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने पेट्रोल पम्प मालिक और जो संचालक हैं, उनका कमीशन आपने पांच साल से नहीं बढ़ाया है। पेट्रोलियम उत्पाद के दाम अधिक बढ़े हैं, इधर काफी बढ़े हुए हैं लेकिन उनका कमीशन ज्यों का त्यों बना हुआ है। उनको कमीशन देने की बात है, उनका कमीशन बढ़ाये जाने से चोरबाजारी, जमाखोरी या जो घटतौली होती है, उस पर काबू पाया जा सकता है।

इसी के साथ-साथ आपने ट्रैक्टर पर भी दाम महंगा किया है, यह किसान से सीधा जुड़ा हुआ है। ट्रैक्टर को भी हमें सस्ता करना चाहिए। डीजल के दाम बढ़े हैं, समय-समय पर डीजल का दाम फ्लक्चुएट होता रहता है, घटता-बढ़ता रहता है। डीजल का किसान से सीधा जुड़ा हुआ संबंध है, इन बातों पर गौर करने की जरूरत है।

इन्हीं बातों के साथ आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, 2005-2006 के फाइनेंस बिल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं।

भारत के अर्थ मंत्री चिदम्बरम, महंगाई कम करने का पूरा करो धरम,

एन.डी.ए. वालों को बिल्कुल नहीं थी...*
लेकिन आप गरीबों की मदद करने का करो करम।

उपाध्यक्ष महोदय: यह लफ्ज रिकार्ड में नहीं जायेगा।

श्री रामदास आठवले: एक तो इस वर्ष का बजट बहुत अच्छा बजट है। आपकी कोशिश जरूर है कि इस देश के लोगों की गरीबी हटनी चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें जो कुछ बातें करनी हैं, एक तो शैडयूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों में गरीबों का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैंने पिछली बार भी मांग की थी कि जो स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान में शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स की पोपुलेशन के मुताबिक बजट में प्रावधान होना चाहिए। अभी 2001 की सेंसस के मुताबिक शैडयूल्ड कास्ट्स की पोपुलेशन 17 परसेंट है और शैडयूल्ड ट्राइब्स की पोपुलेशन 10 परसेंट है। टोटल हमारे देश के बजट में से 27 परसेंट हर डिपार्टमेंट में उतना बजट एलोकेशन होना चाहिए। इसी तरह से हो जाता है तो मुझे लगता है कि हमारे देश के लोगों की गरीबी हटाने में काफी मदद हो सकती है, उसके लिए मेरा सुझाव यह है कि शैडयूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के विकास के लिए एक पांच लाख करोड़ रुपये की पंचवर्षीय योजना बनाने की आवश्यकता है। अगर 5 लाख करोड़ की योजना हम बनाते हैं तो एस.सी.एस.टी. के बेघर लोगों को मकान दिया जा सकता है, उनकी शिक्षा में भी अच्छी प्रगति की जा सकती है, उनको रोजगार देने वाली कई स्कीम्स भी हम बना सकते हैं और गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को ऊपर उठाने में उनकी काफी मदद हो सकती है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। शैडयूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों में शिक्षा थोड़ी सी जढ़ती जा रही है। बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने जब से अपना आन्दोलन चालू किया और दलितों में जागृति निर्माण करने का काम किया, तब से दलित समाज में, आदिवासी समाज में शिक्षा का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, मगर उनकी आर्थिक परिस्थिति के मुताबिक हर विद्यार्थी स्कूल में नहीं जा सकता है। अगर जाता भी है तो उनको हॉस्टल में प्रवेश नहीं मिलता है, इसलिए मेरा सोचना यह है कि रेजीडेंशियल स्कूलों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, हॉस्टल्स की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। उसके साथ-साथ जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में या रेजीडेंशियल स्कूल में एप्लाई करते हैं, हर एक को प्रवेश नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को भी स्कालरशिप ज्यादा देने की आवश्यकता है और जो शिष्यवृत्ति है, वह उनको महंगाई के मुताबिक मिलने की आवश्यकता है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर को वर्ल्ड बैंक से बात करनी चाहिए और वर्ल्ड बैंक के शैडयूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के एन.जी.ओज. को डेयरी डेवलपमेंट का उद्योग हो या और कोई उद्योग हो तो उसके लिए डायरैक्ट वर्ल्ड बैंक को ज्यादा से ज्यादा मदद मिलनी चाहिए, इसका अच्छा उपयोग हो सकता है। इसके लिए भी एक बार वर्ल्ड बैंक के साथ चर्चा करने की आवश्यकता है। उसी तरह यदि बेरोजगारी को हमें हटाना है तो बेरोजगार लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, स्वयं रोजगार के लिए उनको मदद देने की आवश्यकता है लेकिन अगर वे दस लाख या पचास लाख का लोन लेते हैं तो बैंक उनसे श्योरिटी मांगता है, श्योरिटी देने के लिए लोग आगे नहीं आते हैं। इससे उनको लोन नहीं मिल पाता है। इसके लिए कोई नई योजना बनाने की आवश्यकता है।

स्लम में रहने वाले लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हम किस तरह से दे सकते हैं इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। मुंबई में स्लम के विकास के लिए सरकार ने वर्ष 2000 तक की झुग्गियों को मान्यता दी है। लेकिन जहां जहां पर लोगों को रोजगार मिलता है वहां पर लोग जाते ही हैं। इस तरह की कट ऑफ डेट देना संवैधानिक नहीं है। स्लम में रहने वाले लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा मदद देने की आवश्यकता है। गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए, उनके विकास के लिए मेरा सुझाव है कि हर आदमी की सम्पत्ति पर नजर रखी जाए। यह तय किया जाए कि एक आदमी के नाम पर कितनी सम्पत्ति होनी चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सोशल समानता के साथ-साथ आर्थिक समानता के तत्व को भी स्वीकार किया है। यदि हमें आर्थिक समानता का तत्व स्वीकार करना है तो सम्पत्ति पर बंधन लगाने की आवश्यकता है। लेकिन सम्पत्ति पर बंधन लगाने का कोई कानून नहीं है। अगर हमें समानता लानी है तो एक आदमी या एक परिवार की सम्पत्ति पर बंधन होना ही चाहिए। इस पर भी कोई न कोई कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। चिदम्बरम जी एक अच्छे वित्त मंत्री हैं, उनको देश में पैसा भी लाना है। इसके साथ-साथ डीजल और पैट्रोल के दाम न बढ़ें, महंगाई न बढ़े, यह भी उनको देखना है। काले पैसे पर भी प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। हमारे देश की इकोनॉमी इससे खराब हो रही है। हमें यह सोचना चाहिए कि इस काले धन को कैसे रोका जाए। काला धन किसी भी देश की इकोनोमी को प्रभावित करता है। जिस देश में काला धन कम से कम होता है, उस देश की इकोनोमी सुदृढ़ होती है। इन्हीं शब्दों के साथ इस पूरे बिल का मैं समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि यह सरकार अगले चार सालों में गरीबों के उत्थान के लिए कदम उठाएगी।

[अनुवाद]

***श्री पी. मोहन** (मदुरै): महोदय, मैं वर्ष 2005-06 के वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए उपाध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूं। यूपीए सरकार द्वारा इस सम्माननीय सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला यह लगातार दूसरा बजट तथा वित्त विधेयक है। मैं अपने नेता प्रो. रूपचंद पाल द्वारा वित्त विधेयक के संबंध में कही गयी बातों को दोहराना चाहूंगा। मुझे प्रसन्नता है कि इस विधेयक की कतिपय बातों का काफी स्वागत किया गया है इसीलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से अपने विचार रखना चाहूंगा।

महोदय, जहां तक धार्मिक लोगों का संबंध है वे भगवान शिव के 'सर्वम् शिवामयम्' कथन में विश्वास अवश्य करते होंगे। जहां तक इस केन्द्र सरकार का संबंध है, जब भी हम किसी विभाग अथवा मंत्रालय से सम्पर्क करते हैं वे अपनी जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय पर डाल देते हैं। वे कहते हैं कि सब कुछ वित्त मंत्रालय पर निर्भर करता है। उनकी शिकायत है कि उन्हें वित्त मंत्रालय से स्वीकृति अथवा सहमति के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उनके अनुसार वे उनकी मांगों को उसी स्थिति में पूरा कर सकते हैं जब वित्त मंत्रालय उनके प्रस्तावों को पारित कर दे। मेरे वर्तमान तथा पिछले दोनों कार्यकालों के दौरान मेरा यही अनुभव रहा है। यह गर्व का विषय है कि वित्त मंत्रालय में दोनों ही मंत्री तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। यह हर्ष का विषय है कि श्री चिदम्बरम तथा श्री पलानीमनिक्कम दोनों ही अपने कार्य के शीर्ष स्थान पर हैं। मैं इस सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के कोष में किये जाने वाले आवंटन में पिछली एनडीए सरकार की तुलना में दूरदर्शी रूप से कहीं बेहतर तरीके से वृद्धि करने की सराहना करना चाहूंगा। मैं विशेष रूप से मानव संसाधन मंत्रालय का उल्लेख करना चाहूंगा। एनडीए शासन के दौरान 5000 करोड़ रु. का आवंटन किया गया था। जिसे अब बढ़ा कर 12,000 करोड़ रु. कर दिया गया है। यह प्रशंसनीय है कि ऐसे अनेक विभागों तथा मंत्रालयों के आवंटनों में वृद्धि की जा रही है जो गरीबों से संबंधित हैं। इसके बावजूद मैं आवश्यक उपचारात्मक उपाय किये जाने के लिए कुछ बातों का उल्लेख करना चाहूंगा।

जब हम राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण प्रदान करने की सुविधाओं पर आते हैं तो पता चलता है कि यह उत्साहवर्धक नहीं है। हमारे माननीय वित्त मंत्री ने बताया है कि शिक्षा संबंधी ऋण और कृषि संबंधी ऋण को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है। जब कभी हमारे वित्त मंत्री तमिलनाडु का दौरा करते हैं तो वह कहते हैं कि कृषकों को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं को उदार बनाया जाना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत कई बाधाएं आती हैं। बैंक के कर्मचारी औपचारिकताएं पूरी करने और श्योरिटी देने पर जोर देते हैं जिससे किसान और स्वरोजगार व्यक्ति व प्रतीक्षित ऋण सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। आज की स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है। मेरा वित्त मंत्रालय से अनुरोध है कि वह बैंकों को अधिक पारदर्शी और स्पष्ट होने पर बल दे। उन्हें दिये गये ऋण के बारे में आवधिक विवरण जारी करने चाहिए। उसमें लाभकारियों के नाम स्पष्ट रूप से बनाए जाए तथा ऋण का स्वरूप, ऋण प्राप्त कर्त्ता का कार्य निष्पादन और उनकी आय का विवरण भी दर्शाया गया हो। यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि कितना धन ऋण के रूप में दिया गया है तथा व्यापार अथवा उद्योग का ब्यौरा श्रेणीवार किया जाना चाहिए।

समयाभाव को ध्यान में रखते हुए, मैं एक दो कमियों के बारे में बताना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आई है। पहला बैंक से 10 हजार रुपये की निकासी पर लगने वाला कर है। यह कहना गलत नहीं होगा कि केवल वही लोग बैंक में खाते खोलते हैं जिनके पास सफेद धन होता है। वे लोग केवल हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही धन जमा करते हैं तथा निकालते हैं न कि गुप्त स्विस बैंकों में। मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को हमेशा के लिए वापस ले ले। आयकर छूट सीमा को बढ़ाया गया है। इसका सभी ने जोरदार स्वागत किया है। लेकिन अभी भी इस बात की शंका है कि मानक कटौती को समाप्त करने से कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा और इससे होने वाले लाभों को बढ़ाया नहीं जायेगा। अत: मैं वित्त मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह इसकी जांच करे और यह देखे कि आयकरदाताओं विशेषकर वेतनभोगियों को इसका लाभ मिले। अब मैं मदुरई में दूरदर्शन द्वारा निर्मित कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र के बारे में कहना चाहता हूं काफी पहले इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है लेकिन इसे अभी तक चालू नहीं किया गया है। इसका कारण बताया जाता है कि स्टूडियों सुविधा को चलाने के लिए व्यक्तियों की तैनाती किये जाने के संबंध में वित्त मंत्रालय ने अभी तक पदों को मंजूरी नहीं दी है।

दस वर्षों के अथक प्रयास पश्चात् निर्माण कार्य पूरा हुआ है लेकिन यह अभी अनप्रयुक्त पड़ा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कहना है कि इसे चालू नहीं किया जा सका है क्योंकि कर्मचारियों की तैनाती नहीं हुई है तथा इसे वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलने की प्रतीक्षा है। दस वर्षों में दस करोड़ रुपये खर्च हुए है जो बेकार नहीं जाना चाहिए। अत: मैं वित्त मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने के लिए पुन: अनुरोध करता हूं कि चालू परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के कारण बन्द नहीं किया जाए। समय से धन का आबंटन और उसे जारी करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री पी. मोहन]

अब, मैं माननीय वित्त मंत्री के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अधीन आने वाले क्षेत्र शिवगंगा सहित मिर्च का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों की दयनीय स्थिति पर आता हूं। मिर्च के मूल्यों में आई अचानक भारी गिरावट के कारण हजारों मिर्च उत्पादकों को विकट स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जो मिर्च पहले 20 रुपये प्रति कि.ग्रा. मिलती थी वह अन आज 2 रुपये कि.ग्रा. मिल रही है। इसका प्रभाव किसानों पर पड़ रहा है क्योंकि अपने अथक प्रयासों से उन्होंने बड़ी मात्रा में मिर्च का उत्पादन किया है जिसका उचित मूल्य न मिलने से उनकी परेशानियां बढ़ेगी। तमिलनाडु में लगभग 1.75 लाख एकड़ भूमि पर मिर्च उगाई जाती है और वे किसान अब व्यथित है। केन्द्र द्वारा मिर्च की कोई खरीद नहीं की गई है। अत: मैं संघ सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इसका हल ढूंढे और न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करें। मदुरई के बाजार में वही मिर्च 30 रुपये प्रति किलो पर मिलती है। आन्ध्र प्रदेश से आए मेरे मित्र बता रहे थे कि वहां पर प्रभावी विपणन संघ तंत्र है लेकिन पिछले वर्ष 2,200 रु. प्रति क्विंटल पर बेची गई मिर्च इस वर्ष 1,200 रु. प्रति क्विंटल पर ही बेची गई है। अत: हमे पता चला कि आन्ध्र प्रदेश भी बड़ी मात्रा में उगाई गई मिर्च से प्रभावित हुआ है। कृषि उत्पादों और वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र है। मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि उस सूची में मिर्च को भी सम्मिलित किया जाए।

मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आकाशवाणी के मुख्यालयों में भाषा समाचार इकाईयों को क्षेत्रीय इकाईयों में स्थानांतरित किये जाने का विचार है। इसका कारण बताया जा रहा है कि पदों को मंजूरी नहीं दी जा रही है विभिन्न भारतीय भाषाओं में समाचार इकाईयों को राष्ट्रीय राजधानी से दूर ले जाया जा रहा है। मैं वित्त मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि इसकी जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों से वंचित नहीं किया जाएगा। हम सुबह 7.15 बजे और शाम 7.15 बजे और दोपहर में दिल्ली से समाचार सुनने के आदी है। उन्हें राज्य राजधानियों में स्थानांतरित करने में इन परम्परागत प्रसारण का प्रयोजन ही समाप्त हो जायेगा। मुझे पता चला है कि दिल्ली से तमिल समाचार इकाई को दिल्ली से चेन्नई स्थानांतरित किया जा रहा है इसका कारण है, निधियों की कमी, जो कि अब वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान नहीं की जा रही हैं। माननीय चिदम्बरम जी केन्द्र में वित्त मंत्री हैं और वे तमिलनाडु से हैं मैं उनसे यह सुनिश्चित कराने के लिए अनुरोध करता हूं कि तमिल प्रसारण दिल्ली से ही जारी रखा जाए। सभी भारतीय भाषाओं के समाचार प्रसारण राष्ट्रीय राजधानी से किए जाने चाहिए।

केन्द्रीय विद्यालय कम लागत पर पूरे देश भर में भावी तरीके से शिक्षा प्रदान कर रहे है। अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाए। नियुक्ति पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाना चाहिए।

इस समय मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि बैंकों में लिपिक कार्यों के लिए की जाने वाली भर्ती में प्रथम श्रेणी में स्नातक होने पर अचानक बल दिया गया है। हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों और गरीब पृष्ठिभूमि वाले प्रत्याशी प्रथम श्रेणी वाले न हों लेकिन वे बैंक भर्ती के लिए होने वाली प्रतिस्पर्द्धात्मक परीक्षा में सफल हो सकते हैं। यहां तक कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और भारतीय पुलिस सेवा में प्रत्याशियों में भी प्रथम श्रेणी के स्नातक होने की अपेक्षा नहीं की जाती हैं। तो फिर बैंकों में इस पर क्यों जोर दिया जाए। मैं वित्त मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि पिछड़े क्षेत्र से आए नौकरी प्रार्थियों और संभावी प्रत्याशियों के साथ न्याय किया जाए। पहले ऐसा कहा जाता था कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना ही पर्याप्त होता है। अब इसे बदला गया है और इससे असमानता उत्पन्न होगी अत: इसे तुरन्त रोका जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा कल अर्थात् 29 अप्रैल, 2005 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.30 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 29 अप्रैल 2005/9 वैशाख, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री असादूद्दीन ओवेसी श्री दुष्यंत सिंह	461
2.	श्रीमती मनोरमा माधवराव श्री एन. जर्नादन रेड्डी	462
3.	श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	463
4.	श्री बाडिगा रामकृष्णा	464
5.	डा. रतन सिंह अजनाला सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा	465
6.	श्री रघुनाथ झा	466
7.	श्री अविनाश राय खन्ना श्री हरिभाऊ राठौड़	467
8.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री सुग्रीव सिंह	468
9.	श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा प्रो. महादेवराव शिवनकर	469
10.	श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	470
11.	श्री वाई. जी. महाजन श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	471
12.	श्री ई. पोन्नुस्वामी श्री गुरुदास कामत	472
13.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री तथागत सत्पथी	473
14.	डा. एम. जगन्नाथ श्री अधीर चौधरी	474
15.	श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई श्री देविदास पिंगले	475
16.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव श्री निखिल कुमार	476
17.	श्री गिरधारी लाल भार्गव	477
18.	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	478
19.	डा. के. धनराजू	479
20.	श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे	480

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे. एम.	5011, 5082
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	5143
3.	आदित्यनाथ, योगी	5132
4.	अडसूल, श्री आनन्दराव विठोबा	5017, 5054, 5092, 5115, 5148
5.	अहमद, श्री अतीक	4986, 5066
6.	अहीर, श्री हंसराज जी.	4977, 5064, 5116, 5139, 5151
7.	अजनाला, डा. रतन सिंह	5074
8.	अर्गल, श्री अशोक	4988
9.	आठवले, श्री रामदास	5052
10.	आजमी, श्री इलियास	5072
11.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	4994
12.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	5039
13.	बर्मन, श्री हितेन	5010, 5042
14.	बर्मन, श्री रनेन	4882, 5042
15.	बखला, श्री जोवाकिम	5010
16.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	5034
17.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	5066
18.	बोस, श्री सुब्रत	5042
19.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	5117, 5153
20.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	5127

1	2	3
21.	चन्देल, श्री सुरेश	5031, 5047
22.	चन्द्र कुमार, प्रो.	5038
23.	चौरे, श्री बापू हरी	4991, 5093
24.	चव्हाण, श्री हरिश्चन्द्र	4981, 5065, 5075, 5132
25.	चौधरी, श्रीमती अनुराधा	5024, 5113
26.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	5028
27.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	5046
28.	चौधरी, श्री अधीर	5063
29.	देव, श्री बिक्रम केशरी	5043
30.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचन्द्र	4993, 5091, 5158
31.	धनराजू, डा. के.	5101, 5136
32.	ढींढसा, श्री सुखदेव सिंह	5074
33.	धोत्रे, श्री संजय	5057, 5108, 5153
34.	डोम, डा. रामचन्द्र	5021
35.	फैन्थम, श्री फ्रान्सिस	5154
36.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	5073, 5059, 5129, 5146
37.	गंगवार, श्री संतोष	5155
38.	गेहलोत, श्री थावर चन्द्र	4976
39.	गोहेन, श्री राजेन	5122
40.	हमजा, श्री टी. के.	5009, 5080
41.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	4999
42.	हसन, श्री मुनव्वर	4998, 5142
43.	जगन्नाथ, डा. एम.	5086, 5125, 5143
44.	जय प्रकाश, श्री	4976, 5156
45.	झा, श्री रघुनाथ	5042, 5110
46.	जोगी, श्री अजीत	5061
47.	कामत, श्री गुरुदास	5143
48.	कनोडिया, श्री महेश	5000
49.	करुणाकरन, श्री पी.	5020
50.	खन्ना, श्री अविनाश राय	5065, 5075
51.	खारवेनथन, श्री एस. के.	5002, 5040, 5103, 5133
52.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	5001
53.	कृष्ण, श्री विजय	5045
54.	कृष्णदास, श्री एन. एन.	5001, 5090
55.	कुप्पुसामी, श्री सी.	4997
56.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	5078, 5122
57.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	5074
58.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	5072, 5119
59.	महाजन, श्री वाई. जी.	4981, 5067
60.	महतो, श्री बीर सिंह	5005
61.	महतो, श्री सुनील कुमार	5017
62.	मंडल, श्री सनत कुमार	4987, 5042, 5100, 5131, 5147
63.	माने, श्रीमती निवेदिता	5073, 5059, 5146, 5150
64.	मनोज, डा. के. एस.	5053, 5107, 5134
65.	मेघवाल, श्री कैलाश	4992, 5094
66.	मोदी, श्री सुशील कुमार	5008, 5079, 5123
67.	मोहिते, श्री सुबोध	4985, 5096
68.	मुन्शी राम, श्री	5024, 5078
69.	मुर्मू, श्री हेमलाल	5122
70.	मुर्मू, श्री रूपचन्द्र	5006

1	2	3
71.	नायक, श्री ए. वेंकटेश	5003
72.	नरबुला, श्री डी.	5025
73.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	5068
74.	नायक, श्री अनन्त	5006, 5014
75.	निखिल कुमार, श्री	5143
76.	नीतीश कुमार, श्री	5059
77.	ओराम, श्री जुएल	5044, 5088
78.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	5071, 5118, 5140, 5161
79.	पलनिसामी, श्री के. सी.	4995
80.	पाण्डा, श्री प्रबोध	5022
81.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	5077, 5081
82.	पासवान, श्री रामचन्द्र	5016
83.	पटेल, श्री दाह्याभाई वल्लभभाई	4980
84.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	5005
85.	पटेल, श्री किसानभाई वी.	5076, 5121, 5141, 5149
86.	पाठक, श्री ब्रजेश	5032, 5098, 5114
87.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	5062, 5112, 5159, 5160
88.	पाटील, श्री डी. बी.	5082
89.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	5055
90.	पिंगले, श्री देविदास	5098
91.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	5033, 5070, 5081, 5120
92.	प्रधान, श्री प्रशान्त	5021
93.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	5023, 5097
94.	राजेन्द्र कुमार, श्री	5041
95.	रामदास, प्रो. एम.	5039, 5060, 5109
96.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	5033, 5070, 5120
97.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	5018, 5089, 5127
98.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	5067, 5117
99.	रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी	5056
100.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	5039, 5127
101.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	5102
102.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	5017
103.	रिजीजू, श्री कीरेन	5081
104.	सज्जन कुमार, श्री	5026
105.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	5018, 5089, 5127
106.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	5036
107.	सरोज, श्री तूफानी	5030
108.	सत्पथी, श्री तथागत	5017, 5115, 5138, 5148
109.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	5004
110.	सेन, श्रीमती मिनाती	4975
111.	सेठी, श्री अर्जुन	5037
112.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	5029, 5066
113.	शाहिद, मोहम्मद	5078
114.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	5028
115.	शांडेल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम	5015
116.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	5092, 5128, 5145, 5150
117.	शिवन्ना, श्री एम.	5003, 5019, 5084
118.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	5078, 5085, 5122
119.	सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	5012, 5084
120.	सिंह, श्री बृजभूषण शरण	5058

1	2	3
121.	सिंह, श्री चन्द्रभान	4984
122.	सिंह, श्री दुष्यंत	5006, 5099, 5130
123.	सिंह, श्री गणेश	4990, 5111
124.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	5073, 5129
125.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	5027
126.	सिंह, श्री मोहन	5007
127.	सिंह, श्री राकेश	5049, 5104
128.	सिंह, श्री सुग्रीव	5072, 5076
129.	सिंह, श्री सूरज	5016
130.	सिप्पीपाराई, श्री रविचन्द्रन	5088
131.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	5000
132.	सुब्बारायण, श्री के.	5002, 5105, 5132
133.	सुमन, श्री रामजीलाल	5059
134.	स्वाई, श्री खारबेल	5050, 5106
135.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	4989, 5157
136.	थामस, श्री पी.सी.	5031

1	2	3
137.	थुप्स्तन, श्री छेवांग	4978
138.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	5077
139.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	4996, 5069, 5121, 5137, 5149
140.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	5013, 5087, 5126, 5144
141.	वसावा, श्री मनसुखभाई, डी.	5023, 5033, 5035
142.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	4988
143.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	5083, 5124, 5142, 5152
144.	विनोद कुमार, श्री बी.	5051
145.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	5073
146.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	5033
147.	यादव, श्री बालेश्वर	4983
148.	यादव, श्री गिरिधारी	5035, 5097
149.	यादव, श्री पारसनाथ	5048

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	461, 462, 463, 467, 469
संस्कृति	:	
रक्षा	:	465, 466, 471, 476
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	
सूचना और प्रसारण	:	470
पंचायती राज	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	468, 472, 475, 480
रेल	:	473, 474, 477, 478, 479
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	464

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	4976, 4992, 4994, 5015, 5043, 5053, 5057, 5065, 5075, 5086, 5087, 5090, 5103, 5122, 5132, 5140
संस्कृति	:	4975, 4988, 4995, 4999, 5004, 5013, 5016, 5021, 5033, 5040, 5126, 5131, 5153, 5154, 5156, 5157, 5158, 5161
रक्षा	:	4978, 4986, 4991, 5007, 5017, 5024, 5026, 5028, 5031, 5034, 5035, 5038, 5047, 5049, 5050, 5052, 5069, 5070, 5073, 5085, 5094, 5095, 5137, 5138, 5144, 5148, 5151, 5152
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	5001, 5066, 5109, 5133
सूचना और प्रसारण	:	4983, 4984, 4989, 5010, 5029, 5037, 5077, 5078, 5082, 5091, 5097, 5106, 5118, 5120, 5142, 5155, 5159
पंचायती राज	:	5039, 5115
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	4979, 4997, 4998, 5027, 5042, 5048, 5051, 5055, 5059, 5063, 5072, 5074, 5081, 5088, 5098, 5102, 5110, 5121, 5127, 5128, 5139, 5147, 5160
रेल	:	4981, 4985, 4987, 4990, 4993, 4996, 5000, 5005, 5006, 5008, 5009, 5011, 5012, 5014, 5018, 5020, 5022, 5023, 5025, 5030, 5036, 5044, 5045, 5046, 5054, 5056, 5058, 5062, 5064, 5067, 5068, 5080, 5083, 5084, 5089, 5092, 5093, 5096, 5099, 5100, 5101, 5104, 5105, 5107, 5108, 5111, 5113, 5114, 5116, 5117, 5119, 5123, 5124, 5129, 5130, 5135, 5136, 5141, 5142, 5145, 5146, 5149, 5150,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	4977, 4980, 4982, 5002, 5003, 5019, 5032, 5041, 5060, 5061, 5071, 5076, 5079, 5112, 5125, 5134.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/9/27/2005 (एन०)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स धनराज एसोसिएट्स प्रा. लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।